लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 61042
Date 11.12.70

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—12, मंगलवार, 11 अगस्त, 1970/20 श्रावण, 1892 (शक)
No.—12, Tuesday, August 11, 1970/Sravana 20, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या Q. Nos.		
335. कपाड़िया बन्धुओं द्वारा नेशनल रेयन कारपोरेशन के शेयर अपने कब्जे में करना	Cornering the Shares of National Rayon Corporation by the Kapadias	1—3
३. उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Industry	3—7
४. इस्पात कारखानों की स्थापना के स्थान के लिये व्यवहार्यता सर्वेक्षण	Feasibility Surveys for Location of Steel Plants	7—9
9. फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर वैगनों में कोयला लादते तथा उतारते समय कोयले की चोरी	Theft of Coal at Faridabad Railway Station while Loading and Unloading of Wagons	9—12
औद्योगिक लाइसेंस संबंधी समिति	Committee on Industrial Licensing	12—14
राजनीतिक दलों को चन्दा	Donations to Political Parties	14—16

+ अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने पूछा था ।

+ sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
अल्प सूचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTION**	
3. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 'बन्द' का आयोजन	Bandh in Durgapur Steel Plant	16—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
331. भूतपूर्व तीन किल्लिक निक्सन बिजली सप्लाई कम्पनियों का प्रबन्ध	Management of Three former Killick Nixon Electricity Supply Companies	25—26
332. आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा व्यापारिक समझौते में संशोधन की मांग	Demand for Revision of Dealership Agreement by Automobile Dealers Association	26—28
333. इंजीनियरिंग उद्योगों में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Engineering Industries	28
334. बिजली के सामान की कीमतों में वृद्धि	Increase in Prices of Electrical Goods	28—29
337. संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के सहयोग से औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Industrial Projects with Collaboration of U. A. R. and Yogoslavia	29—30
342. नई दिल्ली में सफदरजंग अड्डे के निकट रेलवे फाटक पर उपरि/निचला पुल बनाया जाना	Overbridge/Underbridge at Railway Crossing Gates near Safdarjang Aerodrome. New Delhi	30—31
343. वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में अखिल भारतीय समाज-कल्याण सम्मेलन के सुझाव	Suggestions of All India Conference on Social Welfare Re. Old Age Pension Scheme	31
344. भवन निर्माण के लिये इस्पात के माल की कमी	Shortage of Steel Materials for Construction of Buildings	31—32
345. साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी देशों से भारत में धन का आना	Inflow of Money from Communist and Non-Communist Countries	32

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
346. मेल तथा एक्सप्रैस रेल गाड़ियों की गति तेज करने का प्रस्ताव	Proposal to Increase Speed of Mail and Express Trains	32—33
347. गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा रेलवे स्टेशनों तथा स्टालों पर घटिया खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की बिक्री	Sale of Sub-Standard Food Articles and Drinks by Private Contractors at Railway Stations and Stalls	33—34
348. 108-अप लखनऊ झांसी यात्री गाड़ी के यात्रियों को लूटा जाना	Looting of Passengers of 108-Lucknow Jhansi Passenger Train	34
349. मैसूर राज्य में निचले पुलों तथा उपरि पुलों का निर्माण	Construction of Underbridges and Overbridges in Mysore State	34—35
350. भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची के लिए क्रयादेश	Orders for Heavy Engineering Corporation, Ranchi	35
351. घाटे में चल रही रेलवे लाइनों का उखाड़ा जाना	Dismantling of Uneconomic Railway Lines	35—36
352. रेलवे यात्री परिवहन पर दी जाने वाली राजसहायता में कमी के बारे में रेलवे बोर्ड के एक भूतपूर्व अध्यक्ष के विचार	Views of a Former Chairman of Railway Board Re: Reduction in Subsidy on Railway Passenger Transportation	36
353. रेलवे यात्रियों को अधिक अच्छी सुविधायें	Better Amenities for the Travelling Public	36—37
354. भारी इन्जीनियरिंग, रांची की प्रबन्ध सम्बन्धी तथा तकनीकी समस्यायें	Managerial and Technical Problems of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	37—38
355. शिकायतों को दूर कराने के लिए कर्मचारी संघों की स्थापना	Creation of Employees Unions to Redress Grievances	38
356. उद्योग और सरकार के मध्य निकट का संपर्क	Close Affinity between Industry and Government	38—39
357. स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, बम्बई	Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. Bombay	39

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
358. मणिपुर में मध्यावधि चुनाव	Mid-term Election in Manipur	39—40
359. जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमायें निर्धारित करना	Delimitation of Constituencies on the Basis of Census	40—41
360. चौथी योजना में औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production in Fourth Plan	41

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

2201. दिल्ली और नई दिल्ली में महिलाओं और युवतियों में अनैतिक पण्यन	Immoral Traffic in Women and Young Girls in Delhi and New Delhi	41—43
2202. चार्टर प्राप्त लेखापालों द्वारा एक कम्पनी के लेखे की परीक्षा	Audit of a Company's Accounts by Chartered Accountants	43
2203. रेलवे माल डिब्बों के न मिलने के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयले का जमा होना	Accomulation of Coal in West Bengal and Bihar due to Nonallotment of Railway Wagons	43—44
2204. माल-डिब्बे बनाने वाले उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता	Installed Capacity of Wagan Building Industry	44—45
2205. हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज के अध्यक्ष की अमरीका यात्रा	H. M. T. Chairman's Visit to U. S. A.	45
2206. मध्य रेलवे में चोरी हुई रेलवे सम्पत्ति का मूल्य	Value of Railway Property Stolen on Central Railway	45—46
2207. पूर्वोत्तर रेलवे में चोरी हुई रेलवे सम्पत्ति का मूल्य	Value of Railway Property Stolen on North Eastern Railway	46—47
2208. पश्चिम रेलवे में चोरी हुई रेलवे सम्पत्ति का मूल्य	Value of Railway Property Stolen on Western Railway	47—48
2209. दक्षिण रेलवे में रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents on Southern Railway	48
2210. दिल्ली में विक्लांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण	Survey of Physically Handicapped Persons in Delhi	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2211. पंजाब में स्वराज ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Factory for Manufacture of Swaraj Tractors in Punjab	49
2212. महाराष्ट्र में नये उद्योगों की स्थापना	New Industries set up in Maharashtra	50
2213. महाराष्ट्र सरकार की नई उद्योग की नीति	New Industrial Policy of Maharashtra Government	50—51
2214. महाराष्ट्र में उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Development of Industries in Maharashtra	51
2215. कचरे से माल बनाने वाली बिजली की भट्टियां	Scrap-Based Electric Furnaces	51
2216. रेलवे कर्मचारियों के लिए समिति आरक्षण	Restricted Reservations for Railway Staff	51—53
2217. कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के समय प्रकाशित की गई स्मारिका में प्रकाशित विज्ञापनों के बारे में शिकायत	Complaint Re. Advertisements Published in Souvenir Brought out at the Time of Bombay Session of Congress	53
2218. इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, गोमिया में हड़ताल	Strike in Indian Explosives Ltd. at Gomia	53
2219. उत्तर प्रदेश और दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Central Government Projects in U. P. and Delhi	54
2221. लाइसेंस जारी करने के मामले में राष्ट्रीय विकास परिषद को ही एक मात्र नीति निर्धारण संस्था बनाने की मांग	Demand for making National Development Council as Sole Policy making Body for Issue of Licences	54—55
2222. खैतान बन्धुओं द्वारा विशाखापत्तनम में इस्पात के ड्रमों का निर्माण	Manufacture of Steel Drums in Vishakhapatnam by Khaitan Brothers	55

तारां० प्र० संख्या U. S Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2223. खैतान ब्रादर्स द्वारा इस्पात की चोर बाजारी	Blackmarketing in Steel by Khaitan Brothers	56
2224. फ्रान्सीसी सहयोग से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना	Establishment of Tractor Factory by Rajasthan State Agro-Industries Corporation with French Collaboration	56
2225. चौथी पंचवर्षीय योजना में बाल कल्याण कार्यक्रम	Child Welfare Programme during Fourth Five Year Plan	56- 57
2226. बाल कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी	Shortage of Trained Cadres for Implementation of Child Welfare Programme	57—58
2227. अनैतिक कार्य के आरोप में नई दिल्ली में गिरफ्तारियां	Arrests in New Delhi on Vice Charge	58—59
2228. इण्डियन एक्सप्रैस समाचार पत्र समूह के स्वामित्व वाली कम्पनियों के पास जमा सार्वजनिक धन	Public Deposits Held by Companies Owning Indian Express Group of Newspapers	59
2229. मिरजापुर स्थित सीमेंट कारखाने को एक खराब क्रशर खरीदने के कारण हुई हानि	Loss Incurred by Mirzapur Cement Factory due to Purchase of a Defective Crusher	59—60
2230. नई इस्पात वितरण नीति का लौहे तथा इस्पात के व्यापार पर प्रभाव	Effect of New Steel Distribution Policy on Iron and Steel Trade	60
2231. काश्मीर में घड़ियां बनाने का कारखाना	Watch Factory in Kashmir	61
2232. तामिलनाडु के उद्योग मंत्री द्वारा औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की आलोचना	Criticism of Industrial Licensing Policy by Tamil Nadu Industries Minister	62—63
2233. कागज उद्योग के बारे में गोष्ठी	Seminar on Paper Industry	63—65
2234. इस्पात का आयात तथा निर्यात	Imort and Export of Steel	65—66

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2235. जंजीर खींच कर मद्रास कोचीन मेल गाड़ी का रोका जाना	Stoppage of Madras Cochin Mail due Chain Pulling	66—67
2236. एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी लाइन बनाना	Broad-Gauge Line from Ernakulam to Trivavdrum	67
2237. रेलवे में भूतपूर्व अनाज दुकान स्टाफ की वरिष्ठता का पुनःस्थापन	Restoration of Seniority to Exgrainshop Staff on Railways	67—68
2138. लघु उद्योगों को किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई	Supply of Machinery on Hire Purchase Basis to Small Scale Industries	68
2239. कोडक फिल्म कम्पनी द्वारा रंगीन फिल्मों का निर्माण	Manufacture of Colour Films by Kodak Film Company	68—69
2240. भारत के उच्च स्तरीय दल द्वारा रूस का दौरा	Visit by High Level Indian Team in Russia	69
2241. प्राइम इस्पात का निर्यात	Export of Prime Steel	70
2242. औद्योगिक संस्थापनों की विस्तार क्षमता	Expansion Capacity of Industrial Establishments	70—71
2243. बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियां	Assets of Big Industrial Houses	71—73
2244. मणिपुर में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Paper Plant in Manipur	73
2245. सीमेंट उत्पादन क्षमता का विस्तार	Expansion of Cement Production Capacity	74
2246. उत्तर प्रदेश में सवारी गाड़ियों में लूट व चोरी को रोकने के लिए रेलवे तथा राज्य पुलिस का तैनात किया जाना	Deployment of Railway and State Police in Passenger Trains in U. P. to Check Dacoities and Thefts	74—75
2247. अधिक तेज चलने वाली एक्सप्रैस, मालगाड़ियों के लिए तीव्र गति वाले माल के डिब्बों का विकास	Development of High Speed Bogie for Introduction of Faster Goods Express Trains	75

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2248. रेलवे की कुल आय	Earnings of Railways	75—76
2249. बारा-जामदा से बाड़बिल होकर बोलानी सदन तक एक सवारी गाड़ी चालू किये जाने की मांग	Demand for a Passenger Train between Bara Jamda to Bolani Khadan via Barbil	76—77
2250. पारादीप और बंसपानी के बीच नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Servey of New Railway Line between Paradeep and Banaspani	77
2251. एशियन केवल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C. B. I. Enquiry against Asian Cables Corporation Ltd.	78
2252. निम्न श्रेणी के टिकट वाले लोगों द्वारा उच्च श्रेणी में यात्रा किया जाना	Travelling in Higher Class by Persons in Possession of Tickets of Lower Class	78—79
2253. इम्पीरियल टोबेको कम्पनी के नाम में परिवर्तन	Change of Name of Imperial Tobacco Company	79
2254. सोनपुर स्थित डिविजन कार्यालय का समस्तीपुर को स्थानान्तरण	Transfer of Divisional Headquarters from Sonepur to Samastipur	79—80
2255. बिहार में मालगाड़ी के डिब्बों के अभाव के कारण दिल्ली में कोयला ले जाने के काम में बाधा	Hurdle in the Movement of Coal to Delhi due to Non-Availability of Wagons in Bihar	81
2257. मानसी स्टेशन के चार्जमैन के विरुद्ध चोरी का मामला तथा समस्तीपुर (पूर्वोतर रेलवे) के सिगनल विभाग के सहायक स्टेशन मास्टर का स्थानान्तरण	Case of Theft against Chargeman of Mansi Station and Tranfer of Assistant Samastipur (N. E. Rly.)	81—82
2258. अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, दरभंगा में कागज का उत्पादन	Production of Paper at Ashok Paper Mills Ltd. Dharbhanga	82
2259. कलकत्ते में नमक संकट	Salt Crisis in Calcutta	82—83
2260. नई कम्पनियों का पंजीकरण	Registration of New Companies	83

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2261. सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, मद्रास का बन्द होना	Closure of Southern Structurals Ltd., Madras	83
2262. मार्च 1972 तक भाप के इंजनों का उत्पादन बन्द करना	Stoppage of Production of Steam Locomotives by March, 1972	84—87
2263. दुर्गापुर स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये सुविधायें	Amenities for Employees of Hindustan Steel Ltd. at Durgapur	87
2264. मध्य प्रदेश के तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय कक्षों में सुविधाएं	Amenities in Third Class Waiting Rooms in Madhya Pradesh	88
2265. उत्तर प्रदेश में तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में सुविधाएं	Amenities in Third Class Waiting Rooms in U. P.	88—89
2266. मध्य प्रदेश के उद्योग	Industries in Madhya Pradesh	89
2267. मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में इंजीनियरिंग इन्सपेक्टर्स के ट्रालीमैनों का तबादला	Transfer of Trollymen of Engineering Inspectors in Moradabad Division (Northern Railway)	89—90
2268. बांदा रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण	Construction of Overbridge at Banda Railway Station	90—91
2269. नन्दन कानन (उड़ीसा) के चिड़ियाघर में बच्चों के लिए खिलौना गाड़ी	Children's Joy Train for the Biologcal Park in Nandan Kanan (Orissa)	91
2270. दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1963 में भर्ती किये गये इंजीनियरिंग की डिग्री वाले इंजीनियरों को पदोन्नति न देना	Denial of Promotion to Engineering Degree-Holders Recruited in 1963 on South Eastern Railway	91—92
2271. इस्पात की छड़ों, सलाखों और ट्यूबों के निर्यात पर रोक	Ban on Export of Steel Rods, Bars and Tubes	92
2272. बिना इंजन के माल गाड़ी के कुछ डिब्बों का चल पड़ना	Movement of Wagons of a Goods Train without Engine	92—93

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2273. रेलवे अधिकारियों को वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार	Entitlement of Railway Officers to Travel by A. C. C.	93
2274. ससद सदस्यों को वातानूकूलित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव	Proposal to Permit Members of Parliament to Travel by A. C. C.	93—94
2275. विभिन्न राज्यों से आदिवासियों का निकाला जाना	Eviction of Tribals from Various States	94
2276. मैसूर राज्य में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Mysore State	94—95
2277. ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य की जांच करने के लिये जांच व्यवस्था	Screening Body to Scrutinize Work done by Contractors	95
2278. बंगलौर तथा अरसीकरे के बीच ऊपरी पुल तथा निचले पुल बनाना	Construction of Underbridges and Overbridges between Bangalore and Arsikere	95—96
2280. पश्चिमी बंगाल से उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन	Applications for Shifting of Industries from West Bengal	96
2281. मध्य रेलवे के लिये क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता समिति	Zonal Railway Users Consultative Committee for Central Railway	96—97
2282. सम्पत्ति के स्वामित्व के मूल अधिकार से वंचित करना	Taking away the Fundamental Right for Ownership to Property	97—98
2283. उपक्रम स्थापित करने तथा कम्पनियों के विस्तार आदि के लिये एकाधिकार आयोग की अनुमति प्राप्त करने की नई प्रक्रिया	Procedure for Seeking Approval of Monopolies Commission for Setting up of New Undertaking and expansion etc. of Companies	98
2284. भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बीच मतभेद होने के कारण हानि	Loss due to Differences between Chairman and Deputy Chairman, Heavy Engineering Corporation Ranchi	98—99

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2285. पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against Persons for Contracting Second Marriage during Life Time of First Wife	99
2286. रेलवे अधिकारियों द्वारा ग्यारह सूत्री कार्यक्रम तथा सेलूनों का प्रयोग	11 Point Programme and Use of Saloons by Railway Officers	99
2287. इस्पात प्राथमिकता समिति	Steel Proiority Committee	100—101
2289. कोका कोला कम्पनी द्वारा धन का लौटाया जाना	Repatriation of Money by Coca Cola Company	101—102
2290. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की अधिष्ठापित तथा उत्पादन क्षमता	Installed Capacity and Production of Hinduston Photo Films Manufacturing Co. Ltd.	102
2291. मनीपुर के आन्तरिक भाग के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन	Delimitation of Inner-Manipur Parliamentary Constituency	103
2292. कोटा रेलवे गोदाम से माल रोड़ रेलवे फाटक तक की सड़क पर बिजली लगाना और मरम्मत करना	Electrification and Repairs of Road from Kota Railway Godown to the Mal Road Crossing	103—104
2293. कोटा-राजस्थान में गेहूँ के लिये माल डिब्बे उपलब्ध न होना	Non-availability of Railway Wagons for Wheat in Kota, Rajasthan	104
2294. गोला गोकर्ण नाथ रेलवे स्टेशन से बुक की गई भारतीय औषधियां	Consignment of Indian Medicines Booked from Gola Gokaran Nath Railway Station	104
2295. उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजनल लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को मानदेय तथा यात्रा भत्ता देना	Grant of Honorarium and T. A. to Certain Employees of Divisional Accounts Office (Northern Railway) New Delhi	104—105
2296. खेल कूद सामान उद्योग	Sports Goods Industry	106

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2297. ग्वालियर और भिन्ड, ग्वालियर और शिवपुर, ग्वालियर और शिवपुरी, ग्वालियर और सम्बलगढ़ के बीच रेल सेवा ठप्प हो जाना और रेलगाड़ियों का विलम्ब से पहुंचना	Break-downs in Service and Late Arrival and Departure of Trains between Gwalior and Bhind, Gwalior and Sheopur, Gwalior and Shivpuri and Gwalior and Sambalgarh	106—107
2298. मध्य रेलवे के कुछ सेक्शनों पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling on Certain Sections of Central Railway	107
2299. दिल्ली तथा मद्रास के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रैस के साथ आने वाले सवारी डिब्बे	Passenger Coaches Attached to Janta Express Running between Delhi and Madras	107
2300. सिगरेटों का उत्पादन, विक्रय तथा निर्यात	Production, Sale and Export of Cigarettes	107—108
2301. भारत में सिगरेट कम्पनियां	Cigarete Companies in India	108—110
2302. उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences for Setting up of Industries	110—111
2303. राजधानी एक्सप्रैस से कानपुर से कलकत्ता तक जाने वाले यात्री	Passengers for Rajdhani Express from Kanpur to Calcutta	111
2304. हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरियों में सेवा की शर्तें	Service Conditions in Heavy Electricals Factories	112
2305. मैसर्स लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन	Violation of Provisions of Companies Act by Mrs. Laxmi Rattan Cotton Mills, Ltd. Kanpur	112—113
2306. कानपुर स्थित टेंनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन द्वारा चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित न किया जाना	Non-implementation of Recommendations of Leather Wage Board by Tannery and Footwear Corporation, Kanpur	114
2307. सीमेंट का विनियंत्रण	Decontrol of Cement	114

तारा० प्र० संख्या / U. S. Q Nos.	विषय / Subject	पृष्ठ / Pages
2308. रेल गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस का तैनात किया जाना	Security Arrangements and Posting of Police in the Trains	114—115
2309. पूर्वोत्तर रेलवे के अत्यावश्यक कर्मचारियों की समस्याएं	Problems being Faced by Essential Staff of North Eastern Railway	115
2310. रेलवे में भर्ती के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचार-पत्रों में विज्ञापनों का दिया जाना	Issue of Advertisements for Recruitment in Railways in English and Hindi Newspapers	115
2311. विभिन्न प्रकार के शैक्षिक तथा तकनीकी स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अध्यापक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teaching Staff in Various Types of Educational and Technical Schools	115—116
2312. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल को हानि	Loss Incurred by Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal	116—118
2313. गार्ड के रूप में पदोन्नति के लिए समस्तीपुर के ट्रेन क्लर्कों का प्रशिक्षण	Training of Train Clerks of Samastipur for Promotion as Guards	118
2314. मैसर्स एस्कोर्ट लि० द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा	Donation by M/s. Escorts Ltd. to Political Parties	118—119
2315. चोरदा (केरल) में एक ऊपरि पुल के लिये बदागरा नगर पालिका परिषद का अभ्यावेदन	Representation from Badagara Municipal Council for Over-brige at Chorode (Kerala)	119
2316. एरनाकुलम और क्विलोन के बीच की सम्पर्क लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Metre Gauge Rail Link between Ernakulam and Quilon into Broad-Gauge	119
2317. रेलवे द्वारा कोयले की कम खपत	Less Consumption of Coal by Railways	120
2318. उत्तर रेलवे में खान-पान व्यवस्था का ठेका देना	Awarding of Catering Contracts on Northern Railway	120

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2319. राजस्थान में नि:शुल्क कानूनी सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों पर किया गया व्यय	Expenditure on Scheduled Castes and Scheduled Tribes under Free Legal aid in Rajasthan	120
2320. गंगापुर नगर (पश्चिम रेलवे) में रेलवे के कर्मचारियों को क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Railway Employees at Gangapur City (Western Railway)	120—121
2321. राजस्थान में आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हुई रेलवे लाइनों के ठीक करने में हुआ खर्च	Expenditure Incurred on Restoration of Railway Lines Damaged due to Duststorm in Rajasthan	121
2322. इस्पात का आयात	Import of Steel	121—122
2324. भागलपुर जंक्शन से महादेव पुर घाट तक नई बनी छोटी लाइन का बन्द किया जाना	Closing of Newly built Metre-gauge Line from Bhagalpur Junction to Mahadeopur Ghat	122
2325. वनस्पति घी के माल डिब्बों से माल उतारने में व्यापारियों के असफल रहने के कारण माल लाने ले जाने में अव्यवस्था	Dislocation of Goods Movement due to Failure of Traders to Unload Vegetable Oil Wagons	123
2326. रूरकेला इस्पात कारखाने में विदेशी तकनीशियन	Foreign Technicians at Rourkela Steel Plant	123—124
2327. भिलाई इस्पात कारखाने में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts at Bhilai Steel Plant	124—125
2328. काश्मीर मेल तथा श्रीनगर एक्सप्रैस गाड़ियों में डीजल इंजन लगाना	Dieselisation of Kashmir Mail and Srinagar Express	125
2329. गगरेट, भरवाई, परगपुर, ज्वालामुखी, नदौन और कांगड़ा (उत्तर रेलवे का कांगड़ा घाटी सैक्शन) में आउट एजेंसियों का पुन: स्थापित किया जाना	Re-opening of Out-Agencies at Gagret, Bharwain, Paragpur, Jawalamukhi, Nadaun and Kangra (Kangra) Valley Section of Northern Railway	125—126

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2330. गृह-कार्य तथा वित्त मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये आदेशों की क्षेत्रीय रेलों द्वारा क्रियान्विति	Implementation of orders Issued by Ministries of Home Affairs and Finance by Zonal Railways	126
2331. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमेटिव कम्पनी का लोको विभाग का बन्द होना	Closure of Loco Division T. E. L. C. O.	126—127
2332. मैसर्स ट्राइस्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, द्वारा 'फ्लेंज' तथा 'बंग्स' का निर्माण	Manufacturing of Flanges and Bungs by M/s Trisure India Private Ltd. Bombay	127
2333. मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन	Violation of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 by M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Company, Bombay	128
2334. सिगनल व्यवस्था में मार्ग परिपथ प्रणाली	Track Circuit System in Signalling	128
2335. छोटी विद्युत भट्टियों में तरल धातु के उत्पादन के लिए छीलन की कमी	Shortage of Scrap for Production of Liquid Metal in Small Electric Furnaces	129
2336. यात्रा-विराम की अनुमति के उपरान्त आरम्भ की गई यात्रा हेतु के स्थान के लिए मांगे गये धन के भुगतान के बारे में	Re : Payment Demanded for Sleeping Accommodation for Journery Commenced after Permission Break	129
2337. सोवियत रूस से आयातित ऊस्मसह धातुओं तथा देश में ही निर्मित ऊस्मसह धातुओं का लागत मूल्य	Cost of Refractories Imported from USSR and those Manufactured Indigenously	129 130
2338. रेलवे माल डिब्बों से लोहे तथा इस्पात समान की चोरी	Loss of Iron and Steel Material from the Railway Wagons	130—131

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2339. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को सेंट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो द्वारा रौलिंग मिल उपकरण का निर्माण	Manufacture of Rolling Mill Equipment by CEDB of Hindustan Steel Ltd.	131—132
2340. गैर-सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहे के कारखानों की स्थापना	Setting up of Sponge Iron Plants in Private Sector	132—133
2341. बोकारो तथा भिलाई इस्पात कारखानों के लिए अपेक्षित उष्मसहों (रिफ्रैक्टरीज) की विशिष्टियां	Specifications of Refractories Required for Bokaro and Bhilai Steel Plants	133
2342. गेहूं की खुले स्थान में स्टोर करना तथा उसके लदान में विलम्ब	Storing of Wheat in Uncovered Places and Delay in its Transhipment	133—134
2343. इस्पात कारखानों का सर्वेक्षण	Survey for Steel Plants	134
2344. गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Pending Applications for Setting up of Industries in Private Sector	134—135
2345. सरकारी क्षेत्र में जूते का कारखाना	Shoe Factory in Public Sectors	135
2346. कांडला पत्तन क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना	Setting up of Industrial Units in Kandla Port Area	136
2347. विशाखापटनम में तट पर स्थित इस्पात कारखाने के लिये कोयला	Coal for Shore Based Steel Plant at Visakhapatnam	136
2348. कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के बारे में मैसर्स कलीजन एण्ड दस्तूर कम्पनी का प्रतिवेदन	Report by M/s Kalijan and Dastur Companies Re : Setting up of Pig Iron Units	137
2349. मद्रास सैन्ट्रल लाइन का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव	Proposal for Electrification of Madras Central Line	137—138

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2350. उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तथा उनके मूल्य	Production of Consumer Articles and their Prices	138—139
2351. टायर तथा ट्यूबों की कमी	Shortage of Tubes and Tyres	139—140
2352. तलचेर और विमलागढ़ को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण	Engineering Cum-Traffic Survey of Rail Link Connecting Talchar to Bimalagarh	140
2353. उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों तथा ड्राफ्ट्समैनों का स्थायीकरण	Confirmation of Stenographers and Draftsmen or Indian Railways	141
2354. समस्तीपुर से बारकाखाना तथा बारकाखाना से समस्तीपुर तक सीधा रेल डिब्बा लगाना	Direct Bogie from Samastipur to Barkakana and Vice Versa	141—142
2355. मंडलीय अधीक्षक, समस्तीपुर के कार्यालय को वातानुकूलित बनाना	Air Conditioning of Office Building of Divisional Superintendent Samastipur	142
2356. कोका कोला का मूल्य	Price of Coca Cola	142
2357. औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन	Revision of Industrial Licensing Policy	142—143
2358. चौथी योजना में मोटर गाड़ी टायर निर्माण क्षमता	Automobile Tyre Manufacturing Capacity in Fourth Plan	143—144
2359. महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना	Grant of Licences for Setting up of Industries in Maharashtra	144
2560. महाराष्ट्र में छोटे तथा बड़े उद्योग	Small and Big Industries in Maharashtara	144—145
2361. बुलसर तथा पालघाट (पश्चिम रेलवे) से भेजे गये ताजे फलों तथा सब्जियों की गुम हुई बिल्टीयों के लिए मुआवजा	Compensation for Loss of Consignment of Fresh Fruits and Vegetables Booked from Bulsar and Palghar (Western Railway)	145—147

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2362. पश्चिम रेलवे के बुलसर के पार्सल तथा टिकट घर के लिए कर्मचारी	Staff for Parcel and Booking Offices at Bulsar (Western Railway)	147
2363. दिल्ली में उपनगरीय रेलगाड़ियों में भीड़	Rush on Suburban Trains in Delhi	147
2364. स्कूटरों की चोर बाजारी	Black Market in Scooters	148
2365. मध्य रेलवे में गुड्स क्लर्क के पद से स्टेशन क्लर्क तथा ट्रानजिट गुड्स क्लर्क के पद पर स्थानान्तरण	Transfer of Goods Clerks to the Post of Station Clerks and Transit Goods Clerk's Post on Central Railway	148
2366. स्टेशन गुड्स क्लर्क और ट्रांजिट गुड्स क्लर्क नामक गुड्स क्लर्कों की श्रेणियां	Categories of Goods Clerks known as Station Goods Clerk and Transit Goods Clerks	148
2367. मध्य रेलवे के रेल पथ निरीक्षकों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Permanent Way Inspectors on Central Railway	148—149
2368 भोपाल रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे सड़क फाटक पर उपरि पुल का निर्माण	Construction of Overbridge at Railway Road Crossing near Bhopal Railway Station	149
2369. मध्य प्रदेश में औद्योगिक वस्तियां स्थापित करना	Setting up of Industrial Estates in Madhya Pradesh	149
2370. भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और तृतीय श्रेणी सेवा के पदों पर नियुक्त स्नातक/स्नातकोत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class I Officers of the Indian Railway Service of Engineers and Post Graduates, Graduates Appointed to Class III Service	149—150
2371. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेराव	Gheraos in Durgapur Steel Plant	150
2372. ढलाई-ग्रेड के कच्चे लोहे के लिए धमन भट्टी	Blast Furnace for Foundry Grade Pig Iron	150
2373. मैसर्स गुजदार का जोरा कोल माइन्स लिमिटेड तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against M/s Guzdar Kajora Coal Mines Ltd. and M/s Calcutta Safe Deposit Ltd.	151

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2374. पश्चिम बंगाल से बिहार को उद्योगों का स्थानान्तरण	Shifting of Industries from West Bengal to Bihar	151—152
2375. गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में नियुक्त प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के रेलवे अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Class I and Class II Railway Officers Posted at Gorakhpur (N. E. Rly)	152
2376. बिजली कम्पनियों में संकट	Crisis in Electric Companies	152
2377. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थायीकरण	Meeting of Departmental Promotion Committee and Confirmation of Class I Officers of the Traffic Department	152—153
2378. पश्चिम रेलवे में रेल कर्मचारियों के नियतकालिक स्थानान्तरण	Periodical Transfers of Railways Employees on Western Railways	153
2379. परिवहन तथा वाणिज्यिक विमानों के संवर्गों को अलग-अलग करने बारे में आर० वी० लाल समिति की सिफारिश	R. B. Lal Committee's Recommendation Re : Separation of cadres in transparation and Commercial Department	154
2380. रेलवे पर दावों के बिलों की वृद्धि के बारे में आर० बी० लाल समिति की सिफारिश	R. B. Lal Committee's Recommendation Re : Increase in Railway Claims Bill	154—155
2381. वाणिज्यिक विभाग के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमानों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में आर० बी० लाल समिति की सिफारिश	R. B. Lal Committee's Recommendations Re : Denial of Higher Grades to Supervisory Staff of Commercial Department	155—156
2382. पश्चिम रेलवे में कुछ स्टेशनों पर दावों का उसी समय निपटारा करने की व्यवस्था	On the Spot Settlement of Claims at Certain Stations of Western Railway	156—158
2383. भारतीय रेलवे के श्रेणी तीन के कर्मचारियों को स्थायी करने के नियम	Rules for Confirmation of Class III Staff on Indian Railways	158

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2384. पश्चिम बंगाल में नये व्यापारों तथा उद्योगों के लिये लाइसेंस	Licences for New Trades and Industries in West Bengal	159
2385. राज्य औद्योगिक ब्यूरो	State Industrial Bureau	159—160
2386. पश्चिम बंगाल में मध्यम तथा लघु उद्योग	Medium and Small Scale Industries in West Bengal	160
2387. रामनाथ गोयनका की नेशनल कम्पनी लिमिटेड में कदाचार	Malpractices in National Company Ltd. of Shri Ramnath Goenka	161
2388. अनुसन्धान, डिजाइन तथा मानक संस्था में भ्रष्टाचार	Alleged Corruption in Research, Designs and Standards Organisation	161—162
2389. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों पर मुकदमें चलाया जाना	Prosecution of Staff of Samastipur Division (N. E. Rly.) who Participated in 19th September, 1968 Strike	162—163
2390. एक संसद सदस्य द्वारा समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को एक ज्ञापन पेश किया जाना	Memorandum by a Member Parliament to Divisional Superintendent, Samastipur (N. E. Rly.)	163
2391. वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति	Fulfilment of Targets by Diesel Locomotive Works, Varanasi	163—164
2392. ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन	Implementation of 11 Point Programme	164
2393. लखनऊ-दिल्ली मेल गाड़ी में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling in Lucknow New Delhi Mail Train	164
2394. कटक स्थित राज सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल में स्थानों का बढ़ाया जाना	Addition of Seats in the Subsidised Railway Hostel, Cuttack	164—165

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2395. रेलवे अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग	Misuse of Authority by Railway Officials	165
2396. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति रेल कर्मचारी कल्याण संघ	All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees' Welfare Association	166
2397. अस्थायी अधिकारियों को अपेक्षाकृत लम्बी अवधि की सेवा वाले अधिकारियों से वरिष्ठ करना	Placing of Temporary Officers Senior to Persons with Longer Service	166—167
2398. मकान-किराया भत्ते के बारे में रेलवे बोर्ड के आदेशों की क्रियान्विति	Implementation of Railway Board's Orders Re. House Rent Allowance	167—168
2399. जगाधरी (उत्तरी रेलवे) के समीप रेलवे भूमि पर अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Construction on Railway Land near Jagadhri (Northern Railway)	168
2400. शकूरबस्ती के मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेल-गाड़ियों का न आना	Non-Arrival of Trains at Shakurbasti Main Station	168—169
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू अल्प संख्यकों के निष्क्रमण सम्बन्धी चर्चा के बारे में	Re. Discussion on Migration of Hindus Minorities from East Pakistan	169
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	169—175
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	169
भारतीय सम्पत्ति को बेचने का पाकिस्तान सरकार का कथित निश्चय	Reported Decision of Pakistan Government to Dispose of Indian Property	169
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	170
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	175—177
सदस्य की दोष सिद्धि	Conviction of Member	177
(श्री नाथ पाई)	Shri Nath Pai	177

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members	177—178
(श्री भोगेन्द्र झा और श्री कामेश्वर सिंह)	Shri Bhogendra Jha and Shri Kameshwar Singh	177
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1970-71	Demand for Supplementary Grants (General), 1970-71	178
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement Presented	178
अनुदानों की अनुपूरक माँगे (रेलवे), 1970-71	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1970-71	178
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement Presented	178
भूमिहीन किसानों द्वारा भूमि पर कब्जा करने के आन्दोलन पर चर्चा के बारे में	Re. Discussion on the Movement of Occupation of Lands by the Landless Peasantry	178—181
औषधियों के मूल्यों के संबंध में वक्तव्य	Statement Re. Prices of Drugs	182—183
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	182—183
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृष्यता संबंधी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. Reports of Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and Committee on Untouchability	183—196
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	183—184
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	184—187
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	187—190
श्री साधूराम	Shri Sadhu Ram	190—191
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	191—192
श्री बै० ना० कुरील	Shri B. N. Kureel	193—194
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri S. M. Solanki	194—196
श्री नायूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	196
पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू अल्प संख्यकों के आने के बारे में चर्चा	Discussion Re. Migration of Hindu Minorities from East Pakistan	196—207

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	196—197
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	197
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	198
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	198—201
श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Daschoudhury	201—204
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	204—207

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 11 अगस्त, 1970/20 श्रावण, 1892 (शक)
Tuesday, August 11, 1970/Sravana 20, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर 3 मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at 3 minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कपाड़िया बन्धुओं द्वारा नेशनल रेयन कारपोरेशन के शेयर अपने कब्जे में करना

+

*335. **डा० रानेन सेन :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपाड़िया बन्धुओं द्वारा नेशनल रेयन कारपोरेशन के शेयरों के अपने कब्जे में करने के प्रयत्न के बारे में लगाये गये आरोप की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). जांच-पड़ताल अभी प्रगति पर है । तीन कम्पनियों का निरीक्षण किया जा चुका है व निरीक्षण रिपोर्टों का विधायन किया जा रहा है । अन्य कम्पनियां अभी निरीक्षण के विधायन में हैं ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि कपाड़िया बन्धुओं के विरुद्ध ऐसी शिकायत मिली है कि वे शेयरों को अपने कब्जे में कर रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे अन्य व्यक्ति कौन से हैं जो शेयरों पर कब्जा करना चाहते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कम्पनी के वर्तमान प्रभारी कर्मचारियों ने कपाड़िया बन्धुओं के विरुद्ध शिकायत की है। कुछ व्यक्तियों ने समवाय विधि बोर्ड को एक प्रार्थना पत्र भेजा है, जिस पर नेशनल रेयन कारपोरेशन के 100 हिस्सेदारों के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि धारा 250 के अन्तर्गत समवाय विधि बोर्ड को कार्यवाही करनी चाहिए। उसी प्रार्थना-पत्र में ये आरोप लगाये गये थे कि कपाड़िया बन्धुओं ने शेयरों पर कब्जा कर लिया है और इसलिए धारा 250 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिये और पार्टियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। प्रार्थना-पत्र के अनुरूप समवाय विधि बोर्ड ने इन कम्पनियों की जांच करने का आदेश दिया है। कुछ कम्पनियों की जाँच हो चुकी है और जांच रिपोर्टों पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ अन्य कम्पनियों की भी जांच की जा रही है।

डा० रानेन सेन : आजकल बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा कम्पनियों के शेयरों पर कब्जा करने की प्रवृति जोर पकड़ रही है। हमें यह भी पता है कि गैर-सरकारी कम्पनियों के कार्य समवाय विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। क्या यह सरकार के विचाराधीन है या क्या सरकार आवश्यक समझती है कि समवाय विधि में संशोधन किया जाय ताकि ऐसे कदाचार समवाय विधि के क्षेत्राधिकार में आ सकें ? यदि हां, तो सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, समवाय विधि ने समवायों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है—सरकार तथा गैर-सरकारी लिमिटेड समवाय, समवाय विधि के कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो सरकारी लिमिटेड समवायों पर तो लागू होते हैं परन्तु गैर-सरकारी लिमिटेड समवायों पर लागू नहीं होते। अन्तर्निगम निवेश आदि के द्वारा गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां कुछ लाभ उठा सकती हैं। सरकार इस मामले की जांच कर रही है कि किस प्रकार इन कमियों को दूर किया जा सकता है।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को ज्ञात नहीं है कि ये दोष और कमियां विद्यमान हैं ? क्या सरकार की इच्छा इन कमियों को दूर करने की है ताकि गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां समवाय विधि के क्षेत्राधिकार में आ सकें ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार इस मामले पर गौर कर रही है। मामले का अध्ययन हो रहा है जिसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जब सरकार संशोधित विधि को पेश करेगी तो मुझे आशा है कि सदन उसका जोरदार समर्थन करेगा।

श्री अनन्तराव पाटिल : मैं जानना चाहता हूं कि यह कपाड़िया महाशय कौन हैं ? उनका पूरा नाम क्या है ? क्या वे किसी राज्य-मंत्री या केन्द्रीय मंत्री के सम्बन्धी हैं ? कपाड़िया एक भ्रामक नाम है। इस सज्जनपुरुष का नाम महत्वपूर्ण भी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस देना चाहिए और मंत्री महोदय को गवेषणा करने देनी चाहिए। आप यह आशा नहीं कर सकते कि मन्त्री महोदय को इस समय सारे ब्यौरे की जानकारी हो।

श्री रघुनाथ रेड्डी : कपाड़िया बन्धु सौराष्ट्र के चोगियाल हैं। यह परिवार मगनलाल छगनलाल तथा उसके चार भाईयों का है।

अध्यक्ष महोदय : परिवार का इतिहास बताने से क्या लाभ है ?

श्री रा० की० अमीन : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या प्रबन्ध-अभिकरण व्यवस्था के समाप्त होने अथवा बोर्ड पर अधिक प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामस्वरूप कपाड़िया बन्धुओं ने शेयरों को कब्जे में करने का प्रयास किया था ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : शेयरों को कब्जे में करने का प्रत्यक्ष कारण प्रबन्ध-अभिकरण व्यवस्था का समाप्त होना नहीं हो सकता। लेकिन कपाड़िया बन्धु क्लिक इंडस्ट्रीज के अधीन हैं और क्लिक इंडस्ट्रीज क्लिक ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज के नियन्त्रण में है। अतः वे इन कम्पनियों की सारी गतिविधियों पर नियंत्रण कर सकते थे। अतः, प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था से शेयरों के अर्जन तथा दूसरी कम्पनियों को नियन्त्रित करने के लिए सहायता अवश्य मिली होगी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कम्पनियों द्वारा शेयरों का अर्जन करने के मामले में प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था का कोई सरोकार नहीं है।

Shri Deven Sen : Is it a fact that Shri Ram Nath Goenka is trying to corner all the shares of IISCO.

श्री रघुनाथ रेड्डी : इसके लिए अलग नोटिस दिया जाये।

श्री हेम बरुआ : गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न भागों को समवाय विधि के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए सरकार ने इस विधि को व्यापक क्यों नहीं बनाया है ताकि उन्हें इस बात के लिये विवश किया जा सके कि वे शेयरों पर कब्जा न करें ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जैसाकि मैंने पहले कहा समवाय विधि के कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो सरकारी लिमिटेड कम्पनियों पर तो लागू होते है पर गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों पर नहीं। विधान में भी यह अन्तर बताया गया है। गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनिया इसका लाभ उठाकर धारा 372 जो अन्तर्निगम निवेश से सम्बन्धित है, से प्रभावित हुए बिना विशेष प्रकार से कार्य कर सकती हैं। इस कम्पनी के मामले में ऐसा ही हुआ है। इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और यदि इसे न्याय संगत पाया गया तो सरकार निश्चित रूप से संशोधन करेगी और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उन संशोधनों का समर्थन करेंगे।

उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

\+

*336. **श्री रा० बरुआ :** **श्री बी० नरसिम्हाराव :**
श्री नारायणन : **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय उत्पादक संगठन ने सरकार पर इस बात के

लिए जोर दिया है कि वह उद्योगों को आवश्यक कच्चे माल की तुरन्त सप्लाई के लिए कार्यवाही करे, ताकि वे अपना उत्पादन चालू रख सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, अखिल भारतीय निर्माता संघ ने 11-7-1970 को हुई अपनी केन्द्रीय समिति की पहली तिमाही बैठक में औद्योगिक कच्चे माल की समस्याओं अल्प कालीन तथा दीर्घकालीन दृष्टि से सुधारात्मक अभ्युपाओं—पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार को ज्ञात है कि कच्चे माल के अभाव में कई राज्यों में उद्योग बन्द पड़े हैं ? जब यह कहा जाता है कि कच्चा माल सप्लाई कर दिया गया है तो वास्तव में वह कलकत्ता, दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में इकट्ठा कर लिया जाता है। ऐसे कदाचारों को रोकने तथा राज्यों के लघु उद्योग केन्द्रों को लगातार कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मं० र० कृष्ण : यह सच है कि 1968 तक इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी थी। लेकिन 1969 में इन उद्योगों की सहायता करने के लिए कई उपाय किए गए और इन्हीं उपायों के परिणामस्वरूप अब उद्योगों को कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा मिल रही है।

श्री रा० बरुआ : माननीय मंत्री के उत्तर के बावजूद भी मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूँ कि जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, स्थिति ज्यों की त्यों है। क्या सरकार इस मामले में व्यवहारिक रवैया अपनायेगी और इस बात को ध्यान में रखेगी कि लघु उद्योग केन्द्रों को समय पर कच्चा माल मिले ताकि वे अपना उत्पादन चालू रख सकें ?

श्री मं० र० कृष्ण : सरकार को लघु-उद्योगों की समस्याओं की जानकारी है। लघु उद्योग केन्द्रों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को लगभग 10 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात आयात करने की अनुमति दी गई है। लघु उद्योगों को जिस कच्चे माल की आवश्यकता है और वह कच्चा माल यदि सुगमता से नहीं मिल रहा है, तो सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है।

श्री लोबो प्रभु : प्रश्न कच्चे माल के अभाव का नहीं है, प्रश्न लघु उद्योगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल की ऊंची कीमतों का है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या तैयार माल की कीमतें विश्व मूल्य की तुलना में शत प्रतिशत अधिक नहीं है ? जब तक लघु उद्योग केन्द्रों को कच्चा माल विशेषतः छोटी मोटी सामग्री उपलब्ध नहीं कराते और उस पर राज सहायता नहीं देते तब तक लघु उद्योगों के बने रहने की कोई आशा नहीं है। अतः मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार उन उद्योगों को जो निर्यात करते हैं कम मूल्य पर इस्पात जैसा कच्चा माल उपलब्ध क्यों नहीं कराती ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : कोई राष्ट्र कच्चे

माल पर राज सहायता देकर उद्योगों का स्थायी रूप से संचालन नहीं कर सकता। उद्योगपति को कच्चे माल की उपलब्धि और विश्व बाजार मूल्य के अनुरूप ही अपने उद्योग को ढ़ालना होगा। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कच्चा माल, विशेष रूप से इस्पात आदि आवश्यक कच्चा माल विश्व बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए ताकि वे विश्व बाजार में प्रति स्पर्धी बन सकें, जहां तक आंतरिक बाजारों का सम्बन्ध है, हमें वर्तमान मूल्य अपने औद्योगिक विकास एवं देश की मांग और पूर्ति की ओर ध्यान देना होगा। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें लघु उद्योगों को हर सम्भव सहायता देनी चाहिए। लघु उद्योगों को हम केवल सीधी सहायता ही नहीं दे रहे अपितु बड़े उद्योगों के लिए कल पुर्जे बनाने का अवसर भी दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज सहायता देने के स्थान पर इस ढंग से हम लघु उद्योगों का अच्छा विकास कर सकेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकार को विदित है कि ट्रैक्टर कारखानों और कृषि उपकरण बनाने वाले कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माल की बेहद कमी है ? इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, हमारे देश में इस्पात की भारी कमी है। उसके फलस्वरूप इस्पात से बनी सभी वस्तुओं की कमी अनुभव की जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए इस्पात का आयात हिन्दुस्तान स्टील लिमेटिड के द्वारा तथा आयात कर्त्ताओं के द्वारा सीधे भी किया जा रहा है। इस्पात मन्त्रालय इस कमी को पूरा करने के लिये सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहा है। मेरे सहयोगी के पास सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का पूरा विवरण है।

Shri Tulshidas Jadhav : The small industries have to procure raw materials from the importers who sometimes refuse to give raw materials and sometimes sell at a very high price. Why does not the Govern nent allow industrialists or their associations to import raw material direct ? How many Industrialists have import licences and how many have to procure raw material from licences ?

Shri Dinesh Singh : I could not follow second part of the question. Regarding the main question, we shall certainly help small scale Industries if they wish to import raw materials directly.

Shri Om Prakash Tyagi : Is it a fact that quotas of raw material are issued to big industrialists and small scale industrialists have to procure raw materials at higher rates in the absence of any quota ? I want to know specifically whether viscase yarn is being exported and small factories of Surat and Amritsar are lying idle for want of its supply. Will you impose a ban on the export of viscase yarn so that small industries may get it.

Shri Dinesh Singh : Hon. Member knows that the matter of export of viscase yarn relates to Ministry of Foreign trade. If he addresses his question to that Minister, he would certainly get a reply.

Shri Om Prakash Tyagi : So many small industries are closing down. This concerns your Ministry.

श्री रा० कृ० बिड़ला : जैसा कि हमें विदित है सरकार ने औद्योगिक कच्चा माल सहायता

केन्द्र, जिसे कच्चे माल का बैंक भी कहते हैं, स्थापित किया है। मेरा एक विशेष प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से उद्योग हैं जिन्होंने उससे लाभ उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यही विशिष्ट प्रश्न है ?

श्री रा० कृ० बिड़ला : जी हां। आपने मुझे विशेष प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सामान्य प्रश्न है।

श्री दिनेश सिंह : मैं वही बात कहने वाला था जो आपने कही है। आपका लाभ से क्या अभिप्राय है यह मुझे स्पष्ट नहीं हुआ जिन उद्योगों ने कच्चे माल का आयात किया है अथवा उक्त बैंक से कच्चा माल लिया है उन्हें लाभ हुआ है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या देश में कच्चे माल का बैंक है ? इस का सम्बन्ध कच्चे माल की पूर्ति से है। क्या मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य समय मन्त्री महोदय की परीक्षा ले सकते है। इसका यहां प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० एम० कृष्ण : देश में लघु उद्योगों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने की बात को व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया। इस्पात छोटे-बड़े सभी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी देश में कमी है। क्या बात है कि बड़े उद्योगों को तो इस्पात हिन्दुस्तान स्टील लिमेटिड से उपलब्ध हो जाता है जबकि छोटे उद्योगों को काले बाजार में खरीदना पड़ता है ? प्रश्न यह नहीं है कि इस्पात देश में उपलब्ध नहीं अपितु यह है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से सम्बद्ध व्यक्ति इसे काले बाजार में बेचते हैं। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और मामले की जांच कराएगी।

श्री दिनेश सिंह : निश्चय ही मैं इस मामले की ओर इस्पात मन्त्री का ध्यान दिलाऊंगा।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या मन्त्री महोदय को विदित नहीं है कि देश में इस्पात काले बाजार में बिकता है ?

श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो उन्हें उसकी सूचना हमारे पास भेज देनी चाहिए।

श्री क० लकप्पा : इस देश में कच्चे माल की कमी इसलिए है कि इस्पात जैसा महत्वपूर्ण कच्चा माल निजी व्यक्तियों के हाथ में है। इस सरकार की नीति है कि उन उद्योगपतियों के विरुद्ध जो कच्चे माल को दबा कर कृत्रिम अभाव उत्पन्न करते हैं कोई कार्यवाही न की जाये। क्या सरकार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का राष्ट्रीकरण करेगी जिससे कि लघु उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके ?

श्री लोबो प्रभु : यह प्रश्न कतई संगत नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां इस्पात का पृथक मन्त्रालय है और वे निश्चय ही इस बारे में प्रश्न इस्पात मन्त्री से पूछ सकते हैं।

श्री क० लकप्पा : मेरा एक सुझाव है। इस्पात निजी व्यक्तियों के हाथ में है और छोटे उद्योगों को मिल नहीं पाता। मंत्री महोदय उत्तर टाल-मटोल कर रहे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि कच्चे माल की कमी के कारण छोटे उद्योगों को हानि हो रही है।

श्री मं० रं० कृष्ण : लघु उद्योग देश भर में फैले हुए हैं और राज्य सरकारों के नियन्त्रण में हैं। यह सच है कि कुछ उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण हानि उठा रहे हैं। इसीलिये हमने लोहा और इस्पात नियन्त्रण को 10 करोड़ रुपये के इस्पात का विदेशों से आयात करने की अनुमति दी है। इस्पात केवल गैर-सरकारी इस्पात मिलों द्वारा ही न दिया जाता अपितु सरकारी इस्पात मिलों द्वारा भी दिया जाता है।

इस्पात कारखानों की स्थापना के स्थान के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण

+

*338. **श्री मु० च० नायक** :
श्री धी० ना० देव :
श्री अ० दीपा :
श्री दे० आमत :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात कारखानों के लिये स्थान निर्धारण के हेतु 30 स्थानों पर व्यवहार्यता सर्वेक्षण किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समवायों का तथा उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ये अध्ययन किये गये हैं ;

(ग) क्या उन्होंने सभी सर्वेक्षणों के बारे में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस्पात कारखानों के लिये स्थल निर्धारण हेतु सरकार ने समय-समय पर कई अध्ययन करवाये हैं। इनके अतिरिक्त 1964-65 में देश में अलग-अलग आठ क्षेत्रों में कच्चे लोहे के कारखाने लगाने के लिए स्थल-निर्धारण हेतु अध्ययन भी कराये गए थे।

(ख) जिन कम्पनियों ने ये अध्ययन किए थे उनके नाम हैं :—

कापर्स, आर्थर जी मेकी, इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, हिन्दुस्तान स्टील लि० और दस्तूर एण्ड कम्पनी। इन प्रतिवेदनों में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश मैसूर, तमिलनाडु और गोआ के क्षेत्रों की सिफारिशें की गई थी। कच्चे लोहे के कारखानों के लिये मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी और कुलजियन कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लि० ने अध्ययन किए

थे । दस्तूर एण्ड कम्पनी और कुलजियन कारपोरेशन की रिपोर्टों में इस्पात कारखानों के लिये उपर्युक्त स्थानों के अलावा हरियाणा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों का भी उल्लेख दिया गया था ।

(ग) उपर्युक्त सभी प्रतिवेदन सरकार के पास हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri G. C. Naik : A feasibility survey was undertaken by M/s. Dastur and Co in 1965 and it had recommended a Steel Plant at Nayagarh in Orissa. I want to know whether the Government has taken any action in the matter.

A part of para 62 of Ms. Dastur and Co.'s report is reproduced below :

"निःसंदेह नयागढ़ में लागत उत्पादन न्यूनतम होगी । वहां पर कच्चे लोहे के भारी स्रोत है और यह बोकारों के समान 10-12 टन वाले बड़े इस्पात संयंत्र की आवश्यकताएं जुटा सकता है । इसके इलाका यह रूरकेला, बराकोट और बोताईगढ़ से दूर स्थित है, जहां इस्पात संयंत्र लगाने से औद्योगिक विकास के बिल्कुल नए क्षेत्र खुल जायेंगे ।"

Dastur and Co. had surveyed 28 places including Nayagarh. There is no mention of Salan etc. in the report. But a steel plant has been sanctioned for Salan. I want to know when its name was not included in the report, how has it been accorded priority and why Nayagarh, where the production cost would be the lowest, has not been accorded priority ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The study undertaken by Dastur and Co. was in respect of pig iron complex and not for integrated steel plant. It is correct that in the survey undertaken by them, they has recommended five places ; Varkat, Barai Garh, Nayagarh, Telcher and Paradeep. But that survey was in respect of pig iron complex only.

Shri G. C. Naik : Will you arrange from its implementation in the next two years and to give feasibility study report ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This matter has been discussed in the House. In the beginning of this plan we are undertaking the work of site location.

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने उड़ीसा के बारे में कुछ आशा का संकेत दिया है। क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि स्थानों के बारे में कब तक अध्ययन किया जा सकेगा और अगला कार्य शुरू किया जा सकेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : मैंने सभा में पहले भी कहा था कि सरकार का इरादा स्थल-चयन के कार्य को शुरू करने का है । इस बारे में अध्ययन जारी है । जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस्पात कार्यक्रमों के कारण हमारे हाथ बंधे हुये हैं और हम इस योजना के दौरान स्थल चयन का कार्य शुरू कर रहे हैं ।

Shri Ram Charan : U. P. is the biggest State with largest population. As you have agreed for the location of three steel plants in the south, is there any plan for a steel plant in U. P. ? Shri Dinesh Singh has not done it. Will he please do it ?

श्री ई० के नायनार : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास केरल में

इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए वहां की सरकार से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ? कालीकट क्षेत्र में कच्चे लोहे के भण्डार हैं। सरकार वहां से कच्चे लोहे का निर्यात कर रही है और उस बारे में जांच की जा रही है। क्या सरकार कच्चे लोहे का उपयोग करने के लिए केरल में इस्पात संयन्त्र लगायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने लिखा भी हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस्पात संयंत्रों के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त सभी स्थानों का, चाहे वे केरल में हों अथवा उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखा जाएगा।

श्री ई० के० नायनार : केरल में 30 स्थानों का उल्लेख स्थल चयन सूची में नहीं है। इसीलिए मैंने यह पूछा है।

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर वैगनों में कोयला लादते तथा उतारते समय कोयले की चोरी

+

*339. **श्री बलराज मधोक** :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री राम चरण :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी लाइन के माल डिब्बों से मीटर गेज वाली लाइन के माल डिब्बों में कोयला लादते समय फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की इस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं। फरीदाबाद में बड़ी लाइन के माल डिब्बों से मीटर लाइन के माल डिब्बों में कोयले का यानान्तरण नहीं किया जाता।

(ख) सवाल नहीं उठता। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिस में यह बताया गया है कि कोयले की चोरी और उठाईगीरी को सामान्यतः कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है।

विवरण

कोयले की चोरी और उठाईगीरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(क) भेद्य खण्डों पर कोयला ले जाने वाली गाड़ियों पर विशेष आकस्मिक छापे।

(ख) यार्डों में खड़े कोयले के माल डिब्बों पर रेलवे सुरक्षा दल की विशेष निगरानी।

(ग) बाहरी सिगनलों, चुने हुए यार्डों की शंटिंग ग्रीवा और अन्य भेद्य खण्डों पर सशस्त्र दस्तों की नियुक्ति और गश्त ।

(घ) रेलवे सुरक्षा दल और दात्रा निरोध शाखा द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाने और उन पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास ।

(ङ) कोयले के अभ्यस्त चोरों/उठाईगीरों और चोरी में साठ-गाँठ करने वाले रेलवे कर्मचारियों पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा सादी पोशाक में छिपकर निगाह रखना ।

(च) यानान्तरण स्थलों पर कोयला चढ़ाने-उतारने वाले मजदूरों के पूर्व वृत्त का सत्यापन ।

(छ) 1 मई, 1970 से एक अखिल भारतीय कोयला बचाओ अभियान चलाया गया है । इस अभियान के दौरान कोयले की चोरी/उठाईगीरी रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा विशेष कार्रवाइयां की गयीं ।

Shri Bal Raj Madhok : The Railways are the biggest consumer of coal. It consumes of about 30-35 crore rupees. Some of it is pilfered and it results in loss. I want to know the achievements as a results of the steps mentioned in the statement and whether the expenditure on coal has lessened.

The Minister of Railways (Shri Nanda) : Special emphasis has been laid on this during the last two months by Government. The reports for one month from zonal Railways show that the economy is 5 percent at certain places and 6 percent at others. Thus I feel it has had a good beginning.

Shri Bal Raj Madhok : Is there any estimate of loss that has been avoided by this ?

Shri Nanda : As I have stated it is 5 to 6 percent.

Shri Bal Raj Madhok : The survey has indicated that diesel engines are more economical than steam engines. I want to know whether Government will introduce more diesel engines in place of steam engines, so that the consumption of coal could be reduced and its theft avoided ?

Mr. Speaker : This question is in regard to theft of coal at Faridabad and you have gone round the entire country.

Shri Bal Raj Madhok : You kindly see the statement. My question is based on that. The Coal is stolen and this survey shows that diesel engine is more economical than steam engine. Will the Government, therefore, increase the use of diesel engines instead of coal engines ?

Shri Nanda : The number of diesel engines is being increased progressively and all possible efforts are being made in that direction.

Shri Shiv Kumar Shastri : Tne reports regarding thefts often appear in the press. Have Government made any assessment of the theft of coal during the year on Railways ?

Shri Nanda : It is not one year since this was started. I have given the estimates of the period since this was started.

Shri Shiv Kumar Shastri : I have asked about the thefts occurring in one year.

Mr. Speaker : Had you confined to Faridabad it would not have been different. You have gone round the entire country.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, it is by mistake that only Faridabad was written in this. We wanted to know about the theft of coal from places where its transhipment takes place. He has replied in that way accordingly.

Mughal Sarai in this biggest centre of theft of coal. It is very notorious. I want to know how much coal was stolen from there before those steps were taken by the hon. Minister and what has been the result of this action.

Shri Nanda : It is very difficult to say about a particular place. Six thousand raids were made between 1st May and 15th July and coal in considerable quantity was recovered and persons were arrested. It had good effect.

Mr. Speaker : You have not answered about Faridabad to anyone.

Shri Ram Charan : What is the estimate of theft of coal from Sarai Rohilla Station in Delhi.

Shri Nanda : The information was not sought about each and every place in the country ?

Shri Ram Charan : Let him give the figures about Sarai Rohilla Station. He does not know at what stage thefts takes place ? At the time of unloading of wagons the incharge of the loco makes the trucks stand by them and in this way coal is carried away and sold. This is being done everywhere.

श्री गाडिलिंगन गौड : मेरी जानकारी है कि रेलवे के सभी कोयला भंडारों से इसकी चोरी हो रही है और यह रेलवे के अधिकारियों की सांठगांठ से हो रही है । कुछ अधिकारी ईमानदार भी हैं, परन्तु उन्हें धमकियां दी जाती हैं कि यदि उन्होंने इसकी जानकारी दी तो उन्हें मार दिया जायेगा । सरकार ऐसे वफादार लोगों को क्या संरक्षण दे रही है ?

श्री नन्दा : संरक्षण कार्य रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया जाता है ।

Shri Manubhai Patel : Sir, apart from coal other items belonging to railways are also stolen. The stolen items are again sold to railways by an agency. I want to know whether his attention has been drawn to this ; if so, what action is contemplated in the matter and whether a commission will be appointed to look into this entire question ?... *(Interruptions)*.

श्री नन्दा : क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है ? यह भी कोयले से भिन्न है ।

श्री मनुभाई पटेल : यह कोयले से सम्बन्धित है । आप कोयले के बारे में उत्तर दे दीजिये ।

Mr. Speaker : He has already answered about theft of coal.

यदि श्री चतुर्वेदी फरीदाबाद के अलावा बात नहीं करते तो बहुत अच्छा होता ।

Shri Sheo Narain : We have a very nice man as our Railway Minister now. As the Minister of Home Affairs he had stated that he would root out corruption from the country or he would resign. He has not made any promise like that now, but we hope he will remove corruption from Railways. Large scale theft of coal of Railways is going on unaboted. He can himself see it at Ghaziabad.

Could I hope that Shri Nanda will be able to provide us a clean and efficient

railway administration ? I want to know whether he will visit Ghaziabad to see things for himself ?

अध्यक्ष महोदय : यह समय अनुपूरक प्रश्नों के लिए है । आपने तो सुझाव दिये हैं । उन्होंने इसे नोट कर लिया है ।

आप पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में क्या वह पहले की तरह आश्वासन देंगे । इसके लिए उन्हें अब समय सीमा निश्चित नहीं करनी चाहिए । इसका वह क्या उत्तर दे सकते हैं ?

Shri Prem Chand Verma : Sir, it is a very serious question but it has been treated in a jocular manner. Last year the hon. Minister had said that there is no coal shop in Asansol and Mughalsarai and he had admitted that theft of coal takes place there.

I want to know what action has been taken by Government to stop theft of coal at those stations ?

Shri Nanda : We are taking every possible step to stop this. The hon. Member's question does not arise from the main question. The main question is regarding the theft of coal at Faridabad at the time of loading and unloading of wagons and steps taken by Government to stop this theft.

औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी समिति

+

*340. **श्री लतीफत अली खां** : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री धीरेश्वर कलिता** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित औद्योगिक लाइसेंस समिति का गठन करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हाँ. तो समिति के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). औद्योगिक उपक्रम, पंजीयन तथा लाइसेंस नियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित लाइसेंस समिति पहले से ही है और आगे भी बनी रहेगी । तथापि कुछ निर्धारित मामलों पर इसके विचारापरान्त मंत्री मंडल की आर्थिक समन्वय समिति विचार करेगी ।

Shri Latafat Ali Khan : Mr. Speaker, the Government have been making declarations from time to time that they want to estabilish socialists pattern of Society in this country, but in reality the licences are being given to the big capitalists. Therefore, I would like to know whether it is not a fact that licences are being used as a means to collect funds from the capitalists, so that huge amounts are collected by the Government for the 1972 collections ?

Shri Dinesh Singh : Whatever the hon. Member has stated, there is no truth in it. Licensing is not meant for the collection of funds. The purpose of licensing is to enable industries in the country to make progress and we also want to include our social objectives in it so that more money is not concentrated in a few hands and progress is not confined to a few hands. We want that all the people in the country should share the progress.

Shri Latafat Ali Khan : My second question is that after the announcement regarding the working of this committee, how many big industrialists have been given licences ? It is not due to the reason that they had threatened that if they were suppressed like this by the Government, many members will leave the Government side and would sit on the opposition side ?

Shri Dinesh Singh : It is not clear to me from where such news are brought by the hon. Member. Nobody is leaving our side to sit on the other side.

The question asked by the hon. Member that since the formation of the committee who are the industrialists who have been given the licences, I would like to say that it is not clear as to which committee he is referring to. I have stated that the committee was already in existence and it was not a new committee.

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, I would like to know through you as to what progress has been achieved uptill now to constitute this committee ? After all what is the reason for delay in constituting this committee and what progress has been achieved by it.

Shri Dinesh Singh : It is not clear to me as to which committee the hon Member is talking about, because so far this committee is concerned, it is in existence for the last many years and there is no question of constituting it ?

Shri Molahu Prashad : Is it a fact that no steps have yet been taken to constitute the proposed committee on Industrial Licensing ; and if so, what are the reasons for delay in constituting the committee ?

Mr. Speaker : The hon. Minister is telling that it was constituted many years ago.

Shri Molahu Prashad : Mr. Speaker, the words "to constitute the proposed committee" have been mentioned in the main question. I would like to know as to what progress has been achieved in this regard ?

Shri Dinesh Singh : The progress achieved in this direction is that the licences are being given by this committee ?

Shri Molahu Prashad : But to whom it is giving licences ?

श्री बलराज मधोक : प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि एक नई समिति की नियुक्ति की जा रही है और उस समिति के बारे में यह प्रश्न है । माननीय मंत्री इधर-उधर की बातें कर रहे हैं । जब प्रधान मंत्री ने मंत्रिमंडल में अदला-बदली की थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल की समिति द्वारा लाइसेंस देने का कार्य किया जायेगा ; मंत्री महोदय सवाल का जवाब क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्तावित समिति के बारे में है और मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, when the committee is already there, then why this question was admitted ?

Mr. Speaker : The question was admitted by me. Whatever came from the member's side, I accepted it. I do not seek advice from the Minister.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has stated just now that the committee is in existence since long. I would like to know whether it is a fact that in the report about industrial licence by Dr. Hazare, it was mentioned that some control should be exercised over 75 big business houses. The Monoply Commission Bill had also been passed

by the Government under which there was a provision to have control over the 75 big business houses. Is it a fact that for the last eight months, since this act came into existence, the new licences were given continuously of these 75 big business houses for their expansion instead of exercising control over them ?

Mr. Speaker : It does not arise out of this question.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत कुछ प्रभावी कम्पनियों के बिस्तार के बारे में गंभीर प्रतिबंध है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या कानून के इस उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसी कंपनियों को कुछ लाइसेंसों की पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, तो क्या ऐसे मामलों पर समिति पुनर्विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न भी संगत नहीं है ।

Shri Abdul Ghani Dar : Will the hon. Minister be kind enough to tell whether it is a fact that when this Department was allotted to him instead of External Affairs Ministry, the Prime Minister had announced that a committee would be constituted which will handle the big licences and that he would not handle this work, and the reason for this was that he was to be kept free from any blot ? Did she not have this in mind and was it not due to this fact that the committee was proposed ?

Shri Dinesh Singh : So far this question is concerned as to what the Prime Minister said to me in the capacity of a Minister, in my opinion, it would not be proper to disclose it outside. So, far as the question regarding licensing is concerned, I have already replied that cabinet sub-committee will look into it.

श्री धीरेश्वर कलिता : माननीय मन्त्री ने कहा है कि यह समिति लाइसेंस दे रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष से बड़े उद्योगपतियों मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों तथा छोटे उद्योगपतियों को कितने-कितने लाइसेंस प्रदान किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को यह जानकारी देने के लिए कह सकता हूँ लेकिन इस प्रश्न पर नहीं ।

राजनीतिक दलों को चन्दा देना

*341. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अधीन राजनीतिक दलों को चन्दा देने पर वर्तमान प्रतिबन्ध केवल पंजीकृत कम्पनियों पर लागू होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यासों और साझेदारी वाली फर्मों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के लिये ऐसे कोई संशोधन विचाराधीन नहीं हैं ;

Shri Mohammad Ismail : Just now, it has been stated by hon. Minister that they are not considering any proposal to restrict the donations to political parties by companies. The Company Law was amended in 1969 to the effect that no company will be allowed to give any donation to a political party. I want to know whether any donation has been given to any political party directly or indirectly during this two years ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1969, के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने पर रोक लगाई गई है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या कम्पनियों पर भारी जुर्माना किया जाता है । इस उपन्ध के उल्लंघन का पता उस कम्पनी के तुलन-पत्र से लगाया जा सकता है । इसके बाद ही माननीय सदस्य को इस से सम्बद्ध सूचना दी जा सकती है ।

Shri Mohammad Ismail : I want to know whether the restrictions on donations to political parties is applicable to trust and partnerships firms also ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ कि कम्पनी अधिनियम, 1969 के संशोधन द्वारा उन्हें राजनीतिक दलों को दान देने पर पाबन्दी लगा दी गई थी । जहां तक ट्रस्ट और भागीदारी वाली फर्मों का सम्बन्ध है वे कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते उनके लिए कानून अलग है । इसीलिए इस कार्य के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि सत्ताधारी दल लाइसेंस समिति का उपयोग अपनी पसन्द की कम्पनियों को अधिमान लाइसेंस लेने के लिए कर रहा है और जैसा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है ऐसा केवल इसी उद्देश्य से किया जा रहा हैं कि समय आने पर उनसे राजनीतिक कार्यों के लिए धन प्राप्त किया जा सके ? दूसरे क्या यह भी सच है कि कई दल कार्मिक संघों का उपयोग बड़े व्यापार गृहों से रुपया ऐंठने के लिए कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : लाइसेंस दिये जाने के बारे में प्रश्न का उत्तर तो मेरे साथी ने दे ही दिया है । जहां तक कार्मिक संघों का सम्बन्ध है, वह मेरा विषय नहीं है । मेरा सम्बन्ध तो केवल कंपनी अधिनियम से ही है ।

श्री स० कुण्डू : क्या जैसे कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने पर रोक लगाई गई है उसी तरह न्यासों और भागीदारी वाली फर्मों द्वारा भी राजनीतिक दलों को दान देने पर रोक लगाने का विचार है ? यदि हां तो सरकार इससे सम्बद्ध विधेयक कब तक प्रस्तुत करेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रश्न के (ख) और (ग) भाग के उत्तर में पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं कि कम्पनी अधिनियम 1956 में इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए कोई भी संशोधन विचाराधीन नहीं है ।

श्री स० कुण्डू : क्यों नही, इसका कारण क्या है ? मैं कहता हूँ कि क्या आपने इसी उद्देश्य से कम्पनियों द्वारा दान दिये जाने पर पाबंदी नहीं लगाई है ? फिर भला न्यासों और भागीदारी

वाली फर्मों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने पर पाबन्दी लगाने के लिए विधेयक क्यों प्रस्तुत नहीं करते ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : आप का सुझाव तो काफी अच्छा है हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT-NOTICE QUESTION

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में बन्द का आयोजन

+

अ० सू० प्र० 3. श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तैनात करने के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने में एक बन्द का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो बन्द के परिणाम स्वरूप कारखाने को कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनयरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 3 अगस्त, 1970 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की तैनाती के विरोध में दुर्गापुर ट्रेड यूनियन की समन्वय समिति ने 4 अगस्त, 1970 के प्रात: 6 बजे से 5 अगस्त, 1970 के प्रात: 6 बजे तक का एक 24 घंटे के बन्द का आयोजन किया था ।

(ख) बन्द के दिन कारखाने के उत्पादन में लगभग 29.1 लाख रुपये की हानि हुई । यह हानि बन्द के होने से पहले किये गए एहतियाती उपायों और बन्द के समाप्त हो जाने के पश्चात उत्पादन को सामान्य स्तर पर लाने के लिये लगे समय के फलस्वरूप होने वाली हानि के अतिरिक्त है ।

(ग) कारखाने की सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किये गये थे । कारखाने की सभी महत्वपूर्ण मशीनों आदि की देख-भाल राज्य की सशस्त्र पुलिस द्वारा की गई थी । कानून और व्यवस्था के लिये उत्तरदायी स्थानीय अधिकारियों ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जिसमें इस्पात नगरी भी शामिल है, गस्ती दस्ते और पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी थी ।

श्री श्रीचंद गोयल : दुर्गापुर इस्पात कारखाना निरन्तर संकटग्रस्त रहता है और इसको 1 करोड़ रुपये की हानि प्रति माह हो रही है जहां तक मुझे मालूम है इस पर लगाई गई 270 करोड़ रुपये की पूंजी में से 84 करोड़ रुपया तो हानि में ही चला गया है । इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कारखाने को सुचारु रूप से चलाने के लिए कोई उपयुक्त कार्यवाही कर रही है । 'धीरे काम करो, जानबूझ कर अनुपस्थित रहने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों

का उल्लंघन करने आदि जैसी बातें आये दिन हमें सुनने को आती हैं। यह एक दोहरी समस्या है प्रथम तो यह कि श्रमिकों की समस्या का समाधान किया जाये और दूसरे यह कि प्रबन्ध व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाये। 80 प्रतिशत श्रमिक तो वफादार हैं। कुछ उग्रवादी तथा कड़ा रूख अपनाने वाले लोग ही उन्हें बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सम्भवतः इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप यह 'बन्द' हुआ है। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह श्रमिकों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने, प्रबन्ध व्यवस्था की कमियों को दूर करने और बोनस योजना जिसने श्रमिकों को उत्तेजित किया हुआ है—को अन्तिम रूप देने का विचार रखती है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह ठीक है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रबन्धक भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने कुछ कार्यवाही भी की है। वर्कशाप स्तर पर भी उनके क्षेत्रीय दल हैं और कारखाने के स्तर पर भी निरन्तर श्रमिक संघों के साथ चर्चा की जाती है। जैसा कि मैं पहले ही सभा को सूचित कर चुका हूँ, प्रबन्धकों ने एक वर्ष में श्रमिकों के साथ 26 समझौते किये हैं। अतः दुर्गापुर कारखाने में श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों को सुधारने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

जहां तक प्रबन्ध व्यवस्था की कमियों का सम्बन्ध है, हो सकता है कि दुर्गापुर के कारखाने की प्रबन्ध व्यवस्था में कुछ कमियां हों परन्तु इस कारखाने की प्रमुख समस्या श्रमिक सम्बन्धों की है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री श्रीचंद गोयल : प्रबन्धकों द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सयंत्र औद्योगिक सुरक्षा बल के जो लोग 10 अगस्त 1970 तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सम्मिलित नहीं होंगे उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी और वे निगम के कर्मचारी नहीं रहेंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में शामिल होने की स्वेच्छा प्रकट की है या क्या सरकार ने उनकी सेवायें समाप्त करने जा रही हैं? इस सम्बन्ध में क्या स्थति है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस कारखाने के वर्तमान सुरक्षा कर्मचारियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में शामिल होने की छूट दी गई थी। परन्तु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में शामिल होने वाले कुछ व्यक्तियों की ओर से उक्त कारखाने के प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही रोकने के आदेश थे। अब क्योंकि वे आदेश 3 अगस्त 1970, को समाप्त हो गये हैं, ल ोगों ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में शामिल होने की इच्छा प्रकट करना आरम्भ कर दिया है।

श्री श्रीचंद गोयल : कितने लोगों ने ऐसी इच्छा प्रकट की है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। ऐसी इच्छा प्रकट की जा रही है।

Shri M. A. Khan : How many Bundhs or strikes have taken place in this plant so far and what has been the loss to this plant as a result thereof ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : In 1969-70, there were 33 Gheraos, 927 slow-downs, 159 demonstrations, 378 incidents of refusing to work ; 368 illegal stoppages, and 3 strikes. In the period from last April to June, there were 36 stoppages, 6 Gheraos and strikes at 3 times. There was one violent incident and also 60 demonstrations. 4,75,184 man hours were lost during this period.

Shri M. A. Khan : How much loss was incurred ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : A loss of Rs. 1 crore and 22 lakh was incurred every month.

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार को मालूम है कि दुर्गापुर कारखाने में न केवल असफल श्रम-नीति के कारण मुसीबत खड़ी हुई है बल्कि इस कारण भी ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धकों की अकुशलता प्रकट किये जाने पर भी जो कि बड़े मूल्यवान दस्तावेज पाण्डेय समिति के प्रतिवेदन में तीन वर्ष पूर्व प्रकट की थी, इस कारखाने के कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ तथा इस कारण अव्यवस्था बढ़ती गई जिसमें अभी हाल ही का श्रमिक असंतोष भी शामिल है। इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : इन बातों पर प्रबन्धकों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। इन सब बातों की मांग की जा रही है। पाण्डेय समिति के प्रतिवेदन में एक मुख्य सिफारिश कारखाने के रख-रखाव के बारे में भी है जो कि इसके सुचारुरूप से चलने के लिये बड़ा महत्व पूर्ण कार्य है, चाहे यह दमन-भट्टी हो चाहे कोयला भट्टी हो। यदि रख-रखाव की कमी के कारण कुछ नुकसान होता है तो इससे न केवल उसकी कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है अथवा घट जाती है बल्कि इसके कार्य पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। इस समिति ने सिफारिश की है कि साजसामान का समुचित ढंग से रख-रखाव तथा उपयोग किया जाना चाहिये। यह बड़ी गंभीर समस्या है तथा हम इस बारे में जांच कर रहे हैं।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया : जिस ढंग से मंत्री जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं उससे लगता है कि इस समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। पिछले तीन वर्षों से सरकार से हम हर सप्ताह यह सुनते आ रहे हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए कारगर उपाय किये जा रहे हैं। परन्तु यह समस्या गंभीर से गंभीर होती जा रही है। क्या यह सच है कि दुर्गापुर में श्रमिक और श्रम-संघ इस बात पर तुले हुए हैं कि वहां अव्यवस्था की स्थिति बनी रहे और यह समस्या कभी न सुलझे ? क्या यह भी सच है कि कल के लिये एक ऐसी आवाज उठाई गई है जिससे केवल दुर्गापुर इस्पात कारखाना ही नहीं बल्कि दुर्गापुर का सारा औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतया बन्द रहेगा, और यदि यह सच है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्व उपायों के अतिरिक्त सरकार का और कौन से कारगर उपाय करने का विचार है ताकि यह अन्दोलनकारी तथा विध्वंसकारी प्रवृति सदा के लिये समाप्त हो जाये ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि कल से मजदूर संघ समन्वय समिति ने न केवल

एक दिन की हड़ताल करने को कहा है बल्कि इस कारखाने सहित दुर्गापुर के सभी औद्योगिक संस्थानों में निरन्तर हड़ताल रखने को कहा है। इस मामले पर दो दिन के भीतर ही कार्यवाही की जानी है। श्रमिक सघों के साथ उचित संबंध बनाये रखने की आवश्यकता होती है और उन्हें इस बात पर राजी करना होता है कि कारखाने के हितों के साथ साथ यह उनके हित में भी है कि न केवल यह कारखाना चलता रहे बल्कि इसका रख-रखाव भी हो और इस से अपेक्षित उत्पादन भी प्राप्त हो। हम उनसे निरन्तर बात चीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरी ओर यह निश्चय करना भी उनका कर्तव्य है कि राष्ट्र के हितों को दृष्टि में रखते हुए उत्पादन जारी रहे। हमें औद्योगिक अनुशासन तो बनाये ही रखना है और हमें आशा है कि मोटे तौर से अधिकांश कर्मचारी कार्य करना चाहते हैं, कारखाने को कुशलता से चलाना चाहते हैं तथा दबाव में नहीं आते। हम अवश्य ही औद्योगिक अनुशासन लागू करेंगे। हम अपना यह दायित्व जरूर पूरा करेंगे इन दोनों ही कर्त्तव्यों का हमने पालन करना है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has just now stated that there had been violent strikes. I want to know the number of people injured in there strikes, how many of them were admitted to the hospital and how many died ? Is it a fact that Shri Ram Bharos Tiwary was seriously injured and is now in the hospital ? At present, West Bengal is under President's rule. Would the Government ensure that as long as there is President's rule, this plant runs properly ? There is bitter dispute between the officers, subordinates and labour. Besides this different political parties are plso poking their nose in these affairs, as a result of which the production in this plant has been stalled. Would the Government, after investing 250 crores of rupees in this Plant, set an example in this country that this Plant junctions properly ?

Shri B. R. Bhagat : As the hon. Member is aware, we wanted that the Central Industrial Security Force should he deployed for the security of this Plant. The matter was referred to the Court. After the court decision of 3rd August, we could deploy the Industrial Security Force there. As reports the security and law and order as well as Industrial discipline in the Plant, we are determined to enforce these things effectively. At present I donot have the figures of the injured and the dead in the last violent strikes. We would ensure that such incidents donot recur and that this plant functions efficiently and the production is increased. Peaceful atmosphere prevailed there for about a work and the production during this period increased from 6 million tons to 9 million tons. I have no doubt that of such peaceful atmosphere is restored, we would be able to further increase the production.

Shri Bibhuti Mishra : On a point of order. The hon. Minister has stated that if there remains a peaceful atomsphere, they can increase production. The Central as well as the State administration as in their hand. Then who else than him will maintain peace there ? I need your protection, Sir.

Shri B. R. Bhagat : Not only in this Plant, but in all the industries of Durgapur they have started strike. It is our effort that the maximum number of the workers should not cooperate with those strikes. In the present situation, we would make efforts for restoring peace there. But if all the workers join the strike, than let the hon. Member tell how can peace be maintained ?

Shri Prakash Vir Shastri : To avoid giving the horrifying figures, the hon. Minister has stated that a loss of Rs. 122 lakhs is incurred every month there. I want to know why Government is afraid of giving the factual figures ? This plant has been running in loss continuously for the last 3 years. I want to know specifically whether or not the

Government have figures of the loss incurred during last three years, year-wise. Do the elements determined to destroy the Durgapur Plant include certain political parties, also ? Why are the Government afraid of specifying their names ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have got the figures relating to the loss sustained during the last 3 years. In 1967-68 the loss was of Rs. 18 crores, in 1968-69 it was Rs. 17 crores and in 1969-70 it was to the tons of Rs. 14.20 crores. It is true to a great extent that certain political parties are instigating troubles in Durgapur.. *(Interruptions)*.

Shri Kanwar Lal Gupta : State their names.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There is inter-union rivalry among some Unions. There is a big majority of gentle and loyal workers, but they are afraid of the extremist elements of the Unions.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, my question was quite clear. Why is the Government afraid of telling the names of those political parties due to which there has been a loss of more than Rs. 50 crores ? Why don't they name them clearly ?

Shri B. R. Bhagat : No party is directly involved, but the parties which... *(Interruptions)*.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया मेरी ओर ध्यान दें प्रश्न बड़ा सीधा है कि क्या कर्मचारी संघों के अतिरिक्त अन्य राजनैतिक दलों का भी इसमें हाथ है। आप 'हाँ' अथवा 'न' कहिये।

श्री ब० रा० भगत : मैं उत्तर दे रहा था जोकि अभी पूरा नहीं हुआ था। इस में कोई राजनैतिक दल सीधे ही भाग नहीं ले रहा है। परन्तु संघ मान्यता प्राप्त है तथा इसका हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन के साथ संबद्ध होना सर्वविहित है और यह अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस से संबद्ध है। वह यूनियन है।

Mr. Speaker : Shri Berwa.

Shri Mohd. Ismail : We should be given a chance. It is related to our province and we are directly concerned with that.

Mr. Speaker : Do not the other Members have a right to put question ?

Shri Mohd. Ismail : It appears that you donot want to give me a chance. From the very beginning I have been standing up repeatedly.

अध्यक्ष महोदय : हर दल को प्रश्न पूछने का अधिकार है। कृपया चिल्लाइये मत।

Shri Mohd. Ismail : I am also a Member. You are calling the Members from all sides. My party has also got that right.

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? क्या आप मुझे डराना चाहते हैं ? कृपया चिल्लाइये मत।

Shri Onkar Lal Berwa : More than Rs. 270 crores have been spent on this Plant and as the hon. Minister has stated there has been a loss of more than Rs. 50 crores in 3 years and the loss would continue as a result of such disorders. Have the Government, therefore, thought in terms of shifting this Plant to some other place where its security could be aswered ?... *(Interruptions)*. Let it be in Rajasthan so that there could be adequate security. There it is not secure. You cannot ensure its security.

Mr. Speaker : Mr. Berwa, your question is not relevant. How does Rajasthan come here ?

Shri Onkar Lal Berwa : It should be set up at a place where it could be safe. It is not safe there. Let it be answered whether they propose to do so ? Have the hon. Minister even dreamed of shifting this Plant ? Our hard earned money has been invested in it and it is running in loss regularly, still it can't the shifted. What are be reasons for that ?.. (*Interruptions*).

श्री स० मो० बनर्जी : श्रमिकों की समस्या निश्चय ही एक मानवीय समस्या है। दुर्भाग्य से, इस कारखाने में आरम्भ से ही मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। वस्तुतः वहां केवल श्रमिकों की ही समस्या नहीं बल्कि वहा प्रबन्धकों के स्तर पर भी अव्यवस्था है और इस कारखाने में आरम्भ से ही गड़बड़ रही है और इस कारखाने को राडरकेला से भी अधिक संकटग्रस्ता माना गया है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यदि अन्तर-संघीय प्रतिद्वन्द्विता इसका एक कारण है तो क्या वह यह निर्णय करेंगे कि वहां उस विशिष्ट एकक में केवल एक ही संघ दो और इसका निर्णय गुप्त-मतदान से किया जाये और जिसे भी बहुमत प्राप्त हो वही प्रतिनिधि संघ बने ? क्या यह गड़बड़ी इस कारण भी है कि दुर्भाग्य से इस विशिष्ट कारखाने के समक्ष एक सेवानिवृति सेना जनरल हैं और यद्यपि वह सेना में बहुत अच्छे रहे परन्तु यहां वह बुरी तरह असफल रहे, और यदि हां, तो क्या उन्हें तुरन्त ही बदल दिया जायेगा तथा उन के स्थान पर और अधिक कुशल व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा ?

श्री रणजीत सिंह : वहां साम्यवादी दल के श्री स० मो० बनर्जी जैसे किसी व्यक्ति को क्यों नही नियुक्त कर दिया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : वह कोई सेवानिवृति सेना जनरल नहीं हैं बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर चुने गये थे और वह असफल भी नहीं हुए हैं। उन्होंने अपना कर्त्तव्य बड़ी योग्यता से निभाया है।

श्री शिव नारायण : क्या वह उपयुक्तता की परिभाषा बतायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : यह कहना गलत है कि इस कारखाने में कोई गड़बड़ है या कि यह एक संकटग्रस्त है। वस्तुतः इस कारखाने में पहले 11 लाख मीटरी टन उत्पादन क्षमता प्राप्त हो गई थी। और पाण्डेय समिति तथा अन्य समितियों ने भी यह रिपोर्ट नहीं दी है कि इस कारखाने में कोई गड़बड़ है। उन्होंने तो यह कहा है कि यदि सबसे अच्छे कारखाने को भी ठीक ढंग से न चलाया जाये और ठीक ढंग से उस का रख-रखाव न किया जाय और वहां निरंतर हड़तालें होती रहें और काम रुकता रहे, तो उस कारखाने की दशा खराब हो जाती है। और उसकी कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि श्रमिकों की समस्या एक मानवीय समस्या है। प्रबन्धकों को सब से पहले केवल श्रमिकों तथा उनकी समस्याओं को ही समझना जरूरी नहीं है बल्कि उनके साथ व्यवहार भी समुचित ढंग से किया जाना होता है। परन्तु वहां तो एक विशेष प्रकार की स्थिति है।

वहां केवल एक ही संघ को मान्यता प्राप्त है। परन्तु वहां अनेक संघ हैं जिनका अन्य कारखानों में प्रभाव है। इस एकक में भी इस संघ के साथ 26 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये इस से पता लगता है कि प्रबंधक गण उनके साथ कितनी नम्रता का व्यवहार बनाये रखने के इच्छुक हैं। परन्तु अन्य संघ इन कारखानों में कितनी ही हड़तालें करा देते हैं और इसी कारण इस कारखाने को हानि पहुंचती है और यह संघ इस पर नियंत्रण नहीं कर पाता।

दूसरे, विशिष्ट बात यह है कि इस मान्यता प्राप्त संघ में भी अनेक विचारों के लोग हैं जिनमें कुछ बड़े उग्रवादी भी हैं, भले ही उनका कोई उद्देश्य हो, परन्तु वे कारखाने की सुरक्षा के हितों में रुचि नहीं रखते और न ही उनकी रुचि उत्पादन में है। जब हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो हमें सारी सभा देश का सहयोग चाहिये ताकि हम इस समस्या तथा श्रमिकों की समस्या जो कि एक मानवीय समस्या है, को हल कर सकें।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, what I heard about this undertaking in the House is very much shocking. Public money amounting to 275 crores of rupees is going waste. During the last three years a loss of 50 crores of rupees has been sustained. I would like to know whether this matter would be taken up on emergency basis. Whether the dispute would be located and the union or the parties responsible therefor would be deals with to clear the employees of such elements ? If the civil authorities are not in a position to control the situation there some retire Major General can be posted there. I want to know which is the party or the Union which is doing mischief with our investment of 300 crores of rupees there ?

Shri B. R Bhagat : We have been tackling the issue of Durgapur Steel Plant on emergency level. Since the arrival of Industrial Security Force we have been trying our best to maintain industrial peace there. For it we wil· do whatever will be necessary. Moreover, we believe that the workers of this plant will lend their support to Government in dealing with the matter, because they want smooth functioning of the plant.

Shri Randhir Singh : To which party the workers' union belongs.

Shri B. R. Bhagat : This union is called Hindustan Steel Employees Union and it is affiliated to All India Trade Union Congress. It is known to all to which party it belongs.

Shri Abdul Ghani Dar : The Minister has just stated that about 100 gheraos and an equal number of strikes took place in this plant and these strikes and gheraos caused a loss of about 50 crores of rupees during the last 3 years. May I know whether the Government arrested, detained or prosecuted some miscreants in this connection ? The Government is responsible for all this. What right the hon. Minister has to remain in the chair after incurring such a huge loss of the country ?

Shri B. R. Bhagat : At present there is no law under which anybody can be detained. If you will help us, we will reinforce it. All legal steps, necessary in this connection, were taken.

श्री समर गुह : दुर्गापुर के चारों ओर भारतीय रूर बनाने के बारे में डा० बी० सी० राय का जो स्वप्न था उसे वहां के प्रभावहीन प्रबन्धक और गैर-जिम्मेदार श्रमिक नेता ध्वस्त करने जा रहे हैं। क्या सरकार इसे बन्द करने या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जैसाकि पश्चिमी बंगाल के एक समाचार पत्र में खबर थी ? क्या सरकार

सभी श्रमिक विवादों को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने पर विचार कर रही है और यदि मध्यस्थ निर्णय को भी श्रमिक संघों ने न माना तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार ऐसे श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल करने को या तालाबन्दी को अवैध घोषित करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस कारखाने को बन्द करने का तो प्रश्न ही नहीं है। यदि वहां की स्थिति भविष्य में भी ऐसी ही चलती रहतीं है तो ऐसा निर्णय सभा को ही लेना पड़ेगा। यदि उक्त कारखाने में हड़ताल चलती रहती है तो कारखाना वास्तव में बन्द ही रहता है। यदि किसी संयत्र में प्रतिवर्ष 4,75,000 काम के घंटे बेकार जाते हैं और यदि उसमें उसकी क्षमता का 30 प्रतिशत ही उत्पादन होता है तो यह निर्णय यह सभा करेगी कि ऐसा संयंत्र चलता रहना चाहिए या उसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। यदि कारखाना चालू नहीं रहता तो वह बन्द ही माना जायेगा, चाहे उसके लिए औपचारिक घोषणा हुई हो अथवा न हुई हो।

श्री समर गुह : परन्तु आपको इस मामले को आपात स्थिति के आधार पर सुलझाना चाहिए। क्या आपके पास आपात् की स्थिति की घोषणा करने का अधिकार नहीं है ? देश और जनता के शत्रुओं ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने को उखाड़ने और पश्चिम बंगाल को हानि पहुंचाने की ठान रखी है। और सरकार कुछ नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 35 मिनट ले चुका है। अब हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले लेना चाहिए।

श्री स० कुन्दू : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा में ऐसी प्रथा रही है कि जो व्यक्ति मामले से सम्बद्ध होता है, उसे बोलने का अवसर दिया जाता है। श्री मुहम्मद इस्माईल आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध हैं और इस संस्था का उल्लेख भी यहां अभी किया जा चुका है अतः उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैंने यह सोचा था कि वह केवल चिल्लाने के लिए उठे हैं। मैंने उनकी ओर दो बार देखा, किन्तु वह प्रश्न पूछने के लिए नहीं उठे। वह अपना प्रश्न अब पूछ सकते हैं।

Shri Mohammad Ismail : Sir, I would like to ask some specific questions. May I know whether it is a fact that a loss of two to three crores of rupees was sustained about 3 years ago as a result of sabotage, when INTUC union was recognised.....

Dr. Maitreyee Basu : There was no sabotage. What he says is wrong.

Shri Mohammad Ismail : At that time an inquiry was held, the report was submitted and some people were also arrested. Now employee's union has been recognised. I would like to know the number of agreements reached with this union regarding production after it was granted recognition. I would also like to know the reasons for the Bandh' organised on the 3rd instant ? Was more police sent there on the 2nd instant ? Is it a fact that the Industrial Security Force moved in without notice at 6 o'clock on the 3rd instant and resorted to lathi charge on workers ? Is there camp of Border Security Force in the premises of the plant ? Why was the Industrial Security Force sent there on 3rd instant and was an agreement reached with the union prior to that ?

श्री स० कुन्दू : डा० मैत्रेयी बसु को अवसर दिया जाये । इन लोगों का सम्बन्ध इससे है । श्री कंवर लाल गुप्त को अवसर देने का क्या लाभ है ?

डा० राम सुभग सिंह : हम चाहते हैं कि सभा के सामने दुर्गापुर इस्पात कारखाने से सम्बन्धित सभी तथ्य रखे जायें ताकि सभा उसके बारे में निर्णय ले सके । इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम यह आश्वासन चाहते हैं कि उसमें और आगे हानि न होने दी जायेगी । अन्यथा मंत्री महोदय त्यागपत्र दे दें । 50 करोड़ रुपये की पहले ही हानि हो चुकी है (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री ब० रा० भगत : यदि माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है तो मैं सभी सम्बन्धित तथ्य सभा के समक्ष रखने के लिए तैयार हूं । जहां तक तोड़-फोड़ की कार्यवाही का सम्बन्ध है, मुझे मालूम नहीं है कि हाल ही में वहां कोई तोड़-फोड़ हुई है । हां, उसमें काम निरन्तर धीमी गति से होता रहा है । परन्तु उत्पादन का स्तर 30 प्रतिशत पर बनाये रखना, अपने आप में तोड़-फोड़ की कार्यवाही है, चाहे वह हिंसक नहीं है । जहां तक 3 तारीख को हुई हड़ताल के कारणों का या औद्योगिक सुरक्षा बल या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कारखाने के अन्दर जाने का सम्बन्ध है, यह सच नहीं है कि उपर्युक्त दोनों में से किसी बल ने उसके अन्दर प्रवेश किया था । न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा उठा लिये जाने के पश्चात् ही औद्योगिक सुरक्षा बल अन्दर गया था । जहां तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का सम्बन्ध है, दुर्गापुर में इस बल की एक यूनिट है किन्तु वह कारखाने के अन्दर नहीं है । अतः वहां पर किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं है ।

Shri Mohammad Ismail : Was Border Security Force there on the 2nd instant ?

श्री ब० रा० भगत : वह वहां पर नहीं थी । वहां पर राज्य की शसस्त्र पुलिस थी ।

डा० मैत्रेयी बसु : क्या दुर्गापुर में किसी कत्ल के मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं ? क्या वर्तमान श्रमिक संघ के नेता गिरफ्तार किये गये हैं और यदि हां, तो वे कौन हैं ?

श्री ब० रा० भगत : कल से शुरू होने वाली हड़ताल का एक कारण यह है कि श्री मजूमदार, जो हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष है, यह अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का संघ है ...(**अंतर्बाधाएं**)

Shri Mohammad Ismail : I declare that that union is connected with our Party and we are with them.

श्री ब० रा० भगत : मैं कह रहा था कि सर्वश्री मजूमदार, सरकार और चक्रवर्ती के कत्ल के मामले सहित फौजदारी के अपराध में गिरफ्तार किये थे । कल से शुरू होने वाली हड़ताल का सम्बन्ध औद्योगिक सम्बन्धों से नहीं है । वे तो राज्य सरकार द्वारा सामान्य विधि के अन्तर्गत कत्ल आदि के अपराध पर पकड़े गये हैं । कल से शुरू होने वाली हड़ताल का एक कारण यह है कि वे क्यों पकड़े गये हैं ।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या यह सच है कि इस संघ के मान्यता विधि के अन्तर्गत नहीं

दी गई थी बल्कि अनुशासन सहिता के अन्तर्गत दी गई थी जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों और प्रबन्धकों दोनों ही के लिए दायित्व निर्धारित किये गये थे। यह अनुशासन संहिता श्री नंदा जी के श्रम मंत्रित्व काल में तैयार की गई थी। एक श्रमिक संघ को यह अधिकार तो नहीं होता कि प्रबन्धकों या मालिकों को विवाद सुलझाने का अवसर दिये बिना ही वह धीमी गति से कार्य करने, हड़ताल करने या घेराव करने के हथकंडे अपनाये। दूसरी ओर आपने इस संघ के साथ एक दो वर्ष में कई बार समझौते किये और फिर भी वहां घेराव और धीमी गति से काम करने की हड़ताल जारी है। इसके बावजूद आपने उस संघ को मान्यता समाप्त करने का नोटिस नहीं दिया क्योंकि आप उनका समर्थन चाहते हैं। उनकी मान्यता आप समाप्त क्यों नहीं करते ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने उक्त श्रमिक संघ की मान्यता समाप्त करने का सुझाव दिया है। यह मामला श्रम मंत्रालय से सम्बद्ध है। अतः इस बारे में हम श्रम मंत्रालय को लिखेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या व्यवस्था बनाये रखने के लिए भगवान के भरोसे पर रहना उचित है ? क्या यह सच है कि सरकार ने श्रमिकों को प्रसन्न करने की नीति अपनाई है और प्रति वर्ष मजूरी पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है तथा परिणामतः श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार अनुशासन भंग करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री स० कुन्दू : यह महत्वपूर्ण मामला है और इस पर दो-तीन घंटे तक चर्चा चलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्र हित में ही मैंने इसे 45 मिनट तक चलने दिया है।

श्री ब० रा० भगत : किसी के प्रसन्न करने की बात नहीं है। यह सच है कि मजूरी व्यय में 1968-69 के मुकाबले 1969-70 में वृद्धि हुई है, किन्तु यह श्रमिकों के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप हुआ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अधिकतर श्रमिक परिश्रम और निष्ठा से काम करते हैं। कुछ ही उपद्रवी तत्व हैं जिनके लिए हमें सुरक्षा उपाय, जिनमें औद्योगिक सुरक्षा बल भी सम्मिलित है, अपनाने पड़ते हैं। न्यायालय के रोक आदेश ने इसे रोक दिया था। अब न्यायालय ने निषेधाज्ञा समाप्त कर दी है और अब हमें औद्योगिक अनुशासन को दृढता से लागू करेंगे तथा शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का भरसक प्रयास करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भूतपूर्व तीन किल्लिक निक्सन बिजली सप्लाई कम्पनियों का प्रबन्ध

*331. **श्री मधु लिमये** : क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात पर कि भूतपूर्व तीन किल्लिक निक्सन बिजली सप्लाई कम्पनियों का

प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा किया जाये या पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशकों द्वारा किया जाये, कोई मतभेद है ;

(ख) क्या परिवार प्रबन्ध को समाप्त करने और व्यावसायिक प्रबन्ध को प्रोत्साहन देने के लिए समवाय अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि कार्यकुशलता बढ़ जाये और योग्य एवं निपुण युवकों को तरक्की करने के अवसर प्राप्त हो सकें ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि कपाड़िया बन्धु यह चाहते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को इन तीन कम्पनियों को पूर्णकालीन निदेशक बनाया जाये ;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने तथा प्राथमिक विरोध के बाद गुजरात सरकार ने भी कपाड़िया बन्धुओं के मामले का समर्थन करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ङ) क्या उनका मन्त्रालय पूर्णकालीन निदेशकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव जिससे कि लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा वे ले जायेंगे, अस्वीकार करेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) किलिक इन्डस्ट्रीज का भारतीय जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया से इस विषय में कुछ परामर्श था ।

(ख) प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के उन्मूलन का उद्देश्य, अन्य फर्मों अथवा निकाय निगमों द्वारा, एक कम्पनी के कार्य कलापों का सम्पूर्ण अथवा मूलतः सम्पूर्ण प्रबन्ध से हटाने का था । इन प्रबन्ध अभिकरणों में से कुछ, यद्यपि सब नहीं, एक ही कुटुम्ब से सम्बन्धित थे । परन्तु कुटुम्ब के सम्बन्ध, स्वयं, एक व्यक्ति की प्रबन्ध निदेशक आदि की नियुक्ति के लिये, जब कि वह अन्य बातों में योग्य एवं उपयुक्त हो, कानून के अन्तर्गत कोई अयोग्यता नहीं समझे जाते ।

(ग) इन कम्पनियों से अभी तक प्रबन्ध अथवा पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(घ) गुजरात सरकार ने हमें पहले सूचित किया कि वह, अहमदाबाद एवं सूरत इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी नाम की दोनों कम्पनियों में, किलिक इन्डस्ट्रीज के प्रबन्ध अभिकरण के उन्मूलन पर, निदेशक मंडल द्वारा प्रबन्ध के सिवाय, प्रबन्ध निदेशकों अथवा प्रबंध के अन्य किसी रूप द्वारा, प्रबंध के पक्ष में नहीं है । इसके पश्चात उन्होंने लिखा कि प्रबंध के भारवान् उत्तरदायित्वों को दृष्टिगत रखते हुये, वह इस दृष्टिकोण से सहमत है, कि इन कम्पनियों में प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति आवश्यक होगी । इस विभाग का, इस विषय पर, महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रत्यक्ष पत्र-व्यवहार नहीं था ।

(ङ) सरकार उन प्रार्थना-पत्रों पर, जो अभी दिये जाने हैं, के बारे में, कोई अग्रिम विचार प्रगट नहीं कर सकती ।

'आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन' द्वारा व्यापारिक समझौते में संशोधन की मांग

*332. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन' के संघ ने सरकार से

अनुरोध किया है कि व्यापारी के लिये अधिक मुनाफे की गुंजाइश रखी जाये क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि यद्यपि सरकार ने व्यापारी के मुनाफे की गुंजाइश 10 प्रतिशत निर्धारित की थी, तथापि शुद्ध मुनाफा केवल 6 प्रतिशत ही होता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि एसोसिएशन ने निर्माताओं के साथ व्यापारिक समझौते में संशोधन किये जाने का भी अनुरोध किया है जिससे इसमें व्यापारियों के लिये अधिक अच्छी और न्यायोचित व्यवस्था हो सके ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख). 1969 में सरकार को आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की फेडरेशन से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि डीलरों का कमीशन जिसे 1967 से ही प्रतिबन्धित किया हुआ है वह बढ़ती हुई लागत तथा प्रत्येक वाहन पर डीलरों के बड़े हुये विनियोजन की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाकर कारखाने से निकलते हुए मूल्य (उत्पादन कर सहित) का 15 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये ।

(ग) तथा (ङ). जी, हाँ ।

(ङ) डीलरों के कमीशन के सम्बन्ध में प्राशुल्क आयोग ने मोटरगाड़ियों के उचित मूल्य के निर्धारण सम्बन्धी अपने 1968 के प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रत्येक वाहन पर डीलरों का कमीशन का मामला निमर्ताओं तथा डीलरों के आपसी समझौते पर छोड़ दिया जाना चाहिये । सवारी कारों के मामले में आयोग 7/1/2 प्रतिशत का कमीशन पर्याप्त समझता है । प्राशुल्क आयोग की सिफारिशों की जांच तथा फेडरेशन के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह निश्चय किया है कि तीनों प्रकार की सवारी गाड़ियों पर डीलरों के कमीशन की वर्तमान स्वीकृत राशि पर्याप्त हैं और उसे न बढ़ाया जाये । फिर भी सरकार आयोग की सिफारिश से सहमत थी कि डीलरों के कमीशन की दर का मामला तीनों कारों के सरकार द्वारा स्वीकृत कारखाने से निकलते समय के मूल्य के अन्दर रखते हुए निर्माताओं तथा विक्रेताओं के आपसी समझौते पर छोड़ दिया जाए । तत्पश्चात् तीनों मार्कों की कारों के खुदरा विक्रय मूल्य को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18 (छ) के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा 21 सितम्बर, 1969 को अधिसूचित कर दिया गया । इस आदेश की वैधता को तीनों कार उत्पादकों तथा दो विक्रेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनोती दी । सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर सरकार ने देश में निर्मित की जा रही तीनों मार्कों की कारों के उचित विक्रय मूल्य की सिफारिश करने हेतु पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज, श्री सरजू प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है । आयोग उचित मूल्य के निर्धारण से सम्बद्ध सभी मामलों

पर जिनमें विक्रेताओं का कमीशन भी सम्मिलित है पर विचार करेगा। आगे की कार्यवाही इस आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी।

जहाँ तक निर्माताओं तथा विक्रेताओं के मध्य हुए समझौतों के पुनरीक्षण का सम्बन्ध है, यह समझौते दोनों पार्टियों द्वारा आपस में किये गये हैं अतः इनकी शर्तें भी आपस में ही तय की जानी चाहिये। सरकार ने प्राशुल्क आयोग की इस सिफारिश को मान लिया है। अतः निर्माताओं का ध्यान प्राशुल्क आयोग की इस सिफारिश की ओर उचित कार्यवाही के लिये आकृष्ट किया गया है।

इंजीनियरिंग उद्योगों में इस्पात की कमी

*333. **श्री जनार्दनन :** **श्री जि० मो० विश्वास :**
श्री कं० हाल्दर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की बढ़ती हुई कमी से गत दशक में भारी तथा छोटे इन्जीनियरिंग उद्योगों में की गई आयात-प्रतिस्थापन की प्रगति को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारी तथा हल्के इन्जीनियरिंग उद्योगों को पर्याप्त इस्पात की सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बढ़ती हुई मांग की अपेक्षा इस्पात के कम मात्रा में उपलब्ध होने से हल्के तथा भारी इन्जीनियरी उद्योगों के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और विशेषकर अधिक दुर्लभ प्रकार के इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्नों के अतिरिक्त इन्जीनियरी उद्योगों के उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण उसकी मांग की पूर्ति हेतु 1970-71 की अवधि में इस्पात की आयात नीति को काफी उदार बना दिया गया है।

बिजली के सामान की कीमतों में वृद्धि

*334. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बिजली के सामान की कीमतों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कीमतों में अचानक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). बिजली की वस्तुओं जैसे मोटरों, ट्रांसफार्मरों, पंखों आदि के मूल्यों में दिसम्बर,

1969 से भिन्न-भिन्न अंशों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे माल, विशेषतया आयातित वैद्युत ग्रेड स्टीक स्टेंपिंग तथा तांबा चढ़े बिजली के तार के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण हुई है।

संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के सहयोग से औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

*337. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक सहयोग संबंधी एक संयुक्त कार्यकारी दल जिसमें भारत, संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के प्रतिनिधि हैं ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना पर विचार कर रहा है जो तीनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उस संयुक्त कार्यकारी दल के निर्देश-पद क्या हैं, उसके भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं तथा उक्त दल कितने समय से कार्य कर रहा है ;

(ग) क्या इस दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और संयुक्त रूप से स्थापित की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में कोई समझौता सम्पन्न हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का उन पर होने वाला खर्च सहित ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) ऐसी संयुक्त परियोजनाओं पर निर्माण कार्य के कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है और उनमें उत्पादन कब से शुरू होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ). आर्थिक सहयोग के बारे में भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के मन्त्रियों की दिसम्बर, 1966 में नयी दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिये गए निर्णयों के अनुसरण में इन तीनों दंगों के बीच औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया था। इस कार्यकारी दल की अब तक सितम्बर, 1968, जुलाई, 1969 और जुलाई, 1970 में तीन बैठकें हुई हैं। इस कार्यकारी दल में संबंधित तीनों सरकारों के निम्न-लिखित नामित व्यक्ति हैं :

1. मि० इब्राहीम शारक्स, अध्यक्ष, औद्योगिक योजना और तकनीकी अनुसंधान के केन्द्रीय विभाग, सामान्य उद्योग संगठन, संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार।
2. मि० मिरोराड सावीसेविक, फेडरल सेक्रेटेरियट फार इकोनामी में सहायक फेडरल सेक्रेटरी, यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य की सरकार।
3. श्री के० बालाचन्द्रन, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय, भारत सरकार।

कार्यकारी दल ने अपनी दूसरी बैठक में नीचे लिखे ऐसे दस क्षेत्रों का पता लगाया था जिनमें त्रिपक्षीय औद्योगिक सहयोग संभव समझा गया :

1. 50 अश्व शक्ति वाले पहिएदार ट्रैक्टर ।
2. क्रालर ट्रैक्टर टी० जी०—50 और टी० जी०—90 ।
3. यात्री कारें तथा पुर्जे ।
4. मोटरगाड़ियों के सहायक उद्योग ।
5. स्कूटर ।
6. छोटे इंजन ।
7. टी० वी० ग्लास बल्ब ।
8. टी० वी० पिक्चर ट्यूब ।
9. स्विचगीयर ।
10. अन्य देशों को बिजली के उपकरणों की सप्लाई ।

काहिरा में जुलाई, 1970 में हुई अपनी अन्तिम बैठक में कार्यकारी दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दो परियोजनायें अर्थात् टी० वी० ग्लास वल्ब और टी० वी० पिक्चर ट्यूब की परियोजनायें त्रिपक्षीय आधार पर पूरी तरह से संभव है और तकनीकी बातों के आधार पर (जैसे आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धि आदि बातों पर बिचार करते हुए) इनके कारखाने भारत में स्थापित किये जाने चाहिये । जो दो अन्य परियोजनायें संभव समझी गई, वे 50 अश्व शक्ति वाले पहिएदार ट्रैक्टरों और स्कूटरों के निर्माण के बारे में थीं । तथापि इसके पहले कि इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सारी बातें पूरी की जायें, कुछ संबंधित सरकारों द्वारा कुछ और कदम भी उठाये जाने हैं ।

कार्यकारी दल की सिफारिशों पर इन तीनों सरकारों द्वारा मन्त्रियों की अगली त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया जाना है । जब तीनों सरकारें इन परियोजनाओं को स्वीकार कर लेंगी तभी उसके बाद वित्तीय पेचीदगियों आदि से संबंधित सारी बातों का हिसाब लगाया जायेगा ।

नई दिल्ली में सफदरगंज हवाई अड्डे के निकट रेलवे फाटक पर उपरि/निचला पुल बनाया जाना

*342. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट रेलवे फाटक अक्सर बन्द रहता है ;

(ख) यदि हां, तो एक दिन (24 घण्टे) में रेलवे फाटक कितनी बार बन्द होता है और प्रत्येक बार कितने समय के लिये बन्द रहता है ;

(ग)क्या सरकार को पता है कि इस फाटक के बन्द हो जाने के कारण फाटक के दोनों

ओर काफी समय के लिये यातायात ठप्प हो जाता है और फाटक के पुनः खुलने पर दुर्घटना होने की काफी संभावना रहती है क्योंकि खुलने पर प्रत्येक आदमी इसमें से पहले निकलना चाहता है ; और

(घ) क्या वहां पर कोई उपरि/निचला पुल बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट जो समपार है उससे 12-13 जोड़ी गाड़ियां गुजरती हैं और इस कारण 24 घण्टे के अन्दर लगभग 25 बार यातायात प्रत्येक समय 5 से 10 मिनट के लिये रूक जाता है।

(घ) इस समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इस काम की अनुमानित लागत नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा हाल ही में स्वीकार की गई है और रेलवे इस काम के निष्पादन की योजना बनाने के लिये कदम उठा चुकी है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में अखिल भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन के सुझाव

*343. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री झारखंडे राय : **श्री बासुदेवन नायर :**

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धावस्था पेंशन की योजना के बारे में अखिल भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन द्वारा किए गये सुझावों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भवन निर्माण के लिये इस्पात के माल की कमी

*344. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री न० कु० सांघी :**
श्री जे० के० चौधरी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नए भवनों के निर्माण के लिए इस्पात सामग्री की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) देश में निर्माण कार्यों के लिए स्वदेशी साधनों से इस्पात सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) कमी का एक कारण यह है कि कुछ इस्पात कारखाने निर्धारित क्षमता से काफी कम उत्पादन कर रहे हैं। आर्थिक मन्दी खत्म होने तथा देश की आर्थिक गति विधि तेज हो जाने से मांग बढ़ जाने के कारण भी कमी हुई है।

(ग) जबकि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे है सभी प्रकार के इस्पात को जिसमें निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाला इस्पात भी शामिल है, इस्पात प्राथमिकता समिति के क्षेत्राधिकार में लाकर वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। देश में निर्माण कार्यों की आवश्यकताओं के लिए इन श्रेणियों के इस्पात की उपलब्धि में वृद्धि करने हेतु इनका निर्यात भी विनियमित किया गया है।

साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी देशों से भारत में धन का आना

*345. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी देशों से भारत में धन के आने को रोकने के उद्देश्य से कोई कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और प्रस्तावित कानून का रूप क्या होगा ; और

(ग) गत निर्वाचनों में साम्यवादी तथा गैर-साम्यवादी देशों द्वारा भेजे गये धन के बारे में जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) से (ग). उनका ध्यान 31 जुलाई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में गृह-मंत्री द्वारा लोक-सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है।

मेल तथा एक्सप्रैस रेलगाड़ियों की गति तेज करने का प्रस्ताव

*346. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय और खर्च की बचत और कार्य कुशलता बढ़ाने के विचार से मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों की गति में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गाड़ियों के नाम क्या हैं और कितने समय की बचत होगी ; और

(ग) क्या जनता रेलगाड़ियों सहित लम्बी यात्रा करने वाली सभी रेलगाड़ियों के साथ भोजन डिब्बों की व्यवस्था करने का भी सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) महोदय, चुने हुए मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चालू करने के लिए अग्रता निर्धारित करने के अलावा, मेल एक्सप्रैस गाड़ियों की वर्तमान अनुषेय रफ्तार को बढ़ाने का फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) 46 जोड़ी मेल एक्सप्रैस सवारी गाड़ियों पर पहले से ही भोजनयान सेवा की व्यवस्था है ।

फिलहाल किसी और गाड़ी में भोजन यान लगाने का विचार नहीं है । जिन् गाड़ियों में भोजन यानों की व्यवस्था नहीं है उनके यात्रियों की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मार्ग के स्टेशनों पर खान-पान की पर्याप्त व्यवस्था है ।

गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा रेलवे स्टेशनों तथा स्टालों पर घटिया खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की बिक्री

*347. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर तथा स्टालों पर घटिया अनाज से बनी वस्तुएं तथा पेय पदार्थ बेचे जा रहे हैं ;

(ख) उनको अच्छी किस्म की चीजें चने के लिए न कहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गैर-सरकारी ठेकेदारों का कार्य रेलवे खान-पान विभाग द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की संभावना है ; और यदि हां, तो किस तरीके से तथा कब तक ;

(घ) गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन यात्रियों को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की किस्म की जांच करने में तथा अच्छी किस्म बनाये रखने सम्बन्धी निदेशों को कठोरता से लागू करने के लिए क्या व्यवस्था है ; और

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब मूल्यों में वृद्धि की गई थी उस समय की तुलना में अब चीनी तथा अन्य खाद्यान्नों के मूल्य का हो गये हैं, पदार्थों तथा पेय पदार्थों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). गक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(क) ऐसी बात नहीं है कि रेलवे स्टेशनों और स्टालों पर ठेकेदारों द्वारा नियमित रूप से घटिया खाद्य पदार्थ और पेय बेचे जाते हैं। लेकिन कभी-कभी घटिया खाद्य पदार्थ और पेय बेचे जाने के मामले नोटिस में आते रहते हैं ।

(ख) रेलों पर सभी खान-पान यूनिटों और खोमचे वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि यात्रियों को अच्छी किस्म के खाद्य पदार्थ और पेय सप्लाई करेंगे ।

(ग) सभी प्राइवेट ठेकेदारों के स्थान पर रेलवे की विभागीय खान-पान व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं है । किन्तु ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर धीरे-धीरे विभागीय खान-पान व्यवस्था बढ़ाते जाने का विचार है जहां यह व्यवस्था वित्तीय दृष्टि से सक्षम हो ।

(घ) खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के अधिनियम के अधीन नियुक्त खाद्य निरीक्षकों द्वारा रेलों पर मौजूद खान-पान स्थापनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और खाद्य पदार्थों की मिलावट के मामलों में, जहां कहीं उचित होता है, उनके द्वारा मुकदमें चलाये जाते हैं । इसके अलावा दूसरे निरीक्षण कर्मचारियों एवं स्थानीय पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा भी अवसर नियमित एवं अचानक निरीक्षण किये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

रेलों की खान-पान स्थापनाओं में केवल अच्छी किस्म के ही खाद्य पदार्थ और पेय बेचे जाते हैं और चूक करने वालों के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाई की जाती है।

(ङ) यद्यपि चीनी के मूल्य में कुछ कमी हुई है तो भी लगभग दूसरे सभी खाद्य पदार्थों की कीमत तथा मजदूरी का खर्च बढ़ गया है। इसलिए इस समय खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों की दरें घटाये जाने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी, समय-समय पर इस प्रश्न की समीक्षा की जाती है।

108-अप लखनऊ झाँसी यात्री गाड़ी के यात्रियों को लूटा जाना

*34 ?. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जून, 1970 को झाँसी से 155 किलोमीटर दूर काल्पी स्टेशन पर सशस्त्र आदमियों द्वारा 108-अप लखनऊ-झांसी यात्री गाड़ी में 30 यात्रियों का सामान तथा 10,000 रुपये लूट लिए थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन यात्रियों को मुआवजा दे दिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

मैसूर राज्य में निचले पुलों तथा उपरी पुलों का निर्माण

*349. **श्री क० लकप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मैसूर राज्य सरकार तथा संसद सदस्यों द्वारा कितने-कितने निचले तथा उपरि पुलों के निर्माण का सुझाव दिया गया है ;

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है और किन पुलों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है और निर्माण कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सड़सठ।

(ख) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में 13 ऊपरी/निचले सड़क पुलों को शामिल किया जा चुका है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उपर्युक्त 13 पुलों की स्थिति बतायी गयी है।

विवरण

वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण का कार्यक्रम तथा उसकी प्रगति का ब्यौरा।

स्थान	टिप्पणी
1. बेंगलूरु में शांके रोड	पूरा हो गया।

1	2
2. अलनावर स्टेशन	काम हो रहा है ।
3. बेलगाम स्टेशन	काम हो रहा है ।
4. नवालूर स्टेशन	(
5. लोंडा स्टेशन	(
6. शेक्वाल स्टेशन	(इनके निर्माण की स्वीकृति दी जा चुका
7. बादी स्टेशन	(है और रेलों द्वारा इन्हें तब प्रारम्भ
8. गडग स्टेशन	(किया जायेगा जब सड़क प्राधिकारियों
9. धारवाड़ स्टेशन	(द्वारा पहुंच मार्गों का काम शुरू किया
10. बेंगलूरु सिटी की सीमा में पिलर्स रोड के	(जायेगा ।
350/11-13 किलोमीटर पर	(
11. कैंगेरी के निकट बनने वाली रिंग रोड के	(
12/12-13 किलोमीटर पर	(
12. हसन के निकट 119/7-8 किलोमीटर पर	(
13. कडकोला के निकट 16/2-3 किलोमीटर	(
पर	(

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के लिए क्रयादेश

*350. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इन्जीनियरिंग निगम रांची, को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि और अधिक क्रयादेश न मिलने के कारण उसके उत्पादों का निरन्तर तथा पर्याप्त उपयोग नहीं होगा और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त निगम के लिये तुरन्त पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

घाटे में चल रही रेलवे लाइनों का उखाडा जाना

*351. **श्री इसहाक सम्मली :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री अदिचन : **श्री सिद्दया :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की कितनी शाखा लाइनें इस समय घाटे में चल रही हैं ;

(ख) इन लाइनों के कारण रेलवे को कितना वार्षिक घाटा उठाना पड़ा है ;

(ग) क्या इन लाइनों में से किसी लाइन को उखाड़ने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) हमारी वर्तमान गणना के अनुसार भारतीय रेलों पर 75 अलाभप्रद शाखा लाइनें हैं।

(ख) इन अलाभप्रद लाइनों के कारण लगभग 7 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा होता है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे यात्री परिवहन पर दी जाने वाली राज-सहायता में कमी के बारे में रेलवे बोर्ड के एक भूतपूर्व अध्यक्ष के विचार

*352. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री खण्डेलवाल ने "इण्डियन रेलवेज पत्रिका" में प्रकाशित हाल के लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक रेलवे यात्री परिवहन पर इस समय दी जाने वाली राज-सहायता में बहुत अधिक कमी नहीं कर दी जाती, तब तक रेलवे की आर्थिक स्थिति लगातार खराब रहेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं। रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री खण्डेलवाल ने हाल ही में एक लेख में वर्तमान स्थिति जिसके अन्तर्गत यात्री किरायों में वृद्धि और खाद्यान्न, कोयला जैसी वस्तुओं और निर्यात यातायात के भाड़े की दरों में वृद्धि का जनता द्वारा प्रतिरोध करने से रेलें घाटे में चल रही हैं, का मूल्यांकन किया है। उन्होंने यह विचार व्यक्त नहीं किया है कि जब तक रेलवे यात्री यातायात पर इस समय दी जाने वाली सरकारी सहायता में बहुत अधिक कमी नहीं कर दी जाती, तब तक रेलवे की यह स्थिति लगातार खराब रहेगी।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित लेख में जो कुछ कहा गया है, उसके प्रति सरकार की यह प्रतिक्रिया है कि यद्यपि पूर्णतया वित्तीय और आर्थिक विचार से यात्री किरायों में वृद्धि औचित्य-पूर्ण और आवश्यक है, फिर भी कुछ सामाजिक पहलू हैं जो इस समय इस प्रकार की कार्रवाई करने से रोकते हैं।

रेलवे यात्रियों को अधिक अच्छी सुविधायें

*353. **श्री राम किशन गुप्त** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कमलनयन बजाज :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह कार्यभार सम्भालने के पश्चात् प्रशासन में सुधार तथा रेलवे यात्रियों के लिए अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने में समर्थ हुए हैं ;

(ख) 1 अप्रैल, 1970 से लेकर आज तक क्या-क्या सुधार किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय की भावी योजनायें क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्यारह सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप रेल संचालन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने और अनाचार के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाने का काम शुरू किया गया है। कुछ परिणाम तो पहले से ही दिखाई देने लगे हैं और रेलों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं और सुख-सुविधाओं में सुधार दिखाई देता है। जो उपाय किए गए हैं उनका पूरा प्रभाव उस समय अनुभव किया जाने लगेगा जब कार्यक्रम पर उत्तरोत्तर अमल होगा।

(ख) 1 अप्रैल, 1970 के बाद सुधार के जो विभिन्न उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) ग्यारह सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए रेल मन्त्रालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है।

(2) बिना टिकट यात्रा, खतरे की जंजीर का नाजायज इस्तेमाल, चोरियों, उठाई-गीरी और अनाचार आदि के उन्मूलन के लिए संचालन के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के उद्देश्यों से स्वयंसेवी संगठनों की सहायता और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए स्थाई स्वयंसेवी सहायता समिति की स्थापना की गई है।

(3) लम्बी दूरी वाली महत्त्वपूर्ण गाड़ियों से सम्बन्धित शिकायतों की स्थाली-पुलाक जाँच की प्रणाली लागू की गई है ताकि इन सेवाओं की खामियों को दूर किया जा सके और उनमें सुधार लाया जा सके।

(4) आरक्षण कार्यालयों में व्यवस्था को सुधार दिया गया है ताकि आरक्षण सम्बन्धी अनुरोधों का शीघ्र निबटारा हो सके और टिकट शीघ्र जारी किये जा सकें।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची की प्रबन्ध सम्बंधी तथा तकनीकी समस्यायें

*354. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची की अनेक प्रबन्ध तथा तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यवाही करने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या औद्योगिक अनुशासनहीनता को रोकने के लिए उनका कुछ कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). ये मामले भारी इन्जीनियरिंग निगम के प्रबन्ध मंडल के क्षेत्राधिकार में आते हैं । फिर भी सरकार जहां तक आवश्यक और वांछनीय होता है निगम की सहायता करती है ।

शिकायतों को दूर कराने के लिये कर्मचारी संघ की स्थापना

*355. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने और उनकी संख्या में वृद्धि के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बारे में विचार किया है क्योंकि उनकी संख्या कर्मचारियों के अनुपात से बहुत बढ़ रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए नई एजेन्सियां बना रहे थे जोकि रेलवे के कार्मिक संघ आंदोलन के लिये विनाशक होगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नई खण्डीय यूनियनों/एसोसिएशनों के कारण उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में पहले से ही ऐसे अनुदेश हैं कि कोई भी खण्डीय/कोटिवार यूनियनें/एसोसिएशन मान्यता दिये जाने के पात्र नहीं हैं ।

जिन दो संघों को रेलवे बोर्ड से वार्ता करने की सुविधा प्राप्त है, हाल में ही उनका ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित किया गया है और उनसे इस प्रकार कार्य करने के लिए कहा गया है कि वे कर्मचारियों की प्रत्येक कोटि की शिकायतों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व करें ताकि कोई भी कोटि अपने को अपेक्षित महसूस न करे तथा इसके फलस्वरूप खंडीय यूनियन/एसोसिएशन बनाने की ओर कदम न उठाये ।

उद्योग और सरकार के मध्य निकट का सम्पर्क

*356. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 1970 के "**हिन्दुस्तान टाइम्स**" में

प्रकाशित भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उद्योग तथा सरकार के मध्य निकट का सम्पर्क होना चाहिए तथा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक नीतियां बनाने में उद्योग का प्रभावी हाथ होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस समय उद्योग और सरकार के बीच निकट का सम्पर्क किस प्रकार रखा जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार तथा उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधियों के मध्य विकास परिषदों, उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद तथा इसी प्रकार की विभिन्न वाकपीठों में आर्थिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर पहले से ही विचार-विमर्श होता रहता है । तथापि सरकार निर्धारित किये गये मोटे-मोटे सामाजिक उद्देश्यों के अन्दर ही और साथ ही निर्यात सम्वर्द्धन हेतु सरकार के प्रयासों को देखते हुए औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन हेतु आगे वार्ता करने का स्वागत करेगी ।

स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चारिंग कम्पनी बम्बई

357. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई के बारे में 21 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले की जांच करली गई है और सरकार एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार कितना समय लेगी और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख). जानकारी विगत दस वर्षों से अधिक समय के बारे में दी जानी है तथा सरकार के पास उपलब्ध अभिलेखों से कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जानी है । फिर भी इसे शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

मनीपुर में मध्यावधि निर्वाचन

*358. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में मध्यावधि निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियां प्रायः पूरी हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्वाचनों के लिए अस्थायी रूप से कोई तारीख निश्चित कर ली गई है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि यदि उक्त निर्वाचन वर्तमान संघ राज्य क्षेत्रीय

व्यवस्था के अधीन हुआ तो मनीपुर के राजनीतिक दल इन निर्वाचनों का बहिष्कार करने पर विचार कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को पूरा करने के लिए ऐसा प्रयत्न किया जाने वाला है । 6 अगस्त, 1970 को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

मनीपुर को राज्य का दर्जा प्रदान करने से केन्द्रीय सरकार के कथित इन्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में लोक सभा में 6-8-1970 को गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

जैसा कि सदन को विदित है कि हमारे यहां कई संघ राज्य क्षेत्र हैं । उनमें से किसी को राज्य का दर्जा देने के बारे में विचार करते समय, किसी निश्चय पर पहुंचने से पूर्व, इन तथ्यों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना होता है जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या, भूभाग, आर्थिक विकास का स्तर, वित्तीय साधन और सुरक्षा विषयक बातें यदि कोई हों । यह प्रश्न हमारे सामने बराबर रहा है कि क्या मनीपुर को राज्य बनाया जा सकता है । किसी दृढ़ निश्चय पर पहुँचने में सरकार को कुछ समय लगेगा ।

Delimitations of Constituencies on the Basis of Census

*359. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that census is held every ten years in the country ;

(b) whether it is also a fact that Central and State Legislature Constituencies are delimited on the basis of such census ;

(c) if so, when these Constituencies are likely to be delimited in future ?

(c) whether it is further a fact that in Rajasthan Constituencies, which have Scheduled Caste population in majority, continue to be treated as 'General' ; and

(e) if so, the reasons therefore and the basis on which the Constituency of Kota, Rajasthan, in particular has been treated as 'General' ?

The Minister of State in the Ministry of Law and the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Yes, Sir. Under Artical 82 and 170(3) of the Constitution, the allocation of seats in the House of the People and in the State Legislative Assemblies and their delimitation into territorial constituencies shall be readjusted upon the completion of each census by such authority and in such manner as Parliament may by law determine. Accordingly, the Parliamentary and Assembly Constituencies will be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine upon completion of the next Census.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

चौथी योजना में औद्योगिक उत्पादन

*360. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की प्रवृत्ति कैसी रही और यह गत वर्ष की तुलना में कैसी है ;

(ख) प्रमुख उद्योगों के उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ;

(ग) क्या समूचे रूप में यह कार्य चौथी योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चल रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1970 की प्रथम तिमाही में 1969 की इसी अवधि की उपेक्षा उत्पादन में बहुत कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) उत्पादन आंकड़े परिणाम के अनुसार रखे जाते हैं न कि मूल्य के अनुसार। मूल उद्योगों की मात्रा वार वृद्धि अथवा कमी संलग्न विवरण में दी गई है। **ग्रंथालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—3928/70]

(ग) और (घ). चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की निर्धारित। अनुमानित मांग सम्पूर्ण योजना काल के लिए दी गई है, अतः 1969-70 के उत्पादन की निर्धारित/ अनुमानित मांग की तुलना करने का कोई आधार नहीं है। फिर भी, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लगभग 9 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर की अपेक्षा चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम 11 महीनों में औद्योगिक उत्पादन में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तेजी से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—3928/70]

दिल्ली और नई दिल्ली में महिलाओं और युवतियों में अनैतिक पणन

2201. **श्री चंद्र शेखर सिंह :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और नई दिल्ली की बड़ी-बड़ी बस्तियों में सफलतापूर्वक छापे मार कर महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक पणन में लगे हुए अनेक पुरुषों तथा महिलाओं को गिरफ्तार किया है ;

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है और उन्हें कहां से गिरफ्तार किया गया और क्या उनके चालान अदालतों में पेश कर दिये गये हैं ;

(ग) क्या पुलिस को ऐसे अन्य स्थानों की जानकारी है, जहां विशेषकर चार-पांच स्टार

वाले होटलों में, युवतियों में अनैतिक पणन मुक्त रूप से किया जाता है ; परन्तु पुलिस वहां छापे मारना नहीं चाहती है, क्योंकि अनैतिक पणन कानून त्रुटिपूर्ण है और किसी भी अभियोग में सफलता नहीं मिल सकेगी ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली की बड़ी-बड़ी बस्तियों में लड़कियों में बढ़ते हुए इस अनैतिक पणन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगंनाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) 1970 में (31 जुलाई, 1970 तक) 47 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे । जिनमें से 15 पर अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए चालान किया जा चुका है । शेष 32 व्यक्तियों के मामलों की जांच की जा रही है ।

गिरफ्तार किये जाने के स्थानों में टैगोर गार्डन, आसफ अली रोड, पहाड़गंज, सब्जी मंडी, सदर बाजार, कृष्ण नगर, अशोक रोड, सरोजिनी नगर, मालवीय नगर, युसुफ सराय, होज खास तथा ग्रेटर कैलाश शामिल हैं ।

(ग) जी नहीं । पुलिस विभिन्न स्थानों में, जिन में होटल भी शामिल हैं, सूचना एकत्रित करती रहती है । जैसे और जब सूचना का सत्यापन हो जाता है, अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है ।

इसे लागू करने की धीमी गति के कारण ये हैं कि स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन अधिकतर ऊंचे इलाकों में होता है । अपराधियों को फांसाने के लिए फंसाने वाले ग्राहकों को लगाना पड़ता है । इज्जतदार व्यक्ति ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं । जो व्यक्ति वेश्यालय चलाते हैं, वे साधारणतया लड़कियों को अपने जानकार ग्राहकों के साथ ही भेजते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि फंसाने वाले ग्राहकों को आसानी से सफलता नहीं मिलती है ।

इसके अतिरिक्त कानून के अनुसार इलाके के इज्जतदार लोगों को ऐसे मामलों में गवाह बनना पड़ता है जिसके लिए वे तैयार नहीं होते हैं । अनैतिक पणन दमन अधिनियम के अधीन जाल फैलाने का अधिकार केवल पुलिस के उप अधीक्षकों को है । चूँकि पुलिस के उप अधीक्षकों की संख्या निरीक्षकों से बहुत कम है और उन्हें अन्य महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है, उन के लिए अनैतिक पणन दमन अधिनियम के अधीन पूरा समय काम करना कठिन है ।

(घ) ऊंचे इलाकों में लड़कियों में अनैतिक पणन को दबाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर छापे मारने के लिए हाल में एक बुराई-निरोधक दल बनाया गया है ।

(2) जिन इलाकों में अनैतिक पणन होता है, उनके बारे में सूचना एकत्रित करने तथा वेश्यापन के लिए स्त्रियां और लड़कियां मुहय्या करने वालों के बारे में सूचना तैयार करने के लिए सूचना देने वाले भेजे जाते हैं ।

(3) बुराई के लिए कुख्यात स्थानों पर पुलिस अधिकारी सादे कपड़े पहन कर विशेष निगरानी करते हैं ।

(4) सूचना एकत्रित करने और सफल छापे मारने में पुलिस की सहायता करने के लिए विभिन्न इलाकों के इज्जतदार व्यक्तियों की सलाहकार समितियां बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

चार्टर प्राप्त लेखापालों द्वारा एक कम्पनी के लेखे की परीक्षा

2202. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोई ऐसी नई प्रथा बनाने जा रही है जिसके अन्तर्गत चार्टर प्राप्त लेखापालों की फर्म किसी एक फर्म के लेखों की एक अथवा दो वर्ष से अधिक लेखा परीक्षा नहीं कर सकेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर और मद्रास में 577 कम्पनियों के लेखों की की गई लेखा-परीक्षा में से 73 कम्पनियों अर्थात अधिकांश कम्पनियों के लेखों की लेखा-परीक्षा लोलाक एण्ड लेविस ने की थी ; और

(ग) प्रस्तावित प्रथा का मुख्य ब्यौरा क्या है और यह कब तक कार्यान्वित कर ली जायेगी ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ग). सदन में दिये गये आश्वासन की दृष्टि से, सम्पूर्ण प्रश्न अभी परिक्षान्तर्गत है ।

(ख) यह आंकड़े, उनके द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप, 10-10-69 के "इकनोमिक टाइम्स" में दिये गये हैं । सरकार अभी तक, लेखा-परीक्षा के संकेन्द्रण से संबंधित सूचना संग्रह कर रही है ; और इन आंकड़ों का सत्यापन जब तक नहीं किया जा सकता तब तक कि सरकार द्वारा इन आंकड़ों का अध्ययन पूर्ण नहीं कर लिया जाता ।

रेलवे माल डिब्बों के न मिलने के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयले का जमा होना

2203. **श्री न० कृ० सांघी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बद्ध क्षेत्र रेलवे द्वारा पहले से निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार रेलवे माल डिब्बों के न मिलने के कारण पश्चिम बंगाल और बिहार में खानों के बाहर कोयले के जमा हो जाने के कारण एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) 1 अप्रैल, 1970 से लेकर आज तक सम्बद्ध प्रत्येक क्षेत्र रेलवे का इस सम्बन्ध में लक्ष्य क्या था और उसने कितने उसने रेलवे माल डिब्बे उपलब्ध किये और नियतन तथा लक्ष्यों के बीच अंतर के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पश्चिम बंगाल और बिहार में खानों के बाहर कोकिंग कोयले के कुछ जमाव के बारे में रिपोर्ट मिली है लेकिन वह मालडिब्बे अलाट न किये जाने के कारण नहीं है बल्कि इस्पात कारखानों और धुलाई कारखानों से कम मांग आने के कारण है ।

खानों के बाहर गैर कोकिंग कोयले की पांच लाख मीटरिक टन की मामूली वृद्धि का मुख्य कारण उत्तर भारत में मांग की कमी और पूर्व और दक्षिण भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति असन्तोषजनक होने से कोयले की धुलाई में कठिनाइयां, रेलपथ, कर्षण, दूर संचार और मालडिब्बों के साजसामान की व्यापक चोरियां और कर्मचारियों का उपद्रव है ।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

दैनिक औसत (चौपहियों के हिसाब से)

उपभोक्ता	रेलवे	लक्ष्य	आवंटन			
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई
इस्पात	पूर्व	670	575	522	463	342
कारखाने	दक्षिण पूर्व	930	920	856	810	774
धुलाई	पूर्व	330	370	316	297	329
कारखाने	दक्षिण पूर्व	570	252	289	294	273
अन्य	पूर्व	3700	4018	3548	3323	3440
	दक्षिण पूर्व	400	359	378	419	310
जोड़	पूर्व	4700	4963	4386	4083	4311
	दक्षिण पूर्व	1900	1531	1524	1523	1357
जोड़		6600	6974	5910	5606	5668

इस्पात कारखानों और धुलाई कारखानों के लिए कम आवंटन का मुख्य कारण यह था कि इस्पात कारखाने अपने आन्तरिक उपद्रवों और अनुमानित से कम उत्पादन होने के कारण अधिक कोयला नहीं उठा सके ।

मई के बाद 'अन्य' को कम कोयला भेजने के कारण इस प्रकार हैं :—कोयला खानों और उनके एजेंटों द्वारा ईंटें पकाने के कोयले के लिए कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित रेलों का अधिक संख्या में रद्द कर दिया जाना, रेलों के लिए कोयले की कम आवश्यकता, मई में दक्षिण रेलवे पर रनिंग कर्मचारियों के उपद्रव के कारण गाड़ियों का सीमित संचलन, जुलाई में दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर कर्मचारियों का उपद्रव और विभिन्न बंधों, गुण्डागर्दी और पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में कर्मचारियों को धमकाने और दुर्व्यवहार की घटनाएं और रेल उपस्करों की बड़ी पैमाने पर चोरियां आदि ।

माल-डिब्बे बनाने वाले उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता

2204. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के माल-डिब्बे बनाने वाले उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता की अत्यधिक प्रतिशतता बेकार पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वैगन-निर्माण उद्योग की पूर्ण क्षमता को उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं। वैगन बनाने का उद्योग वास्तव में चार पहिये के मालगाड़ी के डिब्बों के भुगतान में पिछड़ा हुआ है और उसे अभी 14.453 माल गाड़ी के डिब्बों का भुगतान करना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 12,300 के चार पहियों के मालगाड़ी के डिब्बों के और क्रयादेशों को, जिन्हें शीघ्र ही दिया जाने वाला है, देखते हुए मालगाड़ी के डिब्बों के उद्योग के पास 1970-71 में भुगतान करने के लिए पर्याप्त क्रयादेश हो जायेंगे।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज के अध्यक्ष की अमरीका यात्रा

2205. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून-जुलाई, 1970 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अध्यक्ष ने अमरीका की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों की बिक्री के बारे में कोई करार किया ;

(घ) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और ये ठेके कब तक चलते रहे ; और

(ङ) ठेकों के शीघ्र समाप्त हो जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी के उत्पादों के निर्यात संबर्धन के लिए।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बंगलौर और उनके विदेशों में स्थित प्रतिनिधियों के बीच हुए एजेन्सी समझौते व्यापारिक संविदा के तौर पर हैं। उनके विवरण को स्पष्ट करना उचित नहीं समझा जाता।

Value of Railway Property Stolen on Central Railway

*2206. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of the Railway Property stolen on the Central Railway during the last two years ;

(b) the number of persons arrested in this connection and the number of cases registered ;

(c) the number of persons convicted, the number of persons acquitted and the number of cases in which departmental enquiry was conducted ; and

(d) the number of cases pending with the Courts at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a) Year	Value of property stolen Rupees (in lakhs)
1968	6.66
1969	6.74

(b) Year	Number of	
	Persons arrested	Cases registered
1968	2,235	5643
1969	2,058	4568

(c) Year	Number of persons	
	Convicted	Acquitted
1968	1,732	128
1969	1,709	44

Year	Number of cases in which departmental enquiry conducted
1968	Not available
1969	Not available

(d) Year	Number of cases pending with the Courts
1968	132
1969	98

Value of Railway Property Stolen on North Eastern Railway

*2207. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the value of the Railway property stolen on the North Eastern Railway during the last two years ;

(b) the number of persons arrested in this connection and the number of the cases registered ;

(c) the number of persons convicted, the number of persons acquitted and the number of cases in which departmental enquiry was conducted ; and

(d) the number of cases pending with the courts at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a)	Year	Value (Rs. in lakhs)
	1968	5.86
	1969	5.86

(b)	Year	Number of	
		Persons arrested	Cases registered
	1968	282	4,539
	1969	62	4,535

(c)	Year	Number of persons	
		Convicted	Acquitted
	1968	109	42
	1969	Not available	Not available

	Year	Number of cases in which departmental enquiry was conducted
	1968	33
	1969	1

(d)	Year	Number of cases pending
	1968	29
	1969	104

Value of Railway Property Stolen on Western Railway

*2208. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the value of the Railway property stolen on the Western Railway during the last two years ;

(b) the number of persons arrested in this connection and the number of cases registered ;

(c) the number of persons convicted, the number of persons acquitted and the number of cases in which departmental enquiry was conducted ; and

(d) the number of cases pending with the courts at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a)	Year	Value of property stolen (Rupees in lakhs)
	1968	9.82
	1969	12.28

(b) Year	Number of	
	Persons arrested	Cases registered
1968	1,197	6,706
1969	326	6,272

(c) Year	Number of persons	
	Convicted	Acquitted
1968	970	139
1969	178	36

Year	Number of cases in which departmental enquiry conducted
1968	39
1969	9

(d) Year	Number of cases pending with the Courts
1968	32
1969	29

Railway Accidents on Southern Railway

2209. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of Railway accidents that took place on the Southern Railway since the 1st January, 1967 ;

(b) the total loss in terms of money suffered by the Railway Administration as a result thereof ;

(c) the total number of persons killed and injured in the said accidents ;

(d) the number of accidents that took place due to carelessness of the Railway staff and of those which took place due to technical defects ; and

(e) the number of accidents in respect of which inquiries have been held ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1-1-1967 to 30-6-70 there were 409 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Southern Railway.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 32,87,000/-.

(c) In these accidents 179 persons were killed and 510 injured.

(d) and (e). All the 409 train accidents were inquired into. Two hundred and fifty-six of these cases were due to failure of railway staff and 50 due to failure of railway equipment.

दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण

2210. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ-शासित क्षेत्र दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सर्वेक्षण कार्य के लिए समाज कार्य के दिल्ली स्कूल का सहयोग मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने विकलांगों के लिए कितने गृह खोले हुए हैं और उनमें कुल कितने व्यक्ति हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). दिल्ली में नेत्रहीन व्यक्तियों को छोड़कर अन्य विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क से बातचीत कर रहा है। 1969 में दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क ने राजधानी में नेत्रहीनों सम्बन्धी संस्थाओं का सीमित सर्वेक्षण किया था।

(घ) नेत्रहीन बच्चों के लिए एक स्कूल, जिसमें 30 बच्चे हैं। दिल्ली प्रशासन विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन गैर-आवासीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चला रहा है, जिसमें 127 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

पंजाब में स्वराज्य ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करना

2211. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय यांत्रिकी तथा इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर द्वारा विकसित 20 तथा 30 अश्व शक्ति वाले "स्वराज" ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कारखाने की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से किसी भी रूप में सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार को पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत 20 तथा 30 अश्वशक्ति के "स्वराज" ट्रैक्टर बनाने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में नये उद्योगों की स्थापना

2212. **श्री देवराव पाटिल** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित किये गये उद्योगों की कितनी संख्या है तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह औद्योगिक विकास अनुसूची के अनुसार है ; और

(ग) चतुर्थ योजना की अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने नये उद्योगों की स्थापना करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र सरकार की नई उद्योग की नीति

2213. **श्री देवराव पाटिल** : क्या औद्यगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपनी उद्योग नीति की घोषणा की है जिससे उद्योगपतियों को अनेक प्रकार की छूट मिलेगी ताकि निजी पूंजी को लगाने में प्रोत्साहन मिले और राज्य के अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). बम्बई-थाना तथा पूना-पिम्परी-चिंचवाड़ क्षेत्र जिसमें उद्योगों का पहले ही जमाव है से उद्योगों के बिखराव तथा राज्य के विभिन्न भागों में विकास स्तर की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे उद्योगपतियों को जो कि राज्य के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के इच्छुक हैं कुछ प्रोत्साहन देने की घोषणा की है । इन प्रोत्साहनों का स्वरूप निम्न प्रकार है :

1. अदा किये गये बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज मुक्त ऋण ।
2. औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता ।
3. बिजली दर, चुंगी, पानी दर तथा गैर कृषि सम्पत्ति पर कराधान इत्यादि जैसे कुछ करों के बोझ से राहत ।
4. ऋण के लिए गारन्टी ।
5. व्यावहारिकता अध्ययन की लागत में अंशदान ।
6. उद्योगशाला की लागत में अंशदान ।
7. चक्रानुवर्ती भंडार में से मकान बनाने की सामग्री का ऋण के रूप में अग्रिम सम्भरण ।

8. सरकारी खरीद में वरीयता का प्रयोग ।

9. तकनीकी कर्मचारियों आदि के प्रशिक्षण में सहायता ।

यह प्रोत्साहन देश में संतुलन क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन करने की सरकार की नीति के अनुसार हैं ।

महाराष्ट्र में उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

2214. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महाराष्ट्र राज्य को विभिन्न उद्योगों के विकास करने हेतु ऋण और वित्तीय सहायता के रूप में कितनी अग्रिम राशि दी गई तथा उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके लिए उक्त धन राशि दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कचरे से माल बनाने वाली बिजली की भट्टियां

2215. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कचरे से माल तैयार करने वाली बिजली की कितनी भट्टियां है उनकी निर्धारित क्षमता क्या है ; और उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के अथवा कम्पनियों के क्या नाम हैं जो इन भट्टियों के मालिक हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक भट्ठी में कुल कितना कचरा पिघलाया गया ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक बिजली की भट्टी में तैयार माल का कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). चूंकि फरवरी, 1970 में नई नीति लागू किये जाने तक बिजली की भट्टियों के मालिकों को लाइसेन्स प्राप्त करने या अपने आप को रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं थी (नई नीति के अनुसार ऐसे सभी उद्योगों को जिनकी सम्पत्ति एक करोड़ रुपये से अधिक है अब लाइसेन्स लेना आवश्यक है) और चूंकि उनको प्रयुक्त रद्दी माल और तैयार किये गये सामान के बारे में बताना आवश्यक न था इसलिए इसकी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए देश में बिजली की सभी भट्टियों का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा और इसमें जितना समय और श्रम व्यय होगा उतना लाभ नहीं होगा ।

रेलवे कर्मचारियों के लिए सीमित आरक्षण

2216. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के महीने में नई रेलवे स्टेशन रेलवे के आरक्षण के लिए 5 बजे सुबह से

ही लाइनें लग गई थी और प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों में से केवल कुछ व्यक्तियों के लिए आरक्षण हो सका था ; और

(ख) क्या कारण है कि रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अधिकतर उपलब्ध स्थानों का आरक्षण करा लेने के जनसाधारण को होने वाली परेशानी को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों के लिए किसी भी रेलगाड़ी में तृतीय श्रेणी को छोड़कर प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध स्थान का आरक्षण 10 प्रतिशत तक सीमित नहीं किया जाता है ;

(ग) यदि यह प्रतिशतता अपर्याप्त समझी जाती है तो रेलवे बोर्ड कितना प्रतिशत आवश्यक समझता है और यात्रियों से प्राप्त होने वाली रेलवे आय की तुलना में यह कितना होगा ;

(घ) सरकार के सदस्यों को निःशुल्क यात्रा करने देने से पूर्व उनके लिए यात्रा की न्यूनतम अवधि एक सप्ताह क्यों निश्चित की जाती है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या यह समझा जाता है कि यदि किसी अधिकारी को अपने परिवार से अल्प अवधि के लिए अलग किया जाये तो उसे कठिनाई होगी और यदि नहीं तो यात्रा पर जा रहे अधिकारी के साथ परिवार को जाने देने के लिए क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) यह सही है कि भीड़-भाड़ की अवधि में शायिकाओं और सीटों की संख्या मांग की तुलना में कम होने के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मई के महीने में जब गर्मी के मौसम की भीड़-भाड़ शुरू तो इच्छुक यात्रियों-खास तौर पर मद्रास और बम्बई जाने वाले यात्रियों ने गाड़ियों में स्थान के आरक्षण कराने की आतुरता में आरक्षण शुरू होने से घंटों पहले लाइनें बनायीं ताकि जहां तक सम्भव हो लाइन में आये का स्थान पा सकें लेकिन जो लोग लाइन में पर्याप्त रूप से आगे का स्थान नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें पक्का आरक्षण नहीं मिल सका।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण डाक्स/एक्सप्रेस गाड़ियों पर सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश धारियों द्वारा उपलब्ध स्थान का भारी अनुपात अनुचित रूप से प्राप्त न कर लिया जाये, रेलों ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि भीड़-भाड़ की अवधि में सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेशों पर आरक्षित की जाने वाली शायिकाओं/सीटों की संख्या की सीमा निश्चित होनी चाहिये। इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है और इस बात का निर्णय करने का काम क्षेत्रीय रेल प्रशासनों पर छोड़ दिया गया है कि प्रत्येक गाड़ी के सम्बन्ध में मांग के स्वरूप पर विचार करते हुए उस गाड़ी में कितना स्थान सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश पर आरक्षित किया जा सकता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) दौरे पर जाते समय अपने साथ परिवार ले जाने की सुविधा रेल अधिकारियों को इस बात को ध्यान में रखकर दी जाती है कि यदि वे अपने साथ परिवार ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति देना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जांच और लाइन के निरीक्षण के

दौरान उन्हें लगातार कई दिनों तक छोटे स्टेशनों या ऐसे स्थानों पर रहना पड़ता है जहां रहने और खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं होती ।

Complaint Re : Advertisements Published in Souvenir brought out at the Time of Bombay Session of Congress

2217. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the investigations made so far in regard to the complaint regarding the advertisements particularly about those which do not relate to advertisements at all but have appeard in the Souvenir published at the time of the Bombay Session of Congress held in Decembe, 1969, a copy of which was laid on the Table of the House on the 16th April, 1970 in the course of the discussion on Demands for Grants relating to the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs ?

(b) whether it was also pointed out that a large portion of the amount received in the form of advertisement charges contained illegal donations to a political party ; and

(c) in case no investigations have so far been made, the reasons therefor and the time by which investigations would be made as also the name of the persons entrusted with the job ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c). Steps are being taken for examination of the matter and a statement will be laid on the Table of the House.

इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, गोमिया में हड़ताल

2218. **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री निहाल सिंह :
श्री दिनकर देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, गोमिया में हड़ताल हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) हड़ताल की समस्या का समाधान कैसे किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा एक कर्मचारी को अनुशासन संहिता को भंग करने के आरोप पत्र-सह-निलम्बन पत्र दिये जाने के कारण कर्मचारियों ने 27 मई, 1970 को अकस्मात हड़ताल कर दी ।

(ग) 30 मई, 1970 को सायं 6 बजे हड़ताल बिना शर्त के समाप्त कर दी गई ।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की स्थापना

2219. **श्री मु० अ० खान** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनायें स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है :—

1. पंप तथा कम्प्रेशर परियोजना, इलाहाबाद
2. गैस सिलेंडर परियोजना, इलाहाबाद
3. टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर
4. टेलीफोन उपकरणों का कारखाना, इलाहाबाद

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा करने/विस्तार की व्यवस्था की गई है :—

1. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, इलाहाबाद ।
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (स्टाम्पिग कर्मशाला सहित) हरिद्वार ।
3. कानपुर फर्टिलाइजर (सरकारी शेयर), कानपुर ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स को पूरा करने/विस्तार के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

लाइसेन्स जारी करने के मामले में राष्ट्रीय विकास परिषद को ही एक मात्र नीति निर्धारण संस्था बनाने की मांग

2221. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सहकार ने नई प्रक्रिया का विरोध किया है और मांग की है कि लाइसेन्स जारी करने के मामले में राष्ट्रीय विकास परिषद ही एक मात्र नीति निर्धारण संस्था होनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सम्भवत इसका सम्बन्ध तमिलनाडु के उद्योग मंत्री द्वारा औद्योगिक लाइसेन्स नीति के बारे में दिए गये वक्तव्य से है जो "हिन्दू" समाचार पत्र में दिनांक 2-7-70 को प्रकाशित हुआ है । सरकार को इस मामले की जानकारी है । जहां तक इस मामले में केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक नीति के बारे में राज्यों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं जो विशेषकर इस बात पर निर्भर करता है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से वे किस अवस्था में पहुंच गये हैं । इसमें निहित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए—जिनमें विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता । आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकना । औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों व प्रदेशों का द्रुत विकास और बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार के पूंजी सम्बन्धी संसाधनों को व अन्य रुकावटों को देखते हुए लाइसेंस नीति को नवीन रूप प्रदान करना आदि पहलू शामिल हैं—औद्योगिक विकास व लाइसेन्स की समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करना तथा उनका समाधान करना होता है तथापि नीतियां निर्धारित करने तथा लाइसेंस देने में राज्य सरकारों के विचारों का हमेशा ही उचित ध्यान रखा जाता है ।

खैतान बन्धुओं द्वारा विशाखापत्तनम में इस्पात के ड्रमों का निर्माण

2222. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री योगेंद्र शर्मा :
श्री जनार्दनन :
डा० रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास** तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खैतान बन्धुओं को विशाखापत्तनम में इस्पात के ड्रमों का निर्माण करने के लिए एक नया कारखाना खोलने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : हिन्द कनटेनर (प्रा०) लिमिटेड नामक कम्पनी ने जिसके निदेशकों में सर्व श्री ए०के० खैतान और एल० के० खैतान भी हैं, आँध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में विट्टमन ड्रमों का उत्पादन करने के लिए छोटे पैमाने का कारखाना लगाया है । एकक लघु उद्योग क्षेत्र में होने के कारण उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की परिधि में नहीं आता । एकल को आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग निदेशक द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र दिया गया था । आँध्र प्रदेश सरकार से यह भी सुनिश्चय कर लिया गया है कि चूंकि इस मामले में कच्चे माल की पूर्ति उपभोक्ता तेल कम्पनियों द्वारा की जानी है तथा इस प्रकार का अन्य कोई एकक उस राज्य में कार्य नहीं कर रहा है अतः इस एकक की स्थापित करने की अनुमति दी गई है ।

खैतान ब्रादर्स द्वारा इस्पात की चोर बाजारी

2223. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री योगेंद्र शर्मा :
श्री जनार्दनन :
डा० रानेन सेन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खैतान ब्रादर्स के विरुद्ध इस्पात में चोर बाजारी करने, आय छुपाने तथा अन्य अनेक प्रकार के कदाचारों का आरोप लगाया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में न्यायालयों में कुछ मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रांसीसी सहयोग से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रेक्टर कारखाने की स्थापना

2224. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी सहयोग से राज्य में ट्रेक्टर कारखाने की स्थापना करने के लिए राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के आवेदन-पत्र पर सरकार ने निर्णय ले लिया है ; और

(ख) क्या ट्रेक्टर कारखानों की स्थापना करने के लिए कुछ अन्य राज्यों को अभी हाल में अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) राजस्थान राज्य कृषि तथा उद्योग निगम का आवेदन अभी विचाराधीन है ।

(ख) केवल एक मात्र और राज्य निगम जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है वह है पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम । इसका आवेदन भी विचाराधीन है ।

चौथी पंच-वर्षीय योजना में बाल कल्याण कार्यक्रम

2225. **श्री अदिचन :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री झारखण्डे राय :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री जनार्दनन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बाल-कल्याण कार्यक्रम की मुख्य बातें तथा उसके लिए चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में किया गया आवंटन नीचे दिया गया है :

(रुपये करोड़ की राशियों में)

कार्यक्रम	आवंटन
1. परिवार तथा बाल कल्याण कार्यक्रम (केन्द्रीय योजना)	7.00
2. 3-5 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल-पूर्व बच्चों के लिये पोषाहार कार्यक्रम ।	6.00
3. व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना) ।	6.00
4. निराश्रित बच्चों के लिये कल्याण कार्यक्रम (केन्द्रीय योजना) ।	2.00
5. स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अन्य कार्यक्रम, जिनमें बाल कल्याण सेवाओं को मुख्यतया शामिल किया गया है (केन्द्रीय योजना) ।	6.00

बाल कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

2226. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री इसहाक सम्भली : **श्री चंद्र शेखर सिंह :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कल्याण कार्यक्रय के कार्यान्वयन हेतु देश में पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बाल कल्याण कार्यक्रम के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). बाल कल्याण कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं का अब तक कोई अंदाजा नहीं लगाया गया है, यद्यपि "बच्चों के लिये एक कार्यक्रम" से सम्बद्ध समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन आवश्यकताओं के बारे में संकेत किये हैं।

सरकार की वित्तीय सहायता से बाल कल्याण की भारतीय परिषद द्वारा चलाये जाने वाले इस समय 11 बाल सेविका प्रशिक्षण केन्द्र हैं। उनके अतिरिक्त परिवार तथा बाल कल्याण कार्यक्रम के लिये क्षेत्र कार्यकर्ताओं और सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले 6 परिवार और बाल कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

अनैतिक कार्य के आरोप में नई दिल्ली में गिरफ्तारियां

2227. **श्री राम चरण :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अनैतिक कार्य के अपराध में 20 जून, 1970 को नई दिल्ली में आसफ अली मार्ग पर एक होटल से तीन शिक्षित नवयुवतियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि तीन व्यक्ति भी हिरासत में लिये गये थे, जिनमें से दो होटल के कर्मचारी और एक दलाल था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में जिन व्यक्तियों का हाथ था उनका पूर्ववृत्त क्या है और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली पुलिस की सी०आई०डी० अपराध ब्रांच ने 19 जून, 1970 को तीन स्त्रियों को गिरफ्तार किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) बताया गया है कि इस मामले में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और उचित संवीक्षा के बाद चालान शीघ्र ही अदालत में पेश किये जायेंगे। इस मामले में फंसे व्यक्तियों की तफसील दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. ओवेराय इन्टरकांटिनेंटल होटल में एक बावर्ची की पत्नी।

2. ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज में एक मैकेनिक की पत्नी ।

3. लगभग 24 वर्षीय एक स्त्री जो कानपुर के एक वकील की पत्नी होने का दावा करती है (सत्यापित किया जाना है) ।

4. सी०पी०डबल्यू०डी० का एक निम्न श्रेणी लिपिक, जो अनैतिक प्रयोजनों के लिए लड़कियां मुहय्या करने वाला बताया जाता है ।

5. एक होटल का स्वागती, जिसने अनैतिक प्रयोजनों के लिये होटल के कमरे को किराये पर देना स्वीकार किया था ।

6. होटल का एक बैरा, जिस का इस मामले में हाथ बताया जाता है ।

इण्डियन एक्सप्रेस समाचार-पत्र समूह के स्वामित्व वाली कम्पनियों के पास जमा सार्वजनिक धन

2228. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह के स्वायित्व वाली कम्पनियों के पास सार्वजनिक जमा रकम की कुल राशि क्या है ;

(ख) कम्पनियों की अभिदत्त पूंजी क्या है ;

(ग) कम्पनियों की कुल आस्तियां क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार आश्वस्त है कि इन कम्पनियों के पास जमा सार्वजनिक धन सुरक्षित है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रबुमाय रेड्डी) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मिरजापुर स्थित सीमेंट कारखाने को एक खराब क्रशर खरीदने के कारण हुई हानि

2229. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 11.40 करोड़ रुपये की लागत से बनाये गये मिरजापुर जिले के डल्ला में स्थित प्रतिष्ठा प्राप्त सीमेंट का कारखाना घाटे में चल रहा हैं क्योंकि जो दक्रित्र यंत्र 44 लाख रुपये में खरीदा गया था वह ठीक से काम नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके चालू किये जाने में दो साल का विलम्ब हो गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिदिन 30,000 रुपये की हानि उठा रही है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार से सलाह मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार किस प्रकार से राज्य सरकार की सहायता करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार को पता चला है कि क्रशिंग संयंत्र का उत्पादन निर्धारित क्षमता से बहुत कम हो रहा है तथा उत्तर प्रदेश सरकार निर्धारित क्षमता तक उत्पादन ले जाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर विचार कर रही है ।

(ख) जी, हां । एक वर्ष और पाँच महीने ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई इस्पात वितरण नीति का लोहे तथा इस्पात के व्यापार पर प्रभाव

2230. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री देविंदर सिंह गार्चा :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई इस्पात वितरण नीति से लोहे तथा इस्पात के व्यापार में खलबली पैदा हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ता को बहुत अधिक कठिनाई होने के अलावा इससे इस व्यापार में काफी समय से लगे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई नीति के अनुसार लगभग सारा इस्पात उपभोक्ता को उत्पादक के स्टाकयार्ड से सप्लाई किया जायेगा जोकि बड़े शहरों में अथवा उनके आसपास ही स्थित है जिसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई होगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कुछ व्यापारियों और स्टाकिस्टों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि उन्हें लोहा और इस्पात के वितरण में अधिक भाग मिलना चाहिये ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । संशोधित नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपलब्ध इस्पात वास्तविक प्राथमिकता-प्राप्त उपभोक्ता को यथासम्भव अधिकतम मात्रा में मिल सके ।

(घ) ऊपर भाग (ख) और (ग) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

काश्मीर में घड़ियां बनाने का कारखाना

2231. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन :
श्री मयावन :
श्री दण्डपाणि :
श्री देविंदर सिंह गार्चा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के बनाने का एक नया कारखाना खोलने तथा बंगलौर एकक में उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया है ताकि घड़ियों के लिए बढ़ती हुई आंतरिक मांग को पूरा किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस नये कारखाने के लिए श्रीनगर को ही चुनने के क्या कारण हैं ;

(घ) देश में घड़ियों की मांग की तुलना में इनका उत्पादन कितना है ;

(ङ) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ियां बनाने का एक अन्य कारखाना खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ।

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) काश्मीर में प्रस्तावित कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 3 लाख घड़ियां तथा बंगलौर में विस्तार करने पर दिन दिनांक सहित स्वचालित पुरुष घड़ियों के उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 2 लाख घड़ियां रखा गया है ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य का विकास करने के प्रयत्न स्वरूप सरकार ने निश्चय किया है कि श्रीनगर के निकट जैनाकोठ में एच० एम० टी० की घड़ी परियोजना स्थापित की जाए ।

(घ) आजकल घड़ियों का वार्षिक उत्पादन 5 लाख से कम है, वर्तमान मांग का अनुमान 35 लाख घड़ियों का लगाया है जो चतुर्थ योजना अवधि तक प्रतिवर्ष बढ़कर 45 लाख तक हो सकता है ।

(ङ) और (च). गुजरात, तमिलनाडु तथा मैसूर में घड़ियों के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने तथा घड़ियों को समायोजित करने के लिये आगे कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ।

तामिलनाडु के उद्योग मन्त्री द्वारा औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की आलोचना

2232. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तामिलनाडु के उद्योग मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर जो उन्होंने 30 जून, 1970 को मद्रास में हिन्दुस्तान वाणिज्य मण्डल के 29वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए किया था ; सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित किये गये औद्योगिक लाइसेंस तथा विकास कार्य के संबंध में राज्य सरकारों के साथ केन्द्रीय सरकार जो प्रभुत्व की नीति चलाती है, राज्य सरकार उसका सख्त विरोध करेंगी ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उनके इस कथन की ओर भी आकर्षित हुआ है कि लाइसेंसों की जांच में केन्द्रीय सरकार अनावश्यक विलम्ब करती है ; और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को तूतीकोरीन जैसी कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). औद्योगिक लाइसेंसीकरण तथा लाइसेंसों के लिये आवेदनों के निपटान में केंद्रीय सरकार की भूमिका सम्बन्धी तमिलनाडु सरकार के उद्योग मंत्री का समाचारपत्रों में प्रकाशित वक्तव्य सरकार के ध्यान में आया है ।

(ग) योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों तथा इससे सम्बद्ध सभी हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की घोषणा की है । इह नीति के अनुसार कुछ शर्तों के अधीन उद्योग-पतियों को 1 करोड़ रुपये की लागत तक के कारखानों को लगाने, तथा 1 करोड़ रुपये तक के पर्याप्त विस्तार करने, (किन्तु विस्तार समेत कुल क्षमता 5 करोड़ रुपये तक हो) तथा लाइसेंस प्राप्त । पंजीकृत क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में विविधता लाने की स्वतन्त्रता है अब यह राज्य सरकारों का काम है कि वह अपने अपने राज्यों में उद्योगों को प्रोत्साहित तथा आकृष्ट करें। इसमें निहित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये—जिनमें विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता/आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों व प्रदेशों का द्रुत विकास और बाहरी तथा भीतरी दोनों प्रकार के पूंजी संबधी संसाधनों को व अन्य रूकावटों को देखते हुए लाइसेंस नीति को नवीन रूप प्रदान करना आदि पहलू शामिल हैं—औद्योगिक विकास व लाइसेंस की समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करना तथा उनका समाधान करना होता है ।

औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया को सुप्तवही बनाने के लिये पग उठाए गए हैं । इन आवेदनों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों के निपटान

की प्रगति समय समय पर समीक्षा की जाती है । आवेदनों के निपटान में और शीघ्रता लाने के लिए प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के और पग भी विचाराधीन हैं ।

कागज उद्योग के बारे में गोष्ठी

2233. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री वी० नरसिम्हा राव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में जून, 1970 में कागज के उद्योग के संबंध में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि गोष्ठी में सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि अल्पकाल में कागज की कमी की पूर्ति करने के लिए एक वर्ष का जोरदार कार्यक्रम चलाया जाये ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि मूल्य नियन्त्रण और लाइसेंस की छूट खत्म किये जाने के बावजूद भी कागज उद्योग की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है ;

(च) क्या सरकार ने उसके कारणों का सही पता लगाया है ; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) गोष्ठी के मुख्य निष्कर्षों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार ने पहले ही कागज की मिलों से अपने प्रस्ताव भेजने का निवेदन किया है और सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । इस बीच इन प्रस्तावों की जांच करने और अग्रेतर कार्यवाही के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक समिति बना दी गई है ।

(ङ) कागज उद्योग में उत्पादन-क्षमता का विस्तार आशा के अनुसार नहीं हुआ है ।

(च) और (छ). कागज उद्योग स्वभावत: पूंजी प्रधान है और उससे लाभ होने में लगभग 4 से लेकर 5 वर्षों तक का लम्बा समय लग जाता है । गत वर्षों में इस उद्योग में कोई खास नयी पूंजी नहीं लगाई गई क्योंकि इससे लाभ की मात्रा अपेक्षाकृत कम मानी जाती है ।

विवरण

1. **वित्तीय आवश्यकतायें :**

(1) कागज संबंधी विकास परिषद ने चतुर्थ योजना के लिए 10.3 लाख मी० टन

कागज और गत्ते के जिस लक्ष्य की सिफारिश की थी और जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया था वह वास्तविकता के आधार पर तैयार किया गया। कागज उद्योग ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रयास किये हैं।

(2) अगले 6 या 7 वर्षों में लगभग 5 लाख मी० टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का निर्माण करने में लगभग 325 करोड़ रु० की पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी। इसमें से लगभग 65 करोड़ रु० की पूंजी सरकारी क्षेत्र में लगाई जायेगी। इस प्रकार लगभग 260 करोड़ रुपये की पूंजी शेष बचेगी जिसकी व्यवस्था गैर-सरकारी क्षेत्र के द्वारा की जायेगी।

(3) गत 2 वर्षों में मूल्यों के बढ़ाने के बाद इस उद्योग में लाभ की मात्रा कुछ सीमा तक बढ़ गई है फिर भी भारत में कागज के मूल्य प्रायः दुनियां में सबसे कम हैं। तथा इस लाभ की मात्रा को और अधिक बढ़ाना होगा ताकि इस उद्योग में और नई पूँजी लगाने के लिये लोग आकर्षित हों।

(4) 1968 में प्रशुल्क आयोग ने कागज के मूल्य निश्चित करते समय लगाई गई पूंजी पर 12 प्रतिशत लाभ की व्यवस्था की थी। उस समय ब्याज की दरें लगभग $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक थीं। तब से ब्याज की दर लगभग 9 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सोचा गया कि लगायी गई पूंजी पर करों का भुगतान करने के बाद 15 से 16 प्रतिशत तक के लाभ की दर पर्याप्त होगी।

(5) कागज उद्योग अत्यधिक पूंजी प्रधान उद्योग है और 1 रुपये के पूँजी विनियोजन से कुल राजस्व के रूप में मुश्किल से 50 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। अतः समान पूंजी और ऋण के अनुपात के संबंध में एक लचीली नीति अपनानी होती है यह सुझाव पूरी तरह से संभव नहीं समझा गया कि ऋण और सामान्य पूंजी के वर्तमान 2 : 1 अनुपात को बढ़ाकर 3 : 1 कर दिया जाये।

2. **मशीनों व विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें :**

1. देश में लुगदी और कागज के उद्योग के दीर्घकालीन विकास के हित में आवश्यक संयंत्र और उपकरण देश में ही बनाये जाने चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कागज मिलों को चाहिये कि वे संयंत्र और मशीनों की अपनी आवश्यकताओं के लिये आर्डर देसी निर्माताओं को ही दें। यह निर्माता देश के अन्दर जो कुछ मशीनों का निर्माण कर सकते हैं उनकी सप्लाई करेंगे। जो पुर्जे और उपकरण इस समय देश में नहीं बनाए जा सकते उनके आयात के लिये लाइसेंस मशीनों के निर्माताओं को ही दिये जायेंगे, कागज की मिलों को नहीं। इस प्रक्रिया से देश में मशीनों के निर्माण की दिशा में होने वाली प्रगति का बराबर पुनरीक्षण किया जा सकेगा और इसे इस दिशा में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की प्राप्ति जल्दी हो सकेगी।

2. जबकि सामान्यतः सरकार इसे सहमत हो गई थी कि गूदा और कागज की मिलों की मशीनें इस उद्योग के दीर्घकालीन हित में देश में ही बननी चाहिये। यह सुझाव दिया गया कि इस सम्पूर्ण विषय का सावधानी पूर्वक और आगे अध्ययन किया जाना चाहिये। इस काम के लिये

यह सिफारिश की गई कि एक समिति स्थापित की जानी चाहिये जिसमें कागज उद्योग, कागज की मिलों की मशीनों के निर्माताओं और सम्बन्धित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हों ।

5. **उत्पादन बढ़ाने के लिये क्रैश कार्यक्रम :**

1. कागज की सप्लाई के संबंध में जल्दी ही संकट उत्पन्न हो सकता है । इस समस्या को सुलझाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम की आवश्यकता है ।

2. प्रत्येक मिल को चाहिए कि वह अपने यहां कुछ तकनीकी सुधार करके तथा आवश्यक बैलेंसिंग उपकरणों की व्यवस्था करके अगले बारह महीनों में कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें । इसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं तथा पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का हिसाब सावधानीपूर्वक लगाया जाना चाहिए । प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रस्तुत किये गए कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए एक छोटी उप समिति बनायी जानी चाहिए । इस समिति में कागज की मिलों, कागज की मिलों की मशीनों के निर्माताओं, तकनीकी विकास के महानिदेशालय और सरकार के प्रतिनिधि हों । यह समिति आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मिलों का निरीक्षण भी करेगी । समिति की रिपोर्ट अगले डेढ़ महीने के अन्दर प्रस्तुत हो जानी चाहिए ताकि सरकार लाइसेंस समिति, उपभोक्ता वस्तु समिति और वित्तीय संस्थाओं से निकासी के बारे में अन्तिम निर्णय ले सकें ।

3. कागज मिलों को इस बात की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में या मूल्यांकन समिति के दौरे के संबंध में औपचारिक रूप से उन्हें कुछ लिखकर भेजेगी, बल्कि उन्हें आवश्यक आँकड़े तुरन्त दे देने चाहिए ।

4. प्रक्रिया संबंधी विलम्ब न हो ऐसी कोशिश करनी चाहिये और निर्णय शीघ्र लेने चाहिए ।

5. क्रैश आन्दोलन की क्रियान्विति के लिए शीघ्र ही वित्त उपलब्ध करना चाहिए और वित्तीय संस्थाओं को इस क्रैश कार्यक्रम से संबंधित जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो उस पर उन्हें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ।

6. चूंकि इस क्रैश कार्यक्रम की सफलता के लिए समय की बात सबसे महत्वपूर्ण है, यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिन बैलेंसिंग उपकरणों के आयात के लिए अनुमति दी जानी है, उनके बारे में निर्णय करते समय नरम रूख अपनाया जाये । यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि देशी निर्माताओं से मशीनें मिलने में देर हो तो उनके आयात के लिए अनुमति दी जायेगी ताकि लगभग अगले बारह महीनों में अतिरिक्त उत्पादन हो सके ।

इस्पात का आयात तथा निर्यात

2234. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इसहाक सम्मली : **श्री लताफत अली खां :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में आयात किए गए इस्पात की मात्रा और मूल्य क्या है ; और

(ख) चालू वर्ष में निर्यात किए जाने वाले इस्पात की मात्रा तथा मूल्य क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1969-70 में 424,123 टन इस्पात का आयात किया गया जिसका मूल्य 71.25 करोड़ रुपये था।

(ख) वर्ष 1970 के लिए निर्यात के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए है।

जंजीर खींच कर मद्रास-कोचीन मेल गाड़ी का रोका जाना

2235. **श्री चंद्रशेखर सिंह :** **श्री आदिचन :**
श्री जनार्दनन : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मई, 1970 को मद्रास-कोचीन मेल संख्या 19 के प्रथम श्रेणी कक्ष संख्या डब्ल्यू० एफ० सी० 5899 में सफर कर रही एक महिला द्वारा जंजीर खींचे जाने के कारण वाणियावाड़ी बाह्य सिगनल पर गाड़ी रोकी गई थी ;

(ख) जंजीर खींचे जाने के कारण कितनी बार रेलगाड़ी रुकी और क्या महिला यात्री द्वारा जंजीर खींचे जाने के कारणों का सम्बद्ध प्राधिकारियों ने पता किया और इसको रिकार्ड किया ;

(ग) उस महिला के सह-यात्री कौन-कौन थे और क्या प्राधिकारियों द्वारा इस घटना का एवं उससे गाड़ी के पहुंचने में हुई देरी के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हाँ। डिब्बा नम्बर डब्ल्यू० एफ० सी० 5898 से जंजीर खींची गयी थी न कि 5899 से।

(ख) जंजीर खींचे जानें के कारण गाड़ी दो बार रोकी गई थी। गाड़ी के गार्ड ने महिला यात्री से जंजीर खींचने का का कारण पूछा था लेकिन उसने कोई कारण नहीं बताया। वह महिलाओं के कक्ष में जाना चाहती थी और तदनुसार उसे वहां जगह दे दी गई।

(ग) और (घ). उसके साथ उसी डिब्बे में निम्नलिखित यात्री यात्रा कर रहे थे :—

(2) उसका पुत्र श्री माशी, आयु 17 वर्ष,

(2) सूबेदार एस० एस० आचारी,

(3) श्री कृष्णामूर्ति, डी० ओ० एस० ओल्लवकोट।

डी० ओ० एस० ओल्लवकोट उस समय डिब्बे में नहीं थे जब जंजीर खींची गई थी क्योंकि इससे पहले जब गाड़ी वानियंवाडि सिनगल पर रुक गई थी तब वह उसके ठहरने के कारण का पता लगाने के लिए चले गये थे। गाड़ी के गार्ड ने महिला यात्री से उस घटना के

बारे में पूछ-ताछ की थी जिसके कारण गाड़ी को विलम्ब हुआ था और उस पूछ-ताछ का परिणाम भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है ।

एरणा लम से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी लाइन बनाना

2236. **श्री जनार्दनन :** **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री बासुदेवन नायर : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री अदिचन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी लाइन बनाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित काम की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) बड़ी लाइन बनाने का कार्य आरम्भ होने की आशा है ;

(घ) उसके पूरा होने में कितना व्यय होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) एर्णाकुलम-क्विलन-त्रिवेन्द्रम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है ।

(ख) 221 किलोमीटर लम्बे इस खण्ड के आमान परिवर्तन, पर लगभग 13.60 करोड़ (सकल) की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) और (घ). जांच पूरी होने के बाद इस खण्ड के आमान-परिवर्तन के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जाएगा ।

रेलवे में भूतपूर्व अनाज दुकान स्टाफ की वरिष्ठता का पुनः स्थापन

2237. **श्री जनार्दनन :** **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व अनाज दुकान के स्टाफ की वरिष्ठता के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने 2 नवम्बर, 1957 और 15 जनवरी, 1961 की संसूचना संख्या ई० (एन० जी०)-57 आई० ई० 1/17 तथा 7 अप्रैल, 1962 की संसूचना संख्या एफ० (एन० जी०)-61 आई० ई० 1/47 में जो आदेश जारी किये थे, 3 फरवरी, 1967 को मद्रास उच्च न्यायालय ने 1965 में दर्ज की गई रिट याचिका संख्या 3110 पर अपने निर्णय द्वारा उसे रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन भूतपूर्व अनाज दुकान स्टाफ की वरिष्ठता का पुनः स्थापन करने के लिए क्या आदेश जारी किये गये हैं ;

(ग) क्या ये आदेश सभी रेलवे पर लागू होते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) से (घ). फरवरी, 1967 में रेलों पर अनाज की दुकानों के भूतपूर्व कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण की विनियमित करने वाले आदेशों को मद्रास उच्च न्यायालय के एकल जज ने खंडित कर दिया था। लेकिन, दक्षिण रेल प्रशासन द्वारा अपील दायर किये जाने पर मद्रास उच्च न्यायालय के खंड पीठ ने जुलाई, 969 में एकल जज के आदेशों को रद्द कर दिया।

लघु उद्योगों को किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई

2238. **श्री जनार्दनन :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री इसहाक सम्मली : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने लघु उद्योगों को किराया-खरीद के आधार पर मशीनें सप्लाई करने के बारे में अपनी शर्तों को उदार बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) 15 मई, 1970 से किराया-खरीद की शर्तों और उपबन्धों में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :

(1) बयाने की राशि (जो 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हुआ करती थी) अब सभी मामलों में देशीय मशीनों के लिये 10 प्रतिशत और आयातित मशीनों के लिये 5 प्रतिशत होगी। देशीय मशीनों का 5 प्रतिशत बयाना नकद होगा और 5 प्रतिशत बैंक गारन्टी के रूप में होगा।

(2) प्रबन्धकीय खर्चे (जो कि 5 प्रतिशत हुआ करते थे) अब 2 प्रतिशत होंगे।

(3) बिल्टी छुड़ाने के खर्चे (जो पहले 3½ प्रतिशत हुआ करते थे) अब वास्तविक खर्चे के अनुसार होंगे।

कोडक फिल्म कम्पनी द्वारा रंगीन फिल्मों का निर्माण

223. **श्री जनार्दनन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री हो० ना० मुकर्जी : **श्री नंजा गौडर :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडक फिल्म कम्पनी ने भारत में रंगीन फिल्मों के निर्माण के लिये सहयोग के दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री(श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, भारत में रंगीन पोजेटिव फ़िल्म के उत्पादन के लिए किसी उपयुक्त विदेशी सहयोगी की खोज में है। मैसर्स कोडक्स भी उन कम्पनियों में से एक है जिनसे बातचीत की गई थी किन्तु उन्होंने अभी कोई निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये हैं। इनके साथ सहयोग की पूर्वापेक्षा सभाव्यता अध्ययन है जो कि अभी तक नहीं किया गया है। उनसे प्राप्त सहयोग को प्रारम्भिक पेशकश अन्य पार्टियों से प्राप्त पेशकशों के साथ सरकार से विचाराधीन है।

भारत के उच्च स्तरीय दल द्वारा रूस का दौरा

2240. **डा० रानेन सेन :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री जनार्दनन : **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चस्तरीय भारतीय दल हाल में मास्को गया था और बोकारों इस्पात कारखाने के विकास कार्यों के सम्बन्ध में रूस के अधिकारियों से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरों के, जो बोकारो इस्पात कारखाने का 4 मिलियन टन क्षमता तक विस्तार करने के लिए प्रमुख परामर्शदाता है, इंजीनियरों का एक दल जुलाई, 1970 के मध्य में मास्को गया था। इस दौरे का उद्देश्य कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के अनुसार लगाई जाने वाली विभिन्न इकाइयों के रूपांकन और औद्योगिक आवश्यकताओं के बारे में रूसी रूपांकन संगठनों से विचार विमर्श करना था। बोकारो इस्पात कारखाने और भारी इंजीनियरी निगम के कुछ इंजीनियर भी इस दल के साथ गये थे। मास्को में बोकारो इस्पात कारखाने के लिए रूस द्वारा तैयार की गई और सरकार द्वारा मार्च, 1966 में स्वीकृत की गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के बारे में मुख्यतः तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करना था। इस बातचीत के दौरान यह मान लिया गया कि विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की रूप रेखा के अन्तर्गत मितव्ययिता और प्रौद्योगिक कारणों से परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो विस्तार योजना के अन्तर्गत लगाई जाने वाली इंकाइयों का विस्तृत रूपांकन करने के लिये केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यरो की सहायता हेतु रूसी विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति किये जाएंगे।

प्राइम इस्पात का निर्यात

2241. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जनार्दनन :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 'प्राइम' इस्पात के निर्यात को कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ने यह मत व्यक्त किया है अगर प्राइम इस्पात का निर्यात इस प्रकार कम कर दिया जाएगा तो, विदेशों में इन उत्पादों के लिए मण्डियां खो बैठेंगे ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तिम निर्णय के लिए मामला मंत्रिमंडल को सौंपा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले पर मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार निर्यात के सम्बन्ध में एक विनियमन-नीति का पालन कर रही है ताकि देशीय माँग की पूर्ति और यथासंभव अधिकतम निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने में ठीक संतुलन स्थापित किया जा सके ।

(ख) से (घ). नीति बनाने से पूर्व सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श किया जाता है और उपयुक्त स्तर पर निर्णय किये जाते हैं ।

Expansion Capacity of Industrial Establishments

2242. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Industrial Development and Internal Trabe be please to state :

(a) whether it is a fact that there are several industrial establishments in the country which are in a position to increase their production Manifold only by incurring small expenditure on their expension but Government have not permitted them to do so ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the manner in which Government propose to make up the shortage in production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). Government has always been alive to the need for maximum utilisation of existing plant and machinery in order to increase production to the maximum extent with the least possible additional capital outlay. From October, 1966 Government has permitted industrial undertaking to increase their production to the extent of 25% over licensed capacity in the same line of manufacture, provided no additional capital outlay is involved except for marginal indigenous balancing equipment and subject to certain other conditions. Similarly, undertakings were allowed to diversify their production into new articles of manufacture to the extent of 25% of their licensed capacity (by value). The facility to increase production by 25% in the same line of manufacture is being

continued under the new licensing policy also ; the facility for diversification is also being continued, subject to such re-definition as has become necessary consequent on the recognition in the new policy of the need to prevent concentration of economic power. Many undertakings have in the past taken advantage of these facilities to increase production wherever pessible. Such diversification as has been effected in the past but would require a licence under the new policy will also be regularised if they apply for a licence. The categories of cases where diversification without a licence is not permissible are not precluded from making applications for licences which will be considered on the merits of each case. Besides, Government has also permitted substantial expansion of undertakings without a licence to the extent of Rs. 1 crore (by value of fixed assets), so long as the total value of fixed assets after expansion does not exceed Rs. 5 crores and subject to certain other conditions. Government, therefore, consider that adequate liberalisation has been made in the licensing policy in order to maximise production with existing plant and machinery as also to enable expansion of undertakings, and thereby meet possible shortages in the economy.

बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियाँ

2243. **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री योगेंद्र शर्मा :
श्री झारखण्डे राय :
श्री रवि राय :
श्री के० रमानी :

क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में समवाय-कार्य विभाग के अनुसंधान तथा साँख्यिकी प्रभाग द्वारा किए गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि 1964-68 के दौरान देश के 20 बड़े औद्योगिक गृहों ने अपनी आस्तियों में 54 प्रतिशत की वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक औद्योगिक-गृह द्वारा की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सर्वेक्षण से यह भी पता लगा है कि अन्य 10 औद्योगिक-गृहों ने भी अपनी आस्तियों में वृद्धि को है ताकि उन का नाम भी बड़े औद्योगिक-गृहों की सूची में आ जाए ; और

(घ) यदि हां, तो ये औद्योगिक-गृह कौन-कौन से है और इस अवधि में उन की आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वृहदतर औद्योगिक गृहों की पारिसम्पतियां, 1963-64 में, 1780 करोड़ रु० की राशि थी । इस विभाग के अन्वेषण एवं सांख्यकीय प्रभाग में किये गये अध्ययन के अनुसार, अपनी रिपोर्ट में दत्त कमेटी द्वारा दिखाई गई संरचना के आधार पर, इन 20 वृहद्तर औद्योगिक गृहों की परिसम्पतियां 54% बढ़कर, 1967-68 में 2752 करोड़ रुपये हो गई ।

(ख) विवरण-पत्र (1) संलग्न है ।

(ग) इस अध्ययन के अनुसार, दत्त कमेटी द्वारा धारण की गई औद्योगिक गृहों की संरचना के आधार पर. दस और ऐसे औद्योगिक गृह थे, जिनमें से प्रत्येक की परिसम्पतियां, 1967-68 में, 35 करोड़ रुपयों से अधिक थी ।

(घ) विवरण-पत्र (2) संलग्न है ।

विवरण

1963-64—1967-68 में 20 वृहद्तर औद्योगिक गृहों की परिसम्पतियां

(परिसम्पतियां करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	औद्योगिक गृह	एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार (1963-64)	1967-68	1963-64 से 1967-68 में बढ़ोत्तरी	
				राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	टाटा	417.72	584.63	166.91	39.9
2.	बिड़ला	292.72	575.60	282.88	96.6
3.	मार्टिन बर्न	149.61	174.29	24.68	16.5
4.	बाँगुर	77.91	124.88	46.97	60.3
5.	ए० सी० सी०	77.36	105.84	28.48	36.8
6.	थापर	71.90	103.30	31.40	43.7
7.	साहू जैन	67.69	79.68	11.99	17.7
8.	बर्ड हैल्गर्स	60.10	78.62	18.52	30.8
9.	जे० के० सिंहानियां	59.20	78.75	19.55	33.0
10.	सूरजमल, नागरमल	57.37	107.34	49.97	87.1
11.	बाल चन्द	55.17	86.24	31.07	54.7
12.	श्री राम	54.68	107.41	52.73	96.4
13.	सिंधिया	46.96	65.44	18.48	39.4
14.	गोइन्का	46.95	64.55	17.60	37.5
15.	मफ्तलाल	45.91	135.87	89.96	195.9
16.	सारा भाई	43.16	72.58	29.42	68.2
17.	एन्ड्रू यले	41.89	54.12	12.23	29.2
18.	किल्लिक	41.50	62.10	20.60	49.6
19.	आई० सी० आई०	36.89	51.11	14.22	38.5
20.	किला चन्द्र	35.13	39.72	4.59	13.1
	योग	1779.82	2752.07	972.25	54.6

दस उन औद्योगिक गृहों की परिसम्पतियां जिनकी परिसम्पतियां 1967-63 में 35 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक थी

क्रम सं०	औद्योगिक गृह का नाम	एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार		1963-64 से 1967-68 में बढ़ोत्तरी	
		1963-64	1967-68	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	कस्तूरभाई लाल भाई	33.94	59.21	25.27	74.5
2.	मैकनील एण्ड बैरीविनी	29.21	62.56	33.35	114.2
3.	जार्डायन हेन्डरसन	28.51	43.91	15.40	54.0
4.	टी० वी० सुन्दरम आयन्गर	21.87	50.86	28.99	132.6
5.	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	20.12	51.34	31.22	155.2
6.	किरलोसकर	19.12	61.20	42.08	220.1
7.	खटाऊ (बम्बई)	13.62	46.85	33.23	244.0
8.	पैरी	11.68	53.79	42.11	360.5
9.	शेमाशायी	26.69	40.49	13.80	51.7
10.	बजाज	21.14	45.54	24.40	115.4

मणिपुर में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करना

2244. **डा० रानेन सेन :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री एम० मेघचन्द्र :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मणिपुर में सरकारी क्षेत्र में एक कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार मणिपुर में एक कागज का कारखाना लगाने की संभाव्यताओं का पता लगा रही है। चूंकि मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है अतः इस अवस्था में किसी प्रकार का विवरण दे सकना संभव न होगा।

सीमेंट उत्पादन क्षमता का विस्तार

2245. **श्री नारायणन् :**
श्री न० रं० लास्कर :
श्री सामनाथन :
श्री मयाबन :
श्री दण्डपाणि :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने 5 जून, 1970 को उद्योग प्रतिनिधियों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादकों ने सीमेंट उत्पादन की क्षमता के विस्तार संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं ; तथा सुझाव दिया है कि वर्ष 1973-74 तक 210 लाख मी० टन सीमेंट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीमेंट सरलता से उपलब्ध हो सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादकों ने अपना पूर्वानुमानित विस्तार कार्यक्रम बताया है जिसके अनुसार 1973-74 तक सीमेंट का कुछ अधिशेष उत्पादन होने की आशा है। उनसे कहा गया था कि वे लिखित रूप में ब्यौरा सीमेंट नियंत्रक को भेजे।

(ग) उद्योग पुनः लाइसेंस के अन्तर्गत आ गया है। जब तक सभी योजनाएं स्वीकार नहीं कर ली जाती और वास्तव में क्रियान्वित नहीं कर दी जाती तब तक 1973-74 तक निर्धारित क्षमता को प्राप्त क्षमता नहीं माना जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में सवारी गाड़ियों में लूट व चोरी को रोकने के लिए रेल तथा राज्य पुलिस तैनात किया जाना

2246. **श्री नारायणन :**
श्री न० रं० लास्कर :
श्री सयावन :
श्री सामिनाथन :
श्री दंडपाणि :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) और (ख). क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में रात की सवारी गाड़ियों में बढ़ती हुई लूटमार एवं चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे पुलिस तथा राज्य पुलिस ने 900 से अधिक सशस्त्र सिपाहियों को रात को चलने वाली यात्री गाड़ियों में तैनात कराने का वर्णन किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कहां तक सफल साबित हुआ है ;

(ग) क्या रेलवे ने अन्य राज्यों को भी इस प्रथा को अपनाने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख) जी हां। रेलवे पुलिस और जिला पुलिस से अस्थायी रूप से लिये गये लगभग 500 कर्मचारी 1 अप्रैल, 1970 से उत्तर प्रदेश में रात को चलने वाली 300 से अधिक महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपराधों की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया है। अभी इतनी जल्दी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसे कितनी सफलता मिली है। फिर भी इस योजना से यात्रा करने वालों के दिल में विश्वास और सुरक्षा की और अधिक भावना पैदा हुई है।

(ग) और (घ). बिहार और पश्चिम बंगाल में भी प्रभावित क्षेत्रों में रात को चलने वाली सवारी गाड़ियों के साथ मार्गरक्षी चल रहे हैं। इन दो राज्यों में यात्री गाड़ियों के अन्दर जघन्य अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रेल प्रशासन द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ता के परिणामस्वरूप यह काम सम्भव हो सका है।

अधिक तेज चलने वाली एक्सप्रेस मालगाड़ियों के लिए 'तीव्र गति' वाले माल डिब्बों का विकास

2247. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक तेजी से चलने वाली एक्सप्रेस मालगाड़ियों के लिए भारतीय रेलवे ने 'तीव्र गति' वाले माल के एक विशेष प्रकार के डिब्बे का निर्माण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी गाड़ी कहां पर और कब तक चलाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) से (ग). रेलों के अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने 'सी० ए० एस० एन० यू० बी०' किस्म की तेज रफ्तार वाली बोगियों का अभिकल्प तैयार करके उसका परीक्षण किया है। जांच के अभी तक जो परिणाम निकले हैं वे उत्साहवर्धक हैं और बी० ओ० वाई० किस्म के माल डिब्बों पर परीक्षण के रूप में इस्तेमाल के लिए 1970-71 के चल स्टाक कार्यक्रम में इस किस्म की कुछ बोगियों का आर्डर देने का प्रस्ताव है। आशा है ये माल डिब्बे 1971-72 में किसी समय लाइन पर चलने लगेंगे और शुरू में दक्षिण पूर्व रेलवे में इस्तेमाल किये जायेंगे।

रेलवे की कुल आय

2248. **श्री इलापाल चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को जोनवार 1 अप्रैल से 30 जून, 1970 के बीच कुल कितनी आय हुई और 1969 की इसी अवधि की रेलवे की आय की तुलना में यह आय कम है या अधिक ; और

(ख) उक्त आय में वृद्धि या कमी होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों की 1 अप्रैल, 1970 से 30 जुन, 1970 तक की कुल आमदनी 1969 की उसी अवधि की तुलना में इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	कुल आमदनी		वृद्धि
	1-4-1970 से 30-6-70 तक	1-4-69 से 30-6-69 तक	
मध्य	36,94	33,13	3,81
पूर्व	39,11*	31,49	(—) 38
उत्तर	40,51	36,89	3,62
पूर्वोत्तर	12,89*	11,41	1,48
पूर्वोत्तर सीमा	8,73	8,66	7
दक्षिण	22,70	21,20	1,50
दक्षिण मध्य	21,09	16,84	4,25
दक्षिण पूर्व	40,63*	39,97	66
पश्चिम	39,75	36,73	3,02
जोड़	254,35	236,32	18,03

इसमें जून, 70 की अनुमानित आमदनी शामिल है।

(ख) अप्रैल से जून, 70 तक पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में पूर्व रेलवे को छोड़कर सभी रेलों की आमदनी में वृदि हुई है। इसका कारण यह है कि यातायात में, मुख्यतः यात्री यातायात में वृद्धि हुई है और और दरों तथा किरायों आदि में परिवर्तन हुआ है। पूर्व रेलवे में यह घट-बढ़ मामूली है।

बारा-जामदा से बाड़बिल होकर बोलानी सदन तक एक सवारी गाड़ी चालू किये जाने की मांग

2249. **श्री धी० ना० देव :**
श्री अ० दीपा :
श्री दे० अमात :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारा-जामदा से बाइबिल होकर बोलानी सदन तक एक सवारी गाड़ी चालू किये जाने की लगातार मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि मंत्रालय वहां की जनता को इस यथार्थ मांग की ओर ध्यान नहीं देता जो गत तीन वर्षों से इस के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) बड़ा जामदा-न्यू बाड़बिल-बोलानी खदान खंड में सवारी गाड़ी चलाने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस्पात कारखाने के लिए केवल लोहे अयस्क और मैंगनीज जैसे माल यातायात के परिवहन के लिए बड़ाजामदा-बारबिल माल साइडिंग को बोलानी तक बढ़ा कर ही इस खण्ड को अगस्त, 1962 में खोला गया था। इस खंड में सवारी गाड़ियों को सम्हालने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यातायात अधिकाँशत: स्थानीय है जो 10/15 किलोमीटर दूरी का होता है और सड़क के जरिये उसका परिवहन अधिक अच्छी तरह हो जाता है। स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से कुछ संसद् सदस्यों सहित तत्कालीन रेलवे राज्य मन्त्री ने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा किया था। इस बात पर सहमति थी कि सवारी गाड़ियों का चलाना संभव नहीं है और इस बात की जांच-पड़ताल की जाये कि क्या बड़ाजामदा में रेल सेवा सम्बद सड़क सेवा की व्यवस्था करने के लिए एक आउट एजेंसी खोली जा सकती है। तदनुसार बिहार और उड़ीसा दोनों राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों और सड़क वाहन एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया। चूंकि आउट एजेंसी चलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए आउट एजेंसी चलाने के लिए रेलवे ने टैंडर आमंत्रित किये। केवल दो टैंडर प्राप्त हुए और ये टैंडरदाता भी सहमत नहीं हुए या उन्होंने बयाने की रकम जमा नहीं की। अत: इन टैंडरों को नामंजूर करना पड़ा। नये टैंडर आमंत्रित किये गये किन्तु आउट एजेंसी चलाने के लिए कोई आगे नहीं आया।

पारादीप और बंडापानी के बीच नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

2250. **श्री धी० ना० देव:**
श्री दे० अमात :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री अ० दीपा :
श्री गु० च० नायक :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सर्वेक्षण दल ने 1965 में भारी उपलब्ध खनिज संपत्ति का शीघ्र उपयोग करने के लिए खनिज विभाग की मांग के आधार पर पारादीप से देतारी खान, कांगढ़, नयागढ़ और जोरूरी हो कर बंडापानी तक एक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल की सिफारिशों के कार्यान्वित में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं और कब तक इन के कार्यान्वित किये जाने की आशा है ; और

(ग) इस रेलवे लाइन के अभाव में खनन उद्योगों को प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). बांसपानी-जोरूरी-नयागढ़-पारादीप लाइन के निर्माण के लिए 1964-65 में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे। चूंकि नयागढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोह अयस्क के दोहन की कोई योजना नहीं बनायी गयी थी इसलिए तोमका-दइतरी क्षेत्र से लोह अयस्क के संचलन के लिए केवल कटक-पारादीप लाइन का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। इस लाइन पर निर्माण का काम प्रगति पर है और यह लाइन 1972 के अन्त तक बन जायेगी।

(ग) बांसपानी-पारादीप रेलवे लाइन न बनाने के कारण खान उद्योग को कोई हानि हुई इसकी जानकारी रेलवे को नहीं है।

एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2251. **श्री मधु लिमये** : क्या : **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन कर के दुर्लभ कच्चे माल की बिक्री तथा उसे ऋण रूप में देने के बारे में आरोपों की जांच कार्यवाही पूरी कर ली है ;

(ख) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि इस कारपोरेशन ने किस प्रकार से 1,000 टन पोलिथीन का आयात किया जब कि कारपोरेशन की वास्तविक आवश्यकता 80 टन से अधिक नहीं है जो कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ;

(ग) क्या पोलीथीन के घोखाधड़ी से और अधिक मात्रा में आयात को छुपाने के लिए एशियन केबल्स कारपोरेशन लिमिटेड को महानिदेशक ने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दी थी ;

(घ) क्या इस प्रकार कारपोरेशन को अपने कार्य में विविधता लाने की अनुमति देने से पूर्व इसकी वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में व्यय की गई विदेशी मुद्रा अधिक तथा अतिरिक्त थी ; और

(ङ) इस कारपोरेशन तथा संबधित निदेशकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). मामले की प्रारम्भिक जाँच से पता चला है कि मैसर्स एशियन केबल्स को जारी किये गये आयात लाइसेंसों में से कुछ आई० डी० ए० ऋण के बदले दिये गए थे, जिनके बारे में प्रत्येक कच्चे माल के लिये अलग-अलग परिणाम की कोई सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी । इन्हीं में से कुछ कच्चे माल के लाइसेंसों से फर्म ने 980 टन पोलिथीन का आयात किया जो उनकी पिछली खपत के हिसाब से उनकी वास्तविक आवश्यकता से काफी अधिक था । सम्पूर्ण मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है । 31-3-1969 को विविधता लाने के लिए दी गई अनुमति उस समय विविधता लाने के लिये लागू आदेशों के अनुरूप थी ।

(घ) विविधता लाने के लिये अनुमति देते समय न तो अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के व्यय की ही अनुमति दी गई थी और न ही उसकी कोई कल्पना की गई थी ।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिल जाने पर ही कार्यवाही की जा सकती है ।

निम्न श्रेणी के टिकट वाले लोगों द्वारा उच्च श्रेणी में यात्रा किया जाना

2252. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि

जो यात्री कभी-कभी गलती से या भीड़ के कारण दूसरे दर्जे का टिकट लेकर प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं (बिना टिकट नहीं) उन पर जुर्माना किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी और ऐसे उपाय खोजेगी जिससे परिस्थितिवश उक्त श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा रेलवे को धोखा देने वाले लोगों के बीच अन्तर किया जा सके ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए ऐसे सही मामलों और प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित अन्य मामलों के बीच जिनमें लोग जान-बूझ कर नीचे दर्जे के टिकट लेकर ऊंचे दर्जे के डिब्बों में यात्रा करते हैं, भेद करना संभव नहीं हैं । यदि इसके लिए कर्मचारियों को स्वेच्छा से काम लेने की छूट दी गयी तो इसका दुरुपयोग होने की सम्भावना है ।

इंपीरियल टोबेको कम्पनी के नाम में परिवर्तन

2253. **श्री मधुलिमये** : क्या **समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्पीरियल टोबेको कम्पनी ने उनके मंत्रालय की अनुमति से अपना नाम बदल कर इंडियन टोबेको कम्पनी रख लिया है हालांकि उसने अपनी अंशधारिता और अपने कर्मचारियों का भारतीयकरण नहीं किया है ;

(ख) भारतीय समाचार पत्रों, विशेषकर तथाकथित वामपंथी समाचार-पत्रों में इम्पीरियल टोबेको कम्पनी ने जो विज्ञापन दिया है क्या उससे ऐसा भ्रम नहीं होता कि उक्त कम्पनी अपनी अंशधारिता और प्रबन्ध की दृष्टि से भी भारतीय बन गई है ; और

(ग) यदि हां, तो समवाय-कार्य मंत्री मन्त्रालय ने उक्त कम्पनी को अपना नाम बदलने और समाचार पत्रों में ऐसे गुमराह करने वाले विज्ञापन देने की अनुमति क्यों दी ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इम्पीरियल टोबेको कम्पनी आफ इण्डिया लि० ने, प्रादेशिक निदेशक, कलकत्ता, के अनुमोदन से, जिसे धारा 21 के अन्तर्गत यह शक्तियां सौंपी गई है, कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 21 के उपबन्धों के अनुसार अपना नाम इण्डिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड, परिवर्तित कर लिया है । इस कम्पनी में विदेशी धारिता, 1960 से धीरे-धीरे कम होती जा रही है, तथा यह 93 प्रतिशत से घट कर 54 प्रतिशत रह गई है । इसका स्टाक तथा ऋण-पत्र, शेअर बाजार में उद्धृत कर दिये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). इसके नाम परिवर्तन के लिए अनुमति, इसलिए दी गई थी कि प्रस्तावित परिवर्तन, को अवाँछनीय नहीं माना जा सकता था । समाचार-पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशनार्थ, सरकार की अनुमति आवश्क नहीं थी ।

सोनपुर स्थित डिविजनल कार्यालय का समस्तीपुर का स्थानान्तरण

2254. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे प्रस्ताव या ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें उससे यह अनुरोध

किया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनल कार्यालय का सोनपुर से समस्तीपुर का स्थानान्तरण न किया जाये ;

(ख) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मुख्य कार्यालय को समस्तीपुर स्थानान्तरित करने सम्बन्धी निर्णय को न बदलने के क्या कारण हैं ; हालांकि इस स्थानान्तरण से सोनपुर में उपलब्ध सुविधाएं तथा पुराना भवन बेकार हो जायेगा और समस्तीपुर में परिव्यय के रूप में और अधिक खर्च करना होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मण्डलीकरण, जिसका सूत्रपात 1.5.1969 से हुआ, से पहले पूर्वोत्तर रेलवे का संचालन जिला प्रणाली पर हो रहा था । इस संचालन पद्धति में, सोनपुर और समस्तीपुर में केवल जिला कार्यालय काम करते थे । मंडल कार्यालय नहीं । एक मंडल का कार्य क्षेत्र जिला की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा होता है और मंडल पद्धति चालू होने के साथ समस्तीपुर में मंडल कार्यालय की स्थापना हुई जिसमें अब तक के समस्तीपुर और कटिहार (पश्चिम) जिले शामिल किये गये । सोनपुर से कोई मंडल प्रधान कार्यालय हटाकर समस्तीपुर ले जाने का कोई प्रश्न नहीं था ।

फिर भी, निम्नलिखित के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए :

(1) एक अतिरिक्त मण्डल बनाया जाय जिसका प्रधान कार्यालय सोनपुर में हो ;

(2) समस्तीपुर से मंडल प्रधान कार्यालय हटाकर सोनपुर कर दिया जाय ।

(ख) और (ग). एक मंडल प्रधान कार्यालय के स्थानीकरण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है :

(i) मितव्ययिता और कार्य कुशलता के अनुरूप परिचालन सम्बन्धी और प्रशासनिक आवश्यकता ;

(ii) यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सुविधाओं की उपलब्धि । इस तथ्य पर सर्वप्रथम ध्यान देना होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप व्यवसायिक वर्ग और अन्य रेल उपयोगकर्त्ताओं की अधिक अच्छी सेवा होती है ।

(iii) विभिन्न सुविधाएं जिनकी नये सिरे से व्यवस्था करनी होगी, जैसे कार्यालय और आवास के लिए स्थान, अत्यन्त मितव्ययितापूर्ण होनी चाहिए ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस प्रश्न की जांच की गयी और यह मालूम हुआ कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मण्डल प्रधान कार्यालय की स्थापना के लिए समस्तीपुर उपयुक्त स्थान है ।

जहां तक सोनपुर में उपलब्ध कार्यालय और आवास के स्थान और अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, उनका उपयोग भविष्य में विकास होने पर हो सकता है । समस्तीपुर में मण्डल प्रधान कार्यालय की स्थापना करने में यह अनुमान किया गया था कि वहां इन सुविधाओं को प्रदान करने में अतिरिक्त व्यय उससे कही कम होगा जो सोनपुर में मण्डल कार्यालय स्थापित करने में होता ।

बिहार में माल गाड़ी के डिब्बों के अभाव के कारण दिल्ली में कोयला ले जाने के काम में बाधा

2255. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम चरण :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कोयला खान के मालिकों को दिल्ली तथा उसके पड़ोस के प्रदेशों को कोयला भेजने के लिए माल डिब्बे की प्रतीक्षा में कई दिनों तक रहना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो वहाँ माल डिब्बों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । बिहार में कोयले की खानों से दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों को कोयले की लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई करने में कोई भी परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ । 1970 में जनवरी से जून तक के दौरान, हर महीने किया गया आवंटन कार्यक्रम के अनुसार रहा है । केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें संबंधित खानों या पार्टियों द्वारा मांग-पत्र रद्द कर दिये गये थे । साफ्ट कोक की मांग भी सारी की सारी पूरी कर दी गई । प्रतीक्षा की अवधि वह देरी थी जो मालडिब्बों के माँग-पत्रों के अनुसार आवंटन प्रक्रिया में और विशेषतया पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में लदे हुए माल डिब्बों के विलम्ब से खाली होने के कारण उनकी सप्लाई करने में प्रतीक्षा और हड़तालों, बन्द, तार केबुलों और बिजली के तारों आदि की चोरी के कारण यातायात सामान्य रूप से भंग हो जाने के कारण हुई ।

(ख) सवाल नहीं उठता । फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए रेलें लगातार आन्दोलन चला रही हैं कि पर्यन्तों पर मालडिब्बे जल्द खाली हों और बड़े उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त तथा उपयुक्त पर्यन्त सुविधायें प्रदान की जाएं ।

मानसी स्टेशन के चार्जमेन के विरुद्ध चोरी का मामला तथा समस्तीपुर के सिगनल विभाग के सहायक स्टेशन मास्टर का स्थानान्तरण (पूर्वोत्तर रेलवे)

2257. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री 12 मई, 1970 के मानसी स्टेशन के चार्जमेन के विरुद्ध चोरी का मामला तथा समस्तीपुर के सिगनल विभाग के सहायक स्टेशन मास्टर का स्थानान्तरण (पूर्वोत्तर रेलवे) विषयक क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 9353, 9354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसी स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति की चोरी के मामले में और समस्तीपुर में आक्रमण के मामलों में इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या समस्तीपुर के कथित आक्रमण करने वाले के स्थानान्तरण आदेश को रद्द किये जाने और मानसी से माल चुराने वाले कथित चोर को वहीं रखने तथा चोरी के मामले में प्रमुख गवाह का स्थानान्तरण कर दिया जाने से यह प्रतीत होता है कि निष्पक्ष जांच के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है अथवा इससे निष्पक्ष जांच के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना है ; और

(घ) गवाह खलासी का स्थानान्तरण आदेश अब तक रद्द न किये जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) खलासी के स्थानान्तरण का आदेश अब रद्द कर दिया गया है ।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड दरभंगा में कागज का उत्पादन

2258. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में 12 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज की कमी की पृष्ठभूमि में यदि बिहार सरकार अनुरोध करेगी तो क्या सरकार कुछ महीनों के अन्दर कागज का उत्पादन शुरू करने के लिए लुगदी के आयात की अनुमति देगी ;

(ख) अशोक पेपर मिल्स की प्रति वर्ष 18,000 टन कागज के उत्पादन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार आयातित लुगदी के आधार पर कागज का उत्पादन आरम्भ करने के लिए बिहार सरकार से बातचीत करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) देश में बनाई जाने वाली लुगदी की कमी होने की अवस्था में, इसके आयात के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

(ख) चूंकि मामला राज्य सरकार से संबन्धित है अतः पहले करना उनकी जिम्मेदारी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ते में नमक संकट

2259. **श्री गणेश घोष** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता शहर में अभी हाल में नमक की कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस प्रकार की है ; और

(ग) उक्त संकट को पार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नई कम्पनियों का पंजीकरण

2260. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में जनवरी से दिसम्बर, 1969 तथा जनवरी से मई, 1970 तक महीनेवार, राज्यवार, क्षेत्रवार, कितनी-कितनी नई कम्पनियों का पंजीकरण किया गया ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : यह सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०—3929/70]

सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का बन्द होना

2261. **श्री गणेश घोष :** **श्री नम्बियार :**
श्री ई० के नायनार : **श्री उमानाथ :**
श्री के० रमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत दो महीने से बन्द पड़ी सदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, आवड़ी, मद्रास, की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उस कम्पनी को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) वित्तीय कठिनाईयां कुछ आवश्यक कच्चा माल प्राप्त होने की कठिनाईयां इसका कारण बताया गया है ।

(ग) हमारे पास ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मार्च 1972 तक भाप के इन्जनों का उत्पादन बन्द करना

2262. श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अद्वाकर सूपकार :
श्री मुहम्मद इस्लाइल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप के इंजनों का उत्पादन मार्च, 1972 तक पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या रेलवे द्वारा बिजली और डीजल के इंजिन चलाए जाने के कारण ऐसा किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे के डिवीजन में कितनी कितनी दूर तक अलग अलग बिजली और डीजल से चलने वाले इंजन चलते हैं ; और

(घ) इस पर कितना अतिरिक्त व्यय किया जाता है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) ऐसी योजना बनायी गई है कि 1971 के अन्त तक चित्तरंजन इंजन कारखाना में भाप इंजनों का उत्पादन बन्द कर दिया जाए ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 31-3-1969 तक डीजल कर्षण के अन्तर्गत रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 19,161 किलोमीटर थी । इसके रेलवार और मंडलवार विवरण अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। बिजली कर्षण के अन्तर्गत कुल लम्लाई 3 38 मार्ग किलोमीटर है, जिसका विवरण अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है ।

(घ) विद्युतीकरण और डीजलीकरण का काम तब प्रारम्भ किया गया जब विस्तृत अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया कि भाप कर्षण से उक्त दोनों कर्षणों में परिवर्तन करने पर कुल मिलाकर बचत होगी । इसलिए अतिरिक्त खर्च का प्रश्न नहीं उपस्थित होता ।

विवरण

रेलवे का नाम	मंडल का नाम	मार्ग किलोमीटर
मध्य रेलवे	1. भुसावल	938
	2. नागपुर	303
	3. जबलपुर	696
	4. झांसी	597
	जोड़	2534

1	2	3
पूर्व रेलवे	1. धनवाद	291
	2. दानापुर	357
	3. आसनसोल	218
	4. हवड़ा	262
	जोड़	1128
उत्तर रेलवे	1. इलाहाबाद	415
	2. लखनऊ	589
	3. मुरादाबाद	522
	4. दिल्ली	644
	5. फिरोजपुर	136
	6. बीकानेर	81
	जोड़	2387
पूर्वोत्तर रेलवे	कुछ नहीं	
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1. कटिहार	202
	2. अलीपुर दुआर	432
	3. लुमडिंग	540
	4. डिब्रूगढ़	155
	जोड़	1329
दक्षिण रेलवे	1. ओल्लव कोट	631
	2. मद्रास	495
	3. गुंटकल्लु	1086
	4. त्रिची	160
	5. मैसूर	338
	6. मदुरै	220
	जोड़	2930

1	2	3
दक्षिण मध्य रेलवे	1. सिकन्दराबाद	779
	2. विजयवाड़ा	642
	3. शोलापुर	445
	4. हुवली	951
	जोड़	2817
दक्षिण पूर्व रेलवे	1. अद्रा	143
	2. बिलासपुर	660
	3. चक्रधरपुर	354
	4. खड़गपुर	178
	5. खोरदा रोड	383
	6. वाल्टेर	1347
	जोड़	3065
पश्चिम रेलवे	1. बड़ौदा	281
	2. कोटा	549
	3. रतलाम	467
	4. अजमेर	606
	5. जयपुर	565
	6. राजकोट	503
	जोड़	2971
	कुल जोड़	19,161

भाग 'ग'

रेलवे	मंडल	मार्ग किलोमीटर
पूर्व	1. सियालदह	358
	2. हवड़ा	246
	3. आसनसोल	147
	3. धनवाद	237
	5. दानापुर	214
	जोड़	1202

1	2		3
मध्य	1. बम्बई		298
	2. भुसावल		311
		जोड़	609
उत्तर	1. इलाहाबाद		351
दक्षिण	1. मद्रास		163
दक्षिण-पूर्व	1. चक्रधरपुर		426
	2. अद्रा		274
	3. खड़गपुर		244
	4. बिलासपुर		209
		जोड़	1153
पश्चिम	1. बम्बई		60
	कुल जोड़		3538

दुर्गापुर स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये सुविधायें

2263. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर के हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा, आवास, बिजली आदि सहित आज तक दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बुड़हानपुर तथा जमशेदपुर के गैर-सरकारी इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों द्वारा दी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें जो सुविधायें प्रदान की गई है, वे अपर्याप्त हैं ; और उससे समस्या का कुछ भी हल नहीं हो सका ; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Amenities in Third Class Waiting Rooms in Madhya Pradesh

2264. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Third Class Waiting Rooms attached to Railway Stations in Madhya Pradesh at present, where electricity, drinking water, bathrooms and lavatories have not been provided by Government ;

(b) whether the aforesaid deficiencies of these Waiting Rooms would be removed during the Fourth Five Year Plan ; and

(c) if so, the number of waiting rooms where these deficiencies are likely to be removed every year ?

The Ministry of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Waiting rooms are provided only for upper class passengers where there is adequate traffic. Otherwise, only waiting halls are provided. Provision of latrines, drinking water supply arrangements at all stations excluding halts is already an accepted policy. These amenities are not available at only 7 and 153 stations respectively, out of 7540 stations on the Indian Railways. State-wise information is not being compiled, It is expected that these basic amenities will be provided at all these stations by 31-3-1971. The waiting passengers can always avail of these facilities at the station even though these may not always be in the waiting hall itself. Bathing facilities are provided at junctions or terminal stations where running water is available.

Provision of fans and lights is invariably done where electricity is available nearby. Over 2900 stations have so far been electrified and the Railways are carrying out further electrification of stations where low tension reliable supply is available nearby at reasonable tariff and service connection charges.

Amenities in Third Class Waiting

2265. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Railway be pleased to state :

(a) the number of such Third Class Railway Waiting Rooms at present in Uttar Pradesh where Government have not provided electricity, drinking water, lavatories and bathrooms ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in future to make the aforesaid amenities available there ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Waiting rooms are provided only for upper class passengers where there is adequate traffic. Otherwise, only waiting halls are provided. Provision of latrines, drinking water supply arrangements at all stations excluding halts is already an accepted policy. These amenities are not available at only 7 and 153 stations respectively, out of 7540 stations on the Indian Railways. State-wise information is not being compiled. It is expected that these basic amenities will be provided at all these stations by 31-3-1971. The waiting passengers can always avail of these facilities at the station even though these may not always in the waiting hall itself. Bathing facilities are provided at junctions or terminal stations where running water is available.

Provision of fans and lights is invariably done where electricity is available nearby.

Over 3900 stations have so far been electrified and the Railways are carrying out further electrification of stations where low tension reliable supply is available nearby at reasonable tariff and service connection charges.

Industries in Madhya Pradesh

2266. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa ;**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the present number of Central, State, Semi-State and private industries in various of Madhya Pradesh, district-wise ;

(b) the number of those industries out of them whose capital investment is more than Rs. 60 lakhs ;

(c) the names of the organisations to which grants and loans were given by Government during the financial years 1967-68 and 1968-69 ; and

(d) the number of private sector industries to which loans and grants will be given during the financial year 1970-71 and the total amount of the grant ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krisha) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में इन्जीनियरिंग इन्सपेक्टर्स के ट्रालीमैंनों का तबादला

2267. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री हुकम चंद कछवाय :

क्या रेलवे मन्त्री मुरादाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में इन्जीनियरिंग इन्सपेक्टर्स के ट्रालीमैंनों के तबादले के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3902 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना उपबन्ध 'क' के विवरण में दी गयी है ।

विवरण

तारीख और हवाला	विषय पूछा गया था कि	टिप्पणी
श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा 24 मार्च, 1970 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न 3902	(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग इन्सपेक्टर्स के ट्रालीमैंनों को रेलवे में सामन्य रूप से तथा मुरादाबाद डिवीज़न (उत्तर रेलवे) में विशेष रूप से 20 से भी अधिक वर्षों तक रखा जाता है; (ख) यदि हां, तो नियमित अन्तराल से उनका तबादला न करने के क्या कारण हैं ; (ग) क्या इन्जीनियरिंग इंसपेक्टर्स के ट्रालीमैंनों का तबादला करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?	(क) से (घ). ट्रालीमैंनों का आवधिक स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। प्रत्येक रेल पथ निरीक्षक के अधीन गैंगमैंनों और फाटकवालों के साथ सम्मिलित वारिष्ठता सूची में उनका नाम होता है और उनकी वरिष्ठता के अनुसार उन्हें आगे पदोन्नति दी जाती है। नियमित अन्तरालों पर उनका स्थानान्तरण करने से उनकी पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा उनमें से अधिकतर कम वेतन पाने वाले स्थानीय कर्मचारी होते हैं जो जनता के सम्पर्क में नहीं आते । स्थानान्तरण के द्वारा उनका उन्मूलन करना वांछनीय नहीं समझा जाता। एक स्टेशन पर बहुत समय तक रहने से वे खण्ड से परिचित हो जाते हैं और उन निरीक्षकों के लिए वे बड़े लाभदायक सिद्ध होते हैं जिनके अधीन वे काम करते हैं। जहां तक इन्जीनियरिंग निरीक्षकों का प्रश्न है, उनके आवधित स्थानान्तरण की कोई योजना नहीं है लेकिन जब कभी प्रशासनिक हित में आवश्यक हो, उन्हें स्थानान्तरित किया जा सकता है।

Construction of Overbridge at Banda Railway Station

*2268. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received suggestions for constructing an overbridge at the Banda Railway Station in Uttar Pradesh and, if so, the reasons for the continuous indifference of Government towards the public demand ;

(b) whether it is a fact that this overbridge can be constructed at a very low cost and for constructing a 3 feet wide overbridge only 8 to 10 girders and some wooden sleepers would be needed ; and

(c) whether it is also a fact that the said overbridge, if constructed, would be of great convenience to the public and the lives of many persons, who are killed while crossing the Railway lines in the absence of the overbridge there, would be saved ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). There is no necessity for a foot overbridge at the station from railway's point of view.

If a foot overbridge at the station is considered necessary for facilitating the pedestrians to cross the Railway line from either side of the city, it can be taken up by the Railway as a 'deposit' work—the cost being chargeable fully to the local municipality/State Government. So far, there is no firm proposal from the concerned road authority for such facility.

नंदन-कानन (उड़ीसा) के चिड़ियाघर में बच्चों के लिए खिलौना गाड़ी

2269. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के नन्दन कानन के चिड़ियाघर में एक बाल-गाड़ी की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा सरकार को इस प्रयोजन के लिये सहायता देने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रेल मन्त्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार को उपहार के रूप में एक बच्चों की गाड़ी दी जायेगी जिसमें एक इंजन और 30 बच्चों के बैठने लायक दो सवारी डिब्बे होंगे ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1963 में भर्ती किये गये इन्जीनियरिंग की डिग्री वाले इंजीनियरों को पदोन्नति न देना

2270. **श्री भगवान दास** :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1963 में जो इंजीनियरी डिग्री वाले लोग भर्ती किये गये थे उन्हें 7 वर्ष बाद तक भी पदोन्नति नही नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पदों पर उन लोगों को पदोन्नत किया गया जिन्हें अपेक्षित योग्यताएं प्राप्त नहीं थीं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे लोगों को पदोन्नति दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) जिन इंजीनियरिंग की डिग्री-धारियों को सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया था क्या उन्हें पदोन्नत करने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात की छड़ों, सलाखों और ट्यूबों के निर्यात पर रोक

2271. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने हाल ही में इस्पात की छड़ों, सलाखों और ट्यूबों के निर्यात पर रोक लगा दी है जिससे निर्यात सम्बन्धी सरकार का अभियान मंदा पड़ गया है ;

(ख) कुछ समय पूर्व आरम्भ किये गये उस जोरदार निर्यात कार्यक्रम की, जिसके अन्तर्गत निर्यात व्यापार को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी ; सफलता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार निर्यात व्यापार पर रोक लगाने और सीमित करने सम्बन्धी अपने उस एक-पक्षीय निर्णय को जो पूर्ण चर्चा किये बिना किया गया है ; वापस लेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं, परन्तु इस्पात की छड़ों और गोल-छड़ों का निर्यात विनियमित किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). सरकार निर्यात के बारे में विनियमित नीति का पालन कर रही है ताकि देशीय मांग की पूर्ति तथा निर्यात के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकताओं में ठीक संतुलन स्थापित किया जा सके । सभी सम्बन्धित बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है ।

बिना इंजन के मालगाड़ी के कुछ डिब्बों का चल पड़ना

2272. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद वाडी सेक्शन के गोड-मुगरा और मेलाराम स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के 30 डिब्बे बिना इंजन के 20 अप्रैल, 1970 को लगभग 6 मील तक अपने आप ही तेज गति से चले गये थे ?

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गये या घायल हुए और सम्पत्ति को किस प्रकार की क्षति हुई ;

(ग) इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार लोग कौन हैं, इससे पूर्व ऐसी ही दुर्घटनाएं कितनी बार हुई और यदि हां, तो कब और कहां-कहां हुई ; और

(ग) गोदमुगरा स्टेशन के स्टेशन मास्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां ।

(ख) ड्यूटी पर तैनात एक गश्त लगाने वाला भागते हुए लदे माल डिब्बों से कुचल कर मर गया ।

रेल सम्पत्ति को लगभग 3,19,000 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

(ग) यह दुर्घटना कर्मचारियों की गलती से हुई यानी ड्रायवर ने इंजन को डिब्बों के साथ जोड़ते समय सावधानी नहीं बरती तथा इस काम को जोर से झटके के साथ किया और ड्यूटी पर तैनात गार्ड तथा सहायक स्टेशन मास्टर माल डिब्बों को समुचित रूप से सुरक्षित नहीं रख पाये । इधर हाल में दक्षिण-मध्य रेलवे पर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी ।

(घ) जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है ।

रेलवे अधिकारियों को वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार

2273. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे (रेलवे बोर्ड) जोनल रेलवे कार्यालयों सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा रेलवे मन्त्रालय के सरकारी कारखानों में अलग-अलग) में काम करने वाले कितने अधिकारियों को वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है ; और

(ख) 1969-70 में वातानुकूलित श्रेणी में ऐसे कितने-कितने अधिकारियों ने अलग-अलग यात्रा की ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संसद् सदस्यों को वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव

2274. **श्री अब्दुलगनी दार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी के किराये में अन्तर का भुगतान किये बिना संसद् सदस्यों को वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे उनका स्तर सरकारी अधिकारियों के स्तर से कम न होने पाये ; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और यदि नहीं तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि संसद् सदस्यों के सम्मान की रक्षा करने के लिए जिन अधिकारियों को वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी जाती थी वे भविष्य में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, नहीं । संसद् सदस्यों का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 1969 में इस सुविधा की व्यवस्था नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । केवल कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम और इससे ऊंचे के औहदे के रेल अधिकारियों को उस समय वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है, जब वे ड्यूटी पर हों । यह केन्द्र सरकार के उन अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में किये गये सरकार के विनिश्चय के अनुरूप हैं, जो काफी उच्च कोटि में आते हैं और जो वातानुकूल श्रेणी में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

विभिन्न राज्यों से आदिवासियों का निकाला जाना

2275. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सरकार ने कितने आदिवासियों को सरकारी भूमि से निकाल दिया है ; और

(ख) अभी कितने आदिवासियों के पुनर्वास की स्थापना होनी बाकी है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). यह सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मैसूर राज्य में नई रेलवे लाइनें

2276. **श्री क० लकप्पा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने इस वर्ष में अब तक मैसूर राज्य में नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की है ;

(ख) तत्सम्बन्धी प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या उनका मन्त्रालय नई रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों के सुझाव क्रियान्वित करेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). रेलवे का विकास राज्यवार या क्षेत्रवार नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में समग्र विकास को ध्यान में रख कर किया जाता है।

मैसूर राज्य में हसन-मैंगलूर लाइन पेनाम्बूर तक एक सम्पर्क लाइन सहित का निर्माण हो रहा है । मैसूर राज्य में दोनामलै खानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तोर्नागुत्लु से मुदुकुलापेंटा तक एक नई लाइन के निर्माण का काम हाथ में लिया जा रहा है । चौथी योजना में बनाई जाने वाली नई लाइनों से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि चौथी योजना में जिन नई लाइनों के बनाने का काम अन्ततः शुरू किया जायेगा, उनमें से कौन सी लाइनें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मैसूर राज्य में

पड़ेगी । फिर भी कोट्टूर-हरिहर लाइन (यशवन्तनगर से चित्र दुर्गा तक वैकल्पिक लाइन सहित) का सर्वेक्षण हो रहा है और चिकजाजूर-चित्रदुर्ग लाइन को रायदुर्ग तक बढ़ाने के लिए यातायात सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है ।

(ग) माननीय सदस्य नई लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में जो सुझाव देते हैं उन पर मेशा सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है ।

ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की जांच के लिए जांच व्यवस्था

2277. **श्री क० लकप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि मैसूर राज्य में मंगलौर और अरसीकरे लाइन के बीच वाली लाइन पर कार्य करने वाले रेलवे ठेकेदारों ने पक्की दीवारें विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं बनाई हैं और उनका कार्य भी सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कार्य की जांच करने के लिये उनके मन्त्रालय में कोई जांच व्यवस्था है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) ठेकेदारों द्वारा किये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण पहले इस काम से सम्बन्धित कार्य-भारी निरीक्षकों द्वारा किया जाता है और फिर उनका निरीक्षण उच्चतर तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि कार्य अपेक्षित विशिष्टियों के अनुसार किये गये हैं ।

बंगलौर तथा अरसीकरे के बीच ऊपरी पुल तथा निचले पुल बनाना

2278. **श्री क० लकप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर, तुमकुर, अरसीकरे लाइन के बीच कितने ऊपरी पुल तथा निचले पुल बनाये जायेंगे ; और

(ख) बारम्बार अनुरोध किये जाने के बावजूद ऊपरी पुलों तथा निचले पुलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) पांच ।

(ख) समपारों की जगह ऊपरी पुलों/निचले पुलों का निर्माण राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकारियों के अनुरोध पर किया जाता है और इसके लिये राज्य-सरकारों को अपने हिस्से की लागत का भुगतान भी करना पड़ता है ।

मैसूर सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में बेंगलूर सिटी और अरसीकरे के बीच 5 ऊपरी/निचले सड़क पुलों के लिए अस्थायी रूप से प्रस्ताव किया है । किन्तु राज्य सरकार ने इसके

लिए निधि और आवश्यक अग्रता के बारे में कोई निश्चित संकेत नहीं किया और न यह बताया है कि किस वर्ष में वह पहुंच मार्गों पर अपने हिस्से का काम शुरू कर सकेगी।

पश्चिम बंगाल से उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन

2280. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री कमल नयन बजाज :
श्री स० चं० सामत :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो उद्योगपति अपने उद्योगों को पश्चिम बंगाल से हटाना चाहते थे उनके आवेदनों को संक्षिप्त कार्यवाही करके ही रद्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) ये उद्योगपति किन कारणों से अपने उद्योग पश्चिम बंगाल से अन्यत्र ले जाना चाहते थे ; और

(ग) नक्सलवादियों तथा अन्य तत्वों की विधि विरुद्ध गतिविधियों से उन्हें पूर्ण रूप से रक्षित करने रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) लाइसेन्सों और औद्योगिक उपक्रमों के स्थानान्तरण के लिए दिये गये आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर हर मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तदर्थ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। किसी भी इस तरह के आवेदन को बिना विचार शीघ्र रद्द नहीं किया गया है।

(ख) औद्योगिक उपक्रमों के स्थानान्तरण के लिए दिये जाने वाले कारण हर प्रकरण में भिन्न-भिन्न हैं अन्य कारणों के साथ अन्य प्रदेशों में कच्चे माल की सुलभता। कुछ उत्पादों की मांग का उस क्षेत्र में अन्य क्षेत्र की तुलना में कम होना उत्पादन लागत के विभिन्न पहलू तथा श्रमिकों की उत्पादकता तथा कार्य आदि भी है।

(ग) यह मूलतः कानून और व्यवस्था का विषय है तथा सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है।

मध्य रेलवे के लिये क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता समिति

2281. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री कमल नयन बजाज :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के महा प्रबन्धक ने मध्य रेलवे की गत क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों को इस बात का आश्वासन दिया था कि समिति के पुनर्गठन के बाद चुनाव से कम से कम एक महीना पहले सदस्यों को सभी सदस्यों की एक सूची सप्लाई की जायेगी ;

(ख) 21 जुलाई, 1970 को बम्बई में हुई समिति की बैठक में इस आश्वासन को क्यों नहीं पूरा किया गया था और चुनावों से पन्द्रह दिन पूर्व भी सदस्यों की सूची सप्लाई किये बिना चुनाव क्यों करवाये गये थे ;

(ग) क्या बम्बई में रहने वाले उक्त समिति के सदस्यों और उन क्षेत्रीय रेलवे के अधिकारियों के बीच कोई सांठ गांठ है जो, उन्हें अन्य लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़ने में लाभ पहुंचाते हैं ; और

(घ) क्या क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति के सभी पीठासीन अधिकारियो को ये अनुदेश जारी किये जायेंगे कि सदस्यों को कम से कम एक महीना पहले ऐसी सूचियां सप्लाई किये बिना चुनाव न करवाये जायें ?

रेलवे मन्त्री (श्री नदा) : (क) और (ख). मध्य रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोग कर्ता परामर्श समिति की 24-1-70 को हुई 52वीं बैठक में समिति के अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों के इस अनुरोध को मान लिया था कि पुनर्गठित समिति के सदस्यों की सूची पुनर्गठित समिति की पहली बैठक होने से पर्याप्त समय पहले भेजी जाये ताकि सदस्य अन्य समितियों के लिए चुनाव लड़ सकें। तदनुसार, वह सूची सदस्यों को पुनर्गठित समिति की बैठक की तारीख से 10 दिन पहले भेज दी गई थी। सूची इससे पूर्व भेजी जा सकी क्योंकि नामित संगठनों ने कुछ सदस्यों का नाम बहुत देर से भेजा था।

फिर भी, समिति के दो सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष को लिखा कि उन्हें नये सदस्यों की सूची नहीं मिली है और चूंकि समय पर्याप्त नहीं रह गया है, अत: बैठक अथवा चुनाव स्थगित कर दिया जाये। अध्यक्ष ने विभिन्न समितियों के सदस्यों के सदस्यों के चुनाव को आगामी बैठक के लिये स्थगित करने का विनिश्चय किया।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) रेलों की हिदायतें जारी की जा रही हैं कि वे सदस्यों की सूची, जिस रूप में उपलब्ध हों, ऐसे चुनावों के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले परामर्श समिति के सभी सदस्यों के पास भेज दिया करें।

सम्पत्ति के स्वामित्व के मूल अधिकार से वंचित करना

2282. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रख्यात संविधान विधि-व्यवसायी तथा अर्थशास्त्री, श्री पालकीवाला ने दिनांक 4 जून, 1970 को बम्बई में, सम्पत्ति के स्वामित्व का मूल अधिकार छीनने के प्रस्ताव की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार ने श्री एन० ए० पालकीवाला के भाषण के बारे में एक प्रेस-संवाद टाइम्स आफ इण्डिया के बम्बई संस्करण के 5-6-70 वाले अंक में देखा है।

(ख) पूर्वोक्त प्रेस संवाद में जो कुछ दिया गया है उसके अतिरिक्त कोई और ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। सरकार का विचार उस व्यक्ति की आलोचना के आधार पर कार्रवाई करने का नहीं है।

उपक्रम स्थापित करने तथा कम्पनियों के विस्तार आदि के लिए एकाधिकार आयोग की अनुमति प्राप्त करने की नई प्रक्रिया

2283. **श्री वे० कु० दास चौधरी** : क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नये उपक्रम स्थापित करने, विस्तार करने, किसी कम्पनी को अपने नियन्त्रण में लेने, विलय और कम्पनियों के पारस्पर एकीकरण के लिए, एकाधिकार आयोग की अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). इस प्रकार के विषयों में, एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग का नहीं, वरन केन्द्रीय सरकार का अग्रिम अनुमोदन अपेक्षित होता है। तथापि, अनुमोदन से पहले, केन्द्रीय सरकार, अत्यधिक विस्तार, नये उपक्रम की स्थापना, विलीनीकरण, एकीकरण अथवा उपक्रमों पर अधिकार करने सम्बन्धी प्रस्तावों को, आयोग को, जांच एवं रिपोर्ट के निमित्त सौंप सकती है। इन विषयों से संबन्धित, प्रक्रिया विहित करने वाले नियम तथा प्रपत्र, विहित किये जा चुके हैं व 10 जुलाई 1970 के भारत के असाधारण राज-पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बीच मतभेद होने के कारण हानि

2284. **श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्री मु० अ० खां :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारी इन्जीनियरिंग निगम के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बीच मतभेदों की जानकारी है जिससे उपर्युक्त उपक्रम को काफी हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, यो उसका ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त उपक्रम को निर्बाध रूप से चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनयरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस स्थिति से पूरी तरह परिचित है और यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

2285. **श्री जि० व० सिंह :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री शारदा नंद :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों में कितने मामलों में दिल्ली में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जिन्होंने पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह किया ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जानकारी मंगायी जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सदन के पटल पर रखी जाएगी।

रेलवे अधिकारियों द्वारा ग्यारह सूत्री कार्यक्रम तथा सैलूनों का प्रयोग

2286. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 सूत्री कार्यक्रम के अधीन उन्होंने यह अनुदेश जारी किये हैं कि जो रेलवे अधिकारी रेलवे सैलूनों के उपयोग के अधिकारी हैं उन्हें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए ;

(ख) इस सम्बन्ध में अधिकारियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

(ग) क्या इन अधिकारियों ने सैलून का उपयोग करना बन्द कर दिया है ;

(घ) इस समय इन सैलूनों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ; और

(ङ) गैज-वार सैलूनों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। इस बात की हिदायतें जारी की गयी हैं कि रेल अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करते समय मुख्यतः निरीक्षण, जांच, छान-बीन आदि जैसे कर्तव्य कार्यों के लिए ही बोगी निरीक्षण यानों का उपयोग किया जाये।

(ख) अभी तक किसी विपरीत प्रतिक्रिया की सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ). जैसा कि ऊपर बताया गया है रेल अधिकारियों द्वारा होने वाले निरीक्षण यानों के इस्तेमाल को सीमित कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म नहीं किया गया है।

(ङ) सैलूनों का इस्तेमाल रेल अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता बल्कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल आदि उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस समय भारतीय रेलों पर कुल 5 सैलून उपलब्ध हैं और ये सभी सैलून बड़ी लाइन के हैं।

इस्पात प्राथमिकता समिति

2287. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात प्राथमिकता समिति के सदस्यों के नाम क्या है ;

(ख) उपर्युक्त समिति के कृत्य क्या है ;

(ग) प्राथमिकताएं निश्चित करने के लिए समिति ने कौन से सिद्धांत अपनाये ;

(घ) क्या सरकार को पता लगा है कि समिति इस प्रयोजन के लिए निर्धारित का पालन नहीं करती ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का जिससे सिद्धांतों के अनुरूप ही प्राथमिकताएं निर्धारित करने का सुनिश्चय हो सके ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस्पात प्राथमिकता समिति में निम्नलिखित सदस्य है :—

(1) सचिव, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय—अध्यक्ष

(2) सचिव, औद्योगिक विकास विभाग

(3) सचित्र, योजना आयोग

(4) सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग

(5) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

(6) सचिव, विदेश व्यापार, मंत्रालय

(7) महानिदेशक, तकनीकी विकास

(8) विकास आयुक्त, लघु उद्योग

(9) (

(10) (हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा नामित किये गये तीन निदेशक

(11) (

(12) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० द्वारा नामित एक निदेशक

(13) इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० द्वारा नामित एक निदेशक

(14) सह-सचिव, इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय

(15) लोहा और इस्पात नियंत्रक———सदस्य सचिव

(ख) इस्पात प्राथमिकता समिति का काम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मुख्य उत्पादकों द्वारा किये जाने वाले प्रेषणों में प्राथमिकता नियत करना है ।

(ग) से (ङ). इस समिति को किसी निश्चित सिद्धांत के अनुसार काम करने नहीं कहा गया है । यह एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है और समय-समय पर व्याप्त परिस्थितियों को दृष्टि

में रखते हुए वस्तु विशेष की उपलब्धता, उसके लिए विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं की मांग, आदि के आधार पर निर्णय करती हैं ।

कोका कोला कम्पनी द्वारा धन का लौटाया जाना

2289. **श्री जार्ज फरनेण्डीज :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में कोका कोला कम्पनी ने कुल कितना धन लौटाया है ;

(ख) कोका कोला कम्पनी को देश में कोका कोला सत् बनाने का कारखाना स्थापित करने की किन शर्तों पर अनुमति दी गई है ; और

(ख) भारत में कोका कोला और फेन्टा के सत का उपयोग करने वाली विभिन्न बाटलिंग कम्पनियों से भारत में कोला कोला (विदेशी कम्पनियां) शाखा को कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ।

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) कोका कोला निर्यात निगम ने विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित राशि विदेशों में भेजी है :—

वर्ष	राशि (लाख रु० में)
1967	41.46
1968	21.65
1969	75.16

(ख) अमरीका के मैं० कोका कोला निर्यात निगम को 1958 में निम्नलिखित शर्तों पर भारत में कोका कोला का एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी :—

(क) विदेशी कम्पनी द्वारा संयन्त्र तथा उपकरण दिया जाएगा ।

(ख) उत्पादन की मात्रा इतनी होगी जिससे कि देश में 4 बाटलिंग प्लाट की आवश्यकतायें पूरी हो सकें तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति को समय-समय पर देखते हुये इन संयंत्रों में पेय बनाने के लिए आवश्यक अन्य कच्चे माल की अनुमति होगी । बाद में उन्होंने इस शर्त पर अन्य बाटलिंग संयंत्रों को सत (कंसन्ट्रेट्स) का संभरण करने की अनुमति दे दी थी कि बाद में एककों को सत संभरण करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त विदेशी-मुद्रा नहीं दी जाएगी ।

कम्पनी को 1964 में इस शर्त पर साइट्स/फल पर आधारित पेय की आधारभूत चीजें बनाने की अनुमति दी गई थी कि किसी भी कच्चे माल को आयात कोका-कोला के सत के निर्यात के बढ़ने से प्राप्त हुये हक से पूरा होगा । फर्म ने प्रस्ताव किया है कि उनकी योजना के कार्यान्वित हो जाने पर इस समय जितना निर्यात कर रहे हैं उससे प्रति वर्ष 4 लाख रुपये का अधिक वार्षिक निर्यात कर सकेंगे और उनकी निर्यात की इस मात्रा में पेय की आधारभूत चीजों का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जायेगी । उनके इस प्रस्ताव को भी रिकार्ड में लिया गया था ।

(ग) 1969 की अवधि में कोका-कोला निर्यात निगम को देश में विभिन्न बाटलिंग एककों

के कोका-कोला सत तथा पेय की आधारभूत चीजों की सप्लाई करने के बदले में 344,03 लाख रुपये प्राप्त हुए ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की अधिष्ठापित तथा उत्पादन क्षमता

2290. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की फोटोग्राफी में काम आने वाला कागज बनाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) निर्धारित क्षमता कब तक प्राप्त हो जानी चाहिए थी ;

(ग) निर्धारित क्षमता तक पहुँचने में कोई विलम्ब हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या फोटोग्राफी में काम आने वाले कागज की कमी को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्काल कहा जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) प्रतिवर्ष 15 लाख वर्ग मीटर ।

(ख) 1971-72 तक ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) फोटोग्राफी के कागज की वर्तमान कमी को दूर करने के उद्देश्य से कम्पनी को फोटोग्राफी के कागज के उत्पादन को उसकी किस्म का ध्यान रखते हुए, व्यावहारिक दृष्टि से अधिकतम करने को कहा गया है । वास्तव में इस वर्ष से फोटोग्राफी के कागज के उत्पादन को बढ़ाया गया है और इसका उत्पादन अब 65,000 वर्ग मीटर प्रतिमास के लगभग स्थिर हो गया है जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायेगा :

मास	उत्पादन
1. जनवरी, 1970	7,739 वर्ग मीटर
2. फरवरी, 1970	17,469 ,, ,,
3. मार्च, 1970	44,983 ,, ,,
4. अप्रैल, 1970	67,626 ,, ,,
5. मई, 19 0	62,490 ,, ,,
6. जून, 1970	66,439 ,, ,,

मनीपुर के आन्तरिक भाग के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन

2291. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को देखते हुए कि विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान व्यवस्था में मनीपुर के आंतरिक तथा बाहरी निर्वाचन क्षेत्र थोबल, खंगाबोक, काकचिंग, वागचिंग तथा हियानग्लाम सुगनु के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं होता है क्योंकि वे बाहरी मनीपुर आरक्षित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, क्या निर्वाचन आयोग का विचार आंतरिक मनीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का फिर से परिसीमन करने का है जिससे उपरोक्त सामान्य विधान सभा के चार निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया जा सके ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग को पहले भी उपरोक्त चार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से निर्वाचन क्षेत्र का अपेक्षित परिसीमन करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो इन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को बाहरी मनीपुर आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बन्धित वर्तमान परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अधीन गठित किये गए परिसीमन आयोग के आदेश के आधार पर पहले से निश्चित है । इस स्थिति में कोई तब्दीली करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को नहीं है । विद्यमान स्थिति का पुनर्विलोकन केवल दूसरे परिसीमन आयोग या किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे संसद विधि के अधीन निर्धारित करे, जिसका गठन सामान्य अनुक्रम में अगली जनगणना के पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

Electrification and Repairs of Road from Kota Railway Godown to the Mall Road Crossing

2292. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Collector of Kota has handed over to the Railways the small portion of the road stretching from the Kota Railway Godown to the Mall Road Crossing ;

(b) if so, the reasons for which the said portion of the road has not been repaired and electric light has not been provided there ;

(c) whether the Railways have provided electric light only upto the big bunglows ;

(d) if so, the reasons for not providing electric light so far on that stretch of the road where the Railway employees are living and when this is proposed to be done ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No portion of the road outside the railway boundary has been handed over by the Collector to the Railway.

(b) Does not arise.

(c) No. All roads in the Railway Colony are provided with proper lighting arrangements.

(d) and (e) Do not arise.

Non availability of Railway Wagons for Wheat in Kota Rajasthan

2293. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that wheat belonging to traders has been rotting in the Goods-shed at Kota, Rajasthan due to non-availability of the Railway wagons ;

(b) whether it is also a fact that a delegation of the Kota Grain Merchants' Association had also met the Divisional Superintendent, Kota in this regard ;

(c) whether it is further a fact that the D.O.S., Kota had agreed to supply open wagons along with tarpaulins ;

(d) if so, the reasons for not supplying tarpaulins alongwith open wagons ; and

(e) the number of wagons allotted for transportation of stone, cattle and other goods separately during the period from February, 1970 to June, 1970 ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) No.

(c) Yes.

(d) Tarpaulins were supplied for covering open wagons located with foodgrains.

(e) 1449 wagons with stone, 164 wagons with cattle and 1049 wagons with other goods were loaded from Kota Goods-shed.

Consignment of Indian Medicines Booked from Gola Gokaran Nath Railway Station

2294. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7746 on the 28th April, 1970 regarding consignment of Indian medicines booked from Gola Gokaran Nath Railway station and state :

(a) whether enquiries have been completed against the employee at fault ; and

(b) if so, the action against him ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The employee held responsible in this case has been punished by with holding his increment.

उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजनल लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को मानदेय तथा यात्रा भत्ता देना

2295. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेलवे मंत्री उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजनल लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को मानदेय तथा यात्रा भत्ता देने के बारे में 4-4-70 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तारीख और हवाला	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया
14- -70 को श्री राज देव सिंह द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न 6354	पूछा गया था कि : (क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजनल लेखा कार्यालय के कुछ चुने हुए कर्मचारियों के सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों की अनुग्रह-पूर्वक पेंशन देने के लिए नियमित रूप से अन्य स्थानों पर प्रतिमास भेजा जाता है ; (ख) इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों को बाहर की ड्यूटी के लिए चुनने का आधार क्या है और प्रतिमास वे कितनी बार बाहर जाते हैं और वर्ष 1968-69 में उनके यात्रा भत्ते के कितनी राशि के दावे तय हुए ; (ग) क्या ऐसे व्यक्तियों का नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के अतिरिक्त बाहर के स्थान का मानदेय भी मिलता है ; और (घ) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में इन व्यक्तियों को मानदेय के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?	(क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।	(क) और (ख). उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली के मंडल लेखा कार्यालय के एक वरिष्ठ लेखापाल (या उसकी अनुपस्थिति में एक कनिष्ठ लेखा-पाल) के साथ अनुग्रह-पेंशन का काम करने वाले तीन क्लर्कों का प्रत्येक महीने सेवा निवृत कर्मचारियों को अनुग्रह पेंशन का वितरण करने के लिए सात बाहरी स्टेशनों पर भेजा जाता है । उन्हें इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था इसलिए यह काम उन्हें नियत किया गया है । 1968-69 में इन कर्मचारियों को कुल मिलाकर केवल 1646.30 रुपये यात्रा भत्ता दिया गया था : (ग) और (घ). क्लर्क कर्मचारियों को सामान्य यात्रा भत्ते के अलावा केवल 16-10-68 तक मानदेय का भुगतान किया गया था । 16-10-68 के बाद इसे बन्द कर दिया गया । 1-4-68 से 16-10-68 तक 829 रु० की रकम उन्हें मानदेय के रूप में दी गयी है ।

खेलकूद सामान उद्योग

2296. **श्री देविंदर सिंह वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ओखला के स्थान पर खेलकूद सामान के लिये एक सार्वजनिक सुविधा केन्द्र खोला गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह केन्द्र खेलकूद उद्योग में लगे कुशल कारीगरों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा ;

(ग) इस केन्द्र के खोले जाने पर कितनी लागत आई है ; और

(घ) क्या किसी वस्तु के लिये भी ऐसा ही केन्द्र शीघ्र ही खोलने का विचार है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां । जून, 1970 में ओखला औद्योगिक बस्ती में खेलकूद के सामान के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया था । खेलकूद उद्योग में लगे कारीगरों की सहायतार्थ एक पर्यवेक्षक एवं एक कुशल कारीगर की नियुक्ति की गई है ।

(ख) यह केन्द्र खेलकूद का सामान के बनाने के लिए मुख्यत: लकड़ी के बने खेलकूद सामान के निर्माताओं को सेवा सुविधाएं प्रदान करता है ।

(ग) अब तक 17 हजार रुपये अनावर्ती व्यय हुआ है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव जूता उद्योग के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने का है ।

Break-down in Service and Late Arrival and Departure of Trains between Gwalior and Bhind, Gwalior and Sheopur, Gwalior and Shivpuri and Gwalior and Sambalgarh

2297. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there have been instances of frequent late departure and arrival of trains and break-downs in service between Gwalior and Bhind, Gwalior and Sheopur, Gwalior and Shivpuri, and Gwalior and Sambalgarh ;

(b) whether it is also a fact that more time is consumed in the completion of journeys on the above routes as compared to the time involved in 1947 ;

(c) if so, the reasons therefor and the remedial steps proposed to be taken in the matter ; and

(d) whether any scheme has been prepared to overcome the shortage of engines and coaches and, if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. The punctuality performance of trains on the Gwalior narrow gauge sections during the three months May-July, 1970 ranged between 80% and 83%, though late starts from Gwalior ranged between 20 to 25%.

(b) and (c). Information regarding the journey time of trains in 1947 is not available. However, a comparison with the time taken in 1953 shows that the journey time at present is less except on Gwalior-Bhind section where the increase is on account of 4/6 additional stoppages having been granted on the journey.

(c) There is no shortage of engines and coaching stock to work trains over these sections.

Ticketless Travelling on Certain Sections of Central Railway

2298. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Railways be pleased to state the steps taken to check ticketless travelling in Gwalior-Bhind, Gwalior-Sheopur, Gwalior-Shivpuri and Gwalior-Sambalgarh Sections of the Central Railway and to eliminate corrupt officials who encourage ticketless travelling ?

The Minister of Railway (Shri Nanda) : Besides normal ticket checking, 34 surprise checks were conducted to curb ticketless travel on these sections during six months ended June 1970. No complaints of corruption or abetment of ticketless travel in these sections by railway officials have been received during this period. Railways have nstructions to take deterrent action against officials encouraging ticketless travel.

Passenger Coaches Attached to Janta Express Running between Delhi and Madras

2299. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of passengers coaches attached to the Janta Express which runs between Delhi and Madras ;

(b) of these coaches what is the number of sleeper coaches, coaches reserved for Military, brake-vans, dining coaches, coaches reserved for general public and the number of unreserved coaches, separately ; and

(c) the reaction of Government thereto and the steps being taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). 17 Dn/18 Up Madras-Delhi Janata Express runs with a normal composition of 12 bogies which is the permissible load of this train. Out of these, passenger accommodation is provided in 7 bogies which include 3 sleeper coaches having reserved accommodation, 2 unreserved coaches and 2 coaches reserved for defence personnel. The rest of the composition of this train is made up of 2 luggage-brake vans and 3 parcel vans.

(c) For want of room it is not feasible to augment the load of this train to give additional passenger accommodation. Replacement of the parcel/brake-vans running by this train by passenger coaches is also not possible having regard to the need for prompt clearance of perishable traffic on this route.

सिगरटों का उत्पादन, विक्रय तथा निर्यात

2300. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960, 1965 और 1969 में भारत में कुल कितने मूल्य की सिगरेटों का उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष, 1960, 1965 और 1969 में भारत में सिगरेट उद्योग ने कुल कितने मूल्य के सिगरेटों की बिक्री की ; और

(ग) वर्ष 1968 और 1969 में कितने मूल्य की सिगरेटों का निर्यात किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) :

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1960	6.383
1965	11.561
1969	22.332

(ख) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 1968-69 और 1969-70 में निर्यात किए गए सिगरेटों का मूल्य नीचे दिया जा रहा है । विदेशी व्यापार के आंकड़े वित्तीय वर्ष के हिसाब से रखे जाते हैं ।

वर्ष	मूल्य
1968-69	3.28 लाख रु०
1969-70	2.67 लाख रु०

भारत में सिगरेट कम्पनियां

2301. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960, 1965 और 1969 में भारत में संगठित क्षेत्र में कौन-कौन सी सिगरेट कम्पनियां थी ;

(ख) वर्ष 1960, 1965 और 1969 में कुल उत्पादन, लगाई गई पूंजी, बिक्री और निर्यात में संगठित क्षेत्र का हिस्सा कितना था ;

(ग) वर्ष 1960, 1965 और 1969 में भारत में विदेशी और विदेशी नियत्रित सिगरेट कम्पनियों के नाम क्या थे ;

(घ) वर्ष, 1960, 1965 और 1969 में कुल उत्पादन, बिक्री, लगाई गई पूंजी, निर्यात और लाभ में विदेशी तथा विदेशी नियंत्रित कम्पनियों का हिस्सा कितना था ; और

(ङ) क्या सिगरेट उद्योग, में विदेशी पूंजी के नियंत्रण से हमारी विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में देश से बाहर जाती है या जा रही है और यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं०र० कृष्ण) : (क) से (घ). संगठित क्षेत्र की सिगरेट कम्पनियों का नाम उनका कुल उत्पादन, विदेशी

स्वामित्व और विदेशी नियन्त्रण वाली कम्पनियों के नाम तथा उनके 1960, 1965 और 1969 में हुए कुल उत्पादन के अंश को दिखाने वाला एक विवरण सलग्न है ।

पूंजी विनियोजन, बिक्री और लाभ विषयक जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

विदेश व्यापार के आंकड़े वित्तीय वर्ष के अनुसार सम्पूर्ण देश के एक साथ तैयार किए जाते हैं । विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियों द्वारा किए गए निर्यात सम्बन्धी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है । 1960-61, 1965-66 और 1969-70 में निर्यात की सिगरेटों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य
1960-61	3,83,000 रुपये
1965-66	1,86,93,000 रुपये
1969-70	2,67,000 रुपये

(ङ) विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियां बहुत समय से चल रही हैं तथा लाभ एवं लामाशं के रूप में विदेशी मुद्रा का निश्चित भाग वापस चला जाता है, विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां विस्तार के लिए आवेदन देती हैं जब उनसे आग्रह किया जाता है कि वे भारतीय पूंजी भी सम्मिलित कर लें ताकि विदेशी अधिकृत पूंजी का प्रतिशत कम किया जा सके ।

विवरण

वर्ष	भारत स्थित सिगरेट कम्पनी का नाम	कुल उत्पादन दस लाख में	विदेशी स्वामित्व और विदेशी नियंत्रण वाली सिगरेट कम्पनियों के नाम	विदेशी स्वामित्व और विदेशी नियंत्रण वाली सिगरेट कंपनियों का उत्पादन
1	2	3	4	5
1960	1. मै० इम्पीरियल टोबेको कं० कलकत्ता		(i) इम्पीरियल टोबेको कं० कलकत्ता ।	
	2. मै० वजीर सुल्तान टोबेको मैन्यू० कं० हैदराबाद		(ii) वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी हैदराबाद	28,150
	3. मै० गाडफ्रे फिलिप्स, कं० बम्बई		(iii) गाडफ्रे फिलिप्स बम्बई	
	4. मै० नेशनल टोबेको कं० कलकत्ता	36,971		

1	2	3	4	5
	5. मै० गोल्डन टोबेको कं० बम्बई।			
	6. मै० डी० मैकरोपालो, बम्बई			
	7. मै० मास्टरस टोबेको कं० बम्बई।			
	8. मै० क्राउन टोबेको कं० बम्बई।			
	9. मै० हैदराबाद दक्कन सिगरेट फैक्टरी, हैदराबाद।			
	10. मै० हिन्द टोबेको कं० हैदराबाद।			
	11. मै० यूनियन टोबेको कं० कलकत्ता।			
1965	क्रमांक 1 से 9 तक कम्पनियां	54,133	वही	37,457
1969	क्रमांक 1 से 9 तक की कम्पनियां जो 1960 के वर्ष में दिखाई गई हैं तथा इंटरनेशनल टोबेको कम्पनी गाजियाबाद	59,714	वही	46,131

उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों का दिया जाना

2302. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 और 1970 में जिन नई औद्योगिक फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं उन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त आवास में इस में से कौन सी फर्में वास्तव में पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सीमेंट कारखाने तथा कागज बनाने की अतिरिक्त मिलें स्थापित किये जाने की गुंजाइश है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्य में इन उद्योगों को स्थापित न किये जाने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) 1968, 1969 और 1970 (31 मार्च तक) की अवधि में नए औद्योगिक एकक स्थापित हेतु कुल 78 लाइसेंस जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 187 आशय पत्र भी जारी किए गए (जारी किए गए लाइसेंसों/आशयपत्रों का विस्तृत विवरण समय समय पर (i) वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंन्सेंज," "इम्पोर्ट लाइसेंन्सेंज और एक्सपोर्ट लाइसेंन्सेज," (ii) "दी वीकली इण्डियन ट्रेड जनरल" और (iii) "दी मन्थली जनरल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को भी भेजी जाती हैं।

(ख) ऊपर लिखे गए लाइसेंसों/आशय पत्रों में से 10 लाइसेंस और 5 आशय पत्र पश्चिम बंगाल के लिये थे। इनमें से तीन लाइसेंस 1968 में 5, 1969 में और 2, 1970 में जारी किए गए कार्यान्वित किए गए लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी, एक नए एकक की स्थापना में करीब दो से तीन वर्ष लग जाते हैं। पश्चिम बंगाल के नए एककों के लिए जारी किए गए लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियो में हैं।

(ग) और (घ). कागज और सीमेंट दोनों उद्योगों में अखिल भारतीय आधार पर और क्षमता बढ़ाने की गुन्जाइश है। लाइसेंस वस्तुतः वास्तविक रूप में आवेदन प्राप्त होने पर ही जारी किया जाता है। जहां तक सीमेंट उद्योग का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल के लिए पहले स्वीकृत कुछेक योजनायें क्रियान्वित नहीं हो सकी हैं। इस समय राज्य में स्लैगसीमेंट का उत्पादन करने हेतु एक आवेदन पत्र विचाराधीन है। जहां तक कागज उद्योग का सम्बन्ध है नए उपक्रम की स्थापना के लिए अभी तक कोई भी आवेदन पत्र नहीं मिला है जो अनिर्णीत पड़ा हो। इन दोनों उद्योगों पर 1966 से 1969 तक नियन्त्रण उठा लिया गया था।

राजधानी एक्सप्रेस से कानपुर से कलकत्ता तक जाने वाले यात्री

2303. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर से कलकत्ता तक जाने वाले यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस में बैठने देने के बारे में निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं।

(ख) राजधानी एक्सप्रेस के अंतर्नगरीय स्वरूप में परिवर्तन करने का विचार नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी पर नयी दिल्ली और हबड़ा के बीच काफी यातायात रहता है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्टरियों ने सेवा की शर्तें

2304. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार, भोपाल, तिरुचिरापल्लि तथा हैदराबाद स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरियों के विभिन्न कारखानों में मजूरी, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें समान हैं :

(ख) यदि नहीं, तो भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड दोनों पृथक-पृथक कम्पनियाँ हैं । हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना अगस्त, 1956 में की गई थी। कम्पनी का बटवारा किया गया था और विद्यमान कम्पनी के अतिरिक्त भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० नामक एक नई कम्पनी का गठन नवम्बर, 1964 में किया गया था। हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के हरिद्वार, हैदराबाद तथा तिरुचिरापल्ली स्थित एककों में वेतनमान, मंहगाई भत्ते की दरों तथा नौकरी की मुख्य-मुख्य शर्तों में स्थानीय कारणों से थोड़ी घटा-बढ़ी को छोड़कर बहुत कुछ एक-रूपता है ।

मैसर्स लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स लिमिटेड कानपुर द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन

2305. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). मैं० लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा अतिक्रमण किये गये, कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध, तथा उन पर ली गई कार्यवाहियां, प्रदर्शित करता हुआ एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

कुछ अन्य उल्लंघनों, तथा अनियमितताये जो दृष्टिगोचर हुई है, अभी विचाराधीन है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी अधिनियम की धारा	अतिक्रमण/चूक की प्रकृति	की गई कार्यवाही
1.	220	30-9-1963 तक का तुलन-पत्र प्रस्तुत करने में देरी ।	धारा 611(2) के अन्तर्गत, कंपनी पर 270 रु० अतिरिक्त फीस लगाई गई व इससे वसूल की गई ।
2.	220	30-9-1964 तक का तुलन-पत्र प्रस्तुत करने में देरी ।	" "

3.	220	30-9-1965 तक का तुलन-पत्र प्रस्तुत न करने की चूक।	कम्पनी तथा इसके निदेशकों पर मुकदमा चलाया गया व न्यायालय द्वारा कुल 10,000 रु० (प्रत्येक अभियुक्त पर 2000 रु०) जुर्माना किया गया।
4.	614(2)	30-9-65 तक का तुलन-पत्र मिसिल करने के लिए न्यायालय के निर्देश को पालन करने में चूक।	धारा 614 क (2) के अन्तर्गत, इस चूक के लिए कम्पनी पर मुकदमा चलाने का प्रश्न, विचाराधीन है।
5.	220	30-9-1966 तक का तुलन-पत्र मिसिल करने में चूक	इन चूकों के लिए कम्पनी के विरुद्ध अभियोग कार्यवाहियां करने का प्रश्न विचाराधीन है।
6.	220	30-9-1967 तक का तुलन-पत्र मिसिल करने में चूक	
7.	220	30-9-1968 तक का तुलन-पत्र मिसिल करने में चूक	
8.	192	कम्पनी द्वारा 30-3-1968 को पारित विशेष संकल्प की प्रति के प्रस्तुत करने में देरी।	30 रु० की अतिरिक्त फीस आरोपित की गई व कम्पनी द्वारा दे दी गई।
9.	209	प्रपत्र 23 (क) के मिसिल करने में देरी (पंजीकृत कार्यालय से भिन्न, उन स्थानों के पतों का विवरण देना, जहां कम्पनी की किताबें रखी जाती हैं)	30 रु० की अतिरिक्त फीस आरोपित की गई व कम्पनी द्वारा दे दी गई।
10.	220	30-9-1969 तक का तुलन-पत्र मिसिल करने में चूक।	चूक नोटिस प्रेषित कर दिया गया व कम्पनी के उत्तर की प्रतिक्षा है।
11.	159	31-3-1970 तक बनाई गई वार्षिक विवरिणी मिसिल करने में चूक।	चूक नोटिस प्रेषित कर दिया गया व कम्पनी के उत्तर की प्रतिक्षा है।

कानपुर स्थित टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन द्वारा चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित न किया जाना

2306. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर स्थित टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन में चमड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन सिफारिशों को कब लागू किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). चमड़ा तथा चमड़े का सामान बनाने वाले उद्योगों के बारे में की गई लेदर वेज बोर्ड की सिफारिशों का टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया, लि० कानपुर द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

सीमेंट का विनियंत्रण

2307. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों के कुछ वर्गों से सीमेंट के विनियंत्रण के लिये दबाव डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विनियंत्रण के पश्चात् मूल्यों का बढ़ जाना अनिवार्य है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सीमेंट के मूल्य और वितरण पर से सभी प्रकार के नियंत्रण हटा देने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग). सम्पूर्ण प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

Security Arrangements and Posting or Police in the Trains

*2308. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2260 on the 10th March, 1970 regarding security arrangements and posting of Police on the trains and state :

(a) the terms of reference of the Committee mentioned in the reply given to Unstarred Question No. 5013 on the 2?rd December, 1969 ; and

(b) the time likely to be taken in conducting a detailed enquiry pursuant to the recommendations made by the said Committee and in consulting the various Ministries and Departments ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) the terms of reference of the High Powered Committee on Security and Policing on the Railways were as under :

(A) to review the organisational set-up, its structure and pattern, the conditions

of service, including recruitment and training and the legal powers, duties, functions, working methods and responsibilities of the Railway Protection Force with a view to affecting further improvements to its working and efficiency ;

(B) to report what amendments, if any, should be made to the Indian Railways Act, 1890, the Railway Protection Force Act, 1957 and the Railway Protection Force Rules, 1959, for granting requisite powers to members of the Railway Protection Force, or to bring a fresh legislation for the same purpose to enable the force to discharge its responsibilities effectively ;

(C) to recommend measures conducive to better security and policing on the Railways ; and

(D) any other matter not herein-before referred to, relating to the Railway Protection Force.

(c) The various recommendations made by the said Committee are under active consideration of the Government and decisions thereon are likely to be taken shortly.

Problems being faced by 'Essential' Staff of North Eastern Railway

*2309. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6934 on the 21st April, 1970 regarding problems being faced by 'Essential' Staff of the North Eastern Railway, Gorakhpur and state :

(a) whether an enquiry has been conducted into the complaints in respect of the protection, recruitment, allotment of quarters, fixation of seniority etc. of the employees of the North Eastern Railways ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The matter is still under examination.

Issue of Advertisements for recruitment in Railways in English and Hindi Newspapers

*2310. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4645 on the 31st March, 1970 regarding issue of advertisements for recruitment on Railways in English and Hindi newspapers and state :

(a) whether any decision has since been taken with regard to issue raised in the aforesaid question ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The matter is still under examination. A decision is expected to be taken shortly.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teaching Staff in the various Types of Educational and Technical Schools

*2311. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3269 on the 17th March, 1970 regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teaching Staff in various types of Educational and Technical Schools and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) A statement is attached.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Information asked	Reply
(a) whether it is a fact that the Ministry of Railways runs various types of education and technical schools ;	(a) Educational schools only and not technical schools for children/ wards of Railway employees are being run on Zonal Railways.
(b) if so, the category-wise number of teachers in Middle Schools, High Schools, Higher Secondary Schools, Intermediate Colleges and Technical Schools ;	(b) Number of teachers in schools category-wise are as under : Middle Schools 481 High Schools 640 Higher Secondary Schools 722 Inter Colleges 123
(c) whether all the posts reserved in the grades of Teachers, Lecturers, Assistant Headmasters, Headmasters, Instructors, etc , in the above schools for scheduled caste and scheduled tribe candidates have been filled by the candidates belonging to these communities ; and	(c) No.
(d) if so, the details in this regard and, if not, the reasons therefor.	(d) There is a short-fall in the recruitment of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe teachers on certain Railways due to : (i) the selected candidates not having accepted the offer of appointment : and (ii) dearth of qualified Schduled Caste and Scheduled Tribe teachers.

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लिमिटेड, भोपाल को हानि

2312. **श्री पी० विश्वरभरन :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इन्डिया), भोपाल को अपनी स्थापना से लेकर अब तक 50 करोड़ रु० की हानि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार हुई हानि के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) उन वर्षों में वर्ष-वार विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त ऋण पर कितना ब्याज दिया गया ; और

(घ) क्या कारखाने द्वारा कोई लाभ कमाये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए गत दो वर्षों में हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	वर्ष में हानि (लाख रु० में)
1967-68	580.08
1968-69	584.48

वर्ष 1969-70 में अनुमानित हानि 883.00 लाख रु० हो जाने की आशा है। यह राशि अनन्तिम है जब तक कि अन्तिम रूप से हिसाब तैयार नहीं कर लिया जाता।

(ग) तथा (घ). इन वर्षों में दिया गया। हिसाब लगाया गया ब्याज निम्न प्रकार है।

वर्ष	वर्ष के लिए (लाख रु० में)			
	भारत सरकार	स्टेट बैंक	अन्य	कुल
1967-68	332.30	52.31	5.10	389.71
1968-69	361.93	82.34	7.90	452.17
1969-70	413.98	80.12	78.24	572.34

इस प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का निर्माण करने वाली संयंत्रणों के पनपने की अवधि कई वर्षों की होती है। यह विकसित तथा कम विकसित दोनों ही प्रकार के देशों पर लागू होता है, यद्यिप कम विकसित देशों में यह अवधि अधिक लम्बी होती है क्योंकि तकनीकी ज्ञान को ग्रहण करने, स्थानीय विशेषज्ञता को विकसित करने और इस प्रकार के सूक्ष्त उत्पादन में उत्पादिता बढ़ाने में अधिक समय लगता है। इस उपक्रम विशेष के मामले में तो 1957 में ही परामर्शदाता के परियोजना प्रतिवेदन में पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि इस परियोजना को 1970 तक भारी हानि होती रहेगी। इस परियोजना में आज तक हुई हानि को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और विशेषकर जबकि परियोजना प्रतिवेदन के पश्चात् उत्पादन के स्वरूप तथा पूंजीगत विनियोजन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। तथापि इस बात का सुनिश्चय करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि संयंत्र में शीघ्रता से उत्पादन बढ़े। बड़े टर्बाइनों तथा जनित्रकों (जनरेटर) का उत्पादन होने से जो प्रारम्भ किया जा रहा है आशा की जाती है

कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति तक इस उपक्रम में बिना हानि के उत्पादन की स्थिति पहुंच जाएगी ।

गार्ड के रूप में पदोन्नति के लिए समस्तीपुर के ट्रेन क्लर्कों का प्रशिक्षण

2313. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मार्च, 1970 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन० ई०) 169/पी० एस० 1/717 के अनुसार ट्रेन क्लर्कों से गार्डों के पद पर पदोन्नति के लिए जो कोटा रखा गया है वह सभी भारतीय रेलों पर लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर के ट्रेन क्लर्कों को नियमित रूप से गार्ड के प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस बारे मे सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) क्या उनके लेखों में यह चन्दा दिखाया गया है ; और

(ग) और (घ). जो गाड़ी क्लर्क, गार्ड के पदों के लिए विकल्प देते हैं उन्हें गार्डों की कोटि में खाली जगहें उपलब्ध होने पर उनकी पारी के अनुसार अन्य पात्र कोटि के कर्मचारियों के साथ मिली-जुली वरिष्ठता के आधार पर गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जाता है 51 कर्मचारियों को पहले ही गार्ड के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है । इसलिए इस समय और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने का विचार नहीं है ।

मैसर्स एस्कोर्ट लि० द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा

2314. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स एस्कोर्ट लि० द्वारा कुछ राजनीतिक दलों को चन्दे में भारी धन राशि दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो किन राजनीतिक दलों को चन्दा मिला है तथा कितना चन्दा मिला है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री र नाथ रेड्डी) : (क) से (ग). मै० एस्कोर्ट लि० के वार्षिक लाभ-हानि के लेखे में दी गई सूचना के आधार पर, इस कम्पनी ने, 1962-63 से 1969-70 की अवधि के मध्य, अनेक राजनैतिक दलों को निम्न प्रकार चन्दे दिये :—

राजनैतिक पार्टी का नाम	चन्दा दी गई राशि
	रु०
कांग्रेस	1,62,100
स्वतन्त्र	2,14,100
जन संघ	4,366
अकाल दल के उम्मीदवारों को	8,000

(ख) हां, श्रीमान् । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 क के संशोधन के पश्चात् जो 28-12-1960 को लागू हुआ, कम्पनियों के लिए, राजनैतिक दलों को चंदे में दी गई राशि को, अपने लाभ-हानि के लेखाओं में प्रकट करना, अपेक्षित है ।

चोरदा (केरल) में एक ऊपरी पुल के लिये बदागरा नगरपालिका परिषद का अभ्यावेदन

2315. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चौरदा में एक ऊपरी पुल का निर्माण करने के बारे में केरल में बदागरा नगर पालिका परिषद से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चोरोड में वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पूल के निर्माण के लिए बड़गरा नगर पालिका परिषद से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । लेकिन हाल में ही केरल सरकार से चौथी योजना अवधि में बड़गरा और नादपुरम रोड के बीच कि० मी० 713/10-11 पर वर्तमान समपार के बदले चोरोड में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अनुरोध मिला है ।

ज्यों ही राज्य सरकार इस निर्माण कार्य की प्राथमिकता के बारे में अन्तिम निर्णय करेगी और अपने हिस्से का आवश्यक धन नियत कर देगी, रेलवे अपने हिस्से के निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी ।

एरनाकुलम और क्विलोन के बीच की सम्पर्क लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलना

2316. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एरनाकुलम और क्विलोन के मध्य की सम्पर्क मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). एरनाकुलम क्विलन-त्रिवेन्द्रम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है । जांच पूरी हो जाने के बाद इस आमान-परिवर्तन के बारे विनिश्चय किया जायेगा ।

Less Consumption of Coal by Railways

2317. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the coal consumption of the Railways has been going dowu every year ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) This is due to drop in traffic hauled by steam traction.

Awarding of Catering Contracts on Northern Railway

2318. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of persons to whom catering contracts have been given at various Stations on the Northern Railway at present ; and

(b) the number of contracts given to persons belonging to the Scheduled Castes during the last two years ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The total number of persons to whom catering/vending contracts have been given on Northern Railway at present is 1045.

(b) During the years 1968 and 1969, six such contracts have been allotted to Scheduled Castes, out of a total of 121 contracts awarded during three years.

Expenditure on Scheduled Castes and Scheduled Tribes under Free Legal aid in Rajasthan

2319. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the 'Free Legal Aid' in Rajasthan during the last three years ;

(b) whether it is a fact that the aforesaid amount is not being utilised properly ; and

(c) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) Rs. 2,7000/-.

(b) and (c). The aforesaid amount was utilized properly although fuller utilization of the entire provision could not be achieved as the authorities provided in the earlier rules for the disposal of applications for legal and could not attend to them in time. The relevant rules have since been amended and the District Welfare Officer has been made the Sanctioning Authority. This will ensure fuller utilization of funds meant for legal aid.

Allotment of Quarters to Railway Employees at Gangapur City (Western Railway)

2320. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Railway employees at Gangapur City on the Western Railway who have not been allotted Railway quarters ;

(b) whether Government propose to make arrangement for allotting them quarters in the near future ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) 1,626.

(b) and (c). New Quarters are constructed according to a phased programme subject to availability of funds.

Expenditure incurred on Restoration of Railway Lines damaged due to Dust-Storm in Rajasthan

*2321. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Railways on the restoration of Railway lines damaged due to the dust-storm and squalls in the Northern region of Rajasthan during the recent summer days as also the expenditure incurred on clearing the trains detained on that accounts, sending passengers to their destinations, making arrangements for the supply of food and drinking water and removing obstacles from the track separately ;

(b) whether Government have found out a permanent solution of this problem ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Rupees 4 lakhs were spent in removing sand from track since April, 1970. No extra expenditure was incurred in sending passengers to their destinations and making arrangements for supply of food and drinking water.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) No permanent solution is possible for control of large scale sand storm which deposits sand all over including small strips of Railway land.

इस्पात का आयात

2322. **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में कितने इस्पात का आयात किया जाना है और क्या इस्पात के इस आयात की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि हमारे कारखाने पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा कुछ अच्छी किस्म के इस्पात की आवश्यकता है ;

(ख) क्या देश का निर्यात प्रधान इंजीनियरिंग उद्योग देश में उपलब्ध इस्पात से काम नहीं चला सकता ; और

(ग) आयात पर कितनी लागत आयेगी तथा उपर्युक्त उद्योग को इस इस्पात का वितरण करने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1970-71 में आयात की जाने वाली इस्पात की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान इस समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसका बड़ा भाग इस्पात के वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात किया

जायेगा । इस्पात के आयात की आवश्यकता अंशत. कारखानों के निर्धारित क्षमता पर काम न करने और अंशत: कुछ प्रकार के इस्पात का देश में उत्पादन न होने के कारण हुई है ।

(ख) उपर्युक्त कारणों से देशीय उपलब्धि से जिस मात्रा तक मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती उसके लिए इस्पात के विभिन्न उपभोक्ताओं जिनमें निर्यात करने वाले इंजीनियरी उद्योग भी शामिल हैं, के लिए आयात की आवश्यकता है ।

(ग) इंजीनियरी के सामान के निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए हाल ही में 4·50 करोड़ रुपये मूल्य का थोक आयात किया गया है । इसके अतिरिक्त 968-69 के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं के लाइसेंसों का मूल्य 50 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है । इस आयात से विदेशी मुद्रा का लाभ इंजीनियरी उत्पादों के विक्रय मूल्य पर निर्भर करेगा ।

भागलपुर जंक्शन से महादेवपुर घाट तक नई बनी छोटी लाइन का बन्द किया जाना

2324. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी की दूसरी ओर भागलपुर जंक्शन को महादेवपुर घाट से जोड़ने वाली पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी रेलवे लाइन किस वर्ष बिछाई गयी थी,

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिदिन कितने यात्री इस लाइन का उपयोग करते थे ;

(ग) क्या यह सच है कि इस रेलवे लाइन को बन्द करने का तथा महादेवपुर घाट तक यात्रियों और माल को लाने ले जाने का कार्य एक गैर-सरकारी ठेकेदार को सौंपने का विचार है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कार्यवाही के विरुद्ध स्थानीय व्यक्तियों ने तथा व्यापार मण्डल ने अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क)

1—भागलपुर जंक्शन—भागलपुर कचहरी—23-12-1910

2—भागलपुर कचहरी—बरारी घाट —15-3-1906

3—बरारी घाट—महादेवपुर घाट —फेरी सेवा

(ख) 1967-68 508965

1968-69 50216[illegible]

1969-70 [illegible]9174

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

बनस्पति घी के माल डिब्बों से माल उतारने में व्यापारियों के असफल रहने के कारण माल लाने ले जाने में अव्यवस्था

2325. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों के वनस्पति घी के माल डिब्बों से माल उतारने में असफल रहने से उत्तर रेलवे के भीड़-भाड़ वाले दिल्ली स्टेशनों पर माल की लाने ले जाने में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या गत तीन महीनों में दिल्ली किशनगंज, गाजियाबाद, राजपुरा और कानपुर स्टेशनों पर प्रति दिन बड़ी लाइन के लगभग 40 माल डिब्बे तथा सराय रोहिल्ला स्टेशन पर छोटी लाइन के 26 माल डिब्बे जमा हो जाते हैं ;

(ग) क्या भरे हुए टैंक माल डिब्बों को गन्तव्य स्थान पर रोके रखने से प्रारम्भिक स्थानों पर उनकी उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा आने वाला नया माल रुक जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो व्यापारियों से माल डिब्बों को खाली कराने तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). जी हां। जितने बनस्पति तेल टंकी माल डिब्बे रुके रहे उनकी दैनिक औसत संख्या बड़ी लाइन पर 32 और छोटी लाइन पर 22 थी। व्यापारी समान्यतः वनस्पति तेल यातायात को 'अपने नाम' बुक करते हैं। विक्री सम्बन्धी लेन देन के पूरा हो जाने के बाद रेलवे रसीदें वास्तविक परेषिती को पृष्ठांकित कर दी जाती है। अतः रेलों को उस समय तक वास्तविक परेषिती का पता लगना संभव नहीं होता, जब तक कि पार्टी न आ जाये। इस समयान्तर की अवधि में, जो कई दिनों या कई हफ्तों तक चलता है, लदे हुए माल डिब्बे, जहां के तहां, खड़े रहते हैं क्योंकि कोई भी पार्टी इन माल डिब्बों की सुपुर्दगी लेने नहीं आती। परिवहन क्षमता की बरबादी और उसके फलस्वरूप व्यापार और उद्योग को होने वाली असुविधा की ओर व्यापार, आयल मिलर्स एसोसिएशनों आदि के प्रतिनिधियों का बार-बार ध्यान आकर्षित कर उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करके टंकी माल डिब्बों की शीघ्र निकासी करायें। बड़े पैमाने पर यातायात को न रुकने देने के लिए जब आवश्यक होता है, तब बात का ख्याल रखकर कि व्यापार को न्यूनतम असुविधा हो, उपयुक्त कोटा निर्धारित करके माल की बुकिंग पर प्रतिबंध लगाया जाता है और बुकिंग का विनियम किया जाता है। रुके हुये टंकी मालडिब्बों पर विलम्ब शुल्क भी लगाया जाता है।

रूरकेला इस्पात कारखाने में विदेशी तकनीशियन

2326. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने में विदेशी तकनीशियनों की संख्या कितनी है तथा उन्हें सुसज्जित आवास, कार तथा अन्य परिलब्धियों के रूप में दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के साथ

उनके अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन कितने हैं तथा इन सुविधाओं का बाजार दर से मूल्य क्या है ;

(ख) इन पदों पर कितने भारतीय तकनीशियनों को सीधे अथवा इनसे प्रशिक्षण दिला कर नियुक्त किया जा सकता था ; और

(ग) विदेशियों द्वारा कर रहे इन सभी कार्यों पर भारतीयों को लगाने में कितना लगेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय राउरकेला में काम करने वाले विदेशी प्रविधिज्ञों की संख्या 68 है। दिया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम वेतन क्रमश: 9134 मार्क मासिक और 90 रुपये दैनिक तथा 3183 मार्क मासिक और 50 रुपये दैनिक है। उन्हें सुसज्जित आवास दिया जाता है जिसके लिए वे किराया देते हैं। 4-5 प्रविधिज्ञों पर एक कार ड्यूटी के समय के लिए दी गई है।

(ख) और (ग). विदेशी प्रविधिज्ञों के साथ भारतीय प्रविधिज्ञ काम सीखने के लिए लगाये जाते है और प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार वे विदेशी प्रविधिज्ञों का स्थान ले लेते। आशा है कि 1972 तक प्राय: सभी विदेशी प्रविधिज्ञों का स्थान भारतीय ले लेंगे।

भिलाई इस्पात कारखाने में विदेशी विशेषज्ञ

2327. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने में कितने विदेशी तकनीशियन हैं, और उन्हें सुसज्जित आवास, कार तथा अन्य परिलब्धियों के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के साथ-साथ उनका अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन क्या है तथा इन सुविधाओं का बाजार दर से क्या मूल्य है ;

(ख) ऐसे कितने पदों पर भारतीय तकनीशियनों को उन्हें सीधे अथवा इनसे प्रशिक्षण दिलाकर नियुक्त किया जा सकता था ; और

(ग) विदेशियों द्वारा किये जा रहे ऐसे सभी कार्यों पर भारतीयों को लगाने में कितनी अवधि लगेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 30-6-1970 को भिलाई इस्पात कारखाने में 47 विदेशी प्रविधिज्ञ थे। इनमें से 20 कारखाने के परिचालन/संधारण कार्यों और 27 विस्तार कार्य से सम्बन्धित निर्माण कार्य पर लगे हुए हैं। उनको दिया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम मासिक वेतन इस प्रकार है :—

	उधार में से दी गई राशि	व्यापारिक करार के अधीन दी गई राशि
अधिकतम	380 रूबल	468 रूबल
न्यूनतम	116 ,,	248 ,,

विदेशी प्रविधिज्ञों को सुज्जित आवास मुफ्त दिये जाते है । 4 5 विदेशी प्रविधिज्ञों को एक गाड़ी दी जाती है जिसका वे ड्यूटी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं । बाजार भाव के अनुसार इन सुविधाओं का खर्च 1000 रुपये प्रति मास प्रति विशेषज्ञ बैठता है ।

(ख) और (ग). रूसी विशेषशों के साथ भारतीय प्रविधिज्ञ भी काम सीखने के लिए लगाये जाते हैं और प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार वे उन विशेषज्ञों का ध्यान ले रहे हैं। 1972 के बाद परिचालन सम्बन्धी अत्यन्त तकनीकी किस्म के कार्यों के लिए ही कुछ विदेशी तकनीशियनों की आवश्यकता रह जायेगी । 1971 के अन्त तक छठी धमन भट्टी के चालू हो जाने से निर्माण कार्य में लगे विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

काश्मीर मेल तथा श्रीनगर एक्सप्रेस गाड़ियों में डीजल इन्जन लगाना

2328. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर मेल तथा श्रीनगर एक्सप्रेस गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बों में भारी भीड़ रहती है तथा उनमें दिल्ली से पठानकोट तक यात्री, पशुओं की तरह भरे रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भीड़ को कम करने के लिये इन दोनों रेलगाड़ियों में डीजल इंजन लगाने तथा तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाने का प्रस्ताव था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 59 अप/60 डाउन श्रीनगर एक्सप्रेस और 33 अप/34 डाउन काश्मीर मेल गाड़ियों में दिल्ली और लुधियाना के बीच अधिक भीड़ रहती है जो तीसरे दर्जे में बैठने के लिये उपलब्ध स्थान से 50 प्रतिशत अधिक होती है । लुधियाना के बाद भीड़-भाड़ नाम मात्र होती है । गर्मी के दिनों में वास्तव में पठानकोट तक भारी भीड़ रहती है ।

(ख) और (ग). सवारी गाड़ियों का डीजलीकरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है । चौथी पंचवर्षीय योजना में डीजलीकरण के लिए हमने जो प्राथमिकता सूची बनायी है, उसमें 59/60 नं० की गाड़ी शामिल है । ज्योंही अधिक डीजल इंजन उपलब्ध होने लगेंगे अन्य मांगों की सापेक्षिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 59/60 नं० की गाड़ियों में डीजल इंजन की व्यवस्था कर दी जायेगी ताकि इनमें 3 अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जा सकें ।

गंगरेट, भरवाई, परगपुर, ज्वालामुखी, नदौन और कांगड़ा (उत्तर रेलवे का कांगड़ा घाटी सैकशनों) में 'आउट एजेंसियों' का पुन: स्थापित किया जाना

2329. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके कांगड़ा घाटी के दौरे के समय ज्वालामुखी पर गंगरेट भरवाई, परगपुर, ज्वालामुखी, नदौन, और कांगड़ा में आउट एजेंसियों का पुन:स्थापित करने के सम्बन्ध में उन्हें कोई अभ्यावेदन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां ।

(ख) मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम को गंगरेट, भरवाई, परागपुर, ज्वालामुखी मन्दिर और नदाऊं में परीक्षण के तौर पर पार्सल बुक कराने के लिए 6 महीने तक आउट-एजेंसियां चलाने के लिए कहा गया है और निगम इसके लिए राजी हो गया है । ये आउट एजेंसियां बारी-बारी से हफ्ते में केवल एक दिन काम करेंगी ।

यातायात को सम्भालने के लिए कांगड़ा स्टेशन पर जो पर्याप्त प्रबन्ध पहले से मौजूद हैं, उन्हें देखते हुए कांगड़ा में सिटी बुकिंग एजेंसी को फिर से खोलने का कोई विचार नहीं है ।

गृह-कार्य तथा वित्त मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गए आदेशों की क्षेत्रीय रेलों द्वारा क्रियान्विति

2330. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेलवे मन्त्री गृह-कार्य तथा वित्त मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में 21 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आदेश सभी क्षेत्रीय रेलों में क्रियान्वित किये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो कब से क्रियान्वित किये गए थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) ये आदेश क्षेत्रीय रेलों पर लागू नहीं होते ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) रेलों की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए गृह मन्त्रालय ने यह बात मान ली थी कि फालतू कर्मचारियों को पुन: काम पर लगाने से संबंधित योजना रेलों पर लागू न की जाये ।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी का लोको विभाग का बंद होना

2331. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज लाइन के भाप से चलने वाले इन्जन बनाने वाली टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोको मोटिव कम्पनी का लोको विभाग बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कारखाने का अपेक्षाकृत बड़े इन्जन बनाने हेतु उपयोग करने के लिये कारखाने के उत्पादन का विविधिकरण और आधुनिकीकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव था और यदि हां, तो वह क्या था ; और

(घ) क्या इस कारखाने के बन्द होने का कारण भाप के इन्जनों के स्थान पर उत्तरोत्तर डीजल और विद्युत चालित इन्जनों के प्रयोग का आवस्थित कार्यक्रम है और यदि हां, तो यह प्रतिस्थापन कितनी अवधि में पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां ।

(ख) 1963 में, चौथी योजना अवधि के दौरान मीटर लाइन के भाप रेल इन्जनों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सूचित करने पर टेल्को ने और अधिक आर्डर लेने में उदासीनता दिखायी क्योंकि उन्होंने भाप रेल इन्जनों का उत्पादन क्रमशः कम कर देने और संयंत्र तथा उपस्करों का अन्य उत्पादन के लिये उपयोग करने की योजना पहले ही बना ली थी । फिर उनपर जोर डाला गया कि वे 1966-70 की अवधि में मीटर लाइन के 200 भाप रेल इन्जनों का अन्तिम आर्डर स्वीकार कर लें । 200 वां रेल इन्जन, जून, 1970 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

मैसर्स ट्राइस्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, द्वारा फैलेंजेज तथा 'बंग्स' का निर्माण

2332. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसर्स ट्राइस्योर इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड बम्बई को ड्रमों तथा बैरलों में फिट करने के लिये अपेक्षित 'फेलेंजेज' तथा 'बंग्स' का निर्माण करने की इस शर्त पर अनुमति दी थी कि वे अपने उत्पादन के कुछ निश्चित प्रतिशत का निर्यात करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो अपने उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्यात करने का उन्होंने बचन दिया था ;

(ग) क्या उन्होंने बचन की शर्तों के अनुसार अपना उत्पादन निर्यात के लिये किया अथवा कर रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो अपने वचन से फिरने पर उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्पादन का 50 प्रतिशत ।

(ग) और (घ). फर्म का निर्यात उसके वायदे से कम हुआ है । उन्होंने बताया है कि उनके उत्पादों के निर्यात में बहुत सी कठिनाइयां हैं, इनमें मुख्य रूप से पर्याप्त मात्रा में उचित किस्म के कच्चे माल का न मिलना है । उन्होंने बताया है कि 1968 की अवधि में 2,41,556 रुपये के मूल्य के फ्लेंजेज का निर्यात किया गया है । उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन का अप्रत्यक्ष निर्यात काफी हुआ है और जो 10 लाख रु० वार्षिक का है । उन्होंने यह भी बताया है कि हाल में उन्होंने क्रयादेशों के प्राप्त करने के लिए जो निविदाऐं दी हैं उनके पूरा होने की संभावना है ।

मैसर्स स्टैंडर्ड एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 का उल्लंघन

2333. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** उल्लंघन के बारे में मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा उद्योग (विकास विनिमय) अधिनियम, 1951 के 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7772 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले के इस बीच जांच कर ली गई है और मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई से सरकार द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त जानकारी के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर किये गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार अपने निर्णय से सभा को कब अवगत करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). कम्पनी से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रख कर की जाने वाली कार्यवाही पर विधि मन्त्रालय के परामर्श से आ। विचार किया जा रहा है। जैसे ही इस मामले पर अन्तिम निर्णय लिया जाता है सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

सिगनल व्यवस्था में मार्ग-परिपथ प्रणाली

2334. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगनल व्यवस्था में मार्ग-परिपथ प्रणाली के लाने से दुर्घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षा लाने में मदद मिलेगी ;

(ख) क्या यह व्यवस्था सभी रेलवे स्टेशनों में लागू की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस व्यवस्था को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यह व्यवस्था कितने रेलवे स्टेशनों पर लागू की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) मार्ग परिपथ (ट्रैक सर्किट) के कारण किसी गाड़ी को उस लाइन पर लेने के लिए सिगनल नहीं दिया जा सकता जिस पर कोई गाड़ी या माल डिब्बा या सवारी डिब्बा पहले से खड़ा हो।

(ख) और (ग). सामान की उपलब्धता और वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न स्टेशनों पर मुख्य रन थ्रू लाइनों पर रेल पथ परिपथ की व्यवस्था की जा रही है इसमें ट्रंक मार्गों वाले स्टेशनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(घ) अब तक 731 स्टेशनों पर मार्ग परिपथ की व्यवस्था की गयी है।

छोटी विद्युत भट्टियों में 'तरल धातु' के उत्पादन के लिये छीलन की कमी

2335. **श्री सीताराम केसरी:** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाभकर मूल्यों पर छीलन की कमी के कारण छोटी विद्युत भट्टियों में 'तरल धातु' के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छीलन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने, और देश में विद्युत भट्टियों को उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). छीलन की कमी के बारे में धमन-भट्टियों के मालिकों से शिकायतें प्राप्त हुई है। उनको इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रकार के छीलन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

यात्रा-विराम की अनुमति के उपरांत आरम्भ की गई यात्रा हेतु सोने के स्थान के लिए मांगे गये धन के भुगतान के बारे में

2336. **श्री न० कु० सांघी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को अगर वे बीच में रुकने के पश्चात् अपनी यात्रा फिर चालू करते हैं, जिसकी रेलवे नियमों के अनुसार अनुमति है, तो उनको एक रात्रि से अधिक के लिये सोने के स्थान के लिये भुगतान करने के पश्चात् अपनी यात्रा की अगली रात्रि के लिये पहली रात्रि को लागू होने वाला किराया फिर से देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हा, तो इस किराये का औचित्य क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : जी हां।

(ख) तीसरे दर्जे के तीन-टीयर वाले सवारी डिब्बों में दूसरी रात तथा उसके बाद की रात के लिये अपेक्षाकृत कम अधिभार लेने का अभिप्राय उन यात्रियों को राहत देना है जो बिना विराम इतनी लम्बी यात्रा करते हैं जिसमें एक से अधिक रात लग जाती है। इस सुविधा का औचित्य उन यात्रियों के लिए नहीं है जो मार्ग में अपनी सुविधा के लिये यात्रा भंग करके फिर यात्रा शुरू करते हैं।

सोवियत रूस से आयातित उक्मसह धातुओं तथा देश में ही निर्मित उक्मसह धातुओं की लागत मूल्य

2337. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथा कथित आधार पर कि देशी निर्माता उनको दिये गये क्रयादेशों के अनुसार माल सप्लाई करने में असमर्थ रहे, क्या सरकार ने पूर्व-निर्धारित केवल 7,900 टन के बजाय, सोवियत रूप से 47,621 टन उक्मसह धातु का आयात करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयात की जाने वाली उक्मसह धातु की विभिन्न किस्मों उनकी क्रमशः मात्रा, प्रस्तावित कीमतों, देश में पड़ने वाली अलग अलग लागत और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपर्युक्त वस्तुओं के लिये देशी निर्माताओं को दी जाने वाली कीमतों का ब्यौरा क्या है और क्या वे अब खर्च की जाने वाली, देश में आकर पड़ने वाली लागत की अपेक्षा कम थी ;

(घ) क्या सरकार ने तुलनात्मक कीमतों का देशी निर्माताओं से प्रस्ताव किया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उनको अदा की जाने वाली कीमतों का हवाला दिये बगैर ही क्या यह कहना सही है कि देशी निर्माता उक्मसह धातुओं का उत्पादन करने में असमर्थ थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने को रूस से 47,621 टन ऊष्मसह आयात करने की अनुमति दी गई है । आरम्भ में रूस से केवल 7460 टन ऊष्मसह आयात करने की योजना बनाई गई थी परन्तु देशीय निर्माता बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये अपेक्षित मात्रा अथवा प्रकार के ऊष्मसह सप्लाई करने में असमर्थ रहे । परिणामस्वरूप इस मात्रा में आयात करने की अनुमति देनी पड़ी ताकि कहीं ऊष्मसह की कमी के कारण बोकारो का निर्माण कार्य बन्द न हो जाये ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) और (ङ). खुले टैण्डरों तथा विभिन्न ठेकेदारों द्वारा दी गई कीमतों के आधार पर ही देशीय निर्माताओं को आर्डर दिए गये थे, अतः इन निर्माताओं को आयातित मूल्य के बराबर मूल्य देने का प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे माल डिब्बों से लोहे तथा इस्पात के सामान की चोरी

2338. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के माल डिब्बों से लोहे तथा इस्पात की चोरी के बारे में बार बार शिकायत मिली हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात मन्त्री तथा रेलवे मन्त्री अक्तूबर, 1968 में हुई बैठक में इस्पात मन्त्री ने यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार की चोरी को रोकने के उपायों पर रेलवे को जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा उसे हम वहन करेंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर, 1968 में इस्पात मन्त्री द्वारा दिये गए उपर्युक्त सुझाव का रेलवे ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, और यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार समझती है कि इस मामले के लिये रेलवे उत्तरदायी है, और यदि हां, तो रेलवे माल डिब्बों से भेजे गए सामान की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) कुछ रेलों पर रेलवे माल डिब्बों से लोहे और इस्पात का सामान खो जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) और (ग). इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों और इस्पात और भारी इंजीनियरी मन्त्रालय के साथ भी अनेक बैठकें हुई थीं इनमें किए गए विचार विमर्श के आधार पर, रेलों में बुक किए गए इस्पात के परेषणों की चोरी और उठाई गीरी रोकने के लिए कार्रवाई की गयी है।

(घ) लोहे और इस्पात के परेषण खुले माल डिब्बों में रेलवे जोखिम पर ढोये जाते हैं और इसलिए चोरी अथवा उठाईगीरी के कारण इस तरह के परेषणों के खो जाने के लिए रेलवे जिम्मेदार होती है। लोहे और इस्पात के परेषणों की उठाईगीरी/चोरी की सम्भावनाओं को समाप्त करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

1. सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों, माल गोदामों, यानान्तरण स्थलों और यार्डों में चौबीसों घण्टे सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहते हैं ताकि प्रस्थान, यानान्तरण और सुपुर्दगी की प्रतीक्षा में पड़े परेषणों से अपराधियों द्वारा छेड़-छाड़ किए जाने को रोका जा सके। वे छोटे मालडिब्बों से लोहे और इस्पात के परेषणों को उतारने के काम की भी निगरानी करते हैं।
2. बद्रनाम स्थलों और क्षेत्रों में लोहा और इस्पात ढोने वाली गाड़ियों सहित लगभग सभी गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के मार्ग रक्षी चलते हैं ।
3. सुरक्षा शाखा लोहे और इस्पात के परेषणों की चोरी से सम्बन्धित अपराधियों और चोरी का माल खरीदने वालों के बारे में सूचना इकट्ठी करती है और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखती है।
4. चोरी की सम्पत्ति खरीदने वालों के विरुद्ध सिविल और रेलवे पुलिस को सहायता से रेलवे सुरक्षा दल द्वारा समय समय पर अचानक छापे मारे जाते हैं।
5. अपराधों की रोक थाम के लिए सिविल और रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है और इसके लिए दिन-प्रति-दिन की समस्याओं पर विचार विमर्श करने और उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए सभी स्तरों पर आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।
6. यार्डों में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ किया गया है।
7. पैकिंग की निर्धारित-शर्तों का पालन करवाया जाता है और सभी मुहर जांच स्टेशनों पर परेषणों की हालत की जाँच करके उसे अभिलेखबद्ध किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि अपराध कहां हुआ है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सेंट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो द्वारा रौलिंग मिल उपकरण का निर्माण

2339. **श्री वीरेन्द कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सेंट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन

ब्यूरों ने अमरीका की यूनाइटिड इन्जीनियरिंग कम्पनी तथा रूस की टियाजप्रोमएक्सपोर्ट के साथ मिल कर रौलिंग मिल उपकरण के निर्माण के लिए करार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करारों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् सैंट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरों से कितनी बार पूछताछ की गई है, कितनी निवेदित दरें (कोटेशनस) दी गई हैं और कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि सैंट्रल इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो को अब तक कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुए हों तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इन्जीनियरिंग और रूपांकन कक्ष से भारत में रोलिंग मिलों के निर्माण हेतु उनके डिजाइन के संबंध में मैसर्स यूनाइटेड इन्जीनियरिंग एण्ड फाउन्ट्री कम्पनी के साथ एक करार किया है । केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन कक्ष द्वारा त्याज प्रोमेक्सपोर्ट के साथ किया गया करार उपकरणों के रूपांकन के संबंध में नहीं है ।

(ख) रोलिंग मिल संयंत्र और उपकरणों की आपूर्ति के लिये कुल 136 पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में केवल पूछ-ताछ हेतु प्राप्त हुये पत्र भी शामिल है । केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन कक्ष ने औपचारिक रूप से 23 टैन्डर भरे है और 14 बजट संबंधी पेशकशें की है और उन्हें दो आर्डर प्राप्त हुये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहे के कारखानों की स्थापना

2340. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात छीलन की भारी कमी हो गई है ;

(ग) क्या स्पंज लोहे के कारखाने की स्थापना से उक्त कमी को दूर किया जा सकेगा ;

(ग) क्या वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लोहा तथा इस्पात उद्योग ऐसे उद्योगों की सूची में है जो विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित है, किन्तु यदि सरकार वांछनीय और आवश्यक समझे तो वह गैर सरकारी कारखानों को भी इस्पात तथा लोहे का उत्पादन करने की अनुमति दे सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहे के कारखानों की स्थापना के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस्पात के रद्दी माल की कमी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ख) विद्युत भट्टियों में इस्पात बनाने के लिये स्पंज लोहा हैवी मैल्टिंग छीलन की अनुपूर्ति कर सकता है ।

(ग) और (घ). निजी क्षेत्र में स्पंज लोहे के कारखाने स्थापित करने से संबंधित आवेदनों पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

बोकारो तथा भिलाई इस्पात कारखानों के लिये अपेक्षित उष्मसहों (रिफ्रैक्टरीज) की विशिष्टियां

2341. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने तथा भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा अपेक्षित उष्मसहों की विशिष्टियों में क्या अन्तर है ; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित विशिष्टियों के अनुसार आयोजित उष्मसहों का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया गया यदि उष्मसह विशिष्टियों के अनुसार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बोकारो और भिलाई के इस्पात कारखानों के लिए उपकरणों का प्राचल अलग अलग है। उनकी प्रविधि, निर्माण—प्रक्रिया, परिचालन.प रिस्थितियों और उनमें तैयार होने वाले माल में भी अन्तर है और इसलिए बोकारो इस्पात कारखाने और भिलाई इस्पात कारखाने के लिए अपेक्षित उष्मसहों की विशिष्टियों में कोई सार्थक तुलना नहीं की जा सकती ।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के लिए आवश्यक उष्मसहों की निरीक्षण प्रणाली ऐसी है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सप्लाई की गई उष्मसह ईंटें निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार है ।

गेहूँ को खुले स्थान में स्टोर करना तथा उसके लदान में विलम्ब

2342. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा के कारण काफी मात्रा में गेहूं नष्ट हो गया था क्योंकि उसको खुले स्थान में स्टोर किया गया था तथा रेलवे उसका लदान समय पर नहीं कर सकी थी ;

(ख) इस प्रकार कितनी हानि हुई थी तथा इसमें रेलवे की कितनी जिम्मेदारी थी ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि वर्षा ऋतु में गेहूँ का खुले माल डिब्बे में लदान होने पर हानि न हो तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) रेलों को इस बात की जानककारी नहीं है कि गेहूं बुक करने से पहले खुले स्थान पर भंडार बनाने के कारण वर्षा से कोई नुकसान हुआ है। रेलों का सम्बन्ध इस बात से है कि कार्यक्रम के अनुसार गेहूं की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की तुरन्त सप्लाई की जाय । गेहूं की ढुलाई के लिए मालडिब्बों की व्यवस्था तुरन्त कर दी गई थी ।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) गेहूं की अधिकतम ढुलाई की व्यवस्था बन्द माल डिब्बों में की जाती है। व्यस्त समय में बन्द माल डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए केवल कुछ खुले माल डिब्बों का भी उपयोग किया जाता है। खुले माल डिब्बों में गेहूं की बोरियां पिरामिड के आकार में लादी जाती हैं और उन्हें विधिवत तिरपाल से ढक दिया जाता है। खुले माल डिब्बों के ब्लाक रेकों को इस प्रकार ढक कर उनके साथ रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी अनुरक्षी कार्य के लिए लगाये जाते हैं। मार्ग में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ब्लाक रेलों का निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था भी की जाती है ताकि तिरपाल के खिसकने और रस्सियों के ढीले आदि होने पर उन्हें ठीक कर दिया जाये।

इस्पात कारखानों का सर्वेक्षण

2343. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय ने देश में नये इस्पात कारखाने के लिए मांग सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण से सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादन में कमी के कारणों की सूची तैयार हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और इसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). मन्त्रालय ने इस प्रकार का अध्ययन शुरू किया है परन्तु यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). मन्त्रालय भविष्य में होने वाली मांग और भूतकाल तथा वर्तमान काल में उत्पादन की कमी के कारणों का पता लगा रहा है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र

2344. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक कारखाने स्थापित करने के बारे में उनके मन्त्रालय के पास अनिर्णीत आवेदन-पत्रों पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नये कारखानों की स्थापना के परिणाम स्वरूप देश की सम्पूर्ण मांग पूरी हो जायेगी ; और यदि नहीं, तो कितनी मांग पूरी होगी ; और

(घ) नये उत्पादन का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). औद्योगिक लाइसेन्स दिए जाने का निर्णय, आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा प्रत्येक आवेदन पत्र की चालू औद्योगिक नीति के अधीन जांच किये जाने के पश्चात किया जाता है। निर्णय लेते समय दूसरी बातों के साथ-साथ वर्तमान मूल्य और निर्माण क विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है। विभिन्न उत्पादों के लिए देश की मांग को पूरा कर। हेतु तथा इसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए नये एककों की स्थापना तथा विद्यमान एककों के विस्तार अथवा उनमें विविधता लाने के लिए नई औद्योगिक नीति के अनेक तत्वों से सहायता मिलेगी। छूट की सीमा 1 करोड़ रु० तक बढ़ाना, कुछ शर्तों के अधीन पर्याप्त विस्तार तथा विविधता लाने के लिए सुविधायें देना तथा 'लाइसेंसों के लिए प्रतिबन्धित सूची' को निलम्बित करना, इन सबका इष्ट, वहां जहां कि उत्पाद की मांग है, उत्पाद में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां कि लाइसेन्सों की आवश्यकता होगी, तो वे विदेशी मुद्रा को सीमित करने की शर्त के अधीन मध्यम क्षेत्र में लघु तथा मध्यम उद्यमियों को उदारतापूर्वक दिए जायेंगे। इस क्षेत्र में यदि योजना अन्यथा सुदृढ़ और स्वीकार्य हो तो क्षमता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा। उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 1 :3 उद्योगों की एक सूची की घोषणा की है जिनके लिए देश में मांग है तथा उनमें और अधिक विनियोजन की गुंजाइश है और 121 उद्योगों की भी घोषणा की गई जिनमें विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है। देश में उत्पादन में विभिन्न व्यवधानों की पूर्ति के लिए जहां कहीं संभव हो सरकारी क्षेत्र के विस्तार का भी प्रस्ताव किया गया है। इन उद्योगों के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि उत्पादन की गति देश में बढ़ती हुई मांग के साथ-साथ चलेगी।

सरकारी क्षेत्र में जूते का कारखाना

2345. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मुख्य रूप से रूसी क्रयादेशों को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक जूते का कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्ताव हाल में मास्को में हुई भारत-रूस बातचीत के पश्चात सामने आया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में जूते का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कांडला पत्तन क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना

2346. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :** क्या औद्योगकि विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कांडला पत्तन क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने का है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस बारे में अपना मत दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय मे उप-मन्त्री (श्री म र० कृष्ण) : (क) से (ग). जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विशाखापटनम में तट पर स्थित इस्पात कारखाने के लिए कोयला

2347. **श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापतनम में तट पर स्थित इस्पात कारखाने को कोयला देने के लिए सरकार की कोयला आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर लिया गया है ।

(ख) क्या कारखाने की कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर लिया गया है ;

(ग) कोयले का आयात करने के क्या कारण हैं जबकि देशी कोयला उद्योग अपनी पूर्णता की स्थिति पर नही पहुंचा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि कोयला धोने के कारखाने इस्पात कारखानों की स्वीकार्य किस्म का कम राख वाला कोयला सप्लाई करे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). इस समय सरकार नई इस्पात प्रायोजनाओं के लिए जिनमें विशाखापत्तनम की प्रायोजना भी शामिल है, कोयले की आवश्यकताओं की जांच कर रही है । इस बारे में देशीय कोयले अथवा आयात किये गये कोयले के प्रयोग की सम्बन्धित मितव्ययिता की जांच की जा रही है ।

(घ) कोयला शोधन शालायें, इस्पात कारखानों और उनके बीच पारस्परिक ढंग से निश्चित की गई विशिष्टयों के अनुसार कोयला धोती हैं । कोयले में विद्यमान राख के अंश को और कम करने से कोयला धोने की लागत बढ़ जाएगी और यह प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना में अधिक होगी ।

कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के बारे में मैसर्ज कुलजियन एण्ड दस्तूर कंपनी का प्रतिवेदन

2348. **श्री रवि राय** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार देश में कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के बारे में मैसर्ज कुलजियन एण्ड दस्तूर कम्पनिज द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन को एक प्रति देने के बारे में भारत सरकार को 1966 से कहती रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनको भी लोक सभा के एक सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि वे उसको संसद सदस्यों और उड़ीसा सरकार को सौंप दें ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रतिवेदन की प्रतियां कब देगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद कुरेशी) : (क) राज्य सरकार ने जून, 1966 में एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कच्चे लोहे के कारखानों के बारे में मैसर्ज कुलजियन और दस्तूर एन्ड कम्पनी द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन मांगे थे।

(ख) माननीय सदस्य ने स्वयं 17 जुलाई, 1970 को इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उड़ीसा की सरकार को इन दोनों प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति भेजने के लिए कहा था।

(ग) यदि राज्य सरकार अब भी चाहती है तो इन दोनों प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति उनको भेजी जा सकती है।

मद्रास सैन्ट्रल लाइन का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव

2349. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या रेलवे मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सैंट्रल लाइन के विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस बारे में आवश्यक विलम्ब किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कार्यवाही को शीघ्र गति से कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मद्रास-विजयवाडा खंड के बिजलीकरण से है। मद्रास-विजयवाड़ा और मद्रास अरकोणम खंडों की बिजलीकरण परियोजनाओं को, अनन्तिम रूप से चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल किया गया था। मद्रास-विजयवाड़ा के बिजलीकरण का लागत एवं लाभ सम्बन्धी आर्थिक अध्ययन पूरा हो चुका है और इस समय उस पर विचार हो रहा है। मद्रास-अरकोणम खंड का बिजलीकरण मद्रास-विजयवाड़ा खंड के बिजलीकरण सम्बद्ध है। अतः मद्रास-विजयवाडा खंड के बिजलीकरण के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय करने के बाद इस पर विचार किया जायेगा।

(ख) अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं हो रहा है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

प्रयोक्ता वस्तुओं के उत्पादन तथा उनका मूल्य

2350. **श्री लोबो प्रभु** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात प्रतिस्थापन समिति में हाल ही में किये गये विचार विमर्श के सम्बन्ध में क्या अध्ययन के अधीन 112 उद्योगों में वर्ष में वास्तविक उत्पादन 9 प्रतिशत बढ़ा है, इसी अवधि में इन्हीं वस्तुओं के मूल्य में कितनी औसत वृद्धि हुई ;

(ख) आयात प्रतिस्थापन के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्यों को एक सीमा में रखने तथा उनकी किस्म को बनाये रखने की वर्तमान व्यवस्था क्या है, तथा क्या मूल्यों को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी ;

(ग) क्या 112 उद्योगों की वस्तुओं के मूल्यों तथा उन्हीं वस्तुओं को जहाज से उतरने संबंधी लागत की कोई तुलना की गई है, यदि नहीं, तो क्या उपभोक्ताओं को इन दोनों का अन्तर देना पड़ता है तथा क्या सरकार को उत्पादन शुल्क और आयात शुल्क में अन्तर की हानि सहनी पड़ती है ;

(घ) 112 उद्योगों की वस्तुओं के आयात तत्वों का औसत क्या है तथा क्या किन्हीं मामलों में ये पूरी तरह आयात की गई वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होता ; और

(ङ) क्या समिति की अगली बैठक में इन सभी समस्याओं पर विचार किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) आयात प्रतिस्थापन के लिए जिन 112 उद्योगों का अध्ययन किया गया था उनके उत्पादन में जबकि 1968 की अपेक्षा 1969 में वृद्धि 9.9 प्रतिशत हुई, उनके द्वारा बनाये गये उत्पादों के मूल्य में औसत वृद्धि 3.4 प्रतिशत के लगभग हुई।

(ख) किस्म बनाये रखने के लिए देश में उत्पादित कच्चे मालों, उपकरणों आदि का यही अथवा तुलनात्मक विशिष्टीकरण निर्धारित किया जाता है जो प्रतिस्थापित आयातित कच्चे मालों के लिए निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आयातित कच्चे सामान अथवा उपकरणों के देशीय प्रतिस्थापनों के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा नये मानक बनाये जाते हैं, समग्ररूप से उच्च किस्म बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष मामलों में यथा सभव निष्पक्ष उत्पादों की विशिष्टियां भी संशोधित कर दी जाती है। आयात प्रतिस्थापन के लिए अध्ययन की गई वस्तुओं के मूल्यों में आलोक्य वर्ष में 3.4 प्रतिशत की औसत मूल्य वृद्धि हुई है जो मूल्यों वृद्धि के सामान्य स्तर की दृष्टि से असमान नहीं हैं। केवल आयात प्रतिस्थापन के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 दोनों के अन्तर्गत यह व्यवस्था अवश्य की गयी है कि जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाये औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाये ।

(ग) आयातित वस्तुओं का जहां से उतरने के बाद की लागत भिन्न-भिन्न होती है जो उस स्थान से जहां से वे आयात की गई हैं तथा अन्य बहुत से पहलुओं पर निर्भर करती है । तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जिस प्रकार श्रम प्रधान उद्योगों में उत्पादित प्रतिस्थापनों के मूल्य की प्रवृत्ति उसी प्रकार के आयातित सामान की लागत से कमी की ओर है, उसी प्रकार पूँजी प्रधान उद्योगों में देश में उत्पादित प्रतिस्थापनाओं के मूल्य की प्रवृत्ति उसी प्रकार की आयातित वस्तुओं की लागत से कुछ अधिक होती है । आयात प्रतिस्थापन की नीति में मुख्य प्रयत्न विदेशी मुद्रा की लागत में कमी करना रहा है तथा बिना संकोच के यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता अथवा उत्पादन और आयात करों के मूल्य में भिन्नता का ध्यान किए बिना भी चुने हुए उद्योगों में आयात प्रतिस्थापना के कारण विदेशी मुद्रा की बचत देश के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है ।

(घ) 1969 में अध्ययन किये गये 112 उद्योगों में औसत आयात की वस्तुएं 9.3 प्रतिशत थी । इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि आयातित वस्तु का मूल्य आयातित पूर्ण वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है ।

(ङ) समिति का अपनी प्रत्येक बैठक में यह प्रयत्न रहता है कि वह विचारणीय आयात प्रतिस्थापना के प्रत्येक नये उपाय की आर्थिक पैचीदगियों पर विचार करे ।

टायर तथा ट्यूबों की कमी

2351. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायर तथा ट्यूबों के लिये निर्माण क्षमता कितनी है और गत वर्ष वास्तविक उत्पादन कितना हुआ तथा कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में स्टैंडर्ड कार तथा बस टायरों की कीमत कितनी रही तथा उन्हीं कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार टायरों की मांग को किस प्रकार पूरा करने और मूल्यों में विश्व-बाजार के मूल्यों के अनुपातों में किस प्रकार कमी करने का है ?

औद्योगक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) :

(क) 1969 में टायरों तथा ट्यूबों की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	अधिष्ठापित क्षमता	1969 में उत्पादन (नगों में)
आटोमोबाइल टायर	33,43,200 नग	40,15,014
आटोमोबाइल ट्यूब	33,43,200	32,71,311

यह दृष्टव्य है कि विगत वर्ष टायरों के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) बस, ट्रक तथा कार के टायरों के कुछ मुख्य साईजों के मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

		1-4-66 से 20-11-68 शुद्ध विक्रेता मूल्य	20-11-68 से आज तक लागू शुद्ध विक्रेता मूल्य
8.25×20	12 पी० आर० एच० डब्ल्यू०	656.73 रु०	699.48 रु०
9.00×20	वही	755.31 रु०	804.49 रु०

कार टायर

5.20×4	6 पी० आर० एच० डब्ल्यू० एस० डब्ल्यू०	140.81 रु०	149.99 रु०
5.99×15	वही	164.21 रु०	174.99 रु०

रबड़ के मूल्यों पर से नियंत्रण उठा लेने के पश्चात 1968 में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर निर्माताओं ने नवम्बर, 1968 में टायरों के मूल्यों में वृद्धि कर दी थी।

(ग) भारत में टायरों के मूल्यों आयातित टायरों के लागत बीमा भाड़ा मूल्यों के समान हैं केवल उत्पादन कर अतिरिक्त है।

सरकार ने 18.37 लाख टायर तथा ट्यूब बनाने के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति/लाइसेंस पहले ही दे दिये हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में होने वाली मांग को पूरा करने के लिए 25 लाख की अग्रेतर अतिरिक्त क्षमता के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

तलचेर और विमलगढ़ को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का इंजीनयरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण

2352. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तलचर और बिमलागढ़ को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क), (ख) और (ग). तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन (कोइरा घाटी तक विस्तार सहित) के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण का क्षेत्रकार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट संकलित की जा रही है जबकि जून, 1970 के अंत तक यातायात सर्वेक्षण का 90 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। इस लाइन का निर्माण सर्वेक्षणों के परिणाम, धन की उपलब्धता और इस तरह के अन्य प्रस्तावों के मुकाबले इस काम को मिलने वाली अग्रता पर निर्भर करता है।

उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों तथा ड्राफ्ट्समैनों का स्थायीकरण

2353. **श्री श्रीचंद गोयल :**

श्री विद्याधर वाजपेयी :

क्या रेलवे मन्त्री उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों तथा ड्राफ्ट्समैनों के स्थानीयकरण के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में 7 वर्ग या इससे भरी अधिक समय से सेवा कर रहे अस्थायी आशुलिपिकों की क्षेत्रवार, डिवीजन-वार तथा वेतनमान वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या 7 वर्ष का इससे भी अधिक समय से सेवारत आशुलिपिकों को स्थायी न बनाने से सितम्बर, 1969 में जारी किये गये रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन होता है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड 31 जनवरी 1970 तक क्षेत्रीय रेलवे से माँगे गए विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिये गए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिनको यह कार्य सौंपा गया था ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

समस्तीपुर से बारकाखाना तथा बारकाखाना से समस्तीपुर तक सीधा रेलडिब्बा लगाना

2354. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बारकाखाना जाते हुए चिरंगपिह तथा अन्य स्टेशनों के लिए समस्तीपुर दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों से अपेक्षित सीधे टिकट की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार समस्तीपुर मे चलने वाली मिथिला एक्सप्रैस और उत्तरी बिहार एक्सप्रैस में समस्तीपुर से बारकाखाना तक सीधा रेल का डिब्बा लगाने का है और इस प्रकार आसनसोल आदि से आगे के लिए मिलने वाली रेल गाड़ियों से सीधा संबंध स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो समस्तीपुर के बारकाखाना तथा और बारकाखाना से समस्तीपुर तक सीधा रेल का डिब्बा चलना कब से आरम्भ हो जायेगा ।

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी नहीं । यहां से पर्याप्त मात्रा में सीधा यातायात नहीं होता फिर भी मांग करने पर सीधे टिकट जारी किये जा सकते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

मंडलीय अधीक्षक समस्तीपुर के कार्यालय को वातानुकूलित बनाना

2355. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समस्तीपुर में मंडलीय अधीक्षक का एक वातानुकूलित कार्यालय बना रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य को पूरा करने में कुल कितनी अनुमानित राशि खर्च की जायेगी और इस पर अब तक यदि कोई राशि खर्च की गई हो तो उसकी कुल राशि कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) समस्तीपुर में मंडल अधीक्षक के कार्यालय के लिए एक वातानुकूल इमारत बनाने का कोई विचार नहीं है ;

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

कोका कोला का मूल्य

2356. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोका कोला की प्रति बोतल के कोई नियत विक्रय मूल्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कोका कोला की बोतलें अलग-अलग मूल्यों पर बेची जाती हैं और यदि हां, तो भारत के बाजारों में अलग-अलग मूल्य लिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोका कोला की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है । खुदरा बिक्रेताओं की कीमत अधिष्ठानों और सेवा शुल्क के अनुसार अलग अलग होती है ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन

2357. **श्री दे० अमात** : **श्री अदिचन** :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े व्यापार गृहों के उद्योगों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने

उत्पादन का विविधीकरण करने पर रोक लगाने वाली औद्योगिक लाइसेंस नीति में हाल ही में संशोधन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो (एक) आयात प्रति स्थापित के उपायों के रूप में (दो) वर्तमान कारखानों द्वारा निर्मित मूल्यवान वस्तुओं तथा उप-उत्पादों तथा बेकार माल का उपयोग करने के लिए अपेक्षित विविधीकरण के बारे में सरकार की क्या नीति होगी ; और

(ग) इस आधार पर प्रत्येक पार्टी के कितने आवेदन पत्रों को अब तक रद्द किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार ने उत्पादन में विविधता लाने (अर्थात बिना औद्योगिक लाइसेंस के नई वस्तुओं का निर्माण करना) की नीति को पुनः परिभाषित किया है। यह मुख्य रूप से इस विषय पर पहले ही जारी किये गये अनुदेशों को उस संशोधित लाइसेंस नीति के अनुरूप बनाने के लिए किया है। जो बड़े औद्योगिक समूहों और विदेशी कम्पनियों से संबंधित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित उपक्रमों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लाइसेंस प्रावधानों से कोई छूट नहीं देती। इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संलग्न है। अधिसूचना से ज्ञात होगा कि बड़े औद्योगिक ग्रहों अथवा 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य पूंजी वाली विदेशी स्वामित्व की कंपनियों से संबंधित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियां नयी वस्तुओं के निर्माण करने से रोकी नहीं गई हैं, परन्तु इस मामले में यह आवश्यक होगा कि पहले औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया जाये। जहां कहीं भी आवश्यक होगा वहां एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक, 1969 के अन्तर्गत अन्य बातों के लिए भी अनुमति लेनी होगी। जैसे-जैसे आवेदनपत्र प्राप्त होते जायेंगे उन पर गुणावगुण के आधार पर लागत क्षमता, निर्यात संवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन आदि का ध्यान रखते हुए विचार किया जायेगा। बड़े औद्योगिक समूहों अथवा विदेशी कम्पनियों से संबंधित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों से प्राप्त नयी वस्तुओं के बनाने के लिए उत्पादन में विविधता लाने वाली नीति की पुनःपरिभाषा के अनुसार आवश्यक किसी भी आवेदन पत्र पर अभी तक विचार नहीं किया गया है क्योंकि पुनःपरिभाषित नीति की घोषणा हाल ही में की गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3930/70]

चौथी योजना में मोटर गाड़ी टायर निर्माण क्षमता

2358. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना में मोटर गाड़ी टायर निर्माण क्षमता का विकास करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अनुमानित वृद्धि की जायेगी ;

(ग) क्या नए सन्यन्त्रों के लिए लाइसेंस जारी करने का कोई निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह निर्णय क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) मोटर गाड़ी के टायरों की मांग 1973-74 तक 70 लाख टायर वार्षिक अनुमानित है ।

(ग) और (घ). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना

2359. **श्री देवराज पाटिल** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में गत तीन पंच वर्षीय योजनाओं में उद्योगों के लिए कितने लाइसेंस दिये गये तथा उन उद्योगों के क्या नाम हैं ; और

(ख) अब तक कितने लाइससों को क्रियान्वित किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) महाराष्ट्र राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं (1952-1966) में 3001 लाइसेंस जारी किए गए । जारी किए गये लाइसेंसों का ब्यौरा और जिन उद्योगों को लाइसेस जारी किए गये उनके नाम समय-समय पर साप्ताहिक पत्रिका 'बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज' इम्पोर्ट लाइसेंस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज' और साप्ताहिक पत्रिका "इण्डियन ट्रेड जनरल" तथा मासिक पत्रिका "जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किए जाते हैं । पत्रिकाओं की प्रतियां संसद ग्रंथालय को सप्लाई की जाती हैं ।

(ख) प्रत्येक राज्य में जारी किए गये लाइसेंसों का अलग अलग ब्यौरा संकलित नहीं किया गया है और इसलिए जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

महाराष्ट्र में छोटे तथा बड़े उद्योग

2360. **श्री देवराव पाटिल** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चलाये जाने वाले छोटे तथा बड़े उद्योगों के क्या नाम हैं और वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में उन उद्योगों को दी गई केन्द्रीय तथा राज्य सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1970-71 में सहकारी क्षेत्र में लघु तथा मध्यम उद्योगों को कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) सहकारी क्षेत्र में उन बड़े उद्योगों के क्या नाम हैं जिनको केन्द्रीय सहायता सीधे दी जाती है और कैसे दी जाती है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

बुलसर तथा पालघाट (पश्चिम रेलवे) से भेजे गये ताजे फलों तथा सब्जियों की गुम हुई बिल्टियों के लिए मुआवजा

2361. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री बुलसर तथा पालघाट (पश्चिम रेलवे) से भेजे गये ताजे फलों तथा सब्जियों की गुम हुई बिल्टी के लिये मुआवजे के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) अपेक्षित सूचना कब तक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना नीचे दी गयी है :—

वर्ष	बलसाड और पालघर स्टेशनों से बुक किये गये ताजे फलों और सब्जियों के सम्बन्ध में भारतीय रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी रकम
1967	23,200 रुपये
1968	19,761 रुपये
1969	10,449 रुपये

वर्ष	बलसाड और पालघर स्टेशनों से बुक किये गये ताजे फलों और सब्जियों के परेषणों की संख्या जो (क) गंतव्य स्टेशन पर (ख) खराब हालत में	
	नहीं पहुँचे	पहुंचे
1967	406	101
1968	371	74
1969	205	36

यह सच है कि इस समय जो यातायात हो रहा है उसे सम्हालने के लिए कितने कर्मचारी पर्याप्त होंगे इसका निर्धारण करने के उद्देश्य से बलसाड स्टेशन के कर्मचारियों की संख्या के

सम्बन्ध में समीक्षा की जा रही है लेकिन यह सही नहीं है कि इन दोनों स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी के कारण दावे हुए हैं ; आम जैसे ताजा फलों और सब्जियों के मौसमी यातायात को सम्भालने के लिए इन दोनों स्टेशनों पर हर वर्ष अस्थायी तौर पर अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाते हैं।

पार्सल आगत स्टेशन	1969 में प्राप्त आगत पार्सल यातायात	
	(i) परेषणों की संख्या	(ii) पैकेजों की संख्या
बलसाड	78,621	2,21,184
पालघर	8,666	56,183

निगम पार्सल स्टेशन	1969 में बुक किया गया निर्गम पार्सल यातायात	
	(i) परेषणों की संख्या	(ii) पकेजों की संख्या
बलसाड	78,952	3,15,360
पालघर	68,392	2,05,025

पार्सल कर्मचारियों द्वारा किया गया अन्य विविध कार्य

(i) सामान, जिसमें छूटा हुआ सामान शामिल है की बुकिंग और सुपुर्दगी ।

(ii) पैकेजों के लदान/उतराई के लिये सभी सवारी गाड़ियों पर पहुँचना ।

(iii) आगत/निर्गम पार्सलों से सम्बन्धित काम जैसे आवधिक विवरणियां तैयार करना आदि ।

ताजे फलों और सब्जियों पर दावों की रोक-थाम के लिए उपाय किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

(i) इस प्रकार का यातायात तेज गाड़ियों द्वारा ढाया जाता है और यदि सम्भव होता है, तो गाड़ियों में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जाती है ।

(ii) जहां व्यावहारिक होता है, गलने सड़ने वाली चीजों को पूरे माल डिब्बों या पूरे यानों में भेजा जाता है और गन्तव्य स्थान के लिए सील कर दिया जाता है ताकि मार्ग में चढ़ाना उतारना न पड़े ।

(iii) मार्ग में यातायात अनावश्यक रूप से न रुकने पाये, इसे देखने के लिए संचलन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

(iv) जिन रेलों पर बड़ी मात्रा में मौसमी और गलने सड़ने वाला यातायात होता है वहां व्यापारियों के परामर्श से मौसम प्रारम्भ होने से काफी पहले सचलन की योजना बना ली जाती है ताकि सुनिश्चित रूप से माल डिब्बों की सप्लाई तत्परतापूर्वक हो और माल की निकासी तथा संभव ब्लाक गाड़ियों में की जायें ।

(v) यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखा जाता है कि सही किस्म के मालडिब्बे सप्लाई किये जायें।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) सवाल नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे के बुलसर के पार्सल तथा टिकट घर के लिए कर्मचारी

2362. **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री पश्चिम रेलवे के बुलसर के पार्सल तथा टिकट घर के लिए कर्मचारियों के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3830 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलसर स्टेशन पर इस बीच चार पार्सल लिपिकों की नियुक्ति की गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) अपेक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सहायक पर्सल सामान क्लर्कों के अतिरिक्त पद सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में उपनगरीय रेलगाड़ियों में भीड़

2363. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दिल्ली में उपनगरीय रेल गाड़ियों में अत्याधिक भीड़ को कम करने के बारे में की जाने वाली प्रस्तावित अथवा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : लाइन क्षमता, टर्मिनल सुविधाओं, चल स्टाक आदि के रूप में आवश्यक साधनों की उपलब्धि के अनुरूप नयी गाड़ियां चलाकर गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली क्षेत्र में यात्रा-सुविधाओं में क्रमिक वृद्धि की गयी है और गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ायी गयी है ताकि दिल्ली क्षेत्र में बढ़े हुये उपनगरीय यातायात की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जनवरी 1967 से जून, '970 तक की अवधि में 15 अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलायी गई हैं और 12 रेल गाड़ियों का चालन क्षेत्र बड़ाया गया है। इसके अलावा 24 गाड़ियों में से एक से दो तक डिब्बे अधिक लगाये गये हैं। योजना आयोग के तत्वाधान में गठित महानगरीय आयोग द्वारा दिल्ली समेत सभी उपनगरीय क्षेत्रों में भविष्य में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिये सुविधाओं के विकास की समस्या का अध्ययन किया जा रहा है।

स्कूटरों में चोर बाजारी

2364. श्री न० रा० देवघरे : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि वास्पा और लेम्ब्रेटा स्कूटरों को बाजार में क्रमश: 2000.00 और 1000.00 के मुनाफे पर (उनके बाजार मूल्य से अधिक) बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें नये वेस्पा और लेम्ब्रेटा स्कूटरों पर इनके निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किया गया हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Transfer of Goods Clerks to the Post of Station Clerks and Transit Goods Clerk's Post on Central Railway

*2365. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Goods Clerks are not transferred to the Station Clerk's post and Transit Goods Clerks post by turn on the Central Railway ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the details of such Railway employees who have worked only on the post of Station Clerks and of those who have worked on the post of Transit Goods Clerks ; and

(d) the basis of their transfers ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Categories of Goods Clerks known as 'Station Goods Clerk' and Transit Goods Clerks'

2366. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are two categories of Goods Clerks and one of them is called as Station Goods Clerk and the other as Transit Goods Clerk ;

(b) if so, the nature of the work of each of them ; and

(c) the duration of their period of service at one place ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Retirement of Permanent Way Inspectors on Central Railway

2367. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Permanent Way Inspectors on the Central Railway have not been retired according to the rules ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the details of such Permanent Way Inspectors of the Central Railway for the last three years ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

भोपाल रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे-सड़क फाटक पर उपरि पुल का निर्माण

2368. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे-सड़क फाटक पर उपरि पुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) यदि प्रगति संतोषजनक नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में कितनी प्रगति हुई ।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). जहां तक पुल की संरचना में रेलवे के हिस्से के निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है इसके आगे का काम अर्थात गर्डर खड़े करने का काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं की है ।

ज्योंही सरकार पहुंच मार्गों पर काम शुरू करेगी, रेलवे पुल संरचना पर शेष निर्माण कार्य शुरू कर देगी, ताकि वह काम पहुंच मार्गों के निर्माणकार्य की प्रगति के साथ-साथ हो सके ।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करना

2369. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक बस्तियां बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे इन्जीनियर सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और तृतीय श्रेणी सेवा के पदों पर पर नियुक्त स्नातक/स्नातकोत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति

2370. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे इन्जीनियर सेवा का एक अधिकारी अन्तर प्रशासकीय ग्रेड तक पहुंचने से पूर्व प्रथम श्रेणी के पद पर औसतन कितने वर्ष तक रहता है ; और

(ख) तृतीय श्रेणी की सेवा में नियुक्त स्नातकोत्तर अथवा स्नातकों की द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में औसतन कितना समय लगता है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) लगभग 22 वर्ष ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेराव

2371. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कितने घेराव कराये गये और उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) उद्योगों में इस हानिकारक प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-4-70 से 31-7-70 की अवधि में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में घेराव की 11 घटनायें हुई । इनमें शामिल कामगरों ने "कारण बताओ नोटिस" वापस लेने निलम्बन आदेश वापस लेने कुछ लोगों को काम दिलाने, कुछ लोगों को पद-भार संभालने के लिए छोड़ने आदि जैसी बातों पर तत्काल निर्णय किये जाने की मांगे की थी । ये मांगे उसी स्थान पर उसी समय मान ली गई परन्तु कामगरों को आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा । इससे संतुष्ट न होने पर उन्होंने घेराव किये जिससे सामान्य काम अस्त-व्यस्त हो गया, सम्बन्धित अधिकारियों को परेशानी हुई और उत्पादन की भी हानि हुई ।

(ख) कानून की दृष्टि में घेराव जुर्म है । घेराव को रोकने का एक मात्र तरीका कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व व्यक्तियों द्वारा कानून को सख्ती से लागू करना ही है ।

ढलाई-ग्रेड के कच्चे लोहे के लिए घमन भट्टी

2372. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ढलाई-ग्रेड के कच्चे लोहे की कमी को पूरा करने के लिए एक घमन भट्टी को चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह घमन भट्टी कहां स्थापित की जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). भिलाई में 600,000 हजार टन की क्षमता की एक अतिरिक्त घमन भट्टी लगाई जा रही है। यह 1972 में चालू हो जायेगी । यह मुख्यत: फाउन्ड्री ग्रेड कच्चा लोहा तब तक तैयार करेगी जब तक कि वर्षों बाद गर्म धातु से इस्पात तैयार करने की सुविधायें उपलब्ध नहीं होती । इसके अतिरिक्त बोकारो इस्पात कारखाने में, जो इस समय निर्माणाधीन है, प्रतिवर्ष 880,000 टन फाउन्ड्री ग्रेड कच्चा लोहा तैयार करने की क्षमता होगी ।

मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही

23 3. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री मैसर्स गुजदार काजोरा कोल माइन्स लिमिटेड तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपाजिट्स लिमिटेड के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में 29, जून 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गुजदार कजौरा कोल कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध परिसमापन आदेश जारी होने के उपरांत कानून का उल्लंघन करने पर यदि परिसमापक अधिकारी ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ;

(ख) अंशधारियों के हित में इस कम्पनी को परिसम्पत्ति को लने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स लिमिटेड के लिए नियुक्त कस्टोडियन स्वयं फर्म से सम्बन्धित ओझा बन्धुओं में से है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह उन जमाकर्त्ताओं के हितों में वांछनीय है जिनकी कीमती वस्तुएं सेफ डिपाजिट वाल्ट में पड़ी हुई है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है व यह यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल से बिहार को उद्योगों का स्थानान्तरण

2374. **श्री रविराय** :
श्री समर गुह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बिहार उद्योग विकास आयुक्त के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मध्यम तथा लघु उद्योगों के लगभग 200 से 500 एकक पश्चिम बंगाल से बिहार स्थानान्तरित होंगे ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने इन उद्योगों के पश्चिम बंगाल से बिहार स्थानान्तरित किये जाने के कारणों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). बिहार उद्योग विकासायुक्त का समाचार पत्रों में छपा वक्तव्य सरकार के ध्यान में आया है। इस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि मध्यम पैमाने के 25 कारखानों के (न कि 200

से 500 लघु तथा मध्यम पैमाने के उद्योग) निकट भविष्य में पश्चिमी बंग ल से बिहार में स्थानान्तरित हो जाने की आशा है। विकासयुक्त से यह ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी बंगाल के 25 उद्योगपतियों ने बिहार में 25 नये कारखाने खोलने की इच्छा प्रकट की है अतः पश्चिमी बंगाल से उद्योगों के स्थानान्तरण का प्रश्न ही नही है।

Transfer of Class I and Class II Railway Officers Posted at Gorakhpur (N. E. Rly.)

2375. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6258 on the 14th April, 1970 regarding tranfer of Class I and Class II Officers posted at Gorakhpur (N. E. Rly.) and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. [*Placed in Library See* No. LT—3931/70].

(c) Does not arise.

बिजली कम्पनियों में संकट

2376. **श्री मंगलायुमाडम** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फालतू पुर्जो के आयात पर कठोर प्रतिबंधों के कारण बिजली कम्पनियों को अपने उत्पादन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) देश में बिजली उद्योगों के लिए कितने उद्योग फालतू पुर्जे बनाते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) इस बारे में विद्युत कम्पनियों द्वारा अनुभव की जा रही किसी भी कठिनाई की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) व्यवस्थापित और लघु उद्योग क्षेत्र दोनों में से असंख्य एकक हैं जो विद्युत उद्योग के लिए आवश्यक सामान तैयार करते हैं।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थायीकरण

2377. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थायीकरण के संबंध में 14 अप्रैल, 1970 के आतारांकित प्रश्न संख्या 6343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अब तक कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो कब और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं।

(ग) समिति के किन अधिकारियों के मामलों पर विचार किया था ;

(घ) यदि अब तक कोई बैठक नहीं हुई है तो इसके कब तक होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

(घ) इसमें अभी कुछ और समय लग सकता है ?

पश्चिम रेलवे में रेल कर्मचारियों के नियतकालिक स्थानांतरण

2378 **श्री चंद्रिका प्रसाद :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल-कर्मचारियों के नियतकालिक स्थानान्तरण इस वर्ष के लिए रोक दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन आदेशों का पश्चिम रेलवे पर बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ा है जहाँ बहुत सारे कर्मचारियों को स्थानान्तरण आदेश दिये जा चुके हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो केवल पश्चिम रेलवे के अजमेर प्रभाग में गत छः महीनों के दौरान जिन वाणिज्यिक लिपिकों और सहायक स्टेशन मास्टरों/स्टेशन मास्टरों को स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये हैं उनकी कुल संख्या क्या है ;

(ङ) इस प्रकार के स्थानान्तरणों के विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(च) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों को दृढ़ता से पालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) मुख्यतः किफ़ायत के आधार पर।

(ग) से (च). पिछले छः महीनों के दौरान पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में आवधिक स्थानान्तरण योजना के अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक कलर्क या सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर का स्थानांतरण नहीं किया गया।

तथापि अजमेर मंडल में इन कोठियों में कुछ कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये हैं जिस के कारण इस प्रकार हैं :

(1) संवर्ग में कटौती कर देने के कारण ;

(2) पदोन्नति पर ;

(3) प्रशासन के हित में ; और

(4) कर्मचारी की अपनी प्रार्थना पर ।

परिवहन तथा वाणिज्यिक विभागों के संवर्गों को अलग अलग करने के बारे में आर० बी० लाल समिति की सिफारिश

2379. **श्री चंद्रिका प्रसाद :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री जनता के दावों के निपटारे में बिलम्ब के कारणों सबम्धी जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में 5 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० बी० लाल समिति ने पैरा 583 में कहा है कि सहायक अधिकारियों के स्तर से परिवहन तथा वाणिज्यिक विभागों का कार्य पूर्णतया अलग है । अतएव संवर्गों को अलग करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ; और

(ख) सरकार की उपरोक्त कथन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्यिक कार्य तथा परिवहन सम्बन्धी कार्य एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और एक कार्य दूसरे कार्य के पर्याप्त ज्ञान के बिना कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता । वाणिज्यिक विभाग के लिए एक अलग संवर्ग बनाने के प्रश्न पर इससे पहले विचार किया गया था । फिर भी, प्रशासनिक सुधार आयोग की रेलों पर रिपोर्ट के संदर्भ में इस विषय की फिर से जांच की जा रही है ।

रेलवे पर दावों के बिलों की वृद्धि के बारे में आर० बी० लाल समिति की सिफ़ारिश

2380. **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चंद्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री जनता के दावों के निपटान में विलम्ब के कारणों की जांच कराने वाले आयोगों की सिफारिशों के बारे में 5 मई,1970 के आंतारांकित प्रश्न संख्या 8596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० बी० लाल समिति ने पैरा 612 में कहा है कि रेलवे पर दावों के बिलों में वृद्धि का एक बड़ा कारण माल के लदान, उतारने और जहाजों से भेजने के स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या में कमी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक रेलवे बोर्ड के ध्यान में यह बात न आने के विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, ।

(ख) रिपोर्ट के पैरा 612 में व्यक्त किये गये विचार तथ्यों के किसी विस्तृत संकलन पर आधारित नहीं है, बल्कि वे एक सामान्य धारणा के रूप मे हैं जिनकी वैधता की अभी जांच करने

की आवश्यकता है। रेल प्रशासनों से लदाई, उतराई और यानान्तरण स्थलों पर कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या के प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया है। इस अध्ययन के बाद ही इस सामान्य धारणा की वैधता/अवैधता का सत्यापन किया जायगा। यदि अध्ययन से गम्भीर और अपर्याप्तता का पता लगता है तो रेलों से यह स्पष्टीकरण मांगा जायेगा कि यह अपर्याप्तता कैसे और क्यों जारी रही और इस सम्बन्ध में आगे आवश्यक निवारक कार्रवाई की जायेगी।

(ग) रेल प्रशासनों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे मालगोदामों, यानान्तरण शेडों, पार्सल-घरों और निजी साइडिंगों में कर्मचारियों के उपयोग और पर्याप्तता का तत्काल सर्वेक्षण करें। यह सर्वेक्षण पूरा होने पर समुचित कारवाई की जायेगी।

वाणिज्यिक विभाग के पर्यवशी कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमानों की अस्वीकृति सम्बंध में आर० बी० लाल समिति की सिफारिश

2381. **श्री प्र० न० सोलंकी:** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मन्त्री जनता के दावों का निपटान करने में होने वाली देरी के कारणों की जांच करने वाले आयोग की सिफारिशों के बारे में 5 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० बी० लाल समिति ने अपने प्रतिवेदन के पैरा 609 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि न केवल निरीक्षकों को बल्कि वाणिज्यिक विभाग के 9 वरिष्ट पर्यवेक्षी कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को भी उच्चतर वेतन मान नहीं दिये गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि वाणिज्यिक विभाग में कुल श्रेणी तीन के कर्मचारियों की तुलना में उच्चत्तर वेतन पाने वाले कर्मचारियों का अनुपात 0.1 प्रतिमन है, जो न केवल सभी विभागों से न्यूनतम है बल्कि कई गुना कम है परिवहन कर्मचारियों की अपेक्षा चार गुना कम, इन्जीनियरी कर्मचारियों की अपेक्षा बारह गुना कम, लेखा कर्मचारियों की अपेक्षा 22 गुना कम और चिकित्सा कर्मचारियों की अपेक्षा 45 गुना कम है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गणना का क्या आधार है ;

(ग) क्या तुलनात्मक आंकड़े सही हैं ; और

(घ) इस असंगति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट के पैरा 609 में जो आंकड़े दिये गये हैं, वे रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित भारतीय रेलों की वार्षिक रिपोर्ट 1968-69 के अनुपूरक विवरण 40 में छपे ब्यौरों के आधार पर विभिन्न विभागों में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या का जो अनुपात 425 रु० प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों से है, उसके तुलनात्मक आकड़ों के द्योतक हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पैरा 609 में समिति द्वारा जो तुलना की गई है, वह बिलकुल सही नहीं जान पड़ती क्योंकि काम के स्वरूप के आधार पर तीसरी श्रेणी के संवर्ग का गठन अलग-अलग विभागों में अलग-अलग है। फिर भी मामला यह देखने के लिये विचाराधीन है कि क्या वाणिज्यिक विभाग में 485 रु० प्रतिमास वेतन पाने वाले तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की व्यवस्था का वास्तविक औचित्य है।

पश्चिम रेलवे में कुछ स्टेशनों पर दावों का उसी समय निपटारा करने की व्यवस्था

2382. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री पश्चिम रेलवे में कुछ स्टेशनों पर दावों का उसी समय निपटारा करने के बारे में दिनांक 31 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4643 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन में अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ द्वारा 29 सितम्बर, 1969 को रेलवे के कार्य में बचत तथा कार्यकुशलता के लिए रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री को दिये गये सुझावों पर रेलवे प्रशासन द्वारा विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). पता चला है कि अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल अजमेर में 29-9-1969 को तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री से मिला और रेलों में कुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए कुछ सुझाव दिये। उक्त संघ द्वारा पेश किया गया ज्ञापन दिनांक 3.10.69 का है न कि 22.9.69 का। संक्षेप में, संघ के सुझाव इस प्रकार हैं :—

(i) यात्री किराये का 10 पैसे में पूर्णांकन किया जाना चाहिये।

(ii) टिकटों की क्रम संख्या दोनों सिरों पर छापी जानी चाहिये, जैसे 1952 से पहले छापी जाती थी।

(iii) बच्चा सीरीज के सभी टिकटों को हटा देना चाहिये और बच्चे के लिए जारी करते समय पूरे टिकट को सीधे काट कर और पूरे टिकटों का आधा किराया लेना चाहिये।

(iv) कोरी पर्ची टिकट की मूल्य-सीमा समाप्त कर देनी चाहिये।

(v) कोरी पर्ची टिकट दर्जेवार होने चाहिए और सभी मूल्यों के लिए एक ही पर्ची प्रयोग में लाई जानी चाहिये।

(vi) 100 कि० मी० की दूरी के लिए, 24 घण्टे तक उपलब्ध, वापसी टिकट जारी करने की प्रणाली चालू की जानी चाहिये ।

(vii) मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय का क्षतिपूर्ति के दावों से सम्बन्धित काम विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिये और क्षतिपूर्ति के दावों का निबटारा मंडल अधीक्षक द्वारा किया जाना चाहिये ।

मद (i) से (vii) में दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणी दी जाती है :—

(i) 1-4-70 से, यात्री किराये वातानुकूल दर्जे के मामले में एक रुपये में, पहले और दूसरे दर्जे के मामले में 50 पैसे में तथा तीसरे दर्जे के मामले में 5 पैसे में पूर्णांकित किये गये हैं । इसलिए, तीसरे दर्जे के मामले को छोड़कर, सुझाव में निहित उद्देश्य पूरा किया जा चुका है । तीसरे दर्जे के यात्री किराये में इसी प्रकार का परिवर्तन करके 5 पैसे की बजाय 10 पैसे में पूर्णांकन करना अभी सम्भव नहीं हो सका ।

(ii) और (iii) इन सुझावों की जांच की गई है लेकिन अपनाने के लिए इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

(vi) और (v) भारतीय रेल सम्मेलन नियमों के भाग II के नियम 329.2 (2) के अनुसार, कोरी पर्ची टिकट नीचे लिखी मूल्य-सीमा के लिये जारी किये जाते हैं :—

(i) 10 रुपये तक ।

(ii) 10 रुपये से अधिक और 30 रुपये तक ।

(iii) 30 रुपये से अधिक और 50 रुपये तक ।

(iv) 50 रुपये से अधिक ।

उपर्युक्त से पता चलता है कि कोरी पर्ची टिकटों की नीचे लिखी केवल 16 सीरीज हो सकती हैं :—

(i) कोरी पर्ची टिकट इकतरफा स्थानीय	4 मूल्य सीमायें
(ii) कोरी पर्ची टिकट इकतरफा इतर रेलवे	4 मूल्य सीमायें
(iii) कोरी पर्ची टिकट वापसी स्थानीय	4 मूल्य सीमायें
(iv) कोरी पर्ची टिकट वापसी इतर रेलवे	4 मूल्य सीमायें

(v) उपर्युक्त से पता चलता है कि इन सुझावों में निहित उद्देश्य पूरा किया जा चुका है।

(vi) रेल प्रशासनों को अधिकार दिया जा चुका है कि वे, जहां औचित्य समझें, भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग टैरिफ सं० 19 भाग I के नियम में 215.1 में निर्धारित अवधि के लिये उपलब्ध, निर्दिष्ट स्थलों के बीच के वापसी टिकट चालू कर सकते हैं।

(vii) रेलों के दावों के निपटारे से सम्बन्धित काम को विकेंद्रीकृत करने के प्रश्न पर, अगस्त 1969 में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा बनाई गई 'क्षतिपूर्ति के दावों की एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति' ने हाल में ही विचार किया है। इस सम्बन्ध में समिति की सिफारिश को रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।

भारतीय रेलवे के श्रेणी तीन के कर्मचारियों को स्थायी करने के नियम

2383. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में श्रेणी तीन के कर्मचारियों को स्थाई करने के क्या सामान्य नियम हैं ;

(ख) क्या सभी क्षेत्रीय रेलों में समान नीति अपनाई जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में 1958 से नियुक्त किये गए वाणिज्यिक लिपिक अभी तक अस्थायी हैं और उन्हें 12 वर्ष के सेवा काल के उपरांत भी स्थायी नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थायी करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) कर्मचारियों का स्थायीकरण सामान्यतः स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता और कर्मचारियों द्वारा कुछ निर्धारित मानदण्ड पूरा करने पर निर्भर करता है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में नये व्यापारों तथा उद्योगों के लिये लाइसेंस

2384. **श्री समर गुह :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में नये व्यापारों तथा उद्योगों की स्थापना के लिए कितने लाइसेंसों की मांग की गई ;

(ख) कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा इनमें से कितन लाइसेंसों के मिलने से नये व्यापार तथा उद्योग स्थापित किये गये ;

(ग) चालू वित्त-वर्ष के दौरान नये व्यापारों तथा उद्योगों की स्थापना के लिए मांगे गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या जारी किये गये लाइसेंस वापस कर दिये गए हैं ; और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों तथा जारी किए गए लाइसेंसों के आंकड़े वित्तीय वर्षों के अनुसार नहीं रखे जाते हैं । तो भी, 1967-68 तथा 1969 के पंचांग वर्षों में पश्चिम बंगाल में नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के लिए ১2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और इस अवधि में 15 लाइसेंस जारी किए गए ।

राज्य वार कार्यान्वित किए गए लाइसेंसों के बारे में जानकारी अलग-अलग नहीं रखी जाती है । नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में सामान्य 2 से 3 वर्ष लगते हैं और लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न आवस्थाओं में होंगे ।

(ग) 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाली अर्थ-वार्षिकी में पश्चिम बंगाल में नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । ये नाइलोन टायर कोर्ड, वस्त्र तंतु, मेटालिक यार्न लोहा तथा इस्पात, चमड़ा तथा चमड़े के जूते तथा कोयला उद्योग से संबंधित हैं ।

(घ) उपर्युक्त अवधि में जारी किए गए लाइसेंसों में से न तो कोई वापस किया गया है और न किसी का प्रतिसहरण किया गया है ।

राज्य औद्योगिक ब्यूरो

2385. **श्री समर गुह :** क्या औद्योगिक विकास तथा आतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी दृष्टि से योग्य युवकों को अपने लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता देने हेतु अपनी योजना तैयार करने तथा शिक्षित युवकों का ध्यान स्वत: नियोजन के प्रयासों की ओर निर्दिष्ट करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार ने एक "राज्य औद्योगिक ब्यूरो" बनाया है या बनाने का विचार किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार तकनीकी योग्यता प्राप्त युवकों के स्वतः नियोजन के प्रयास को उत्साहित करने हेतु एक कार्यकारी योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के समक्ष योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). इन्जीनियरों/तकनीसियनों तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों की लघु उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना औद्योगिक विकास मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई और इस पर सितम्बर, 1968 में योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के सचिवों के साथ बात चीत की गई थी । तत्पश्चात एक आदर्श योजना के रूप में इसे राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया ताकि वे इसे राज्य क्षेत्र के अन्दर अपना सकें । कुछ राज्यों ने इसी के आधार पर अपनी योजना तैयार की है । औद्योगिक विकास मन्त्रालय ने इन्जीनियर उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करके स्वयं रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से जिसमें प्रशिक्षण देने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है । एक और योजना तैयार की है तथा इस पर योजना आयोग और सभी अन्य सम्बद्ध विभागों के परामर्श करके अंतिम रूप से निर्णय किया जा रहा है । इसमें चौथी योजना की अवधि में 6000 इन्जीनियर उद्यमियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने तथा रियायती दर पर वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है ।

पश्चिम बंगाल में मध्यम तथा लघु उद्योग

2386. **श्री समर गुह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में मध्यम तथा लघु उद्योग स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य में व्याप्त बेरोजगारी की असाधारण स्थिति का सामना मुख्यतः मध्यम तथा लघु उद्योगों को स्थापना करके किया जा सकता है ;

(घ) क्या सरकार ने इस राज्य में मध्यम एवं लघु उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकारी और कुटीर उद्योग के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रामनाथ गोयनका की नेशनल कम्पनी लिमिटेड में कदाचार

2387. **श्री रवि राय : क्या समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या उनका मंत्रालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो को फरवरी माह से श्री रामनाथ गोयनका को नेशनल कम्पनी लिमिटेड के कार्य में पाये गये अनगिनित कदाचारों और हेर-फेर के बारे में आगाह करता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने सार्वजनिक ऋण संस्थाओं से लगभग 5 करोड़ रुपया ऋण लिया था और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के 12 करोड़ रुपये के अंशों को, जो कि स्टील कम्पनी को कुल साम्य पूंजी का 40 प्रतिशत है ; इकठ्ठा कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के नेशनल कम्पनी के इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ग). केन्द्रीय जांच विभाग ने, कम्पनी कार्य विभाग को शिकायत पर कुछ कदाचारों एवं अपराधों को जांच-पड़ताल के लिये एक मामला पंजीकृत कर लिया है ।

(ख) 31-5-1969 तक इस कम्पनी पर 443.95 लाख रुपये उधार थे । इन में, 19.48 लाख रुपये राष्ट्रीय औद्योगिक डवलपमैंट नियम से, 362.47 लाख रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया से (माध्यम अवधि ऋण, 8 लाख रु० तथा नकद जमा व निर्यात पैकिंग जमा 354.47 लाख रु०) तथा 62.00 लाख रुपये औद्योगिक विकास बैंक के सम्मिलित थे ।

जैसा कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देते हुये, 20 नवम्बर, 1968 को उस समय के उप-प्रधान मन्त्री ने लोक सभा में कहा था, श्री गोयनका तथा उनके समूह ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के 10 रु० की दर के कुल 2, 8, 1,798 इक्विटी हिस्सों में से 70 से 80 लाख रु० के इक्विटी हिस्से प्राप्त कर लिये है ।

अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संस्था में भ्रष्टाचार

2388. **श्री रवि राय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय रेलवे की अनुसंधान, डिजाईन तथा मानक संस्था के विरुद्ध 1 जुलाई के 'ब्लिट्ज' में उल्लिखित भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन में से कुछ आरोपों की जाँच की है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) कदाचित माननीय सदस्य का आशय 13 जुलाई, 970 के ब्लिट्ज में छपे समाचार से है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन रेल मन्त्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है । इस संगठन के सम्बन्ध में जो शिकायतें मिलती हैं, उन पर रेलवे बोर्ड के स्तर पर उचित कार्रवाई की जाती है । समाचार में जिन आरोपों का उल्लेख है, उनकी जांच भी रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों पर मुकदमे चलाया जाना

3289. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन समस्तीपुर डिवीजन के कितने तथा कौन-कौन से कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं ;

(ख) देश की विभिन्न रेलवे शाखाओं में कुल कितने कर्मचारियों के अदालत में मुकदमा अथवा विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) क्या सरकार का विचार उन मामलों को वापस लेने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है ।

(ग) और (घ). सरकार न्याय सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना वांछनीय नहीं समझती बल्कि वह चाहती है कि कानून अपनी सामान्य प्रक्रिया से कार्य करे ।

विवरण

(क) निम्नलिखित छः कर्मचारियों पर जो पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मण्डल के हैं, अदालत में मुकदमा चल रहा है :—

(1) श्री नवल सिंह, फायर मैन

(2) श्री अमिक लाल, गैंग मैन

(3) श्री जगेश्वर प्रसाद, गार्ड

(4) श्री मदन झा, ड्राइवर

(5) श्री राम लोचन प्रसाद यादव, फायर मैन

(6) श्री नागेश्वर उपाध्याय, फायर मैन

(ख) 19-9-1968 की हड़ताल के सन्दर्भ में जिन कर्मचारियों पर अदालत में अभी तक मुकदमा चल रहा है या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है, उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	कर्मचारियों की संख्या जिन पर अभी तक अदालत में मुकदमा चल रहा है।	कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है।
पूर्व	86	कुछ नहीं
उत्तर	1193	20
पूर्वोत्तर	13	9
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण	29	37
दक्षिण मध्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण पूर्व	135	कुछ नहीं
पश्चिम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
चित्तरंजन इंजन कारखाना	,,	,,
सवारी डिब्बा कारखाना	,,	,,
	1456	66

एक संसद सदस्य द्वारा समस्ती पुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को एक ज्ञापन पेश किया जाना

2390. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 5 जून, 1970 को एक संसद सदस्य ने पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा की ओर से समस्तीपुर के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को उत्तरपूर्व रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के कर्मचारियों की कुछ मांगें पेश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) प्रशासन द्वारा मांगों पर विचार किया जा रहा है।

वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति

2391. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी स्थिति डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). डीजल रेल इन्जन कारखाना अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करता रहा है, सिवाय इसके कि 1964-65 और 1967-68 के वर्षों में आयातित सामान के मिलने में अपरिहार्य विलम्ब और दोषपूर्ण धुरों की सप्लाई के कारण उत्पादन कम हुआ।

ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2392. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद के बजट सत्र के दौरान उनके द्वारा वर्णित ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : ईंधन किफायत अभियान के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। इस कार्यक्रम की अन्य मदों के सम्बन्ध में सार्थक अभियान की प्रगति पर हैं ;

लखनऊ-दिल्ली मेल गाड़ी में बिना टिकट यात्रा

2393. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ-नई दिल्ली मेल गाड़ी के तीसरे दर्जे के स्लीपर-डिब्बे में अनेक अनधिकृत यात्री हापुड़ और गाजियाबाद से नई दिल्ली तक तथा फिर वापस, प्रतिदिन यात्रा करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त गाड़ी सप्ताह के अधिकांश दिन तिलक पुल तथा नई दिल्ली स्टेशनों के बीच रुकती है और बिना टिकट यात्री यहीं उतर जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) अक्सर विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को नई दिल्ली लखनऊ डाक गाड़ी से हापुड़ और गाजियाबाद से नई दिल्ली और नई दिल्ली से गाजियाबाद और हापुड़ तक, इस गाड़ी पर दूरी प्रतिबन्धों के विरुद्ध बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया है लेकिन वे शयनयानों में आरक्षित शायिकाओं या सीटों पर नहीं बैठते।

(ख) इस प्रकार की अनधिकृत यात्रा को कम करने के लिए समय-समय पर जांच की व्यवस्था की जाती है।

(ग) कभी-कभी यह गाड़ी तिलक ब्रिज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच खतरे की जंजीर खींच कर रोक ली जाती है और यात्री वहां उतर जाते हैं।

कटक रेलवे स्थित राज सहायता प्राप्त रेलदे होस्टल में स्थानों का बढ़ाया जाना

2394. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कटक स्थित राज सहायता प्राप्त रेलवे होस्टल में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए और अधिक स्थानों की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त होस्टलों में इस समय कितने स्थान हैं ;

(ग) इसके लिए आवेदन कर्त्ताओं की संख्या क्या है ; और

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी हां।

(ख) स्थान 49 आवासियों के लिए है।

(ग) 92

(घ) क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

रेलवे अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग

2395. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री राम नाथ सेठ ने 10 जुलाई, 1970 को अम्बाला-दिल्ली यात्री-गाड़ी की आकस्मिक जांच करके पाया कि दो सहायक स्टेशन मास्टर अपने परिवारों सहित प्रथम श्रेणी के एक पूरे डिब्बे को घेरे हुए थे और बिना टिकट यात्रा कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन सहायक स्टेशन-मास्टरों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या रेलवे के लिए बनी केन्द्रीय सहायता समिति ने भी इस प्रकार अधिकारों के दुरुपयोग के अन्य मामले पाये हैं ;

(घ) यदि हां, तो कब तथा कहां ; और

(ङ) रेलवे कर्मचारियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 9-7-70 को हुई न कि 10-7-70 को।

(ख) श्री अमरिक सिंह और श्री तुलसी राम। इस मामले में जांच पड़ताल अभी की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) रेलों को ये हिदायतें फिर से दी गई हैं कि जो रेल कर्मचारी बिना टिकट अथवा अनियमित ढंग से यात्रा करने का अपराधी पाये जायें, नियमतः रेलवे की देय रकम वसूल करने के अलावा उनके विरुद्ध निवारक कार्यवाई की जानी चाहिए। रेलों से यह भी कहा गया है कि वे रेल कर्मचारियों के ऐसे कदाचार को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलायें।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति रेल कर्मचारी कल्याण संघ

2396. **श्री द० रा० परमार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति रेल कर्मचारी कल्याण संघ भी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संघ ने मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, जन-जाति या धर्म के आधार यूनियनों या एसोसिएशन को गठित करने को निरुत्साहित करना सरकार की नीति रही है। तदनुसार अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसुचित आदिम जाति रेल कर्मचारी कल्याण संघ जैसे संघों को मान्यता प्रदान की जा सकती ।

अस्थायी अधिकारियों की अपेक्षाकृत लम्बी अवधि की सेवा वाले अधिकारियों से वरिष्ठ करना

2397. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1955 से आज तक भारतीय रेलवे में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल कितने अस्थायी अधिकारी भर्ती किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को इस बीच स्थायी किया गया ;

(ग) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार उन अस्थायी अधिकारियों की अपेक्षाकृत लम्बी अवधि की सेवा वाले व्यक्तियों की तुलना में वरिष्ठ माना जाता है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1068

(ख) 322

(ग) अस्थायी सहायक अधिकारियों को श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता और इसलिए श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के अधिकारियों में उनकी कोई वरिष्ठता नहीं रहती । वर्तमान नियमों के अनुसार केवल श्रेणी 1 में उनकी स्थायी नियुक्ति होने पर ही, श्रेणी 1 के अधिकारियों में उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाती है ।

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अस्थायी सहायक अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है । फिर भी प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल (रेलवे) ने

अपनी सिफारिश सं० 88 में यह सुझाव दिया है कि भावी विकास कार्यक्रमों के लिए जिस सीमा तक अतिरिक्त अधिकारियों की आवश्यकता होगी उस सीमा तक अस्थायी अधिकारियों को स्थायी आधार पर खपा लिया जाये ।

(ङ) अस्थायी सहायक अधिकारियों को खपाने के लिए हर वर्ष कुछ स्थायी पद निश्चित करने के प्रश्न की संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच की गयी थी और यह विचार प्रकट किया गया कि जब किन्हीं स्थायी पदों का सृजन किया जाता है तो वे सेवा के अंग हो जाते हैं और इसलिए, सेवा में किसी खाली जगह को भरने के लिए सेवा में भर्ती के वर्तमान नियमों को लागू करना होगा । विभिन्न सेवाओं में भर्ती के नियमों में, समय-समय पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निश्चित की जाने वाली एक सीमा तक अस्थायी सहायक अधिकारियों को खपाने की व्यवस्था है ।

इसलिए सरकार के लिए अध्ययन दल (रेलवे) की सिफारिश सं० 88 को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

मकान किराया भत्तों के बारे में बोर्ड के आदेशों की क्रियान्विति

2398. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने 24 जनवरी, 1969 को एक पत्र संख्या पी० सी०-68/डी ए 1/4 जारी किया था ;

(ख) क्या यह पत्र प्रत्येक क्षेत्र रेलवे में क्रियान्वित किया गया था ; और यदि हां, तो कब से ;

(ग) 400 रुपये से 500 रुपये तक वेतन पाने वाले रेल कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है तथा उनको फरवरी, 1969 से पूर्व वर्गीकृत नगरों में कितना मकान किराया भत्ता मिलता था ; और

(घ) महंगाई भत्ते के मूल वेतन में मिला देने के बाद कुल कितने कर्मचारी मकान किराया भत्ते से वंचित हो गए हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) 400 रुपये से 500 रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी । 400 रुपये से 500 रुपये तक पाने वाले रेल कर्मचारियों को निम्नलिखित मकान किया भत्ता स्वीकार्य है :—

शहर का वर्ग	स्वीकार्य मकान किया भत्ता
"ए और बी"	वेतन का 15 प्रतिशत, लेकिन न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 300 रुपये तक ।
"बी 2"	वेतन का 10 प्रतिशत लेकिन न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 300 रुपये तक ।
"सी"	वेतन का 7½ प्रतिशत लेकिन न्यूनतम 7-50 रु०

(घ) बाद में 30-5-70 को जारी किये गये आदेशों से, जिनके अनुसार 1-2-69 से

पूर्वव्याप्ति सहित किराये की रसीद पेश किये बिना मकान किराया भत्ता पाने की सीमा बढ़ाकर 500 रुपये से 620 रुपये कर दी गयी है, ऐसे किसी भी कर्मचारी पर महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के कारण विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे पहले मकान किराया भत्ता मिलता था।

जगाधारी (उत्तर रेलवे) के समीप रेलवे भूमि पर अनधिकृत निर्माण

2399. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जगाधरी रेलवे स्टेशन के समीप उत्तर रेलवे की भूमि पर एक गैर-सरकारी व्यक्ति ने स्थायी निर्माण कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इस निर्माण के लिए अपेक्षित अनुमति दे रखी है ; और

(ग) यदि नहीं तो उस स्थायी निर्माण के बने रहने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। लाइसेंसदार ने एक अस्थायी संरचना खड़ी करके आरा मिल लगाया है। यह काम उसने निष्पादित करार के अनुसार किया है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठते।

शकूरबस्ती के मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों का न आना

2400. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जुलाई, 1970 को जो यात्री रेलगाड़ी 2 बजे म० प० पर भटिण्डा से चली थी वह 11-30 म० प० पर शकूरबस्ती पहुंची परन्तु उसे मुख्य रेलवे स्टेशन पर नहीं लाया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्रियों को सुबह तक भी यह नहीं बताया गया कि इस रेलगाड़ी को नाँगलोई की ओर भेजा जा रहा है तथा वे यात्री सारी रात्रि 8-9 घण्टे तक रुके रहे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब मेल भी 4 जुलाई को प्रातः 5 बजे शकूरबस्ती पहुँची और इसे भी मुख्य स्टेशन पर नहीं लाया गया और न ही इसकी जानकारी यात्रियों को दी गई ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यात्रियों को 4 तारीख की प्रातः को कोई टैक्सी नहीं मिली तथा रेलवे कर्मचारियों की अकुशलता के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हुई तथा खर्च करना पड़ा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 3-7-70 को 15-50 बजे एक गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण दिल्ली और नयी दिल्ली तथा सब्जीमंडी और दिल्ली किशनगंज के बीच मुख्य चालू लाइनें अवरुद्ध हो गयी थीं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली क्षेत्र में कई सवारी गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं अथवा रोक दी गयी थीं। इन गाड़ियों में नं० 370 भटिन्डा दिल्ली सवारी गाड़ी भी थी जिसे दिल्ली तक नहीं लाया जा सका और शकूरबस्ती में ही समाप्त कर देना पड़ा ;

(ख) गाड़ी का मार्ग नहीं बदला गया, लेकिन शकूरबस्ती में यात्रियों को स्थानीय तौर पर यह सूचित कर दिया गया था कि एक दुर्घटना के कारण गाड़ी को काफी देरी तक रोक रखा जायेगा ।

(ग) नं० 38 पंजाब मेल को, शकूरबस्ती स्टेशन पर 50 मिनट रोक रखने के बाद, दिल्ली ले जाया गया ।

(घ) चूंकि शकूरबस्ती स्टेशन पर टैक्सी स्टैंड नहीं है, इसलिए हो सकता है कि टैक्सी मिलने में देरी हुई हो । लेकिन यात्रियों की सहायता के लिए दिल्ली परिवहन को इस खण्ड पर अतिरिक्त बसें चलाने को कह दिया गया था ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू अल्प संख्यकों के निष्क्रमण सम्बन्धी चर्चा के बारे में

[RE. DISCUSSION ON MIGRATION OF HINDUS MINORITIES FROM EAST-PAKISTAN

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे : श्री गुप्ता ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक सदस्य होने के नाते मैं अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूँ । मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय चर्चा हुई थी, प्रश्न के रूप में चर्चा हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के निष्क्रमण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी । इस पर दोबारा आज भी चर्चा हो रही है । मेरा यह कहना है कि इससे कार्य सूची में दुहरी प्रविष्टियां हो जाती हैं । अतएव इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्थान पर भूमि आंदोलन पर स्थापन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा चर्चा की जाये ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I have a point of order. I wanted to ask a supplementary on Short Notice question. But you have not allowed me.

Mr. Speaker : The hon. Member may please resume his seat.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय सम्पत्ति को बेचने का पाकिस्तान सरकार का कथित निश्चय

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported decision of Pakistan Government to dispose of Indian Property and the Reaction of the Government of India thereto."

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 1965 के संघर्ष के दौरान और उसके तुरन्त बाद, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया और उन्हें शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया। पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार से कब्जा की गई भारतीय सम्पत्तियों/आस्तियों का अनुमानित मूल्य 109.00 करोड़ रु० हैं।

1966 में हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा के अनुच्छेद VIII के अन्तर्गत, भारत और पाकिस्तान इस बात पर सहमत हुए थे कि :

"संघर्ष के दौरान जिस पक्ष ने सम्पत्ति और आस्तियों पर कब्जा कर लिया है उन्हें लौटाने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाए।"

भारत ने उसके तुरन्त बाद अपनी यह इच्छा प्रकट की कि जिस पक्ष ने भी सम्पत्तियों और आस्तियों पर कब्जा कर लिया है उसके लौटाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जाए। किन्तु पाकिस्तान ने इसका उत्तर नहीं दिया।

अक्तूबर 1968 में, इस बात की पुष्टि हो गई थी कि पाकिस्तान सरकार नीलाम करवा के कुछ सम्पत्तियों का विक्रय कर रही है, जिनपर 1965 के संघर्ष के दौरान कब्जा किया गया था। उसके बाद से पाकिस्तानी अखबारों में भारतीय सम्पत्तियों का विक्रय करने के सम्बन्ध में कई निविदा सूचनायें प्रकाशित की जा चुकी है।

भारत सरकार 1966 से ही पाकिस्तान सरकार से इस प्रश्न पर सम्पर्क बनाए है। सरकार ताशकंद घोषणा की सम्बद्ध व्यवस्था की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है और कब्जा की गई सम्पत्तियों/आस्तियों को एक दूसरे को लौटाने के सम्बन्ध में दबाव डालती रही है। सरकार उनके विक्रय का विरोध भी कर रही है। पाकिस्तान सरकार को यह बतला दिया गया है कि उनकी यह कार्रवाई स्वेच्छाचारी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवहार के विपरीत है तथा इससे ताशकंद घोषणा का घोर उल्लंघन होता है। पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत उस स्वामित्व को मान्यता नहीं देगा जिसके सम्बंध में पाकिस्तान या कोई तीसरा पक्ष यह दावा करे कि उसने यह स्वामित्व नीलाम या अन्य साधनों से इस प्रकार के गैर-कानूनी विक्रय द्वारा प्राप्त किया है।

अभी तक पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। पाकिस्तान का यह ख्याल है कि संघर्ष के दौरान जिन आस्तियों पर कब्जा किया गया है वे कब्जा करने वाली सरकार की हो जाती हैं और उनका विक्रय करने का कानूनी अधिकार अप्रश्नित है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस विचार को स्वीकार नहीं करती।

सरकार का यह विचार है कि कब्जा की गई सम्पत्तियों को लौटाने का प्रश्न द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाये। इस सम्बन्ध में हमारे प्रयास जारी हैं। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के दुराग्रही रवैये के बारे में मित्र देशों को सूचना दी जाती रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The misbehaviour of Pakistan towards India, is not a new thing. The history of India and Pakistan has been the history of the violation of Indo-Pak,

agreement we have properly of those have migrated to Pakistan only worth Rs. 27 crores whereas they have Indian property worth Rs. 109 crores. Even today the properties of Hindus living there are being taken by the Pakistan Government under the Defence of Pakistan rules and they feel insecure there. They have violated the Nehru-Liaquat Pact. So I want to know from the hon. Minister the value of the property of Hindus which have been sold and forcibly occupied under Defence of Pakistan rules. We have returned some confiscated ships to Pakistan but Pakistan has not returned any thing. So I also want to know how much property has been returned by Pakistan. The Hon. Minister has stated that they are taking up this matter with friendly countries. May I know whether you have sent a letter to Soviet Russia also who has compelled us to sign on the agreement which was against the interst of the country. I want to know whether you have got reply of your letter from Soviet Russia, if so, then whether you will place the correspondence on the Table of the House.

The Hon. Minister has just stated that they have sent protests to Pakistan. But the facts that no results have come out from it and further there is also no hope Now the Government must have come to know from her experience of twenty-two years that how to behave with Pakistan. I and my party are for friendship with Pakistan but the experience of twenty two years show that unless we bring change to our basic approach, nothing will come out from it. I think that there must be reciprocal action with Pakistan.

It is my demand that a survey should be conducted. There is a large number of such property in our country of which Pakistan has share. The question of Rs. 300 crores, which we have to give to Pakistan at the time of Pakistan should only be considered only after the settlement of evacuee property issue. The Government go on talking with Pakistan on the question of Farakka water and sometimes on other subjects. This is a wrong policy. Unless Pakistan changes its attitude, we should not talk with them. Pakistan always taken up any matter with India when it suits them otherwise they do not bother. It is my demand from the Government not to talk with Pakistan on any issue till they change their attitude.

Secondly, I want to know whether the Government have prepared the material regarding the violations committed by Pakistan for the last twenty three years ? If so, whether they will place it on the table of the House.

Thirdly, I want to know that when Pakistan does not give consideration to our protest, then why not our Government severe relations with them ? At least we should know the attitude of the hostile country. Pakistan indulge in spionage work and no goodwill with Pakistan has developed so far. I want to know the when Pakistan has not changed its attitude for the last twenty two years then why not our Government declare them enemy country and severe diplomatic relations with them.

In the conclusion I want to know what the Government is doing for the rehabilitations for those persons whose property worth Rs, 109 crores have been left in Pakistan ? May I know whether the Government would give them loans after disposing off their property worth Rs. 27 crores.

श्री स्वर्ण सिंह : 1965 के युद्ध के दौरान अथवा बाद में जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति और भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति में स्पष्ट अन्तर के बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिये । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी से सम्बन्धित है । पाकिस्तानी उद्भव के हिन्दु नागरिक तथा पाकिस्तानी नागरिक की सम्पत्ति के होने का प्रश्न अलग है ।

श्री समर गुह : वह बिलकुल भी अलग प्रश्न नहीं है ।

श्री स्वर्ण सिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उससे सम्बन्धित नहीं है। पाकिस्तानी नागरिक, जो हिन्दु हैं, की सम्पत्ति का प्रश्न एक अलग प्रश्न है जिसका पाकिस्तानी सरकार द्वारा 1965 के युद्ध के कारण जब्त की गई सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 1965 के युद्ध से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री समर गुह : वे कुछ भी नहीं जानते, नेहरू-लियाकत संधि के बावजूद भी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति ले ली गई है। वह सम्पत्ति शरणार्थियों की है।

महाराजा चक्रवती ने सब लिख कर दे दिया है। इस विषय के सम्बन्ध में मेरे पास पूर्ण ब्यौरा है। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं आपको सब बता दूंगा। पाकिस्तान सरकार ने शरणार्थियों की सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दिया है। वे इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उन्हें सभा से चले जाने के लिए कह सकता हूँ।

श्री समर गुह : यदि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये मुझे सभा से चले जाना पड़े तो मैं इसको अपना मान समझूंगा।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनकी भावकुता को समझता हूँ। परन्तु यह प्रश्न उस सम्पत्ति से सम्बन्धित है जो कि पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में जब्त कर ली गई है।

माननीय सदस्य श्री गुप्त ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। उन्होंने बताया है कि जब्त की गई सम्पत्ति के प्रति पाकिस्तान सरकार का क्या दृष्टिकोण है : यह एक तथ्य है कि पाकिस्तान सरकार का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के विपरीत चल रहा है। यह ताशकंद समझौते का एक दम उल्लंघन है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

इस मामले में पाकिस्तान द्वारा उपेक्षा करना उनके हित में पड़ता है क्योंकि उनकी जब्त की हुई सम्पत्ति 27 करोड़ रुपये है जबकि उन्होंने 109 करोड़ रुपये मूल्य की भारतीय सम्पत्ति जब्त की हुई है। अतएव वे इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के लिए सम्पत्ति को बेच रहे हैं।

जो भी पाकिस्तानी सम्पत्ति हमने यहां अपने कब्जे में की है, यद्यपि वह पाकिस्तान द्वारा अपने कब्जे में की गई भारतीय सम्पत्ति के मूल्य के एक चौथाई के बराबर है, उससे अपने कानूनों के अनुसार निपटा जायेगा ताकि इससे कुछ सांत्वना मिले।

उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ देने चाहिये। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार होना चाहिये और हमें अच्छे पड़ोसियों की भांति रहना चाहिये। ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बन्ध समाप्त करने का हमारा विचार गलत है। भौगोलिक दृष्टि से दोनों देश साथ-साथ स्थित हैं, और इस समय चाहे जो भी कठिनाइयां हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों को अन्त में शान्तिपूर्वक रहना पड़ेगा।

पाकिस्तान के साथ किसी भी विषय के टुकड़े टुकड़े करके तब वार्ता न करने के सुझाव को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि यह नकारात्मक नीति है। इसी प्रकार इस सुझाव का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हमें पाकिस्तान को एक 'शुभ' देश घोषित कर देना चाहिये। यह एक नारा हो सकता है जोकि कुछ लोगों के कानों तक पहुँच सकता है, किन्तु समस्या को हल करने के लिए यह व्यवहार्य और उचित मार्ग नहीं है, बल्कि इसके लिए संयम और राजमर्मज्ञता की आवश्यकता है।

जहां तक उन दावेदारों, जिनकी सम्पत्ति पकड़ी गई है, से निपटने का सम्बन्ध है, उस पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में हम समुचित कार्यवाही करेंगे।

जहां तक विश्व-मत तैयार करने का संबंध है, हमारा दृष्टिकोण अन्य देशों को बीच में लाने की अपेक्षा केवल द्विपक्षीय होना चाहिए। कई देश भारत-पाकिस्तान के मामले में मध्यस्थता करना चाहते हैं तथा दखल देना चाहते हैं। हमें सावधान रहना चाहिये और इन प्रश्नों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have asked about the quantum of the property disposed of and returned.

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों पक्ष दो-दो जहाजों को एक-दूसरे को लौटाने के लिए सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान सम्पत्ति का निपटान करता रहा है लेकिन हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितनी सम्पत्ति का निपटान किया गया है।

जहां तक हमारे द्वारा किये गए विरोध का संबंध है, मैं 31 जुलाई, 1970 के अपने विरोध-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो पाकिस्तान को दिया गया था। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3932/70]

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : यह बड़े दुःख की बात है कि हम इन छोटे-छोटे मामलों को अभी तक नहीं सुलझा पाये हैं। क्या मंत्री महोदय एक श्वेत पत्र तैयार करके उसे सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि इन विवादों को हल करने के लिए वास्तव में क्या कारगर प्रयत्न किए गए थे ?

दूसरे, जब उन्हें 1968 में इस बात का पता चल गया था कि यह ताशकंद समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है तो दोनों देशों को निकट लाने तथा कुछ ठोस कार्य करने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किये गए ?

अन्त में, क्या सरकार का विचार उन लोगों को कुछ मुआवजा देने अथवा उनको फिर से बसाने का है जिन्होंने पाकिस्तान सरकार द्वारा विरोध किये जाने के कारण अपनी सम्पत्ति खोई ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों को न सुलझा सके। हमने विवादों को सुलझाने के संबंध में भरसक प्रयत्न किए, लेकिन केवल एक-पक्षीय प्रयत्नों से ऐसे विवाद हल नहीं हो सकते।

जहां तक श्वेत पत्र का सम्बन्ध है, यदि किसी विशिष्ट बात का सुझाव दिया जाता है तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

जहां तक दो देशों को निकट लाने के सम्बन्ध में प्रयत्न न किए जाने का सम्बन्ध है, एक पक्षीय प्रयत्नों से सफलता नहीं मिल सकती। पाकिस्तान का रवैया इस बारे में अनुकूल नहीं है।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मंत्री महोदय ने कहा है कि जो संपत्ति पाकिस्तान ने अपने कब्जे में की है वह उनकी हो गई है, जबकि पाकिस्तान प्रतिरक्षा नियमों के नियम 181 के अन्तर्गत इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस संपत्ति को पाकिस्तान प्राधिकारियों की अभिरक्षा तथा प्रबन्ध के अधीन रखा जायेगा। अब वे उस नियम से हट गए हैं। क्या उन्होंने ऐसा मौखिक रूप से किया है अथवा लिखित रूप में ? संपत्ति पहले पाकिस्तान ने कब्जे में की। हमने 1965 में पाकिस्तान की जो संपत्ति पकड़ी थी उसका मूल्य उस समय कितना था? उन्होंने उस का वर्तमान मूल्य 7 करोड़ रुपये बताया है।

उन्होंने बताया है कि बातचीत सफल नहीं हो रही है और पाकिस्तान का रवैया प्रतिकूल है। इस स्थिति में उनका क्या प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पाकिस्तान के अपने प्रतिरक्षा नियम हैं जिनके अनुसार उन्होंने इस सम्पत्ति को कब्जे में किया था लेकिन उन्हें कम से कम अपने नियमों पर तो दृढ़ रहना चाहिये।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि इस मामले में पाकिस्तान के प्रतिकूल रवैये के बारे में मित्र देशों को अवगत किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे मित्र देश कौन से हैं ? क्या वे उन देशों के साथ किए गए पत्र-व्यवहार को सभा के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

पाकिस्तान ने उस सम्पत्ति का निपटारा कर दिया है। नीलामी से जो पैसा उसे प्राप्त हुआ है संभवतः उसे वह उस माल के वास्तविक मालिकों को दे अथवा न दे। लेकिन भारत सरकार अगर नीलामी करेगी तो पैसा मूल मालिकों को देगी। क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह पीड़ितों को कुछ राहत दे ? कम से कम अन्तरिम राहत तो देनी चाहिए फिर दीर्घ-कालीन ऋण देने चाहिए जिससे वे अपने को फिर से बसा सकें।

अन्त में, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने पीड़ितों के पूर्ण पुनर्वासन के लिए अपेक्षित व्यय का अनुमान लगा लिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने पूछा है कि क्या पाकिस्तान ने कभी लिखित रूप में ऐसी कार्यवाही की है ? जी हां, उसने लिखित रूप में कार्यवाही की। 12 अगस्त, 1967 के अपने नोट में पाकिस्तान सरकार ने लिखा है कि "युद्ध के दौरान कब्जे में की गई आस्तियां कब्जे में करने वाली सरकार की सम्पत्ति बन जाती हैं और उस सम्पत्ति के निपटान के बारे में उसके कानूनी अधिकार के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया जा सकता।" नोट में इस बात को स्वीकार किया गया है

कि ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत भारत तथा पाकिस्तान ने पकड़ी गयी अथवा कब्जे में की गई सम्पत्ति के प्रश्न पर चर्चा की लेकिन ताशकन्द घोषणा के कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई, और इसके लिए, पाकिस्तानी नोट के अनुसार भारत दोषी है। अतः, इस प्रकार पाकिस्तान का रवैया पूर्ण नकारात्मक है।

जहां तक पाकिस्तान के प्रतिरक्षा नियमों को उनके विरुद्ध उद्धृत करने का सम्बन्ध है, यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है क्योंकि वे आसानी से दूसरे नियम अथवा कानून बना सकते हैं।

जहां तक प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बता चुका हूं। हमें इन मामलों को प्रतिकारात्मक अभिव्यक्ति किये बिना सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक उन लोगों को, जिनकी सम्पत्ति कब्जे में की गई है, राहत देने का प्रश्न है मैं कह चुका हूं कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है। अगर उन्हें राहत नहीं दी गई तो हम उन निर्धन लोगों को राहत देने के लिए मार्ग खोजेंगे।

जहां तक भिन्न देशों को यह मामला बताने का प्रश्न है,हम ने रूस, अमेरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस को सूचित किया था, मेरा विचार उनके साथ किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियों को सभा-पटल पर रखने का नहीं है क्योंकि ऐसी पद्धति नहीं है।

श्री न० कु० साँघी (जोधपुर) : मन्त्री महोदय तथा संसद सदस्यों से मैंने अभी जो सुना उससे मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि ताशकन्द समझौता अब निर्जीव हो गया है, हमने देख लिया है कि पाकिस्तान सरकार भारतीय नागरिकों के विरुद्ध आर्थिक आक्रमण कर रही है तथा वे अल्पसंख्यकों की हत्यायें कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पाकिस्तान सरकार की आगामी योजनाओं को समझेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को गम्भीरता से लें ताकि उनकी सम्पत्ति उनको पुनः दिलाई जाये और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम कुछ मुआवजा उनको दिया जाये जिससे वे जीवित रह सकें।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनकी बातों और उनकी भावनाओं को समझ लिया है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वायदा करार (विनियमन) अधिनियम, 1952 के बारे में अधिसूचना

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से वायदा करार (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 30 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—3920/70]

संसदीय तथा विधान सभा की अनुसूची दस में किये गये संशोधनों के बारे में

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 228 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 जनवरी 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आदेश 1966 की अनुसूची दस में कतिपय संशोधन किये गये थे। [**ग्रंथालय में रखी गई देखिये** संख्या एल० टी०-3919/70]

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखन में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०-3921/70]

नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन आदि तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

( ) नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रंथालय में रखी गई देखिए** संख्या एल० टी०—3922/70]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के बारे में अधिसूचना

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1115 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1966 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 72 में कतिपय संशोधन किये गये थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—3923/70]

राज्यों द्वारा चीनी मिलों के अर्जन के लिए विधि बनाने सम्बन्धी कानूनी समितियां

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : मैं 4 अगस्त, 1970 को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, चीनी मिलों के अर्जन के

लिए विधि बनाने की राज्य विधान मंडलों की शक्ति के सम्बन्ध में सवैधानिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कानूनी रायों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) विधि मंत्रालय के सचिव द्वारा दिनांक 18 अक्तूबर, 1969 को दी गई राय।

(2) भारत के महासॉलिसिटर द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 1969 को दी गई राय।

(3) भारत के महान्यायवादी की राय के लिए मामले का विवरण तथा भारत के महान्यायवादी द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 1970 को दी गई राय।

(4) उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की राय। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3924/70]

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : मैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-3925/70]

———

सदस्य की दोष सिद्धि
CONVICTION OF MEMBER

(श्री नाथ पाई)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूँ कि पुलिस इंसपेक्टर, गांवदेवी पुलिस स्टेशन, बम्बई ने, दिनांक 10 अगस्त, 1970 के एक तार से सूचना दी है जिसमें बताया गया है कि 10 अगस्त, 1970 को लोक सभा के सदस्य श्री नाथ पाई को बम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (3) के साथ पठित धारा 135 (3) के अधीन दोषी ठहराया गया और 50 रुपया जुर्माना किया गया जिसे अदा न करने पर उन्हें दस दिन के साधारण कारावास की सजा दी गई।

———

सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBERS

(श्री भोगेन्द्र झा तथा श्री कामेश्वर सिंह)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे निम्नलिखित दो तथ्य मिले हैं :—

(एक) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मधुबनी, ने दिनांक 9 अगस्त, 1970 के एक तार की सूचना दी जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री भोगेन्द्र झा को अवैध जन-संग्रह

करने तथा परता भूमि में प्रवेश करने के लिए 9 अगस्त, 1970 को 4.30 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें मधुवनी सब-जेल में रखा गया ।

(दो) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, खगडिया ने दिनांक 9 अगस्त, 1970 के एक तार की सूचना दी जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री कामेश्वर सिंह को अवैध जन-संग्रह करने तथा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, खगडिया, के निवास स्थान पर अतिचार और घेराव करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 341, 448 और 447 के अधीन गिरफ्तार किया गया ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से वर्ष 1970-71 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे) 1970-71
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1970-71

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं 1970-71 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 32 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembeld after lunch at thirty two minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair.*]

भूमिहीन किसानों द्वारा–भूमि पर कब्जा करने के आन्दोलन पर चर्चा के बारे में
RE. DISCUSSION ON THE MOVEMENT OF OCCUPATION OF LANDS BY THE LANDLESS PEASANTRY

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : किसानों के भूमि देने के बारे में देश में

लगभग 6 हजार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। सदन् के बहुत से संसद् सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस विषय पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए।

इस विषय पर यथा सम्भव चर्चा की जानी चाहिए।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Shri Madhu Limaye has been arrested under section 107, 117 and 151 while he was going from Banaras to Arjungarh to address a meeting. I would request through you that U. P. Government should be asked not to try to suppress this agitation in this manner. The Gevernment of Uttar Pradesh is running the administration with the help of Congres (N). In view of this it is my duty to inform them about the atrocities committed by the Governments.

The Prime Minister and Shri Jagjivan Ram have stated that our action is undemocratic. I want to ask whether land liberation movement is violent action or it is undemocratic ? How can we tolerate all these things.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप ब्यौरेवार चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग न करें। आपको इसके लिए अलग नोटिस देनी चाहिए।

Shri George Fernandes : I want that this matter should be discussed in this House and the concerned authorities should be asked to release Shri Madhu Limaye whose arrest is illegal and unjustified.

श्री समर गुह (कन्टाई) : भूमि सत्याग्रह के सम्बन्ध में लगभग 10,000 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं। कई संसद सदस्य तथा नेता भी गिरफ्तार किये गये हैं। लाठी चार्ज, अश्रु गैस और गोलीकांड के समाचार मिल रहे हैं। अतः संसद सदस्यों के मन में उत्तेजना होना स्वाभाविक है। विशेषकर जब यह आन्दोलन शान्तिपूर्ण है। देश के जिन क्षेत्रों में भूमि हथियाओं आन्दोलन के नाम पर हत्या, लूट अग्निकांड जेसी घटनाये हो रही है, वहां इस सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गये चम्पारन तथा खैरा सत्याग्रह की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, जब भूमि समस्या के विस्फोट रूप की ओर देश का ध्यान दिलाने के लिए सामाजिक शक्तियों ने शान्तिपूर्ण संघर्ष छेड़ा था, उस समय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी। हजारों लोग तथा संसद सदस्य गिरफ्तार किये जा चुके हैं। अतः इस सभा को इस मामले पर चर्चा करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The land grab movement to provide land to landless was launched by communist Party after waiting for 22 years. There have been incidences of firing in Uttar Pradesh and Bihar U. P. Government have issued an ordinance to enforce Preventive Detention Act, with the help of Central Government. This is an important matter which should be discussed here so that we may prove that this movement is neither undemocratic nor unconstitutional.

श्री श्रीचंद गोयल (चंडीगढ़) : यह विवादास्पद मामला है और इस समस्या के बारे में विभिन्न दलों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। अतः हम चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए।

विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग के सम्बन्ध में वहां से हजारों लोग आये हैं। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये कि वह इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेगी इस सम्बन्ध में उनकी क्या नीति है ?

Shri Randhir Singh : Our friends, who do not know anything about agriculture, are claiming to be Kissan leaders. They do not know the problems of villages (*Interruptions*).— No doubt something should be done with regard to bound reforms at an early dake. The poor people are being exploited by these leaders. I would suggest that there should be full fledged debate for three days on this matter and this important problem should be solved.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I have given a notice for an Adjournment Motion in connection with the land grab movement. In my view it should be called land distribution movement and not land grab movement. We are following the path shown by Gandhiji. We have been submitting pettitions and memorandas but as it could not prove fruitful, we have resorted to this method. Thousands of people have been arrested in this country and this vital matter should be discussed in this House.

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : भूमि हथयाओं आन्दोलन चल रहा है। 10,000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कई संसद सदस्य भी जेल में हैं। यह शर्म की बात है कि नेताओं को गुंडा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। केरल तथा अन्य स्थानों पर इन मामलों को वापिस लिया जाना चाहिये। संसद में इस मामले पर ब्यौरेवार चर्चा की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन्हीं बातों को बार-बार न दोहराये। उन्हें केवल इतना कहना चाहिये कि इस मामले पर चर्चा की जाये या नहीं।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : जहां तक भूमि हथयाओं आन्दोलन का सम्बन्ध है, सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है और इसलिये मैं उसकी निन्दा करना चाहता हूं। सरकार ने भूमि हथयाने वालों को भूमि हथियाने से नहीं रोका है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : भूमि हथयाओं आन्दोलन के बारे में इसलिये चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा हो गई है। इस आन्दोलन में लोगों ने ऐसे व्यक्तियों की भूमि हथयाई है जो उसके मालिक थे और इस कारण अब भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। यह ठीक कहा गया है कि जो लोग भूमि हथयाओ आन्दोलन चला रहे है वे किसानों की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं (**व्यवधान**) वे कलकत्ता में रहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या वह किसी जमीन के मालिक हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : मेरी अपनी कोई जमीन नहीं है और किसी ने उस पर कब्जा भी नहीं किया है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Mr. Deputy Speaker, Sir, what they know about foreign policy and internal security. They don't know anything more about land problems than we people know.

श्रीमती इला पालचौधरी : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। जबरन कब्जे में की गई जमीन भूमिहीनों को नहीं मिली है। जमीन दल के आधार पर वितरित की गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये दल क्या क्या कर रहे हैं।

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I firmly believe in Gandhian Philosophy and I would support any move which may seek peaceful transition in society. I support this and urge the Government to expedite the land reform implementation. It should be discussed there in the House.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Mr. Deputy Spearker, Sir, as far as the problem of land being distributed to the peasants is concerned these cannot be two opinious. But it must be done in a proper way. Delhi Administration has been distributing surplus land to the landless people right from August 14. If the Government is sincere in this respect, they can bring out drastic change within the frame work of suitable legislation. But we cannot support a move which amounts to violation of rules.

Ours being a democratic country, we must all try to maintain rule of law. If anybody takes law into his hands that will be against the constitution. Therefore while discussing the land reform movement, there should be not anything in the House which may encourage lawlessness we must follow the example shown by Delhi Administration in this regard.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : I want a detailed discussion to be held in this matter. We have utmost compassion and sympathy with the poor landless millions. But since we want that rule of law should prevant and the constitution be honoured we cannot support this land grab movement. This movement is only a political stunt, and not for the benefit of landless poor. But at the some time I would warn the Government that the millions of people are impatient and they cannot wait any longer. The Government should take initiative in distributing fallow land to the landless. They should set up a machinery to make necessary arrangements in this regard.

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : बस कीजिये। अब यह चर्चा का रूप ले रहा है। प्रो० मुकर्जी ने आरम्भ में कहा था कि कुछ सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हैं। मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता। मैं इन सबकी सूचना अध्यक्ष को दूँगा।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise on a point of order. Generally according to the procedure, the decision on adjournment motion will be made immediately after the discussion on calling attention motion is over. But now-a-days I see that the speaker is not taking any decision. Hence I request that a discussion may be held on adjournment motion after the calling attention motion. This is an important metter.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया है और यह मत व्यक्त किया है कि इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद भी माननीय सदस्यों ने जोर से चर्चा करने की माँग की। मैं यह अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाऊंगा।

औषधियों के मूल्य के सम्बन्ध में वक्तव्य
STATEMENT ON PRICES OF DRUGS

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : मुझे औषधियों के मूल्य के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना था, मगर मैं यहां यह पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप की अनुमति है, तो मैं यह सभा-पटल पर रखूंगा। माननीय सदस्य इसको पढ़े तथा आप बाद में समय दे जिससे मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं।

Shri George Fernandes : I would like to bring to your notice that after the issue of Drugs price control order, the price of medicines have doubled, except in the case of a certain medicines.

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि वक्तव्य के 9 पन्ने हैं अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे यह सभा पटल पर रखें। इसके बाद अगर माननीय सदस्य उस पर बोलना चाहते हैं, तो नियम संख्या 184 अन्तर्गत सूचना दें, तब उस पर विचार किया जाएगा।

Shri George Fernades : But I want to say one thing is there any bargaining going on between the Government and drug manufacturers ? The drugs which were sold formerly on Rs. 1.74, are now being sold on Rs. 2.96. This price rise should be controlled immediately.

डा० त्रिगुण सेन : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—3926/70]

Shri George Fernandes : I have lists with me which clearly indicates that prices of drugs have doubled. We want that it should be controlled immediately. In Bombay it is widely said that the congress party has received a donation of Rs. 7∪ lakhs from the drug manufacturers and that is why the prices gone up.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं आप से इस बात से सहमत हूँ कि इस पर बाद में चर्चा की जाए। मगर यहां श्री फरनेन्डीज ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को दवाई निर्माताओं ने 70 लाख रुपये दिये हैं। अत: माननीय मंत्री महोदय को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I rise on a point of order. The speaker has made a provision here that if any calling attention motion comes, before the Government makes statement on policy matters, it should be considered. We have been giving calling attention notices for the last three days. The price of medicines of T. B. has increased by 88 percent. If you are not allowing it how can we discuss it ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहता हूँ कि अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री महोदय प्रश्नों का जवाब देने को तैयार हैं। अगर नियम संख्या 184 के अन्तर्गत कोई सूचना देते हैं, तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, यहाँ कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जिनका मंत्री महोदय को जरूर जवाब देना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें रिकार्ड में आ गई हैं।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने आपकी अनुमति से एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहले उसको पढ़ लें। यहां आरोप लगाये गए है कि कांग्रेस दल को दवाई निर्माताओं ने सत्तर लाख रुपये दिये हैं। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूँ।...(व्यवधान)

श्री जार्ज फरनेण्डीज : मैं इस आरोप को दोहराता हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : तथ्यों से पता चलता है कि दवाइयों के मूल्य में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस पर चर्चा किये जाने के पहले क्या मंत्री महोदय कुछ जवाब देंगे, क्योंकि हम सही स्थिति जानना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यहां केवल यही एक आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस दल ने किसी से पैसा लिया है और मंत्री महोदय ने इसका खण्डन भी किया है। यह मामला यहां खत्म होता है।

Shri George Fernandes : Mr. Deputy-Speaker, Sir, If you may allow me, I shall lay the price list on the Table of the House. I want to know as to what step the Government have taken to control the soaring prices of drugs. I would put forward some evidences. The price of a particular medicine was Re. 1.74 in last February, but it has become Rs. 2.96 in August. The prices have increased three times as much as the original price.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत कहा जा चुका है अब हम अगले विषय पर विचार करें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

MOTIONS RE. REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—(*CONTD.*)

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had not improved much even after 22 years of independence and Government alone was responsible for that.

The orders issued by the Government in regard to recruitment, transfers and promotions of the employees of these castes had not been implemented even today. The decision of the Supreme Court that in the matter of promotions preference should be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe had also not been implemented although an assuranne to that effect had been given by the Government on the floor of this house.

In the case of appointments, the reservations made for these castes were not fully adhered to, which was great injustice to them. There is majority of tribal population in Meghalaya, Manipur, Tripura, NEFA and Nagaland, but in N. E. F. Railway, there are only 37 employees belonging to Scheduled tribes out of 47,534 employees. When their representatives talked about it here, it is said that they were provoking people for starting agitation.

This working, class, especially belonging to Scheduled Castes and Schedules Tribes earn their living through hard labour, but atrocities are still going on to be perptrated upon them and these atrocities and acts of injustice need to be done away with immediately.

There were orders that Harijan and adivasi employees should not be transferred longer distances. They should be kept nearest to their home, but these orders had not bee implemented. The people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are ignored in the matter of appointment to higher posts. The Harijans are appointed to the posts of sweepers or constables. They cannot hope to go to higher posts.

The atrocities are still perpetrated upon the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various parts of the country. One Harijan M. L. A. was shot dead whereas four persons were burnt alive in orissa, a person was burnt alive after laying him to a tree. The action should be taken to protect them The discrimination and a feeling of hatred against Harijans should be removed from the minds of the people.

Nowadays there is a movement to give land to the landless. I want to tell the house that the movement would gain even a more forceful momentum if land is not distributed to the landless labour. Now-a-days struggle is going between the rich and the poor. The Harijans and the landless would certainly grab the land, if it is not given to them by the Government. The Industrialists have now stated acquiring big farms, as there is no agricultural tax on other type of tax. Now we have given a new slogan that land should be owned by the person who tilled it.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं अपने विचारों को अस्पृश्यता समिति के प्रतिवेदन और आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास तक ही सीमित रखूंगा। इलाया पेरूमल समिति ने भी अस्पृश्यों की उल्लेखनीय सेवा की है।

अस्पृश्यता का मूल कारण क्या हैं। मैं इस प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूं कि संविधान में व्यवस्था होने और अनेक सुझावों तथा कार्यक्रमों के बावजूद भी छुआछूत दूर नहीं हो सकी है।

अस्पृश्यता हिन्दू समाज व्यवस्था का एक मूलभूत तत्व है। इसके राजनैतिक और धार्मिक कारण भी हैं। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का विचार है कि आर्थिक स्थिति में सुधार से इन लोगों की दशा में भी सुधार हो सकता है, परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है। समाज में व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण जन्म और स्थान के आधार पर होता है। इस स्थिति का समाधान तो यह है कि हिन्दू समाज-व्यवस्था में सुधार किया जाय।

अस्पृश्यता की समस्या के दो पहलू हैं—एक तो इसका शाब्दिक अर्थ और दूसरा भावात्मक अर्थ। गांव और शहरों दोनों में ही हरिजनों को न छूने की समस्या समाप्त हो चली है, मगर भावात्मक अर्थात व्यक्ति के जन्म के प्रति जो रूख है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिये समाज-व्यवस्था में जब तक परिवर्तन और सुधार नहीं किया जायगा, अस्पृश्यता देश से दूर नहीं हो सकती।

जाति प्रथा अन्तर्निहित असमानता के सिद्धान्त पर आधारित है। असमानता इस देश की समाज-व्यवस्था के लिए श्राप है। बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता के सामाजिक न्याय की दुहाई देना ढोंग है।

संविधान में और पारित किये गये अनेक अधिनियमों में बहुत ऊंची बातें कहीं गई हैं, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब उपबन्धों को कार्य रूप और व्यवहार में कहां तक परिणत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार दास प्रथा और बेगार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, परन्तु यह सब अब भी अबाध गति से चालू है।

संविधान के अनुच्छेद 17 और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 से कितने व्यक्ति अवगत है ? समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "जिन 241 व्यक्तियों से साक्षात्कार किया गया, उनमें से केवल 128 व्यक्ति अर्थात् 53.1 प्रतिशत व्यक्तियों को ही यह पता था कि कानून के अन्तर्गत अस्पृश्यता निषिद्ध कर दी गई है।" समिति ने यह भी कहा है कि "यह प्रत्याधिक खेद की बात है कि 30 पुलिस अधिकारियों में केवल 2 अधिकारी ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के उपबंधों के बारे में कुछ बता पाये।"

प्रतिवेदन में अस्पृश्यता अधिनियम का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि ऐसे मामलों में 6 महीने तक की सजा तथा 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों को बहुत थोड़ा दण्ड दिया जाता है। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि ऐसे 13 मामलों से 73.9 प्रतिशत मामलों में केवल जुर्माना किया गया है तथा उसकी राशि भी एक रुपया से लेकर 25 रुपया तक हैं।

समिति ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जब तक इस आशय के आदेश जारी नहीं किये जाते कि कम से कम दण्ड इतना होगा तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। महोदय ! वास्तव में मुकदमा चलाने वाली भी इस ओर कोई रूचि नहीं रखते तथा बहुत से अधिकारियों को इस उपबन्ध का पता ही नहीं है।

मैं सभा का अधिक समय न लेकर अब अनुच्छेद 23 की चर्चा करना चाहता हूं। मैंने संविधान सभा में हुये वाद-विवाद का अध्ययन किया है तथा उनकी यह इच्छा की कि भारत से बेगार आदि प्रथा को समाप्त किया जाये। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह प्रथा आज भी हमारे देश में विद्यमान है। देहातों में अभी भी अनुसूचित जातियों के लोगों से ऐसे कार्य कराये जाते हैं जैसे कि विवाह आदि के अवसर पर लकड़ी फाड़ना या उनके सम्बन्धियों को किसी प्रकार की सूचना देने जाना। किन्तु उन्हें इसके बदले या तो कुछ नहीं दिया जाता या बहुत थोड़ा दिया जाता है।

प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात् भी बलात् श्रम का देश में विद्यमान रहना देश की प्रजातंत्र के लिए एक चुनौती है।

हम मानवीय अधिकारों, मानवीय मूल्यों आदि की बहुत चर्चा करते है किन्तु वास्तव में देखना है कि हमारे देश में उनका कहां तक निर्वाह किया जाता है। किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा पहला माध्यम है। अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने लोगों को शिक्षा मिल सकी है इस बारे में माननीय सदस्य ने आँकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं अतः मुझे इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

छात्रवृत्तियों के बारे में बड़ी भ्रामक बातें कही जाती हैं। स्कूलों और कालेजों के अध्यापक तक यह बात कहते हैं कि इन जातियों के छात्र तो जंवाई बन गये है क्योंकि इनको छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। किन्तु यह भी छिपा नहीं है कि स्कूल और कालेजो में कितने ऐसे बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि सरकार कुछ अधिक व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है किन्तु यह व्यवस्था करना कोई खैरात बांटना नहीं है। वे सभी इस देश के निवासी है तथा नागरिक हैं। अतः उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये अधिक धन देना हमारा कर्तव्य है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें विदेशी छात्र-वृत्तियाँ भी अधिक संख्या में मिलनी चाहिये। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है श्री बलराज मधोक का कहना है कि यहां कुछ स्थिति सुधरी है। यदि ऐसा है तो मुझे इससे प्रसन्नता है। किन्तु जहां तक मैं समझता हूँ अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है।

इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव है कि सरकार ने जिस प्रकार औद्योगिक नीति संकल्प या आर्थिक नीति संकल्प बनाये हैं उसी प्रकार वह सामाजिक नीति संकल्प भी बनाये तथा इस समस्या को उसके आधार पर हल करे। सरकार को देश के सामाजिक संगठन को नया रूप देना चाहिये अन्यथा देश का अहित होगा।

मैं मंत्री महोदय को यह भी आश्वासन दिलाता हूँ कि हरिजन लोग प्रजातंत्र प्रणाली में अधिक आस्था रखते हैं तथा वे लोग किसी भी असंवैधानिक कार्य में नहीं उलझते। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे संविधान में कुछ मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है तथा उन्हें आशा है कि उसके आधार पर उन्हें वे सभी अधिकार मिल सकेंगें। साथ ही मैं उनसे भी यह निवेदन करता हूं कि वे कभी किसी भी प्रकार की असंवैधानिक और गैर-कानूनी गतिविधि में भाग न लें। (व्यवधान)

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जातिवाद से ऊपर उठकर एक नया दायित्व उत्पन्न करना चाहिये जिससे लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सकें। इससे स्वतन्त्र समाज की स्थापना हो सकेगी तथा वर्तमान सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जा सकेगा। पैतृक पुजारीपन की प्रणाली समाप्त होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : बिहार में इसे समाप्त कर दिया गया है।

श्री रा० धो० भण्डारे : इस दृष्टि से बिहार में अधिक अन्याय हुये हैं। माननीय सदस्य मुझे उत्तेजित करना चाहते हैं। वह समझते हैं जैसे मैंने बिहार आदि राज्यों का दौरा ही नहीं किया है। भारतीय समाज में जात-पांत अभी भी मूलभूत बुराई बनी हुई है। अतः हमने जिस स्थिति को प्राप्त नहीं किया उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि देश में पैतृक पुजारियों को स्थान या बौद्ध भिक्षुओं की भांति पुजारी होने चाहिये जो समाज की सेवा में संयमित जीवन व्यतीत करें।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि देश में अन्तर्जातीय विवाह होने चाहियें। इस आशय के नारे बहुत दिनों से लगाये जा रहे हैं किन्तु उन्हे व्यावहारिकता अभी तक प्रदान नहीं की गई। साथ की बस्तियों और गांवों में सभी जातियों के लोगों को एक साथ रहने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अस्पृश्यता की समस्या को सुलझाने के लिए यह आवश्यक है कि अस्पृश्यता बरतने वाले लोगों को, उनके कार्य को अपराध मानकर सामूहिक रूप से दण्ड दिया जाये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय ! सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के कल्याण की ओर तथा समाज से असमानताओं को दूर करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया है तथा इस बात का प्रमाण यह है कि सरकार ने इन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करने के लिए भी बहुत थोड़ा समय निर्धारित किया है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*

आज तीन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श किया जाना है। वर्ष 1966-67 का प्रतिवेदन 24 अप्रैल 1968 को प्रस्तुत किया गया था और 1967-68 का प्रतिवेदन 15 मई 1969 को सभा-पटल पर रखा गया था। गत सात वर्षों में इस विषय पर तीन बार विचार विमर्श किया गया है और दो या तीन प्रतिवेदनों पर केवल दो घन्टे विचार-विमर्श करने के उपरांत यह समझ लिया जाता है कि हमने इन व्यक्तियों के लिए बड़ा भारी कार्य कर दिया है। महोदय ! इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त कार्यालय को सरकार के विभिन्न विभागों से समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती तथा उन्हें इस सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई होती है। बड़े खेद की बात है कि नवीनतम प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि सरकार के दो विभागों ने उस कार्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी देने से साफ इंकार कर दिया। आयुक्त द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों से रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है किन्तु उसे 83 उपक्रमों में से केवल 7 उपक्रमों से जानकारी प्राप्त हो सकी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्यालय का कितना सम्मान किया जाता है।

वास्तव में इन गरीब लोगों की दयनीय स्थिति का पता लगाने के लिए हमें किसी आयुक्त या समाज शास्त्री की आवश्यकता भी नहीं है। भारत के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाने से हमें उनकी करुण कहानी सुनने को मिल जायेगी। ये लोग जन्म से ही अछूत हैं तथा मरने तक अछूत ही रहते हैं वे मिट्टी की गन्दी झोपड़ियों में जन्म लेते हैं तथा मिट्टी और कीचड़ में पलते हैं। इतना ही नहीं उन्हें न सामान्य कुओं से पानी भरने की अनुमति होती है और न उन गलियों से गुजरने की अनुमति होती है जहां स्वर्ण हिन्दू रहते हैं। आज भी ये सभी बातें भारत में विद्यमान हैं। ये लोग किसी से न अपने कपड़े धुला सकते हैं और न हजामत बनवा सकते हैं।

मन्दिरों में प्रवेश की तो बात करना ही व्यर्थ है। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक स्थान पर हरिजनों को देवालय में प्रवेश करने तथा पूजा-प्रार्थना करने की छूट तो अवश्य है किन्तु वे लोग अन्य व्यक्तियों के साथ वहां नहीं जा सकते। देवालय में दो चबूतरे बनाये गये हैं ;

एक या अन्य हिन्दू खड़े होकर पूजा करते हैं तथा इन लोगों के लिए दूसरा चबूतरा है। आश्चर्य है देवालय के अन्दर भी अलग-अलग व्यवस्था है।

प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हरिजन बच्चों को स्कूल में अन्य बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा-प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। वे बाहर बराण्डे में नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं प्रतिवेदन में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि बहुत से सरकारी संस्थानों के होटलों और कालेजों में हरिजन विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं है एक कालेज में एक विद्यार्थी ने अपने कमरे में डा० अम्बेडकर का चित्र लगाया हुका था किन्तु उस विद्यार्थी को उस चित्र को हटाने के लिये विवश कर दिया गया। अर्थात् इन तथाकथित सवर्ण हिन्दुओं के लिए अछूत नेता का चित्र भी अछूत बन जाता है।

प्रतिवेदन में एक और महत्वपूर्ण उद्धरण दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि हरिजनों के प्रति अभी कितनी हीन भावना विद्यमान है। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एक स्कूल में पढ़ाने के लिये नियुक्त किया गया और जब वह स्कूल पहुँचा तो उसे प्रधान अध्यापक ने बताया कि उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल उपस्थिति लगाकर चला जाया करे क्योंकि इस स्कूल में अन्य लोग सवर्ण जाति के हैं। इससे स्पष्ट विदित होता है कि शिक्षा का क्षेत्र भी इस भावना से कितना दूषित हो गया है।

एक स्थान पर एक हरिजन व्यक्ति को सरपंच चुना गया किन्तु उसे अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया गया। गांधी शताब्दी तो मनाई जाती है किन्तु सभी पुरानी प्रथाएं ज्यों की त्यों विद्यमान हैं। स्वयं गांधी जी के जन्म स्थान, पोरबन्दर के विषय में प्रतिवेदन में कहा गया है कि यहाँ किसी परिचित हरिजन को मंदिर या होटल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। पोरबन्दर में एक हरिजन बालक को इसी कारण पीटा गया था कि वह एक होटल में घुस गया था।

समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सेवा ग्राम, वर्धा आदि स्थानों पर भी हरिजन व्यक्ति नाई से अपनी हजामत नहीं बनवा सकते तथा धोबी से कपड़े नहीं धुला सकते।

यह बहुत ही अपमानजनक बात है। यह जातिभेद की नीति से भी बुरी है।

हाल ही में अग्निकांड की बारदातें हुई हैं ; लूटमार और बलात्कार का बोलबाला है, क्यों कि वे अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। देश में यह धारणा फैली हुई है कि हरिजनों के साथ लोग जो कुछ भी करते हैं उन्हें वह करने दिया जाय। न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन करने से समिति को यह बात ज्ञात हुई है कि बहुत से मामले प्रक्रियात्मक कमियों के कारण तथा इन मामलों में पुलिस अधिकारियों के रूचि न लेने के कारण ही समाप्त कर दिये गये।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम या अन्य किसी से अस्पृश्यता के उन्मूलन में कोई अधिक कार्य नहीं हुआ है। इसे रोकने के लिये प्रशासनिक सुधार या सांविधिक विनियमों से कुछ कार्य नहीं होने वाला है। यह समाज शास्त्र की बात है। सामाजिक ढांचा ऐसा ही बना दिया गया है।

हमारे देश में समाज के कल्याण के लिए एक बड़ा मंत्रालय है । समाज कल्याण के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिव्यक्ति कितना रुपया खर्च किया जाता है । पहली पंचवर्षीय योजना में 26 पैसे प्रति व्यक्ति व्यय किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़कर 99 पैसे हो गयी और तीसरी योजना में 118 पैसे । यदि समाज कल्याण का कार्य इसी प्रकार ही चलता रहा तो न जाने कितना समय लगे ।

निस्सन्देह मुख्य चीज शिक्षा है किन्तु अस्पृश्यता का पूर्णतया उन्मूलन करने के लिए, शिक्षा और आर्थिक विकास से और अधिक किसी चीज की आवश्यकता है । यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है तो भी जातिवाद की समस्या से उसका छुटकारा नहीं होता । राजस्थान में एक ऐसे ही प्रशासनिक सेवा अधिकारी को एक स्वच्छ बस्ती में रहने के लिये मकान नहीं मिल सका केवल इसी कारण कि वह अनुसूचित जाति के हैं । राजस्थान में ही ऐसी दशा नहीं बल्कि समस्त देश में ऐसा ही वातावरण फैला हुआ है ।

यदि हम अस्पृश्यता की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें उसके मूल कारण जानने होंगे । इलयापेरुमाल समिति ने संकेत किया है कि जातिवाद के मूल में जाये बिना अस्पृश्यता निवारण के लिये जो प्रयास किया जाता है वह केवल रोग के बाहरी लक्षणों का उपाय करना है इसलिये जब तक जातिवाद का उन्मूलन उसके मूल में जाकर नहीं किया जाता है, चाहे इसका शुद्धिकरण प्रथा या शास्त्रों द्वारा किया जाये, हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते ।

हिन्दुओं ने अनुसूचित जातियों के लोगों पर अनैतिक कार्य लादे हुए हैं । इन अस्पृश्य व्यक्तियों ने न ही किसी का शोषण किया है और न ही किसी की सम्पत्ति को हाथ लगाया है । जो ये लोग उगाते हैं हम उसी को खाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसे छुओ नहीं । ये लोग कुआं खोदते हैं जिससे हम पानी निकालते हैं । परन्तु उस पानी को इन लोगों को छूने नहीं दिया जाता है ।

हमारे संविधान में लोकतंत्र, स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव जैसे शब्द अंकित हैं । इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि इससे हमारे बहुत से लोगों को वंचित रखा जाता है । यदि हम संसार को यह बताना चाहते हैं कि हम लोकतंत्र स्वतन्त्रता, भ्रातृभाव और समानता में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने इन साथियों को अस्पृश्यता जैसी भेदभाव वाली प्रथा से मुक्ति दिलानी होगी । जब तक ऐसा नहीं होता हमारा समाज वह समाज नहीं होगा जहां सभी व्यक्ति समान हैं ।

हमारे वर्तमान विधि तथा समाज कल्याण मंत्री प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं । प्रशासनिक सुधार तो सचिवालयों में ही किये जा सकते हैं परन्तु सामाजिक सुधार समस्त देश में किये जाते हैं । मैं उन दलों से भी निवेदन करता हूं जो भारतीयकरण की बात करते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें मानव ही नहीं समझा जाता है । सर्वप्रथम हमें इन लोगों की गणना मानवों की श्रेणी में कराने के लिए प्रयत्न करने चाहियें । इसके पश्चात ही हम भारत को लोकतंत्र कह सकते हैं ।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Mr. Chairman, Sir, today we are discussing the report of Commissioner of Scheduled Caste as well as the report of Perumal Committe on untouchability for the last three years. I request to say that for the three years we could not hold a detailed discussion on it. The Government did not pay any heed towards this.

Out of the total population of India the number of scheduled caste and scheduled tribe people is 15 crores. Adding to this the 10 crores population of backward communities, this will make a total number of 25 crores. I know that out of 521 Members of Lok Sabha, members belonging to Scheduled Castes are 77 and that of Scheduled Tribes 37. But nobody is taking care of their views or their suggestions. Here we see that even the minor problems are discussed in detail, but for the last three years we did not get time to discuss the problems of these hopeless 'untouchables' of Indian Society.

The Constitution provides certain facilities to these people. Elaya Perumal Committee was appointed to study the problems of untouchability. Apart from this, they have formed a Parliamentary Committee also. But the Government did not take any interest in implementing their suggestions.

May hon. Members spoke about the scholarships and stipends given to Scheduled Caste and Scheduled Tribes. I do not want to go into detail. The social welfare Minister is seated there. The Government always turned deaf ears towards these problems. Reservation in services could not be fulfilled according to quota. The reports presented in the Lok Sabha, reveal that even a small percentage of Scheduled Caste candidates could not come up a vartous posts in the States.

The problem of untouchable to still prevails in almost all parts of the country. The Harijans are landless and poor. They have no facilities in life. They have no ample shelter to protect their life from the vagarins of wind and weather. Is it not the moral duty of a democratic Government to uplift them from their wretched living condition ?

Today the land grab movement is gaining momentum. In this connection I would like to say that hither to no State Government could implement the land reform laws properly. Wherever it was implemented the landless people did not get any profit. The upper class people one way or other kept it in their possession. The Central Government says that it is a State subject. But I ask that in case the State Governments are hesitating to implement this Act which is also provided in the Constitution, why can't the Central Government take necessary action against the States ? Till 1967 general elections, the Congress Party was in power in almost all the States. Only after that the united fronts headed by other Parties came into power. The Congress Governments in various States could have implemented the Land Reforms Act, but they did not. Land must be distributed to the millions of landless people. We believe in peaceful transformation of society. But the people from their experience have come to know that land is not going to be distributed through legislation. If we are to construct a socialist society, we have to remove the glaring disparities in our society. But today what we see is that the clearage between the poor and the rich is widened more and more. Our Prime Minister has nationalised the banks. But the poor landless Harijans are not getting loans from any of these banks. So many hardless are created in the way of getting to an to the landless.

Here I would make certain suggestions for the consideration of the Government. I hold the view that basically our plans are defective. This has only helped the rich people to grow more richer and poor to become more poor. Middle class and upper class have flourished beyond limits. Now-a-days there are so many sky-scrappers under construction for Government Offices, it is quite unwarranted act when the people of India are still in a hand-to-mouth existence. Even after 22 years of freedom, if it is the condition of our country, then the best alternative will be revolution . I want that Scheduled Caste people should be appointed in Planning Commission. Similarly the Government should implement

the land reform Act promptly. The States which are reluctant to do that, should be punished. Thirdly, the Harijans should get loan without interest, to run small scale industries. My fourth suggestion is that reservation should be strictly fulfilled. My next suggestion is that the problem of Scheduled Tribes should be given priority on national level. To deal with these problems effectively, a separate Ministry should be created.

Now-a-days in various States, Harijans are being butchered. The Central Government evades this appaling problem saying that it is purely a State subject. Is it not their moral duty to protect these helpless people and the minority Communities from a total genoside ? Therefore, my suggestion is that a separate cell should be created under the Home Ministry. The Central Government should directly take stern action as and when necessary in this regard.

What is the malady of untouchability ? All the Vedas and Epics of Hindus, the whole Society is divided into four classes. But today many people have no faith in this age old caste system. Unfortunately the Jan Sangh has launched a Hindu revivalist moment. If this age old vitualistic caste-based obscurant philosophy revieved again 15 crores Harijans of this country will resist it at the cost of their lives.

Recently in a meeting held to celebrate the fourth birth century of Tulsidas, even our Prime Minister said that he was the national poet. But he was the staunch exponent of 'Varuasharma dharma'. Tulsi says that the Brahmin should be respected however obscurant he may be and a sudra or low classed man should not be respected however learned he may be. This is his philosophy. So long as Tulsi, Sankaracharya and the Manusmrithys are worshipped in this country the untouchability cannot be eliminated we will have to launch massive agitaiion against this out-dated, nasty social system.

Therefore, Mr. Chairman, Sir, I would appeal to the Government through you to take prompt action to protect the Harijans.

Mr. Chairman : Even the most eloguent speakers look only 17 to 18 minutes, but he has taken 30 minutes.

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मेरा निवेदन है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए नियुक्त आयुक्त के और इलाया पेरुमाल समिति के तीन साल के प्रतिवेदनों पर चर्चा कर रहे हैं। इन रिपोर्टों पर एक साथ हम चर्चा कर रहे हैं। अतः यह पूर्णतः न्यायसंगत है कि हमें अधिकाधिक 20 घंटे मिलने चाहिएं। अगर इससे कम समय दिया जा रहा है तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे। हम सदन से बाहर चले जायेंगे।

Mr. Chairman : Mr. Speaker will consider this case, and he will make a decision upon this.

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : ...(*Interruption*)...Mr. Chairman, Sir, if they are interrupting us, we will not also hesitate to interrupt then while they speak.

Mr. Chairman : You please address the Chair.

Shri Molahu Prashad : They *** are not allowing me to speak...(*Interruptions*). Mr. Chairman, Sir, if these reports of the two Committees are implemented properly the distressing condition of the Harijans in our country will change considerably. This Committee has submitted its report on 30 January, 1969. On 29 January, 1970 this report

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

***Expunged as ordered by the Chair.

was discussed in detail in a meeting of the social welfare Ministers of various States. But even after seven months, no State Goverment expressed their reaction. I would like to draw the attention of the Government to these serious negligence on the part of the Government. The Government forms a Committee only to made the problem. When the Committee submits its report it is thrown into the dustbin. This is what has been happened hitherto. The Committee has made twelve recommendations regarding untouchability, thirteen recommendations regarding economic development forty-six recommendations regarding educational development, and 132 recommendations regarding Scheduled Castes service unless the Government implement these recommendations, the living condition of these people cannot be improved. After independence, the untouchability preventive Act that we have made, has become null and void. When a police officer makes enquiries of atrocities on Harijans, he does not know whether such a law is existing or not. Therefore the Committee has stated that during their training period, they should be made more of this law.

As far as the agricultural labourers are concerned, the fourth chapter of the report says that it is an appealing problem. No ample data is available regarding the problem uncer of employment among Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Committee has also suggested that an old age pension should be given to old people in that class with having nobody to fall back on. Another recommendation of the Committee is that if 50 percent strength of workers in each Government at undertaking is reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they can earn their livelihood without being the miserable victims of the struggle for existence. Similarly the education should be made free or the economic burden of this should be shouldered by the Government. Among the schools under the Municipal Corporation, and public or convert schools there is no unity at all. At least upto primary level some kind of unity should be brought out in curriculum and such other things.

The Committee sought information from the two secretariats under the Parliament as to how much is the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various services in these secretariats, but the secretary to the Lok Sabha Secretariat said that according to well established conventions, no information can be given to any Committee appointed by the Government of India Hence, we do not know how many Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees are working there. In this connection, I would like to say that provisions made under Article 338 of the Constitution, cannot be made inactive or superceded to any kind of well-established connection. The Commission has stated this clearly in its report. We fall in line with the view of the commissioner and urge the Government to take necessary actions in this regard. The Government should make necessary arrangement to see that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are fulfilled, in these two secretariats.

The Government have accepted the principle of reservation long back. Then what is the difficulty is making reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government undertakings and statutory bodies, where 51 percent of the total investment of Government of India is made. The true intention of the Government of India is clear from this. They could not make necessary arrangements for reservation in various public undertaking. I want that reservation should be fulfilled in those undertakings where 51 percent of the total investment of Government of India is made. The Britishers did right thing in appointing members from minority communities in Government Services like the Public Service Commission etc. But in free India, there is no such arrangement. What I want to say is that in the selection boards of various All India Services at least one Scheduled Castes Officer should be appointed so that there may not be any kind of discrimination in the selection against these classes.

In a meeting held recently to celebrate the both centenary of 'Ramcharith Manus', almost all of our great leaders took part. I do not think that Tulsidas was a social

reformer. All the Epics of Hindus are full of stories which hurt the feelings of the poor untouchables. I do not think that so long as these theories are followed in our society, there can be any change in the mind of the people.

I want that the recommendations of the Committee should be implemented without further delay.

Shri B. N. Kureel (Ramsanehi Ghat) : Mr. Chairman, Sir, today we are considering the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Report of Elaya Perumal Committee for last three years. Here we see that to set up a Committee is only a routine or rather a ceremonial thing. No tangible result will come out of anything. The routine discussion will be held in Parliament and after that the report will be thrown into the dust bin. No problems is solved. This is a very serious problem. The problems of Harijans have a national character. But the Government did not give any importance to it.

In our country right from the top to bottom the people think that spending of money on Harijans is an act of charity, as if they have no right to that. Those people are living in fouls, paradise. The Harijans have equal right as anybody else in this country.

In our Five Year Plans the Government have provided certain amounts for the welfare of the Harijans. In the First Plan Rs 26 crores, in the Second Plan Rs. 78 crores, in the Third Plan Rs. 102 crores and in the Fourth Plan Rs. 142.40 crores have been provided. But seeing the magnitude of the problem, this amount does not weight much. Therefore sufficient amount should be provided to solve the problems of Harijans. Also the loopholes in the reports should be plugged and all the recommendations should be implemented.

One important thing which the Government has d ne is the Implementation of schemes for the improvement of education among the Harijans. But when they said that they are fast improving and advancing and feared that one day they might claim thier share in the Government, they slowly retarded the process. The former commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes had expressed the opinion that they should not be given higher education. The Government said that it is a Committed expend ture and that the State Government will take necessary steps. But there is no surety to the fact that the committed expenditure for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be spent for themselves. I would submit that the Central Government should take it in their hands.

The Minister says that this will be done but the attitude of the officers is different. Similarly the amount of scholarship, according to the committee, should be increased. But nothing is done. This luke-warm attitude of the Government should be changed.

Regarding the distribution of samples or fallow land to the poor, I do not believe in forceful grab movement. But the landless poor must get land. In Uttar Pradesh, 8 per cent surplus land is earmarked for digging pools, and other purposes. But hither to nothing is done. Acres of land is lying idle. The Government should urge the State Governments to expedite the distribution of fallow land to the poor people. Land ceiling was also a tunt and evidently it was devised for gaining popularity.

I want to say one thing about technical education. The scholarship that is being given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe students is quite insufficient, as a result they cannot study in the technical institutes. In Delhi total, in 1968-69, 9 seats out of 29 were reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. But all the seats were lying vacant. Similarly in other institutes also their strength was nil, If the Govern-

ment is sincere in tackling their problems, they should earmark more amount for their education.

The State Government fail to grant pre-matric scholarships. This is an important matter. The Central Government should take up the responsibility of granting scholarships to them.

The Harijans are much backward economically, socially and educationally. The Government can solve their problems if they are sincere. The Government must take it as a national problem. Let the Minister say categorically as to how they are going to mobilise resources for that. Otherwise let him say that they cannot do that then we shall choose our own line of action.

श्री सोमचंद सोलंकी (गांधीनगर) : देश की स्वतन्त्रता, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति तथा समाज में राजनीतिक जागरण के प्रति भारतीय प्रजातंत्र का अपना अलग विशिष्ट दृष्टिकोण है। संविधान के अनुच्छेद संख्या 17 अन्तर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके चलन पर रोक लगा दी गयी है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संसद में पारित किया गया था परन्तु यदि हम देखें तो हमें मालूम होता है कि अस्पृश्यता हमारे माथे पर कलंक बनी हुई है। अस्पृश्यता की समस्या विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जाति-प्रेम की समस्या के साथ जुड़ी हुई है जब तक देश से जाति-प्रेम को समाप्त नहीं किया जाता अस्पृश्यता का कलंक तब तक दूर नहीं हो सकता है।

अस्पृश्यता अस्पृश्य पेशों के कारण बनी हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति ऐसे पेशों में कार्य कर रहे हैं उन्हें वैज्ञानिक उपकरण दिये जाने चाहिए ताकि अन्य लोग उन्हें हेय दृष्टि से न देखें।

सामाजिक न्याय हमारे राष्ट्र की एकता और सुदृढ़ता का मुख्य आधार है। जाति या पेशे के आधार पर भेदभाव करना हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के विरुद्ध है। प्रजातांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति किसी पर श्रद्धा व्यक्त करने संस्कृति का अनुसरण करने, अपने ढंग से जीवन निर्वाह करने के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। परन्तु हमारे मन्त्री केवल नारे लगाने में होशियार हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी अपनी अपनी कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं। श्री जगजीवन राम, जो स्वयं को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का नेता कहते हैं, उन्होंने गत चार वर्षों से अनुसूचित जातियों के लिए एक भी शब्द सभा में कभी भी नहीं कहा है।

देश के इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि गत हजारों वर्षों से हम पराधीन रहते आये हैं। हमने विदेशियों को भारत से बाहर धकेलने के लिए कभी भी संगठन शक्ति से काम नहीं लिया है। विभिन्न धर्म, जाति और सम्प्रदाय के अनुरूप हम विभक्त हो गये हैं और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति शोचनीय होती गई है। अब से पहले तो अस्पृश्य लोगों की स्थिति और भी दयनीय थी। परन्तु एक दम एक उत्साहपूर्ण आवाज उठी कि साम्राज्यवादियों में फूट उत्पन्न करो और शासन करो। इसी नीति का अनुसरण करने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि भेदभाव मिटाकर

देश के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देना चाहिए। देश भक्ति की इस ऊँची भावना ने ही भारत को पराधीनता की शृंखलाओं से मुक्त किया था परन्तु आज फिर साम्राज्यवादी नीति अपनाई जा रही है और इन जातियो के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इसी कारण साम्प्रदायिक दंगे फैल रहे हैं। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से भारत के दो हिस्से हो गए। मुसलमानों को तो अपना हिस्सा मिल गया परन्तु हरिजनों को नहीं। आज 'मैं अल्पसंख्यकों का रक्षक हूं' नारे ने इतिहास की पुनरावृति की है। इसी कारण एक दूसरे के बीच शत्रुता पैदा हो गई है और हिन्दु तथा मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक घृणा उत्पन्न हो गई है। नई कांग्रेस के इस नारे से कि 'हम अल्पसंख्यकों के रक्षक हैं' देश कई वर्गों और हिस्सों में नहीं बट जायगा ऐसा मेरा विचार है ? मुस्लिम लीग का समर्थन करना इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 'फूट उत्पन्न करो और शासन करो' की नीति से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों की अपेक्षा क्या मुसलमानों को अधिक खतरा उत्पन्न नहीं हो जायेगा ? हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों को भूल गये हैं। हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसलिये अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिलना अत्यन्त जरूरी है। हम धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धान्तों को बढ़ावा देने की बजाए साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुसलमान, और हिन्दु और हरिजन सब भाई-भाई हैं। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे सब संगठित होकर अपने विशेषधिकारों और अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

साम्प्रदायिक दंगों की दर्दनाक घटना भारत के प्रजातन्त्र के इतिहास में पहले कभी नहीं घटी। हरिजनों को जिन्दा जलाया जा रहा है, हरिजनों की बेटियों और औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी सम्पति लूटी जा रही है यही नहीं उनके विशेषाधिकार छीन लिए गये हैं और इनकी नौकरियों के लिए सीटें नियत नहीं की गई हैं ; जीवन-निर्वाह के लिए भूमि नहीं दी गई है और न ही पदोन्नतियां दी गई हैं। इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार है। अभी हाल ही में गुजरात के एक हरिजन को कत्ल कर दिया गया। वह भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष प्रार्थना कर रहा था कि पुजारी ने उसका गला काट लिया। इसी प्रकार और भी कई उदाहरण हैं। पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अतः प्रत्येक जिले में, विशेष रूप से जहां हरिजन रहते हैं, उन जिलों के न्यायापीठ की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चाधिकारी जानबूझकर हरिजनों के विरुद्ध गोपनीय रिपोर्टें लिखते हैं जिसके कारण उनको पदोन्नति नहीं मिलती है।

हरिजनों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली छात्रवृति वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखकर दुगुनी कर देनी चाहिए। इसी प्रकार आय-कर छूट सीमा 3600 रुपयों पर नियत की गई है। एक व्यक्ति जिसके घर में छः या सात सदस्य हैं उसके लिए कालेजों की फीसें देना या ऊँची पढ़ाई के लिए धन जुटाना सम्भव नहीं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि आयकर छूट सीमा कम से कम 8000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।

सरकार के पास सैकड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। सरकार के रिकार्ड में जिस जमीन को बेकार दिखाया गया है उसको कुछ दादा लोग जोत रहे हैं। जब कोई भी हरिजन भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र देता है तो पंचायत उसका प्रार्थना-पत्र यह कहकर रद्द कर देती है कि अमुक

ment is sincere in tackling their problems, they should earmark more amount for their education.

The State Government fail to grant pre-matric scholarships. This is an important matter. The Central Government should take up the responsibility of granting scholarships to them.

The Harijans are much backward economically, socially and educationally. The Government can solve their problems if they are sincere. The Government must take it as a national problem. Let the Minister say categorically as to how they are going to mobilise resources for that. Otherwise let him say that they cannot do that then we shall choose our own line of action.

श्री सोमचंद सोलंकी (गांधीनगर) : देश की स्वतन्त्रता, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति तथा समाज में राजनीतिक जागरण के प्रति भारतीय प्रजातंत्र का अपना अलग विशिष्ट दृष्टिकोण है। संविधान के अनुच्छेद संख्या 17 अन्तर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके चलन पर रोक लगा दी गयी है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संसद में पारित किया गया था परन्तु यदि हम देखें तो हमें मालूम होता है कि अस्पृश्यता हमारे माथे पर कलंक बनी हुई है। अस्पृश्यता की समस्या विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जाति-प्रेम की समस्या के साथ जुड़ी हुई है जब तक देश से जाति-प्रेम को समाप्त नहीं किया जाता अस्पृश्यता का कलंक तब तक दूर नहीं हो सकता है।

अस्पृश्यता अस्पृश्य पेशों के कारण बनी हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति ऐसे पेशों में कार्य कर रहे हैं उन्हें वैज्ञानिक उपकरण दिये जाने चाहिए ताकि अन्य लोग उन्हें हेय दृष्टि से न देखें।

सामाजिक न्याय हमारे राष्ट्र की एकता और सुदृढ़ता का मुख्य आधार है। जाति या पेशे के आधार पर भेदभाव करना हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के विरुद्ध है। प्रजातांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति किसी पर श्रद्धा व्यक्त करने संस्कृति का अनुसरण करने, अपने ढंग से जीवन निर्वाह करने के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। परन्तु हमारे मन्त्री केवल नारे लगाने में होशियार हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी अपनी अपनी कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं। श्री जगजीवन राम, जो स्वयं को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का नेता कहते हैं, उन्होंने गत चार वर्षों से अनुसूचित जातियों के लिए एक भी शब्द सभा में कभी भी नहीं कहा है।

देश के इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि गत हजारों वर्षों से हम पराधीन रहते आये हैं। हमने विदेशियों को भारत से बाहर धकेलने के लिए कभी भी संगठन शक्ति से काम नहीं लिया है। विभिन्न धर्म, जाति और सम्प्रदाय के अनुरूप हम विभक्त हो गये हैं और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति शोचनीय होती गई है। अब से पहले तो अस्पृश्य लोगों की स्थिति और भी दयनीय थी। परन्तु एक दम एक उत्साहपूर्ण आवाज उठी कि साम्राज्यवादियों में फूट उत्पन्न करो और शासन करो। इसी नीति का अनुसरण करने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि भेदभाव मिटाकर

देश के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देना चाहिए। देश भक्ति की इस ऊँची भावना ने ही भारत को पराधीनता की शृंखलाओं से मुक्त किया था परन्तु आज फिर साम्राज्यवादी नीति अपनाई जा रही है और इन जातियो के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इसी कारण साम्प्रदायिक दंगे फैल रहे हैं। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से भारत के दो हिस्से हो गए। मुसलमानों को तो अपना हिस्सा मिल गया परन्तु हरिजनों को नहीं। आज 'मैं अल्पसंख्यकों का रक्षक हूं' नारे ने इतिहास की पुनरावृति की है। इसी कारण एक दूसरे के बीच शत्रुता पैदा हो गई है और हिन्दु तथा मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक घृणा उत्पन्न हो गई है। नई कांग्रेस के इस नारे से कि 'हम अल्पसंख्यकों के रक्षक हैं' देश कई वर्गों और हिस्सों में नहीं बट जायगा ऐसा मेरा विचार है ? मुस्लिम लीग का समर्थन करना इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 'फूट उत्पन्न करो और शासन करो' की नीति से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों की अपेक्षा क्या मुसलमानों को अधिक खतरा उत्पन्न नहीं हो जायेगा ? हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों को भूल गये हैं। हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसलिये अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिलना अत्यन्त जरूरी है। हम धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धान्तों को बढ़ावा देने की बजाए साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुसलमान, और हिन्दु और हरिजन सब भाई-भाई हैं। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे सब संगठित होकर अपने विशेषधिकारों और अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

साम्प्रदायिक दंगों की दर्दनाक घटना भारत के प्रजातन्त्र के इतिहास में पहले कभी नहीं घटी। हरिजनों को जिन्दा जलाया जा रहा है, हरिजनों की बेटियों और औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी सम्पति लूटी जा रही है यही नहीं उनके विशेषाधिकार छीन लिए गये हैं और इनकी नौकरियों के लिए सीटें नियत नहीं की गई हैं ; जीवन-निर्वाह के लिए भूमि नहीं दी गई है और न ही पदोन्नतियां दी गई हैं। इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार है। अभी हाल ही में गुजरात के एक हरिजन को कत्ल कर दिया गया। वह भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष प्रार्थना कर रहा था कि पुजारी ने उसका गला काट लिया। इसी प्रकार और भी कई उदाहरण हैं। पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अतः प्रत्येक जिले में, विशेष रूप से जहां हरिजन रहते हैं, उन जिलों के न्यायापीठ की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्चाधिकारी जानबूझकर हरिजनों के विरुद्ध गोपनीय रिपोर्टें लिखते हैं जिसके कारण उनको पदोन्नति नहीं मिलती है।

हरिजनों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली छात्रवृति वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखकर दुगुनी कर देनी चाहिए। इसी प्रकार आय-कर छूट सीमा 3600 रुपयों पर नियत की गई है। एक व्यक्ति जिसके घर में छः या सात सदस्य हैं उसके लिए कालेजों की फीसें देना या ऊँची पढ़ाई के लिए धन जुटाना सम्भव नहीं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि आयकर छूट सीमा कम से कम 8000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।

सरकार के पास सैकड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। सरकार के रिकार्ड में जिस जमीन को बेकार दिखाया गया है उसको कुछ दादा लोग जोत रहे हैं। जब कोई भी हरिजन भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र देता है तो पंचायत उसका प्रार्थना-पत्र यह कहकर रद्द कर देती है कि अमुक

भूमि तो गऊओं के चरने के लिए है। इस प्रकार हरिजनों को भूमि देने से वंचित किया जा रहा है। अतः मेरा सुझाव यह है कि बेकार पड़ी भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए संसदीय समिति या आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए और यह संसदीय समिति या आयोग जिस किसी भी प्रदेश में अपना कैम्प लगायें उस प्रदेश के विधायकों और अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को भी सहयोजक सदस्य के रूप में शामिल अवश्य कर लिया जाना चाहिए।

बड़े ही खेद की बात है कि सरकार अनुसूचित जातियों की उपेक्षा करती आई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग देश के लिए खतरा पैदा करने वाले नहीं हैं जैसा कि मुसलमानों ने किया। उन्होंने तो धमकी से पाकिस्तान ले लिया परन्तु 22 वर्षों के बाद भी इनको इनके सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत के इतिहास में तथा प्रजातंत्र के इतिहास में यह दुःखदायी घटना है अन्त में मैं आपका यह समय देने के लिये धन्यवाद करता हूँ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : We are discussing Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports of the commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1966-67, 1967-68 and 1968-69 in 1970. It seems as if Government are obliging them.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दू अल्पसंख्यकों के आने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. MIGRATION OF HINDU MINORITIES FROM EAST PAKISTAN

Shri Deven Sen (Asansol) : Mr. Chairman, Sir, Government have adopted indifferent attitude towards Refugess coming from East Bengal. I want to draw your kind attention towards the reply given by the Rehabilitation Minister. He has stated that "Under the Nehru-Liaquat Pact of April, 1950. the migrants from East Pakistan retain their property rights in the properties left behind by them in that country". As the Migrants have property rights in their property, the question of grant of compensation to them does not arise". About property rights it has been mentioned that the Government of Pakistan are not implementing the agreement and that they have made it extremely difficult far the migrants to dispose ot their property when migrating.

This is happening in Pakistan ? It is being said that these people are not allowed to make use of their property right there. May I know why our Government are silent over this ? It has been told that Government are making negotiations with Government of Pakistan. Hon. Minister should inform the House that what is the outcome of these negotiations.

May I know what arrangements we have made to settle the migrants coming from East Pakistan ? In India, Ahemdabad riots, Ranchi riots and Maharashtra riots took place. It is evident that the Muslims in Pakistan will change their attitudes towards the minorities. Here we say that only a Hindu can be secular. A Mussalman can not be secular, what is this ? May I know what steps Government are contemplating to avoid

statements and to ensure the minorities living in East Pakistan that Muslims are safe in India ?

I want to draw your attention towards Two-Nation Policy of Mr. Jinhah. His intention was to divide Bengal. Congress pursued his policy and Bengal was divided. I am sorry to say that Central Government have never adopted a favourable attitude towards Bengal. West Bengal is on the top of the list of sacrificers who fought for freedom. Inspite of this, when there is a influx of Refugees from East Pakistan now no one is prepare to welcome them in their own State by saying that there is no place for them. Wherever they were sent, they did not received any facilities of any kind. Our party wants that a confederation between India and Pakistan should be made. If we want that our Hindus should be safe in Pakistan, we will have to convince the Muslims of Pakistan that Muslims in India are quite safe. I want that some programme should be chalked out in this direction, otherwise we will not be able to save Hindu minority in Pakistan.

We should not talk of indianizing Muslims because it may create a problem for Hindus living in Pakistan. If we talk of Indianisation of Muslims, Pakistan can talk of Pakistanisation of Hindus.

These people who here from Pakistan should be properly rehabilitated. We should provide them with adequate and proper food and transport facilities.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Shri Trilokya Nath Chakarvarty the famous revolutionary, painted a painful picture at minorities in East Pakistan. I think he had come here just to remind us the responsibilities we had promised to discharge with sincerity and devotion at the time of partition of the country.

After 23 years of partition, the strength of Hindus in Pakistan has declined from 1½ crores to 80 lakhs. If we keep in view the increase in population that should have been there during this period their strength should have been more than 2 crores by now.

This is agitating our minds. We should tell the world the woeful tale of the minorities in Pakistan.

Regarding the property of the migrants I do not think the Government has discussed this matter with Pakistani Government. If the question of their property had been discussed, the hon. Minister could clearly specify as to what happened to the property of the refugees who are continuously crossing over to India for the last twenty three years.

We must give a serious thought to this problem. These refugees have again started migrating to India for the last 6 months. It is not only Hindus who are migrating to India but a large number of Muslims are also coming. A responsible Member or the ruling party revealed to the Prime Minister, the facts of the report given by Shri Chaliha, —the Chief Minister of Assam, the Chief Minister has said that a large number of Muslims are again coming to Assam. If this State affairs continues, Assam may prove another Kashmir in India. All these facts should be intimated to U N O. We should also demand from East Pakistan through U.N.O. land to rehabilitate these people.

I would like to say that the Government should pay attention to their rehabilitation. The tents provided to these people are in a shabby condition. Rainy water is pouring in tents. The tents are not worth living. We should atleast provide these migrants their human rights.

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : पहले प्रतिमास 800 के लगभग लोग सीमा पार करते थे और भारत आते थे । अब 1969 से यह संख्या बढ़कर 1000 व्यक्ति प्रतिमास हो गई है और हाल ही में यह संख्या बढ़कर 2000 प्रति दिन हो गई है । इस से यह ज्ञात होता है कि पाकिस्तान की स्थिति अल्पसंख्यकों के अनुकूल नहीं है और बहुत से लोगों को अपनी भूमि छोड़कर भारत आना पड़ा । अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना फैल रही होगी इसीलिए अधिक संख्या में लोग भारत आ रहे हैं । संभवतया भारत के साम्प्रादायिक झगड़ों के कारण भी आने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है । अहमदाबाद के झगड़े के तुरन्त पश्चात पाकिस्तान में भी साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया था जिसके कारण अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में भारत आने लगे । भिवांडी और जलगांव के झगड़ों के पश्चात् यह संख्या बढ़कर 2000 प्रति दिन तक पहुँच गई है । भारत की तरह अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में भी वहां घुलमिल जाना चाहिये था परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका ।

यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में यहां के अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सहानुभूतिपूर्ण आवाज उठाता है, तो यहां के अल्पसंख्यकों के बारे में गलत फहमी हो जायगी और उन्हें पाकिस्तान समझा जायगा । इसी तरह पाकिस्तान के अल्पसंख्कों के पक्ष में यदि सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे जाते हैं, तो निष्ठा का प्रश्न उठ सकता है और इससे उनके लिए अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । इसलिए प्रत्येक देश के अल्पसंख्यकों को सोचना चाहिये कि यह उनकी अपनी भूमि है ।

मुसलमान जो पाकिस्तान को छोड़ना पसन्द करता है और भारत आकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हैं, हम उन्हें क्यों रोकें । यदि मुसलमान आना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे, उन्हें कोई व्यवसाय अथवा भूमि देंगे । यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अपने आपको एक धर्म निरपेक्ष देश नहीं कह सकते । हमें हिन्दू और मुसलमान शरणार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए उच्चस्तरीय बातचीत की जानी चाहिये । पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन की समस्या सीमा से बाहर होती जा रही है इसलिए सरकार द्वारा कोई उपाय निकाला ही जाना चाहिये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के आने का मूल कारण क्या है ? 1940 मे मुस्लिम लीग के एक संकल्प में मुस्लिम बहुमत के दो स्वायत्त राज्यों की मांग की गई थी । इस मांग के अनुसार एक राज्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में और दूसरा पश्चिमोत्तर भाग में मांगे गये । 1944 में श्री जिन्ना ने अपनी एक पुस्तक 'दी पाकिस्तानी नेशन' गांधी जी को भेंट करते हुये यह मांग की थी कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक राज्य बने जिसको पाकिस्तान कहा जायगा तथा एक राज्य पूर्वी क्षेत्र में बने जिसे बंगिस्तान कहा जाय, पाकिस्तान नहीं ।

पाकिस्तान के संविधान तथा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के आन्तरिक मतभेदों में ही अल्पसंख्यकों की कठिनाई का कारण निहित है । 1956 तक पाकिस्तान के पूर्वी भाग का नाम पूर्वी बंगाल था । उस समय पाकिस्तान की 56 प्रतिशत जनसंख्या पाकिस्तान के पूर्वी भाग में थी । पश्चिमी पाकिस्तान का शासक वर्ग, बंगला भाषा और संस्कृति, दोनों बंगलों के व्यापारिक तथा

सांस्कृतिक सम्बन्धों, तथा अल्पसंख्यकों, पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं, के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक, और शक्षिक जीवन से बहुत अधिक भयभीत था। इसीलिए पश्चिमी पाकिस्तानी लोगों ने हिन्दुओं को अपना शत्रु समझा और पाकिस्तान के पूर्वी भाग का पाकिस्तानीकरण करने की इच्छा प्रकट की। यही कारण है कि पाकिस्तानी संविधान को इस्लामी संविधान कहा गया और पाकिस्तान को इस्लामी जनतंत्र।

विभाजन के तुरन्त पश्चात्, साम्प्रदायिक झगड़े कराकर 40 लाख हिन्दुओं को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया। अवमूल्यन करके पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के मध्य मुद्रा प्रचलन की व्यवस्था को भंग कर दिया गया और पासपोर्ट व्यवस्था आरम्भ करके बंगाल के दोनों भागों के मध्य संस्कृति संबंध विच्छिन्न कर दिये गये। इसके पश्चात अधिग्रहण आदि उपायों के द्वारा 5,7 वर्षों के अन्दर ही हिन्दू जाति की सम्पत्ति को जो राष्ट्रीय सम्पत्ति का 8[illegible] प्रतिशत थी, हड़प लिया गया। इस प्रकार पूर्वी बंगाल का पाकिस्तानीकरण कर दिया गया। बगला के स्थान पर अरबी तथा उर्दू को प्रोत्साहन दिया गया। इसके पश्चात् पूर्वी बंगाल में बंगाली राष्ट्रवादी प्रवृतियों ने जोर पकड़ा और सारे क्षेत्र में अशान्ति फैल गई।

फजल हक़ और अताऊर रहमान के समय में यद्यपि हिन्दुओं का सरकार में बहुत कम प्रतिनिधित्व था, फिर भी वे प्रसन्न रहे। पश्चिमी पाकिस्तान सरकार को यह भय हो गया कि इस प्रकार की गतिविधियां पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान से अलग कर देंगी, अतः वहाँ सैनिक शासन की व्यवस्था कर दी गई। अत: 1964 के साम्प्रदायिक झगड़ों का 1950 की तुलना में एकत्रित रूप था। 1964 में 30,000 हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। यह सब कुछ सैनिक शासन के रूप में संगठित ढंग से किया गया। यह एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसे समझना आवश्यक है।

वर्तमान समय में हिन्दुओं के आने का कारण राजनीतिक है। पश्चिमी पाकिस्तानी आने वाले चुनावों से बहुत अधिक घबराये हुये हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि आगामी चुनावों में निर्वाचित किये जायेंगे, वे ही पाकिस्तान के अगले संविधान को तैयार करेंगे। पाकिस्तान की जनसंख्या की काफी बड़ी संख्या पूर्वी बंगाल में रह रही है। उनको चिन्ता है कि यदि बंगाली प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या, जो कि प्रगतिशील, तत्वों से सम्बन्धित है का निर्वाचन हो जाता है तो वे अवामी लीग की 6 सूत्री मांग के आधार पर पाकिस्तान का संविधान तैयार करेंगे। जिसका अर्थ है पूर्वी बंगाल में पूर्णरूपेण स्वायत्तता। अतः पाकिस्तान सरकार वहां हिन्दुमतदाताओं को कम करने का हर सम्भव प्रयत्न कर रही है ताकि ये साम्प्रदायिक तत्व इन प्रगतिशील तत्वों से कुछ मत छीन सकें। दुर्भाग्यवश, चुनाव की वजह से ये प्रगतिशील तत्व भी इन लोगों की सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वे वहां बहुमत प्राप्त लोगों की भावनाओं का विरोध नहीं कर सकते हैं। हम इस समस्या का हल पाकिस्तान से कूटनीतिक सम्बंध तोड़कर नहीं कर सकते। किन्तु पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक चोट करनी ही है। हमें पाकिस्तान से अपना उच्चायुक्त बुला लेना चाहिए। इस मामले को राष्ट्रसंघ की मानव अधिकार समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आये हैं उनके पुनर्वास के लिए पाकिस्तान से मुआवजे की मांग करनी चाहिए।

जमायते इस्लामी, खिलाफत रबानी, और मुस्लिम लीग जैसे राजनैतिक दलों ने उन क्षेत्रों में जहां से हिन्दू भारत आ रहे हैं, आतंक का वातावरण बना रखा है। वे दल कहते हैं कि हिन्दुओं की भूमि हिन्दुस्तान में है। हिन्दुओं को भारत चले जाना चाहिये। यही उनका नारा है। इसलिये हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक राजनैतिक मामला है जो राजनैतिक उद्देश्य से पैदा किया गया है। हिन्दुओं को निकालना एक राजनैतिक षड़यंत्र है जिससे पूर्वी बंगाल पाकिस्तान की ही एक कालोनी बन सके तथा प्रगतिशील तत्वों को पाकिस्तान विधान सभा में प्रतिनिधित्व न मिल पाये। जिससे ये लोग पाकिस्तान के नये संविधान के निर्माण में भाग लेने से वंचित रहें। ये पूर्वी बंगाल को बंगाल देश का नाम देने की भी मांग कर रहे हैं।

भिवान्डी के साम्प्रदायिक झगड़ों से पहले तो मैंने तत्कालीन गृह मंत्री तथा विदेश मंत्री को सूचित किया था कि वहां साम्प्रदायिक झगड़े कराने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपने एजेन्ट भेजे जा रहे हैं। यदि यहां साम्प्रदायिक झगड़े होंगे तो उनका प्रभाव निश्चय ही पाकिस्तान पर भी पड़ेगा और इससे, वहां के राजनैतिक दलों—जमायते इस्लामी, खिलाफत रबानी तथा मुस्लिम लीग, को अधिक मत प्राप्त हो सकेंगे जिससे वे अधिक संख्या में विधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने में सफल होंगे।

यह केवल एक पहलू है। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सी बातें हैं। हिन्दुओं के निवास क्षेत्रों में समाज विरोधी तथा अन्य घातक तत्वों को अल्पसंख्यकों के लिए कठिनाई पैदा करने के लिये छोड़ा गया है। त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने एक भाषण में अल्पसंख्यकों के लिए भयानक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। वहां के हिन्दुओं की भूमि को छीना जा रहा है या भूमि की फसल को पशुओं से चराकर नष्ट कर दिया जाता है।

कांग्रेस पार्टी ने जो समिति बनाई थी उसकी अध्यक्षा ने, जो पाकिस्तान से हिन्दुओं के भारत आने के कारणों की जांच करने के लिए भेजी गई थी, प्रधान मन्त्री को दिये गये अपने प्रतिवेदन में भारी संख्या में हिन्दुओं के भारत आने के निम्नलिखित कारण बताये हैं :—

"गत वर्ष हिन्दू बहुमत वाले क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के समय की गई गौ हत्यायें, हिन्दू नारियों, पर किये जाने वाले अत्याचार तथा धान, ग्रामों, भूमि तथा हिन्दुओं की अन्य वस्तुओं का छीना जाना।"

कल ही मुझे एक सज्जन का पत्र प्राप्त हुआ है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। परंतु वह पाकिस्तानी संसद के सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में हिन्दुओं पर किये जा रहे अत्याचारों का उल्लेख किया है। हिन्दू महिलाओं, लड़कियों, बच्चों पर किस प्रकार अत्याचार किये जा रहे है, उनकी सम्पत्ति को किस प्रकार लूटा जा रहा है, पत्र में इन सब बातों का उल्लेख किया गया है।

बंगाली मुसलमानों, विशेषतया, छात्रों तथा नवयुवकों की भावनाओं को उत्तेजित करने तथा स्वायत्तता आन्दोलन का समर्थन करने में ही हिन्दुओं की सुरक्षा है। हाल ही में जब प्रधान मन्त्री तथा श्री गुजराल कलकत्ता गये तो मैंने कुछ सुझाव दिये थे जिन्हें मान भी लिया गया था। मैंने यह सुझाव दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए शरणार्थियों की एक फिल्म बनाई जाय

तथा विदेशी संवाददाताओं को इन शरणार्थियों के शिविरों में भेजा जाय ताकि वे दुर्दशा अपनी आंखों से देख सकें और क्रम निष्क्रमण के कारणों का अध्ययन कर सकें।

कलकत्ता रेडियो स्टेशन से वार्ता में बंगाली मुस्लीमों को विशेषकर प्रगतिशील छात्रों तथा नवयुवकों को सम्बोधित किया जाय ताकि वे इधर उधर जायें तथा अल्पसंख्यकों को संरक्षण और सुरक्षा देकर उनकी सहायता करें तथा उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से स्थानांतरित होने से मना करें। प्रधान मंत्री और श्री गुजराल ने इन सुझावों को मान लिया है। किन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

मैंने उन शोचनीय परिस्थितियों के विषय में नहीं बताया है जिनमें शरणार्थी रह रहे हैं। मेरे पास 65 ऐसे भयानक मामलों की सूचना उपलब्ध है। मैंने इस विषय में किसी से भी कुछ भी नहीं कहा है, केवल इस भय से, कि कहीं आपत्ति खड़ी न हो जाय। ये सभी मामले सत्य हैं। महाराजा चक्रवर्ती ने भी इस विषय में लिखा है। शरणार्थियों की स्थिति बहुत खराब है। हसनाबाद और बशीरहाट में प्रतिदिन 15 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वहां पर सफाई, आवास आदि की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उन्हें सारा दिन पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता है और एक समय का खाना मिलता है। उन्हें 250 ग्राम चावल और 2 या 3 प्याज मिलते हैं। अतः मैं मांग करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार की माँग के अनुरूप आवाजाही शिविर स्थापित किये जाने चाहिये। आवास और सफाई की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें कम से कम 500 ग्राम चावल, कुछ सब्जियां, तेल, ईन्धन आदि तथा कुछ बर्तन और नकदी दी जानी चाहिये उनको कपड़े भी दिये जाने चाहिये। इसके साथ ही हसनाबाद तथा बशीरहाट में शरणार्थी केन्द्रों का पुनर्गठन भी किया जाना चाहिए। कलकत्ता में एक सहायता कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिए संसद सदस्यों के एक दल को वहां पर भेजना चाहिए। सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पृथक मंत्रालय स्थापित करना चाहिये क्योंकि सरकार के कथनानुसार 180 लाख और शरणार्थी आ रहे हैं।

पुनर्वास अवलोकन समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को उसी प्रकार मुआवजा दिया जाना चाहिये जिस प्रकार पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिया गया था क्योंकि वहां पर शरणार्थियों की सम्पति को शत्रु की सम्पत्ति के रूप में छीना जा रहा है।

शरणार्थियों को केवल दंडकारण्य और नेफा क्षेत्रों में बसाया जाना चाहिए। सेना के लिए नामशूद्र समुदाय में से भर्ती की जानी चाहिये, जिनका काम ही लड़ना है। इस समस्या का समाधान एक ही है कि पूर्वी बंगाल को स्वायत्तशासी बनाया जाना चाहिये।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : सरकार का दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है कि विस्थापितों को और कोई सहायता नहीं देनी चाहिये चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। हम ने सुना है कि सीमा के बन्द करने के बारे में विचार किया जा रहा है जिससे विस्थापितों व्यक्तियों का भारत में आना बन्द हो जाये। अभी अगले दिन विदेश मंत्री कह रहे थे। कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उनके संबंधित देशों की है। कानूनी रूप से तथा अन्तर्राष्ट्रीय

विधि के अनुसार भी शायद यह बात ठीक है। परन्तु 17 मार्च 1950 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यदि पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती तो उनकी सुरक्षा के उपाय करने पड़ेंगे। उनका कहना था कि वह यह नहीं चाहते कि पूर्वी बंगाल से काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आये परन्तु जो लोग आना चाहते हैं उनके पुनर्वास आदि के लिये सुविधाएं देने हेतु कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। विदेश मन्त्री को प्रथम प्रधान मंत्री पंडित नेहरू के आश्वासन पर ध्यान देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसके बाद कोई मूल परिवर्तन हुआ है। हमें इस समस्या का उचित ढंग से विश्लेषण करना चाहिये। इस सरकार ने प्रतिज्ञा की हुई है कि वह उन निःसहाय विस्थापित व्यक्तियों की रक्षा करेगी जिन्हें दबाव के कारण अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। वे लोग वर्तमान परिस्थितियों में पूर्वी पाकिस्तान में नहीं रह सकते। यह कहा गया कि शरणार्थी कोई न कोई बहाना बना कर भारत में आ रहे हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। उनके घर छोड़ने के कारणों पर अभी अभी प्रोफेसर समर गुह ने और महाराज त्रिलोक्य नाथ चक्रवर्ती ने प्रकाश डाला था उस क्षेत्र की विधान सभा के एक सदस्य ने श्री मंडल नामक एक व्यक्ति को एक पत्र लिखा था। लेखक का नाम मकबूल अहमद है। पत्र का सार यह है "चेयर मैन शहाबुद्दीन ने आपकी सम्पत्ति अपने नियंत्रण में ले ली है।...आपकी सम्पत्ति की रजिस्ट्री एक अन्य महिला से हस्ताक्षर करवा कर की गई है जिसने आपकी पत्नी के जाली हस्ताक्षर किये हैं..." यह स्थिति है। श्री मंडल की पत्नी कलकत्ता में रह रही है। मैं ने कुछ मित्रों के साथ मिल कर 200-300 मामलों का ब्यौरा तैयार किया है। यदि पुनर्वास मंत्री यह देखना चाहें कि किन परिस्थितियों में इन लोगों को पूर्वी पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है तो मैं इन मामलों को उनकी सूचना प्रस्तुत कर सकता हूं। मुख्य रूप से उनके भारत में आने के चार कारण हैं :—(1) आर्थिक परिस्थितियां (2) महिलाओं के साथ खेड़-छाड़, यंत्रणा आदि (3) उनकी शिकायतों पर वहां की पुलिस द्वारा ध्यान न दिया जाना (4) अन्य कई प्रकार के दमन चक्र। मैं मानता हूं कि वर्ष 1964 से वहां पर साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं परन्तु तथ्य यह है कि वहां पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, वहां पर अराजकता है। पाकिस्तान के साथ कई करार किये गये हैं, परन्तु उसने किसी को भी पूरा नहीं किया है। 1,70,000 या इससे भी अधिक शरणार्थी आ चुके हैं। मंत्री महोदय ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है कि वर्ष 1950 में किये गये करार का पालन किया जाये ? इस करार में यह व्यवस्था है कि दोनों देशों के मंत्रियों का एक जांच आयोग बनाया जाना चाहिये और इस आयोग के माध्यम से ऐसे सभी मामलों की जांच की जानी चाहिये।

मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या जांच आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने कोई प्रयास किया है। क्या सभी मामलों के सम्बन्ध में कोई समुचित जांच की गई थी ? संभवतः आप इसका यह उत्तर देंगी कि पाकिस्तान के समकक्षी अधिकारी सहयोग नहीं देते हैं। यदि ऐसी बात है तो यह सरकार कब तक एक पक्षीय हाथ बढ़ाती रहेगी ? हमने समुचित कदम क्यों नहीं उठाये ? इस करार की अन्य बातों तथा अन्य हस्ताक्षरकर्त्ताओं के बारे में क्या है ? पाकिस्तान सरकार को करार की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिये। क्या अन्य उपाय किये गए हैं ? 1964 में एक विशिष्ट संकल्प पारित किया गया था कि पूर्वी

पाकिस्तान के अल्प संख्यकों संबंधी सभी मामलों को समुचित प्रचार किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मत बनाया जाना चाहिए। इस सरकार द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अत्याचारों, उत्पीड़न, दबाव तथा आर्थिक आवश्यकताओं के कारण अल्प संख्यक यहाँ आ रहे हैं। यह भी कहा जाना चाहिए कि सरकार की उदासीनता के कारण यह स्थिति यहाँ तक बढ़ी है। सरकार के उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय कहेंगे कि यह उत्तरदायित्व पाकिस्तान सरकार का है कि वह वहां के अल्पसंख्यकों की देख-रेख करे। मैंने पहले कहा कि यह आश्वासन पं० नेहरू द्वारा दिया गया था।

यहां तक कि इस करार में भी कुछ विशिष्ट शर्तें हैं कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को सम्पत्ति का अधिकार होगा ? यह कई बार कहा गया है और इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी कि इन अधिकारों की अवहेलना की जा रही है इस सरकार ने उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित लोग जो संपत्ति छोड़ आये थे, उसके मुआवजे का प्रश्न कई बार उठा है। सरकार का कहना है कि वह समय-समय पर इस मामले की जांच करती रहती है और वह यह सुनिश्चित करेगी कि उनके न्यायसंगत हितों की ओर से आंखें न मूंदी जायें। किन्तु पता नहीं यह मामला इस तरह कब तक जारी रहेगा।

इस समस्या के दूसरे पहलू भी हैं। सीमा क्षेत्रों के पार लाखों लोग आ रहे हैं। काफी संख्या में शरणार्थी आ चुके हैं किन्तु उनके लिए कोई स्थायी स्वागत केन्द्र नहीं खोले गए हैं। शरणार्थियों की स्थिति बड़ी दयनीय है। उनकी हालत देखकर रोना आता है। प्रतिदिन 10 से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने वहां कितने कैंप खोले हैं ? कितने टैन्ट लगाये गए हैं ? कुछ मामलों में तीन या चार परिवारों के लिए कठिनाई से एक टैन्ट की व्यवस्था की गई है।

पुनर्वास मंत्रालय के एक अधिकारी नियुक्त किया है जो विस्थापित लोगों के नाम पंजीकृत करता हैं और उन्हें एक प्रमाण-पत्र देता है ताकि इन लोगों को धन की सहायता की जा सके। यह सहायता राम कृष्ण मिशन तथा भारत सेवक समाज जैसी एजेंसियों के माध्यम से दी जा रही है। इस कार्य के लिए और अधिकारी नियुक्त किए जायें क्योंकि अभी बहुत से लोगों को पंजीकृत करना है। अजीकर, विस्थापितों को इस बड़ी संख्या को आजीविका-साधन उपलब्ध कराना होगा। उनके पुनर्वासन के लिए क्या किया गया है ?

दण्डकारण्य में किस प्रकार का प्रशासन है ? मेरे पास लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी शिफारिशों पर गौर करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री रहेनेस तथा डा० (श्रीमती) बकनान ने त्यागपत्र दे दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जहां तक कालकाजी का सम्बन्ध है। मंत्री महोदय वहां की स्थिति से आवगत हैं। वहां प्लाटों के वितरण के मामले में अन्याय किया जाता है। जब हम मंत्री महोदय से कहते हैं तो वे कोई कार्यवाही नहीं करते, वे कहते हैं कि यह वित्त का मामला है। लेकिन क्या मंत्री महोदय को पता है कि उनके मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र हाई कमिशनर से पुनर्वास के लिए बहुत साधन प्राप्त हुआ है ? क्या वे उसका कुछ ब्यौरा दे सकते हैं ? यदि यह वित्त का मामला है तो क्या मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र संगठन से सहायता के लिए कहा है। वित्त की कोई समस्या नहीं है। विस्थापितों के उत्थान के लिए उनके पास कौन सी योजनायें हैं ?

यदि मंत्री महोदय विभाजन संबंधी कार्यवाहियों के रिकार्ड को देखें तो वह निश्चय ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भारत कानूनी तौर पर अभी भी पाकिस्तान के कुछ भागों का दावा कर सकता है। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए, वह कानूनी तौर से चिटागांग पर्वतीय क्षेत्रों का दावा कर सकते हैं जहाँ 97 प्रतिशत हिन्दू रहते हैं। इसे पूर्वी पाकिस्तान को देने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तत्पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान में कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनका कानूनी तौर से भारत सरकार दावा कर सकती है।

सुन्दर वन क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये ताकि उसे 4 लाख विस्थापित लोगों को इस क्षेत्र में आशय दिया जा सके।

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आज इस समस्या पर अधिकांश सदस्यों ने अपनी रुचि दिखलाई है तथा अपने मत व्यक्त किये हैं। सबसे पहले मैं अब तक के आंकड़े दूंगा। पश्चिमी बंगाल में 1 जनवरी, 1970 से 5 अगस्त, 1970 तक 1,60,160 व्यक्ति आए। इसमें से 1,14,589 व्यक्तियों को अन्य स्थानों में भेजा गया और 45,571 व्यक्तियों को भेजना बाकी है।

प्रोफेसर समर गुह ने पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति का राजनैतिक विशलेषण बड़े सुन्दर ढंग से किया है। उन्होंने पाकिस्तान में उन शक्तियों के उद्भव होने के बारे में तथ्य दिए हैं जिनके कारण यह निष्क्रमण हो रहा है। उन्होंने बताया है कि इसमें पीछे राजनैतिक उद्देश्य है। परन्तु इसके अन्य कारण भी हैं।

पहला, वहां लोगों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं तथा कानून व व्यवस्था बिगड़ चुकी है। दूसरा महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी है जिसको वहां गंभीरता से नहीं देखा जाता है। तीसरा वहां परेशान करना तथा भेदभाव बरतना आम बात हो गई है। चौथी कतिपय राजनैतिक दल द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार करना। पांचवा, आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होना। छटा, उन दलों द्वारा लोगों को वहां से निकालने का प्रचार जो उनकी भूमि पर अधिकार करना चाहते हैं। यह सुस्पष्ट है कि इसका समाधान पाकिस्तान सरकार के पास है। इस प्रश्न पर कई सुझाव पेश किये गए परन्तु हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा अपनी सीमाओं को भी देखना होगा।

यह एक कठोर सत्य है कि भारत और पाकिस्तान दो सार्वभौमिक तथा स्वतंत्र देश हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि प्रत्येक देशों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन देशों की सरकार पर है। यह सच है कि देश के विभाजन के पश्चात् होने वाले दंगों के समय दोनों देशों के नेताओं में बातचीत हुई थी ताकि जनता की तकलीफों को दूर किया जा सके परन्तु यह प्रमुख तथ्य है कि प्रत्येक देशों की अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व उन देशों की सरकारों पर है। उनको समझौते के बारे में याद दिलाया जा सकता है।

पाकिस्तान में प्रचार करने वाले भारत के बारे में चाहे कुछ भी कहें परन्तु भारत को अपने में गर्व है कि उसका व्यवहार अल्पसंख्यकों के प्रति अच्छा रहा है। यह सच है कि समाज-विरोधी तत्वों ने कुछ मामलों में कानून तथा व्यवस्था को उस समय अपने हाथ में ले लिया था तब देश में विभिन्न भागों में दंगे फैल गए थे। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब भी ऐसी घटनायें घटी, इसके विरुद्ध सर्वसम्मति से, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, आवाज उठाई गई। ऐसे अवसरों पर न केवल निन्दा ही की गई अपितु सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की गई तथा ऐसे उपद्रवों को कठोरता से दबाया गया चाहे इसमें अपनी लोकप्रियता को खोना भी पड़ा।

इस संदर्भ में यह आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान के उच्चस्तरीय नेता भारत में होने वाले साम्प्रदायिक दंगों की ही बात कर रहे हैं और उन्होंने वहां से बड़े पैमाने या होने वाले निष्क्रमण के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने उन लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाई है जिनको वहां अपना घर छोड़ने को मजबूर किया गया है। यह एक अति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

पाकिस्तान सरकार की अपने देश में हिन्दुओं तथा अन्य गैर मुस्लिमों की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है, उसको उसने भलि भांति नहीं निभाया है। सारे झगड़े की यही जड़ है। आप उनके साथ हुए करारों के बारे में कह सकते हैं परन्तु उनको क्रियान्वित करने की इच्छा भी होनी चाहिए जोकि पाकिस्तान शासकों में नहीं है।

इस बारे में कई सुझाव दिए गए हैं कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें राजनयिक संबंध तोड़ देना चाहिये। किसी ने सुझाव दिया है कि हमें इसके लिए पाकिस्तान से भू-प्रदेश मांगना चाहिए। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें, क्या इससे उन दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों की समस्या का समाधान होगा जो पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या इससे उनके मन में सुरक्षा की भावना पैदा होगी? और क्या वे इससे वहां ठहरेंगे? मेरा यह विचार है कि इन सब बातों से हम उद्देश्य की पूर्ति न कर सकेंगे जिसका विचार माननीय सदस्यों के मन में है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस समस्या पर भली भांति विचार करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उतनी ही चिन्ता है जितना कि माननीय सदस्य को है। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश ऐसे तत्काल कार्यवाही करें जिनसे वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के

मन में सुरक्षा की भावना पैदा हो। उनको तथ्य तथा वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ सकता है। हम इस मामले में सयम से काम ले रहे हैं तथा किसी प्रकार की निन्दा अथवा दोषारोपण नहीं कह रहे हैं। मेरी सहानुभूति उन व्यक्तियों के साथ है तो बेघरबार कर दिये गए हैं तथा हम उनको भारत में बसाने तथा पुनर्वास करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी जाननी चाहिए और सहयोग देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक रूप से संपत्ति रखने का निर्णय किया है। यदि उन लोगों को वहां रोकने के लिए कुछ न किया गया तो एक बार उनके यहां आ जाने पर हम उनका फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने पाकिस्तान में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर संदेश भेजा है कि जिसमें उपचारात्मक कार्यवाहियां बताई गई हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इस संबंध में मुझे आशाजनक उत्तर मिले हैं। मैं ऐसे कार्यवाहियों में सहयोग करने के लिए तैयार हूं जिससे इस प्रकार के निष्क्रमण को रोका जा सकता है। मुझे पता लगा है कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने इस सम्पत्ति को गलत बताया है।

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूच-बिहार) : क्या आप पाकिस्तान को एक मिशन भेजने को तैयार हो ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं मिशन भेजने को तैयार हूं परन्तु वे इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम ऐसे सभी संभावित कार्यवाहियां कर रहे हैं क्योंकि इस निष्क्रमण से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं संभवतः इस राजनैतिक समस्या का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि प्रोफेसर समर गुह ने इसका सुन्दर तरीके से विश्लेषण किया है। हमें एक बात में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। चुनाव सम्बन्धी मामला उनकी जनसंख्या की समस्या है। हमारा सम्बन्ध वहां की सरकार से ही होगा। वहां के बारे में सुझाव देना पाकिस्तान के आंतरिक मामलो में अनावश्यक हस्तक्षेप करना है।

मैं इस बारे में विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ। कुछ ने सुझाव दिया है कि इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को परिचित कराना चाहिए। हम इस मामले में अपने मिशनों को नियमित रूप से सूचित करते आ रहे हैं और वे सम्बन्धित सरकारों को इस बारे में बता रहे हैं। यह सच है कि पाकिस्तान वहां के समाचार पत्रों को धन देकर प्रचार कर रहा है।

श्री बे० कु० दास चौधरी : आपके मित्र देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। क्या उन्होंने कहा है कि वे पाकिस्तान को इस बारे में कहेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में हमने सभी मित्र देशों को सूचित कर दिया है। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार आयोग को कहेंगे तो इससे कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलेंगे।

मैं अपने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूँ। हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि इस समस्या को द्विपक्षीय आधार पर सुलझाया जाये। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें धैर्य से काम करते रहने से कोई न कोई समाधान प्राप्त हो सकता है। मैं संयुक्त समाजवादी दल द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार का दृष्टिकोण बता देना चाहता हूँ। इस बारे में हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी सुझाव जो पाकिस्तान की सार्वभौमिकता को समान करता है, हमारे हित में नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान इसका प्रयोग भारत विरोधी प्रचार में कर सकता है कि भारत ने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया था और पाकिस्तान को ऐसे सुझाव के प्रति सावधान रहना चाहिए। जो पाकिस्तान के लिये ठीक हो सकता है वह हमारे लिये ठीक नहीं हो सकता है। इसी कारण से मैं इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Lakhs of Rupee are Coming to this side. How you will stop their ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बारे में स्पष्ट हूं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर मैं श्री कंवर लाल गुप्त के इस आशय के सुझाव मानू कि पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिये जाये उनसे भू-प्रदेश, धन या भूमि आदि की मांग की जाये तो उससे हमें ही नुकसान होगा क्योंकि पाकिस्तान इसका उपयोग भारत विरोधी प्रचार के लिए करेगा।

हमारा तरीका यह रहा है कि उनके साथ द्विपक्षीय आधार पर बातचीत की जाये तथा उनको प्रत्येक सार पर उनके उत्तरदायित्व का मान कराया जाये। इसी से हम सफल हो सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 12 अगस्त, 1970/21 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 12,1970/ Sravana 21, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6